॥ हिन्दुस्थान का दंडसंग्रह ॥

# ॥ ताजीरातहिन्द ॥

>:○✻✻○:<

अर्थात्

ऐक्ट ४५ सन् १८६० ई०

जिसको नजीबाबाद निवासी पंडित कुन्दन-
लालात्मज पंडित हरिशंकर जी शास्त्री
अध्यक्ष संस्कृत पुस्तकालय हरिद्वार
ने नवीन संशोधित अर्थात् तर-
मीम कराकर मय नज़ा-
यर चारो हाईकोर्ट के
अत्यन्त शुद्धता
पूर्वक.

मुंबई
टाइप से विभूषित "आर्यभास्कर" प्रेस मुरादाबाद में छपाया
ता० १० अगस्त सन् १८९८ ईस्वी.

मिलने का पता

पंडित हरिशंकर जी शास्त्री अध्यक्ष
संस्कृत पुस्तकालय हरिद्वार

प्रथम बार १००० पुस्तक

मूल्य १।-)

श्रीगणेशायनमः

# हिन्दुस्तानका दण्डसङ्ग्रह.

अर्थात्

## ऐक्ट नम्बर ४५ सन् १८६० ई०

# अध्याय १

भूमिका ] जोकि उचित है किहिंदुस्तानमें सब अंग्रेजी राज्यभरके लिये एकही दंड संग्रह बनाया जाय इसलिये आज्ञा हुई कि–

इस एक्टका नाम और इसके प्रचारकी अवधि } (१) इस ऐक्टका नाम हिंदुस्तान का दण्डसंग्रह रक्खा जाय और उन देशोंमें प्रचलित हो जो श्रीमती महारानीको अपने राज्य के २१ व २२ वें सम्वत्के क़ानूनके अध्याय १०६ के अनुसार जिसका प्रचार हिंदुस्तानका राज्य प्रवन्ध सुधारने के लिये हुआथा अब प्राप्तहै अथवा आगे प्राप्तहो।

दंड उन अपराधोंका जो उक्त देशोंके भीतर किये जांय } (२) हरएक मनुष्य जो उक्त देशोंमें ऐसे काम अथवा चूकका अपराधी हो जो इस संग्रहके विरुद्धहो वह इसी संग्रहके लेखके अनुसार दंडके योग्य होगा नाकिसी दूसरे क़ानूनके।

दंड अपराधोंका जो ऊपर कहेहुए देशों में बाहर किये जांय परन्तु क़ानून अनुसार उनके मध्ये तजबीज उनदेशोंके भीतर होसक्तीहो } (३) कोई मनुष्य जिसके मध्ये हिंदुस्तान कौंसिलस्थ श्रीमान् गवर्नर जनरैलप्रतापी

की चलाइहुई किसी कानूनके अनुसार तजवीज़ दंड की उस अपराधके लिये कहेहुए देशोंके बाहर किया जाय होसक्तीहो इसी संग्रहके लेखोंके अनुसार दण्ड उस अपराधका जो वह उन्हीं देशोंके बाहर करै उसी भांति पावैगा मानों वह अपराध उसने उनदेशोंके भीतर किया

दण्ड उन अपराधोंका जो श्रीमती महारानीका कोई नौकर किसी हितकारी दरबारके राज में करै

(४) हर एक नौकर श्रीमती महारानीका इसी संग्रहके अनुसार दण्डका भागी होगा जो हर एक काम अथवा चूकका जो वह नौकरीके समय में इसके लेखोंके विरुद्ध किसी ऐसे महाराजा अथवा राजाके राज्य में करै जिसकी मित्रता श्रीमती महारानीके दरबारके साथ किसी संधिपत्र अथवा लिखतमके द्वारा हो जो अब से पहले श्रीमान् ईस्टइंडिया कम्पनीके साथ हो चुकी हो अथवा हिन्दुस्तानकी किसी गवर्नमेण्टके साथ श्रीमती महारानीके नामसे लिखी गई हो अथवा आगे लिखी जाय।

किसी कानून में इस ऐक्ट से कुछ न्यूनता न आवेगी-

(५) इस ऐक्टके किसी लेख का प्रयोजन यह नहीं है कि कोई लेख महाराजा विलयम चौथेके राज्यके सम्बत् ३ व ४ की कानूनके अध्याय ८५ का या पार्लीमेण्टकी किसी दूसरी कानूनका जो उस कानून से पीछे जारी हुई हो और किसी भांति कुछ सम्बन्ध ईस्टइण्डिया कम्पनी से या ऊपर कहे हुए देशोंसे अथवा उपरोक्त देशोंके निवासियों पर घटित किया और न किसी ऐसे कानून के लेखके मिटाने अथवा बदलने अथवा रोकने अथवा न्यून करने से है जो श्रीमती महारानी की अथवा ईस्ट इण्डिया कम्प-

नौकी सैनाके सिपाहियों और अफ़सरों को बाग़ी होने अथवा भाग जानेका दंड देनेके लिये अथवा हिंदुस्तान की जहाजी सैनाका प्रबंध रखनेके लिये जारी हुई हो अथवा दूसरे किसी विशेष काम या विशेष स्थान के लिये चलाई गई हो ।

# अध्याय २

## साधारण अर्थ प्रकाश.

लक्षण इस संग्रह में आधीन छूटोंके समझे जायंगे-

( ६ ) इस संग्रह भरमें अपराध का हर एक लक्षण और दण्डका नियम और उस लक्षण अथवा दण्डके नियमका हर एक उदाहरण आधीन उन छूटोंके समझा जायगा जो साधारण छूटोंके अध्याय में लिखी है यद्यपि वे छूट उस लक्षण या दण्डके नियम या उदाहरणके साथ फिर वर्णन भी हुई है ।

## उदाहरण.

[ अ ] इस संग्रह भर में जिन दफों में अपराधोंके लक्षण लिखे हैं उन में यद्यपि यह नहीं लिखा कि सात बर्ष से कमती अवस्थाके बालक इन अपराधोंके भागी न होसकेंगे फिर भी उन लक्षणोंके आधीन उस साधारण छूटके समझना चाहिये जिस में यह नियम लिखा है कि जो कुछ काम सात बर्ष से कमतो अवस्थाका कोई बालक करै वह अपराध न गिना जायगा ।

[ इ ] ? दत्त एक पुलिसके नौकरने विष्णु मित्रको जो अपराधी ज्ञातघातका था बिना [illegible]रण्टके पकड़ा तो यहां देवदत्त अनीति बंधिके अपराधका अपराधी न गिना जायगा क्योंकि कानूनकी आज्ञानुसार विष्णु मित्रका पकड़ना उसपर अवश्य था और इस लिये यह अवस्था उस साधारण छूटके आधीन गिनीजायगी जिसमें यह नियम लिखा है कि कानून अनुसार अवश्य है वह अपराध न गिना जायगा ।

जिस शब्दका संकेत एकबार कर दियागया है वह इस संग्रह भरमें उसी आशयसे वर्त्तागयाहै ] (७) हर एक बचन जिसका अर्थ इस संग्रहमें कहीं एक ठौर संकेत कर दियागया है इस संग्रह भरमें उसी अर्थसे वर्त्तागया है ॥

लिङ्ग ] (८) संज्ञा प्रतिनिधि वह शब्द है और उसके कारक हर किसी मनुष्यके लिये चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष बरते गये हैं ।

(९) जबतक कि प्रसंगमें कुछ विरोध न दिखाई दे तब तक एक बचनके अर्थ देनेवाले शब्दोंमें बहुबचन भी समझा जायगा और बहुबचनके अर्थ देनेवाले शब्दोंमें एक बचन भी समझा जायगा ।

स्त्री वा पुरुष ] (१०) पुरुष शब्दका संकेत किसी अवस्था के मनुष्य जातिके पुल्लिङ्गसे है और स्त्री शब्दका संकेत किसी अवस्थाकी स्त्री जातिकी स्त्रीलिंगसे है ।

मनुष्य ] (११) मनुष्य शब्दमें हरएक कम्पनी और समाज और समुदाय भी समझा जायगा चाहे सनद पाचुका हो चाहे न पाचुका हो ।

सर्व सम्बन्धी ] (१२) सर्व सम्बन्धी शब्द इसमें सब प्रजा का कोई समुदाय और किसी एक सम्बंन्धके सब लोग भी गिने जायँगे ।

श्रीमती महारानी ] (१३) श्रीमती महारानी इन शब्दोंका संकेत ग्रेट बृटिन और आयर्लेण्डके संयुक्त राज्यके अधिपति से है जिस समय जो कोई हो ।

श्रीमती महारानी का नौकर ] (१४) श्रीमतीमहारानीके नौकर इनशब्दों का संकेत सब अहलकारों अथवा नौकरोंसे

है जो श्रीमतीमहारानी विक्टोरियाके राज्यके संवत्२१व २२ कीकानूनके अध्याय१०६केअनुसार जिसकाप्रचारहिंदुस्तान का राज्य प्रबन्ध सुधारने के लिये हुआथा या गवर्नमेण्ट हिन्द अथवा और किसी गवर्नमेण्टकी आज्ञासे हिंदुस्तान में नौकरी पर बने हों अथवा नियत किये गये हों अथवा काम पर लगाये गये हों।

हिन्दुस्तान में अंग्रेजी राज्य } ( १५ ) हिन्दुस्तानमें अंग्रेजी राज्य इन शब्दों का संकेत उन देशों से है जो श्रीमती महारानीको अपने राज्यके संवत् २१ व २२ वें की कानूनके अध्याय १०६ के अनुसार जिसका प्रचार हिन्दुस्तानका राज्य प्रबन्ध सुधारनेके लिये हुआथा अब प्राप्त है या आगे प्राप्तहो।

(१६) गवर्नमेन्ट हिन्द इन शब्दोंका संकेत हिंदुस्तानके श्रीमान गवर्नर जनरैल कौंसिलस्थसे या जब हिंदुस्तान के श्रीमान गवर्नर जनरैल अपनी कौंसलसे अलग होंतब कौंसलके समाधीश कौंसिलस्थसे या केवल श्रीमान गवर्नर जनरैलसे है जैसा जिसका अधिकार क़ानून अनुसारहो

गवर्नमेन्ट ] (१७) गवर्नमेंट कासंकेत उस मनुष्य अथवा मनुष्यों सेहै जिनको क़ानून अनुसार हिन्दुस्तानमें अंग्रेजी राज्यके किसी खंडका राज्य प्रबन्ध बर्तनेका अधिकारहो

हाता] ( १८ ) हाता शब्दका संकेत उन देशोंसे है जो एकही हातेकी गवर्नमेन्टके आधीन हों।

हाकिम] ( १९ ) हाकिम शब्दका संकेत केवल उसी एक मनुष्यसे नहीं है जिसके ओहदेकी पदवी जजकी हो किन्तु हरएक मनुष्यसे भी है जिसको कानून अनुसार सम्बन्धी काररवाईमें चाहे दीवानीकी हो चाहे मालकी चाहे फौज-

दारी की अधिकार अखीर तजवीज करनेका अथवा ऐसी तजवीज करनेका होगा अपील होनेकी अवस्थामें अमिट गिनीजाय अथवा किसी दूसरे हाकिमके यहांसे बहाल रहने पर अमिट समझी जाय अथवा उन मनुष्योंके किसी ऐसे समूह मेंसे हो जिसको कानूनानुसार ऊपर लिखे प्रकारकी तजवीज करनेका अधिकार प्राप्त हो ।

## उदाहरण.

( अ ) कोई कलक्टर जबकि एक्ट १० सन १८५९ ई० के अनुसार अधिकार वर्तता हो हाकिम गिना जायगा ।

( इ ) कोई मजिस्ट्रेट जब किसी ऐसे मुक़द्दमे में अधिकार वर्तता हो जिसमें वह आज्ञा जुरमाने अथवा क़ैद के दंडकी दे सकता हो हाकिम गिना जायगा चाहे अपील उसकी तजवीज़ की होसके चाहे न होसके ।

( उ ) कोई पंच किसी पंचायत का जो मद्राज के क़ानून ७ सन १८१६ ई० के अनुसार अधिकार नालिश सुनने और तजवीज़ करने का है हाकिम गिना जायगा ।

( ए ) कोई मजिस्ट्रेट जबकि अधिकार किसी ऐसे मुकद्दमें वर्तता हो जिसमें वह केवल दूसरी अदालत की सपुर्दगी का इख्तियार रखता हो हाकिम न गिना जायगा ।

अदालत ] ( २० ) अदालत शब्दका संकेत उस हाकिमसे है जिसको कानूनानुसार अकेले आपही अधिकार तजवीज करनेका हो अथवा हाकिमोंके उस समाजसे है जिसके सब हाकिमोंको मिलाकर कानूनानुसार अधिकार तजवीज करनेका हो उस समय जबकि वह हाकिम अथवा हाकिमों का समाज न्याय करनेको बैठे ।

## उदाहरण.

वह पंचायत जिसको मंदरासके कानून ७ सन १८१६ ई० के अनुसार अधिकार नालिश सुनने और तजवीजका है अदालत गिनी जायगी ।

सर्व सम्बन्धी नौकर ] ( २१ ) सर्व सम्बंधी नौकर इन शब्दोंका संकेत उस मनुष्यसे है जो नीचे लिखे प्रकारोंमेंसे किसीमें हो-अर्थात्—

पहले-हरएक प्रतिज्ञा किया हुआ नौकर श्रीमती महारानी का ।

दूसरे-हरएक कमीशन्दार अफसर श्रीमती महारानीकी जंगी अथवा जहाजी सैनाका जबकि वह गवर्नमेण्टहिंद अथवा और किसी गवर्नमेण्ट के आधीन काम करता हो ।

तीसरे-हरएक हाकिम ।

चौथे-हरएक अहलकार किसी अदालतका जिसका काम उस अहलकारीके द्वारा किसी कानून संबंधी बात अथवा वृत्तान्तके मध्ये तहकीकात करना अथवा रिपोर्ट भेजना अथवा किसी लिखतमका बनाना अथवा तसदीक करना । अथवा रखना अथवा किसी वस्तुको चौकसीमें लेना या खर्च करना अथवा अदालतकी आज्ञाको जारी करना या सौगंद दिलाना अथवा उल्था करना अथवा अदालतमें बन्दोबस्त रखना हो और भी हर एक मनुष्य जिसको इन कामोंमें से किसीके करनेका अधिकार विशेष करके किसी अदालतसे मिला हो ।

पांचवें—हरएक मनुष्य जूरी अर्थात् पंच अथवा असेसर अथवा सभासद किसी ऐसी पंचायतको जो किसीअदालतको अथवा सर्व संबंधी नौकरको सहायता देताहो ॥

छठे--हरएक पंच अथवा कोई मनुष्य जिसको कोईवा-

---

१—सर्व सम्बन्धी नौकर यानी सरकारी नौकर एक्ट ३ सन् १८७३ ई० के अनुसार मंजूर होगया ।

त अथवा मामला अकेले आपही तजवीज़ करने अथवा रिपोर्ट लिखनेके लिये किसी अदालतने अथवा दूसरे किसी अधिकारीने सौंपाहो ॥

सातवें-हरएक मनुष्य जो ऐसा उहदा रखताहो जिसके प्रतापसे वह किसी मनुष्यको बन्धिमें भेजना अथवा रखनेका अधिकारी हो॥

आठवें- हर गवर्नमेंटका अहलकार जिसका काम उस अहलकारीके द्वारा यहहो कि अपराधों का होना रोकै और अपराधोंकी रिपोर्ट करै और अपराधियोंको दंड करावै और सर्व सम्बन्धी आरोग्यता और कुशलता और सुगमताकी रक्षा रक्खै-

नवें- हरएक अहलकार जिसका काम उस अहलकारीके द्वारा यहहो कि किसी मालको गवर्नमेंटकी ओरसे दूसरेसे लेअथवा उगाही ले अथवा चौकसीमें रक्खे याखर्च करै या धरतीको नापे या भेज लगावै अथवा गवर्नमेंटकी कीओरसे कौल करारकरै अथवा सरिश्ते मालका कोई हुक्मनामा जारी करे अथवा किसीबात जिसमें गवर्नमेंटका कुछ स्वार्थ रुपयेके मध्येहो तहकीकात या रिपोर्टकरै या किसी लिखतमको जिसमें गवर्नमेंटका कुछ स्वार्थ रुपयेके मध्येहो लिखे या तसदीक करै या चौकसीमें रक्खे या रुपयेके मध्ये गवर्नमेएटके किसी स्वार्थकी रक्षाके लिये किसी कानूनका उल्लंघन होना रोकै और हरएक अहलकार जो गवर्नमेएटकी नौकरी परहो या गवर्नमेएट से तलब पाता हो या जो किसी सर्व सम्बन्धी कामके भुगतानेके बदले रसूम या फीस पाता हो।

दशवें—हर एक अहलकार जिसका काम उस अहलकारी के द्वारा यह हो कि किसी मालको दूसरे से ले या उगाहे या चौकसी में रक्खै अथवा खर्चकरै अथवा धरती को नापै अथवा भेज लगावै अथवा किसी गांव या कसबा अथवा ज़िले के सर्वसम्बन्धी लौकिक काम के लिये वाछ डालै या करबांधै अथवा किसी गांव अथवा कसबे अथवा ज़िले के लोगों के अधिकार निश्चय करने के लिये कोई लिखतम लिखै या तसदीक करै या चौकसी में रक्खै।

## उदाहरण.

म्यूनिसिपल कमिश्नर सर्व सम्बन्धी नौकरी गिनाजाय।

विवेचना१—जो मनुष्य ऊपर कहेहुए प्रकारों मे से किसी में हो सर्व सम्बन्धी नौकर गिने जायंगे चाहे गवर्नमेन्ट नौकर रक्खे हों या नहीं।

विवेचना२—जहां सर्व सम्बन्धी नौकर शब्द आवै वहां उससे हरएक मनुष्य जो किसी सर्व सम्बन्धी नौकर की जगह पर हो समझा जायगा चाहे उस जगह पर होने के लिये उसके अधिकार में कैसाही कानूनी खोट हो—

स्थावरधन ] ( २२ ) स्थावर धन इन शब्दों का प्रयोजन हर एक प्रकार की मूर्तिमान वस्तु से है सिवाय धरती के और धरती से बंधी हुई बस्तुओं के और ऐसी बस्तुओं के जो धरती से बंधी हुई किसी बस्तु के साथ सदैव को लगी हो।

अनीति प्राप्त ] ( २३ ) अनीति प्राप्त वह प्राप्त किसीबस्तु की है जिसको अनीति उपाय से कोई ऐसा मनुष्य पावै जो उसके पाने का अधिकारी क़ानूनानुसार न हो।

अनीति हानि ] अनीति हानि—वह हानि किसी बस्तु की है जो अनीति रीत से किसी ऐसे मनुष्य को होजाय जिस

को क़ानूनानुसार उस बस्तु का अधिकार हो ।

अनीतिप्राप्त में किसी वस्तु का अनीति से रखलेनाभी गिना जायगा— ] कोई मनुष्य अनीति प्राप्त करने वाला किसी बस्तु का कहलावेगा जबकि वह मनुष्य अनीति से उस बस्तु को अपने अधिकार में और जबकि वह मनुष्य अनीति से उस बस्तु को पावै और कोई मनुष्य अनीति

अनीति हानि में किसी वस्तु से अनीति रीति से वेदख़ल रक्खा जानाभी गिना जायगा— ] से खोनेवाला किसी बस्तु का कहलावेगा जबकि वह मनुष्य अनीति से उस बस्तु से वेदख़ल रक्खा जाय और भी जबकि वह मनुष्य अनीति से उस बस्तु से रहित किया जाय ।

वेधर्मी से ] ( २४ ) जो कोई मनुष्य जो काम किसी मनुष्य को अनीति प्राप्त कराने अथवा दूसरे मनुष्य को अनीति हानि पहुंचाने के प्रयोजन से करै तो कहलावैगा कि वह काम उसने वेधर्मी से किया ।

छलछिद्र से ] ( २५ ) कोई मनुष्य छलछिद्र से करनेवाला किसी काम का कहलावेगा जबकि वह उस काम को छल छिद्र के प्रयोजन से करै परन्तु और किसी भांति नहीं ।

निश्चय मानने का हेतु ] ( २६ ) किसी मनुष्य के पास किसी बात के निश्चय मानने की वातको प्रतीत करने का अच्छा करण हो परन्तु और किसी भांति नहीं ।

बस्तु जो गुमाश्ते अथवा नौकर के अधिकार में हो— ] ( २७ ) जब कुछ बस्तु किसी मनुष्य के गुमाश्ते अथवा नौकर के अधिकार में उसी मनुष्य की ओर से हो तो इस संग्रह के अर्थानुसार उसी मनुष्य के अधिकार में गिनीजायगी ।

बिवेचना—कोई मनुष्य जो थोड़ेही दिन के लिये अथवा

किसी विशेष काम पर गुमाश्ते अथवा नौकर के अधिकार पर रक्खा जाय वह भी इसी दफ़ा के अर्थ में गुमाश्ता अथवा नौकर गिना जायगा।

खोटा बनाना ] ( २८ ) कोई मनुष्य खोटा बनाने वाला कह लावेगा जबकि वह एक बस्तु को दूसरी बस्तु के सदृश इस प्रयोजन से बनावे कि उस सदृशता के द्वारा धोखा देना अथवा यह बात अति सम्भवित जानकर कि उसके द्वारा धोखा दिया जायगा।

विवेचना—१—खोटा बनाने के लिये यह अवश्य नहीं है कि सदृशता ठीक ही ठीक हो।

विवेचना—२—जब कोई मनुष्य एक बस्तु दूसरी बस्तु के सदृश बनाये और वह ऐसी हो कि कोई मनुष्य उस से धोखे में आसके तो जब तक कि ख़िलाफ़ इसके साबित न कियाजावे यह क़यास करना लाज़िम होगा कि उस मनुष्य के जिसने इस तरह से एक बस्तु में दूसरी के सदृश बनाई यह नियत थी कि बज़रिया इसके धोखा दे वह या वह मनुष्य जानता था कि अहतमाल इसका है कि धोखा दिही अमल में आवेगी।

लिखतम] ( २९ ) लिखतम शब्दका संकेत किसी अर्थ से है जो किसी बस्तु पर अक्षरों या अंको या चिह्नों के द्वारा अथवा इनमें से दो या तीनों के द्वारा प्रगट या वर्णन किया जाय चाहै इस प्रयोजन से हो कि इस अर्थ के सबूत की भांति काम आवै और चाहै ऐसा हो कि सबूत में काम आसकै॥

नज़ीर—इस नज़ीर में बहस दफ़ा ४६३ व दफ़ा २९ ताज़ीरातहिन्द की है लिहाज़ा नज़ीर व मुक़ाबिला दफ़ै

४६३ ताज़ीरातहिन्द के मुन्दरज है सरकार व नाम सूसी-भूषन फैसलः १९ अप्रेल सन् १८९३ ई० सफ़ा २१० जिल्द १५ इलाहाबाद इन्डियन लारिपोर्ट ।

बिवेचना—१—इस बात की कुछ विशेषता नहीं है कि सब बस्तु से अथवा किसी बस्तु पर अक्षर या अंक अथवा चिन्ह बनाये जायं और न इस बात की है कि वह सबूत किसी अदालत में काम आने के प्रयोजन से या काम आने के योग्य है या नहीं ॥

## उदाहरण.

कोई लेख जिसमें नियम किसी क़ौल क़रार के प्रगट हों और जो उस क़ौल क़रार के लिये सबूत की भांति काम में आसके लिखतम गिना जायगा—

चिक अर्थात् रुक्का किसी महाजन अर्थात् कोठीवाल के ऊपर किया जाय लिखतम गिना जायगा—

मुख्त्यारनामा लिखतम गिना जायगा—

नक़शा ज़मीन या नक़शा इमारत जो सबूत की भांति काम में आने के प्रयोजन से या काम में आने के योग्य बनाया जाय लिखतम गिना जायगा—

कोई लेख जिसमें शिक्षा अथवा आज्ञा हो लिखतम गिना जायगा—

बिवेचना—जो कुछ आशय अक्षरों या अंको अथवा चिन्हों से सौदागरी के चलन अनुसार या दूसरे किसी व्यवहार में प्रगट होता हो वही इस दफ़ा के अर्थमें उन अक्षरों या अंको या चिह्नों से प्रगट होना समझा जायगा यद्यपि वह आशय स्पष्ट प्रगट नभी हो ।

## उदाहरण.

देवदत्त ने अपना नाम किसी हुक्म योग्य हुंडी की पीठपर जिसका

रुपया उसको मिलना था लिख दिया• और• ऐसे लेखका अर्थ साहूकारके चलन में यह है कि जिस किसी के पास वह हुंडी हो वही उसको पटा सक्ता है तो यह लेख लिखतम समझा जायगा और अर्थ इसका इसी भांति लगेगा मानौं देवदत्त के दस्तखत के यह बात लिखी होगी कि हुक्म योग्य हुंडी वह कहलाती है जिसका रुपया मालिकके हुक्म के अनुसार किसी मनुष्य को मिलजाय–

दस्तावेज़] ( ३० ) दस्तावेज़ शब्द का संकेत किसी लिखतम से है जो लिखतम इस बात की हो या जिसका प्रयोजन यह हो कि उसके द्वारा कोई क़ानूनानुसार अधिकार उत्पन्न हुआ या बढ़ाया गया या एक से दूसरे को दियागया या अवधि कियागया अथवा नष्ट कियागया अथवा छोड़ागया अथवा जिसके द्वारा कोई मनुष्य स्वीकार करै कि मैं फ़लानी क़ानूनानुसार बातके आधीन हूँ अथवा मुझको फ़लाने क़ानूनानुसार अधिकार नहीं है ॥

उदाहरण.

देवदत्त ने अपना नाम किसी हुंडी की पीठ पर लिखा तो जब कि आशय इस लेखका यह है कि उस हुंडी का अधिकार उसी मनुष्य को दिया गया जो नीति पूर्वक धनी उसका बने इसलिये वह लेख साबित गिना जायगा–

वसीयतनामा ] ( ३१ ) वसीयतनामा शब्द का संकेत उस लिखतम से है जो कोई मनुष्य मरने से पहले अपने माल मिल्कियत के बन्दोबस्त के मध्ये लिखे ॥

करने के कर्मों सम्बन्धी शब्द क़ानून बिरुद्ध चूकोंसेभी संबंध रक्खैंगे ( ३२ ) इस संग्रहके हरएक भाग में सिवाय उन भागों के जहां लेख से उलटा आशय दिखाई पड़ता हो करने के कर्मों सम्बन्धी शब्द क़ानून विरुद्ध चूकों से भी सम्बन्ध रक्खेंगे ॥

कामचूक ] ( ३३ ) काम शब्द का संकेत एक काम से भी है और अनेक कामों से भी है—और चूकने का संकेत एक चूक से भी है और अनेक चूकों से भी है ॥

कई मनुष्यों में से हरएक मनुष्य उस काम के बदले जो सबने मिलकर किया हो उसी योग्य होगा मानो केवल उसी ने वह काम किया— } ( ३४ ) जब अपराध का काम कई मनुष्योंने किया हो तो उन मनुष्योंमे से हरएक उस काम के लिये उसी योग्य होगा मानो वह काम उसी अकेले ने किया ॥

जब ऐसा कोई काम इसी हेतु से अपराध हो कि कुज्ञान अथवा कु प्रयोजन से कियागया— } ( ३५ ) जब कभी कोई काम केवल इसी हेतु से अपराध गिना जाता हो कि कुज्ञान से अथवा कु प्रयोजन से किया गया कई मनुष्यों ने मिलकर किया हो तो उन मनुष्यों में से हरएक मनुष्य जिसने उसके करने में इसप्रकार के ज्ञान या प्रयोजन से साझा किया उसी योग्य होगा मानो उस अकेले ने वह काम उसी ज्ञान अथवा प्रयोजन से किया ॥

परिणाम जो कुछ तो करने से और कुछ चूकने से कराया जाय— } ( ३६ ) जब किसी परिणामका कराना या कराने का उद्योग करना चाहे कुछ काम करने से हो चाहे चूकने से अपराध गिनाजाता हो तो समझाजायगा कि उस परिणाम को कुछ तो कोई काम करके और कुछ चुक करके कराना भी वही अपराध है ॥

उदाहरण.

देवदत्त ने जान बूझकर विष्णुमित्र की मृत्यु कराई कुछ तो उसको अहार देने में क़ानून विरुद्ध चूक करके और कुछ उसको मार पीट करके तो देवदत्त ने ज्ञातघात किया ॥

अपराध के अनेक कामों में से एक को करके साझी होना– (३७) जब किसी अपराध के होने के लिये अनेक काम अवश्य हों तो जो कोई मनुष्य जानबूझकर उनकामों मेसे किसी एक को केवल आपही अथवा दूसरे मनुष्य के साझे में करके उस अपराध का भागी होगा वह उसी अपराध का करने वाला कहलावेगा ॥

## उदाहरण.

(क) देवदत्त और यज्ञदत्त ने विष्णुमित्र को अलग २ समय पर अलग २ थोड़ा थोड़ा विष देकर मारडालने का मता किया और उसी मते के अनुसार देवदत्त और यज्ञदत्तने विष्णुमित्र को मार डालने के प्रयोजन से विष दिया विष्णुमित्र उसी विष से जो कईवार करके उसको इस भांति दिया गया कि मरगया तो यहां देवदत्त और यज्ञदत्त ने जानबूझ कर ज्ञात घात करने में साझा किया और उसमें से हरएक ने वह काम किया जो विष्णुमित्र की मृत्युका हेतु हुआ इसलिये वे दोनों उस अपराध के करता हुए यद्यपि उनके काम अलग २ थे ॥

(ख) देवदत्त और यज्ञदत्त दोनों साझे में जेलखाने के अधिकारी थे और उस अधिकार के कारण उनको विष्णुमित्र क़ैदी की चौकसी अपनी २ वारी से छै २ घंटे सौंपीगई देवदत्त और यज्ञदत्त ने विष्णुमित्र की मृत्यु कराने के प्रयोजन से जानबूझ कर उस परिणाम के होने में साझाकिया इस उपाय से कि हरएक ने अपनी २ वारी के समय में विष्णुमित्र को उस अहार के पहुंचाने में जो उनको पहुंचाने के लिये मिलाथा क़ानून विरुद्ध चूक की और विष्णुमित्र भूख से मरगया तो देवदत्त और यज्ञदत्त दोनों विष्णुमित्र के ज्ञातघात के अपराधी हुए ॥

(ग) देवदत्त को जब जेलखाने का अधिकारी था विष्णुमित्र क़ैदी की चौकसी सौंपी गई देवदत्त ने विष्णुमित्र को मृत्यु कराने प्रयोजन से अहार पहुंचाने में क़ानून विरुद्ध चूक की और इससे विष्णुमित्र का बल बहुत घटगया परन्तु लंघन से ऐसा न हुआ कि उसके मरने का हेतु होता

देवदत्त अपने अधिकार से छुड़ादिया गया और यज्ञदत्त को उसकी जगह मिली यज्ञदत्त ने देवदत्त की मिलावट अथवा सहायता के विना विष्णुमित्र को अहार पहुंचाने में क़ानून विरुद्ध चूककी यह बात जानबूझ कर कि इससे विष्णुमित्र की मृत्यु का होना अति संभवित है और विष्णु-मित्र भूखसे मरगया तो यज्ञदत्त ज्ञातघात का अपराधी हुआ परन्तु देवदत्त ने यज्ञदत्त को सहायता नहीं दी इसलिये देवदत्त केवल ज्ञातघात के उद्योग का अपराधी हुआ॥

अनेक मनुष्य जो किसी अपराधको करैं अलग२अपराधों के कर्त्ता होंगे } (३८) जहां अनेक मनुष्य कुछ अपराधका काम करते हों अथवा उसमें सरोकार रखते हों तो वे उस काम के करने से अलग २ अपराधों के अपराधी होसकेंगे॥

## उदाहरण.

देवदत्त ने विष्णुमित्र पर उठैया किया किसी ऐसे भारी क्रोध कराने वाले काम की अवस्था में जबकि उसका विष्णुमित्र को मार डालना केवल ज्ञातघात गिना जाता यज्ञदत्त ने जिसकी ईर्षा विष्णुमित्र से थी और विष्णुमित्र के मारडालने का प्रयोजन रखता था यद्यपि वह किसी क्रोध दिलाने काम की अवस्था में भी वृथा देवदत्त को विष्णुमित्र के मारडालने में सहारा दिया यहां देवदत्त और यज्ञदत्त दोनों ने विष्णुमित्र को मारा परन्तु यज्ञदत्त का अपराध ज्ञातघात और देवदत्त का केवल ज्ञातवत घात हुआ॥

जानबूझकर ] (३९) कोई मनुष्य किसी परिणाम को जानबूझ करनेवाला कहलावेगा जबकि वह उसको ऐसे उपायों से करावै जिनको वह उस परिणाम के होने के प्रयोजन से काम में लावै अथवा जबकि वह परिणाम ऐसे उपायों से कियाजाय जिनको करने के समय वह जानता हेतु अथवा जानने का हेतु रखता हो कि उनसे उस परिणाम का होना अति सम्भावित है॥

## उदाहरण.

देवदत्त ने रात के समय किसी बडे नगर के एक मकान में जिसमें मनुष्य रहते थे इस प्रयोजन से आग लगाई कि डाका डालना सहज हो सके और उस आग से एक मनुष्य मरगया—यहां यद्यपि देवदत्त ने किसी के मारने का प्रयोजन भी न किया हो और चाहे वह पछताता हो कि हाथ मेरे करने से इस मनुष्य का मरना हुआ तौ भी वह जानबूझ कर मारने वाला कहलावेगा कदाचित् उसने जानलिया हो कि मेरे इस काम से किसी का मरना अति सम्भवितहै ॥

अपराध ] ( ४० ) इस क़ानून में सिवाय उस अध्याय और उन दफ़ों के जिनका वर्णन इस दफ़ा की जिम्न २ व ३ में है अपराध शब्द का संकेत उस बस्तुसे है और इस संग्रह में दंड के योग्य ठहरादी गई हो ॥

चौथाअध्याय.और नीचे लिखी दफ़ा अर्थात् दफ़ा।

६४—६५—६६—६७—*७१—१०९—११०—११२—११४—११५ ११६—११७—११७—१८७—१९४—१९५—२०३—२११—२१३ २१४—२२१—२२३—२२४—२२५—३२७—३२८—३२९—३३० ३३१—३४७—३४८—३८८—३८९—३४५—या दफ़ा ४० की जगह ऐक्ट २७ सन् १८७० की दफ़ा २ के ज़रिया से बढ़ाई गई—

अपराध शब्द का संकेत हर एक कामसे भी है जो इस संग्रह के अनुसार अथवा विशेष क़ानून अथवा देश विशेषी क़ानूनानुसार वर्णन किये गये इस संग्रह के दंड योग्य ठहरा दिया हो ॥

---

* दफ़ा ४० का जिम्न २ में हिन्दुसा ६४, ६५, ७१ ऐक्ट ८ सन् ८२ की दफ़ा १, और हिन्दुसा ६७, ऐक्ट ० सन् १८८२ ई० की दफ़ा २१ ( १ ) के ज़रिया से मंसूख कियेगये हैं ॥

और ऐसे विषय में कि वह काम विशेष क़ानून अथवा देश विशेषी क़ानूनानुसार दंड योग्य हो तो उसी क़ानून के अनुसार दंड क़ैद जिसकी म्याद छः महीना अथवा अधिक जुरमाने सहित वा जुरमाने का हो तो इन दफ़ा १४१-१७६-१७७-२०१-२०२-२१२-२१६-२१९-४४१ में अपराध शब्दका वही अर्थ होगा जो ऊपर वर्णन कर आये हैं॥

विशेष क़ानून ] ( ४१ ) विशेष क़ानून वह क़ानून है जो किसी विशेष विषय से सम्बन्ध रखती हो॥

देशविशेषी क़ानून ] ( ४२ ) देश विशेषी क़ानून वह क़ानून है जो हिन्दुस्तान में अंग्रेज़ी राज्य के केवल किसी एक विशेष खंड में सम्बन्ध रखती हो॥

क़ानून विरुद्ध ] ( ४३ ) क़ानूनविरुद्ध शब्दका संबंध हरएक काम से है जो अपराध हो अथवा जो क़ानून से बर्जित हो अथवा जिससे दीवानी की नालिश का कारण निकले और किसी मनुष्य पर क़ानून अनुसार किसी काम का करना अवश्य हो तब कहलावेगा जबकि उस काम को न करना उसके लिये क़ानून विरुद्ध हो॥

क़ानूनानुसार अवश्य ] करना—उस विषय का उस मनुष्य पर क़ानूनन अवश्य है॥

हानि ] ( ४४ ) हानि शब्द का संकेत हरएक ज्यान से है जो क़ानून विरुद्ध किसी मनुष्य के तन अथवा मन अथवा यश अथवा धन को पहुँचाया जाय॥

जीव ] ( ४५ ) जीव शब्द का संकेत मनुष्य के जीव से है सिवाय उसके जहां लेख से इसके विरुद्ध अर्थ दिखाईदे।

मृत्यु ] ( ४६ ) मृत्यु शब्द का संकेत मनुष्य के मृत्यु से है सिवाय उसके जहां लेख से इसके विरुद्ध अर्थ दिखाईदे॥

पशु ] ( ४७ ) पशु शब्द का संकेत मनुष्य छोड़कर एक जीवधारी है ॥

जहाज ] ( ४८ ) जहाज शब्द का संकेत प्रत्येक वस्तु से है जो पानी के रस्ता मनुष्यों को अथवा चीज़ वस्तु को उतारने के लिये बनी हो ॥

बरस ] ( ४९ ) जहां कहीं बरस शब्द अथवा महीनाशब्द वर्ता गया है वहां समझा गया है कि बरस या महीना अंगरेज़ पत्र से है ॥

दफ़ा ] ( ५० ) दफ़ा शब्द का संकेत इस संग्रह के हरएक अध्याय के उन भागों से है जो सिर पर लगे हुए गिन्ती के अंकों से पहचाने जाते हैं ॥

सौगंद] ( ५१ ) सौगंद शब्द में सत्य बोलने की वह प्रतिज्ञा भी गिनी जायगी जो क़ानून अनुसार सौगंद के बदले ठहराई गई हो और और कोई प्रतिज्ञा भी गिनी जायगी जिसको किसी सर्वसम्बन्धी नौकर के सामने किया जाना अथवा सबूत की भांति चाहे अदालत में हो चाहे और कहीं वार्त्तालाब क़ानूनानुसार अवश्य अथवा उचितहो ॥

शुद्ध स्वभाव से ] ( ५२ ) कोई बात जो यथोचित सावधानी और बिचार से न की गई अथवा न मानी गईहो शुद्धभाव से की गई अथवा मानी गई न कहलावेगी ॥

# अध्याय ३

## दंडों के विषय में ।

दंड ] ( ५३ ) जिन दंडों के योग्य अपराधी इससंग्रह के लेखों के अनुसार होंगे वे यह हैं ॥

पहली—सज़ायमौत—
दूसरी—देशनिकाला—
तीसरे—सेवा दंड पड़ने बंदि—
चौथे—कैद जिसके दो प्रकार हैं—
( १ ) कैद कठिन अर्थात् मशक़्क़त समेत—
( २ ) साधारण अर्थात् बिना मशक़्क़त—
पांचवें—धनकी ज़ब्ती—
छठे—जुरमाना—

( ५४ ) हरएक मुक़द्दमे में जिसमें बधके दंडकी आज्ञा हुई हो गवर्नमेन्ट हिन्द को अथवा उसदेश की गंवर्नमेन्ट को जहां अपराधी को दंडकी आज्ञा हुई हो अपराधी के बिना राज़ी के भी उस दंडके बदले इस संग्रह में लिखा हुआ कोई दूसरा दंड करने का अधिकार होगा ॥

जन्म भरके देश निकाले की कैद के बदलेका दंड

( ५५ ) हरएक मुक़द्दमे में जिसमें जन्म भरके देशनिकाले के दंडकी आज्ञा हुई हो गवर्नमेण्ट हिन्दको अथवा उसदेश की गवर्नमेन्ट को जहां अपराधी को दंडकी आज्ञा हुई हो अपराधी की बिना राजी के भी उस दंडके बदले दोनों मे से किसी प्रकार की कैद का दंड जो १४ बरस से अधिक न हो करने का अधिकार होगा ॥

यूरूपियों और आमेरिका बासियों को देश निकाले के बदले सेवा दंडहोवै—

( ५६ ) जब कभी कोई मनुष्य जो यूरुप औरआमरीका बासी हो किसी ऐसे अपराध का अपराधी ठहरे जिसका दंड इससंग्रह के अनुसार देशनिकाला है तो दंड करनेवाली अदालत उस अपराधी को देशनिकाले के बदले सन्१८५५ई० ऐक्ट २४के अनुसार सेवादंडकी आज्ञादेगी—

* परन्तु शर्त यह है जब कोई अपराधी यूरुप अथवा आमेरिका बिना जारी होने ऐक्ट के लेखानुसार अधिकारी आज्ञा दंड अथवा देश निकाला जिसकी म्याद दश बरस की हो परन्तु जन्म भरको न हो तो अदालत उसको कठिन सेवा दंड करैगी जिसकी म्याद छः बरस की हो अथवा अधिक न जन्मभर की होगी ॥

दंडकी म्याद के विभाग ] ( ५७ ) दंड की म्याद के विभाग करने में जन्मभरका देश निकाला बीस बरस के देश निकाले के बराबर समझा जायगा ॥

जिन अपराधियों को देशनिकालेके दंडकी आज्ञा हुईहो वह देश निकाला होने तक किसभांति रक्खे जायंगे— } ( ५८ ) हरएक मुक़द्दमे में जिसमें आज्ञा देशनिकाले की हुई हो देश निकाला होनेतक अपराधी उसीभांति रक्खा जायगा मानौ कठिन क़ैद की आज्ञा उसको हुई है समझा जायगा कि उस क़ैद के समय में देश निकाले दंड भुगतता है ॥

किस २ हालमें क़ैद किसजगह देश निकाला होसक्ता है— } ( ५९ ) हर मुक़द्दमें मे जिसमें अपराधी ७ बर्ष या उससे अधिक म्याद की क़ैद के दंड योग्य हो दंड करनेवाली अदालत की अधिकारहोगा कि चाहे तो क़ैदका दंडदेने के बदले अपराधी को किसी म्याद के लिये जो सात बरस से कमती न हो और जितनी म्याद की क़ैद उसको इस संग्रह के अनुसार हो सक्ती हो उससे अधिक न हो देश निकाले का दंड हो ॥

---

* यहशर्त्त मुताल्लुके दफ़ा ५६ ऐक्ट२७ सन्१८७०ई० की दफ़ा ३ के ज़रिया से बढ़ाई गई ॥

कैद आधी परधी कठिन अथवा साधारण हो सकेगी—

(६०) हरएक मुक़द्दमे में जिस में अपराधी को दोनों प्रकार की क़ैद मे से कोई होसकती हो दंड करनेवाली अ़दालत को अधिकार होगा कि दंड की आज्ञा में यह भी हुक्म दे दे कि सब क़ैद कठिन होगी अथवा साधारण होगी अथवा इतनी कठिन और बाक़ी साधारण होगी ॥

धनकी ज़ब्ती का दंड

(६१) हर मुक़द्दमे में जिसमें किसी मनुष्य के ऊपर कोई ऐसा अपराध साबित हुआ हो कि जिसके बदले उसके सब माल मिल्कियत की ज़ब्ती हो सक्ती हो तो जब तक वह अपराधी उस दंड को अथवा उसको जो उस दंड के पलटे में ठहरा दिया गया हो भुगत नले अथवा माफ़ न करदिया जाय तब तक उसको कुछ माल मिल्कियत प्राप्त करने का अधिकार न होगा सिवाय इसके कि जो कुछ प्राप्त करे गवर्नमेन्ट को मिले ॥

## उदाहरण.

देवदत्त जिसके ऊपर गवर्नमेण्ट हिंद के विरुद्ध युद्ध करना साबित हुआ अपने सब माल मिल्कियत के ज़ब्ती के योग्य है और दंड की आज्ञा होने से पीछे और भुगत जाने से पहिले देवदत्त का बाप मरा और मिल्कियत जो देवदत्त को मिलती कदाचित् ज़ब्ती की आज्ञा उसके मध्ये न हुई हो तो इस अवस्था में वह मिल्कियत गवर्नमेन्ट की होगी ॥

ज़ब्ती ऐसे अपराधियों के माल की जो बध अथवा देशनिकाले अथवा क़ैद के दंड योग्य हों

(६२) जब किसी मनुष्य के ऊपर कोई ऐसा अपराध साबित हो जिसके बदले दंड बधहोसक्ता हो तो दंड करनेवाली अ़दालत को अधिकार होगा कि अपराधीका सबधन चाहै स्थावरहो चाहै ग़ैरस्थावर गवर्नमेन्ट गवर्नमेन्ट में ज़प्त होने की आज्ञादे और जब कभी

किसी मनुष्य के ऊपर कोई ऐसा अपराध साबित हो जिसके लिये देश निकाले का दंड अथवा सात बरस से अधिक म्याद की क़ैद का होसक्ता हो तो उस अ़दालत को अधिकार होगा कि उसके स्थावर धन के लगान और मुनाफ़े को देश निकाले अथवा क़ैद की म्याद तक गवर्नमेन्ट में ज़ब्त रहने की आज्ञा दे परन्तु उसमें से अपराधी के परिवार और आसरेवालों की आजीवका के लिये उस म्याद तक इतना मिल सकेगा जितना गवर्नमेन्ट के के नज़दीक़ उचित हो ॥

जरीमाने की तादाद ] ( ६३ ) जहां कहीं जरीमाने की तादाद की अवधि नहीं लिखी वहां जरीमाने को जो अपराधी के ऊपर हो सक्ता है व अवधि होगी परन्तु अत्यन्त न होगी ॥

कैद का दंड जबकि जरीमाना न चुकै— } ( ६४ ) हरएक मुक़द्दमे में जिसमें किसी अपराधी पर जरीमाने का दंड किया जाय दंड करनेवाली अ़दालत दंड के साथ में आज्ञा दे सकेगी कि जरीमाना न चुकावेगा तो अपराधी इतनी म्यादतक क़ैद भुगतेगा और यह क़ैद उस क़ैद से अधिक होगी जो उस अपराधी को दंड में की गई हो अथवा किसी दूसरे दंड के बदले ठहराई गई हो ॥

जरीमाना न चुकाये जाने के बदले क़ैदकी म्याद की अवधि जबकि अपराध जरीमाने और क़ैद दोनों के योग्य हो— } ( ६५ ) कदाचित् अपराधी जरीमाना और क़ैद दोनों के योग्य हो तो जरीमाना न चुकाये जाने के बदले जो अ़दालत ठहरावेगी उसकी म्याद उस अपराध के लिये ठहराई हुई बढ़ती से बढ़ती म्याद की चौथाई से अधिक न होगी ॥

कैद आधी परधी कठिन अथवा साधारण हो सकेगी— (६०) हरएक मुक़द्दमे में जिस में अपराधी को दोनों प्रकार की कैद मे से कोई होसकती हो दंड करनेवाली अदालत को अधिकार होगा कि दंड की आज्ञा में यह भी हुक्म दे दे कि सब कैद कठिन होगी अथवा साधारण होगी अथवा इतनी कठिन और बाक़ी साधारण होगी ॥

धनकी ज़प्ती का दंड ] (६१) हर मुक़द्दमे में जिसमें किसी मनुष्य के ऊपर कोई ऐसा अपराध साबित हुआ हो कि जिसके बदले उसके सब माल मिल्कियत की ज़प्ती हो सक्ती हो तो जब तक वह अपराधी उस दंड को अथवा उसको जो उस दंड के पलटे में ठहरा दिया गया हो भुगत नले अथवा माफ़ न करदिया जाय तब तक उसको कुछ माल मिल्कियत प्राप्त करने का अधिकार न होगा सिवाय इसके कि जो कुछ प्राप्त करे गवर्नमेन्ट को मिले ॥

## उदाहरण.

देवदत्त जिसके ऊपर गवर्नमेण्ट हिंद के विरुद्ध युद्ध करना साबित हुआ अपने सब माल मिल्कियत के ज़प्ती के योग्य है और दंड की आज्ञा होने से पीछे और भुगत जाने से पहिले देवदत्त का बाप मरा और मिल्कियत जो देवदत्त को मिलती कदाचित् ज़प्ती की आज्ञा उसके मध्ये न हुई हो तो इस अवस्था में वह मिल्कियत गवर्नमेन्ट की होगी ॥

ज़प्ती ऐसे अपराधियों के माल की जो बध अथवा देशनिकाले अथवा कैद के दंड योग्य हों (६२) जब किसी मनुष्य के ऊपर कोई ऐसा अपराध साबित हो जिसके बदले दंड बधहोसक्ता हो तो दंड करनेवाली अदालत को अधिकार होगा कि अपराधीका सबधन चाहे स्थावरहो चाहे ग़ैरस्थावर गवर्नमेन्ट गवर्नमेन्ट में ज़प्त होने की आज्ञादे और जब कभी

किसी मनुष्य के ऊपर कोई ऐसा अपराध साबित हो जिसके लिये देश निकाले का दंड अथवा सात बरस से अधिक म्याद की क़ैद का होसक्ता हो तो उस अदालत को अधिकार होगा कि उसके स्थावर धन के लगान और मुनाफ़े को देश निकाले अथवा क़ैद की म्याद तक गवर्नमेन्ट में ज़प्त रहने की आज्ञा दे परन्तु उसमें से अपराधी के परिवार और आसरेवालों की आजीवका के लिये उस म्याद तक इतना मिल सकेगा जितना गवर्नमेन्ट के के नज़दीक़ उचित हो ॥

जरीमाने की तादाद ] ( ६३ ) जहां कहीं जरीमाने की तादाद की अवधि नहीं लिखी वहां जरीमाने को जो अपराधी के ऊपर हो सक्ता है व अवधि होगी परन्तु अत्यन्त न होगी ॥

क़ैद का दंड जबकि जरीमाना न चुकै— } ( ६४ ) हरएक मुक़द्दमे में जिसमें किसी अपराधी पर जरीमाने का दंड किया जाय दंड करनेवाली अदालत दंड के साथ में आज्ञा दे सकेगी कि जरीमाना न चुकावेगा तो अपराधी इतनी म्यादतक क़ैद भुगतेगा और यह क़ैद उस क़ैद से अधिक होगी जो उस अपराधी को दंड में की गई हो अथवा किसी दूसरे दंड के बदले ठहराई गई हो ॥

जरीमाना न चुकाये जाने के बदले क़ैदकी म्यादकी अवधि जबकि अपराध जरीमाने और क़ैद दोनों के योग्य हो— } ( ६५ ) कदाचित् अपराधी जरीमाना और क़ैद दोनों दंडों के योग्य हो तौ जरीमाना न चुकाये जाने के बदले जो अदालत ठहरावेगी उसकी म्याद उस अपराध के लिये ठहराई हुई बढ़ता से बढ़ती म्याद की चौथाई से अधिक न होगी ॥

जरीमाना न चुकने के बदले कैद का प्रकार

(६६) कैद जो जरीमाना न चुकने के अदालत ठहरावैगी उसी प्रकार की होगी जिसके योग्य अपराधी उस अपराध के बदले हो।

जरीमाना चुकायेजाने के बदले कैद की म्याद जब कि अपराध केवल जरीमाने के दंड योग्य—

(६७) कदाचित् अपराध केवल जरीमाने के दंडयोग्यहोतो *म्याद कैद की जिसकी आज्ञा अदालत अपराधी को जरीमाना न चुकने के बदले देगी नीचे लिखे हिसाब से अधिक न होगी अर्थात् दो महीने तक जबकि जरीमाना ५०) रु० से बढ़ती न हो—चार महीने तक जबकि जरीमाना १००) से बढ़ती नहो और छः महीने तक बाक़ी सब अवस्था में॥

यह कैद जरीमाना चुकाते ही भुगत जायगी—

(६८) कैद जो जरीमाना न चुकने के बदले कीजाय उसी समय बीतजायगी जबकि वह जरीमाना चुका दियाजाय अथवा क़ानून की रीति से वसूल होजाय॥

व्यतीत होना इस कैदका जबकि जरीमाने का कुछ भाग चुका दियाजाय—

(६९) जरीमाना न चुकाने के बदले म्याद कैद की ठहराई गई हो उसके बीतने से पहले कदाचित् जरीमाने का कोई ऐसा भाग चुका दिया जाय अथवा वसूल होजाय कि जितनी म्याद भुगत ली हो वह बाकी बिना चुके जरीमाने से समीभूत हो तौ वह कैद उसी समय व्यतीत समझी जायगी॥

## उदाहरण.

देवदत्त पर १००) जरीमाने का हुआ और जरीमाना न चुकने के बदले चार महीने की क़ैदका दंड हुआ यहां कदाचित् कैद का एक

* यह शब्द दफ़ा ६७में दफ़ा३ ऐक्ट ८ सन्१८८२ई० के जारिया से बढ़ाये गये—

महीना बीतने से पहिले ७९) रु० जरीमाने के चुक जायं अथवा वसूल होजायं तो देवदत्त पहिला महीना व्यतीत होतेही तुरंत छोड़ दिया जायगा और कदाचित् ७९) पहिला महीना व्यतीत होने के समय या उससे पीछे किसी समय जबतक कि देवदत्त क़ैद में है चुकादिया जाय अथवा वसूल करलिया जाय तो देवदत्त तुरंत छोड़ दिया जायगा और कदाचित् ५०) क़ैद के दो महीने बीतने से पंहिले चुका दिया या वसूल कर लिया जाय तो दो महीने व्यतीत होतेही देवदत्त छोड़ दिया जायगा और कदाचित् ५०) दो महीना व्यतीत होने के समय या उससे पीछे जबतक कि देवदत्त क़ैद में है चुका दिया जाय या वसूल करलिया जाय तो देवदत्त तुरंत छोड़ दिया जायगा ॥

जरीमाना छः बरस के भीतर या क़ैद की म्याद में किसी समय वसूल होसकै—

(७०) जरीमाना अथवा उसका कोई बिना चुकाहुआ भाग दंड की आज्ञा होने से छः बरस के भीतर किसी समय वसूल होसकेगा और कदाचित् उस दंड की आज्ञानुसार अपराध छः बरस से अधिक म्याद की क़ैद का हुआ हो तो उस म्याद को व्यतीत होने से पहले किसी समय वसूल होसकेगा और अपराधी के मरजाने से वह माल मिल्कियत जो उसके मरने

अपराधी के मरजाने से उसका माल मिल्कियत छूट न जाय—

के पीछे क़ानूनानुसार उसके ऋण की ज़िम्मेदारी से छूट न जायगी—

अवधि उस अपराध के दंड की जो कई अपराध मिलकर वनता हो—

(७१) जब कोई अपराध कई कामों से वनता हो और हरएक उन कामों मे से आप भी अपराध हो तो अपराधी अपराधों मे से एक से अधिक का दंड न किया जायगा सिवाय उसके जहां इस विषय में

स्पष्ट लेख हो * जब कोई काम ऐसा अपराध हो— जो किसी समय प्रचलित क़ानून के दो या अधिक अलग२ वर्णन हों जिसमें अपराधों का वर्णन और दंड का लेख हों या ऐसे कामों जिनमें से एक का अधिक संग्रह हरएक काम अपराध है सबके सब इकट्ठे होकर कोई और अपराध बन जाय तो अपराधी को उस सज़ा से अधिक कठिन दंड न दिया जायगा जिसको अ़दालत यथोचित् अपराध किसी एक अपराध उक्त अपराधों के लेख की ठहराई हुई करसक्ती है ॥

## उदाहरण.

देवदत्त ने विष्णुमित्र को लकड़ीकी पचास चोट मारी यहां होसक्ता है कि देवदत्त ने जानबूझ कर विष्णुमित्र को दुख पहुंचाने अपराध इससब मार पीट के द्वारा किया हो और यह भी कि चाहै उन चोटों मे से जिन को मिलाकर वह सब मार पीट गिनीगई हर एक के द्वारा किया हो और और कदाचित् ऐसा होता कि देवदत्त हर एक चोट के बदले दंड के योग्य होता तो उसको पचास वर्ष तक कैद अर्थात् प्रत्येक चोट के बदले एक वर्ष की कैद होती परन्तु ऐसा न होगा उसको सब मार पीट के बदले केवल एकही दंड होसकेगा ॥

( इ ) परन्तु जिस समय देवदत्त विष्णुमित्र को मार रहा था कदाचित हरमित्र बीच में बोलता और देवदत्त जानबूझ कर हरमित्र को चोट मारता तो जो चोट हरमित्र के भारी जाती कोईभाग उसकाम का न होता जिसके द्वारा देवदत्त जानबूझकर विष्णुमित्रको दुख पहुंचा रहाथा इसलिये देवदत्त इस योग्य होगा कि एक तो विष्णुमित्र को जानबूझकर दुःख पहुंचाने के बदले और दूसरे हरमित्र को चोटमारने के दंडपावै ॥

---

* लेख दफ़ा ७१ में दफ़ा ४ ऐक्ट ८ सन् १८८२ ई० के ज़रिया से बढ़ाई गई—

दंड किसी मनुष्य को जो अनेक अपराधों मे से एक का अपराधी ठहरे और हाकिम की तजवीज़ में लिखा हो कि निश्चय नहीं है कि इन अपराधों में से किसका अपराधी है

(७२) सब मुक़द्दमों में जिनमें किसी मनुष्य के मध्ये यह तज़वीज़ की जाय कि फलां२ ने अनेक अपराधों मे से किसी एक का अपराधी है परंतु संदेहं इस बात का है कि उन अपराधों मे से कौन से का अपराधी है और दँड भी सबका एकसा नहो तो उन अपराधों मे से जिस किसी का दंड सबसे कमती होगा उसी का दंड वह अपराधी पावेगा ॥

एकान्तवंधि ] (७३) *जबकभी कोई मनुष्य किसी ऐसे अपराध का अपराधी ठहरे जिसके लिये इस संग्रह के अनुसार २ अ़दालत को अधिकार कठिन क़ैद के दंड देने का है तो अ़दालत अपनी तजवीज़ के द्वारा आज्ञा दे सकेगी कि जितनी म्याद अपराधी को हुई है उसके किसी भाग अथवा भागों तक जो तीन महीने से अधिक नहो अपराधी एकान्त वंधि में नीचे लिखे अनुसार रक्खा जाय अर्थात् जब क़ैद की म्याद छः महीने से बढ़ती न होतो किसी समय तक जो एक महीने से अधिक न होगी और जब क़ैद की म्याद छः महीने से अधिक न होगी और जब क़ैद की म्याद छः महीने बढ़ती और एक वर्ष से कमती होगी तो किसी समय तक जो दो महीने से अधिक नहीं और जब क़ैद की म्याद एक वृर्ष से बढ़ती हो तो किसी समय तक जो तीन महीने से अधिक न होगी ॥

एकान्तबंधि की अवधि } (७४) एकान्तबंधि का दंड करने में यह बंधि कभी एकही बेर १४ दिन से अधिक न होगी और दो बेर की बन्धि में उतनेही दिनसे कमती का

* यह शब्द दफ़ा ५ ऐक्ट ८ सन् १८८२ ई० के अनुसार बढ़ाई गई-

अन्तर न होगा और जबकि कैद की म्याद तीन बर्ष से अधिक होती एकान्तबंधि उस सब म्याद के किसी एक महीने में सात दिनसे अधिक न होगी और कमती से कमती इतनाही अंतर वीच में छोड़ना पड़ेगा ॥

दंड उन मनुष्यों को जो एक बेर अपराधी ठहर कर फिर किसी अपराध के अपराधीठहरे जिसका दंड तीन बर्ष की कैद हो

(७५) जो कोई मनुष्य एक वेर अपराध किसी ऐसे अपराध का जिस का दंड इस संग्रह के अध्याय १२ या १७ अनुसार दोनों मे से किसी प्रकार की कैद तीन बर्ष अथवा उससे अधिक म्याद तक है ठहर कर फिर अपराधी किसी अपराध का जिसका दंड उन्हीं दोनों अध्याय मे से किसी के अनुसार दोनों मे से किसी प्रकार की कैद तीन बर्ष तक अथवा उससे अधिक म्याद तक होसक्ती हो टहरे तो पीछे के हर एक अपराध के बदले यह जन्म भरके देश निकाले अथवा जितना दंड उसको उस अपराध के बदले हो सक्ता हो उसके दुगने के योग्य होगा परन्तु दस बरस से- अधिक कैद के योग्य कभी न होगा॥

---

# चौथा अध्याय

## साधारण छूट का वर्णन

वह काम जिसको कोई ऐसा मनुष्य करै जिसपर उसका करना अवश्य हो अथवा जो वृत्तान्त को यथार्थ न समझ लेने से अपने ऊपर उसका करना क़ानूनानुसार अवश्य जानता हो-

( ७६ ) जिस किसी काम को कोई ऐसा मनुष्य करै जिस के ऊपर उसका करना क़ानूनानुसार अवश्य

हो या जो क़ानून का मतलब शुद्ध समझने से नहीं किन्तु किसी वृत्तान्त को यथार्थ न समझलेने के कारण शुद्धभाव से अपने ऊपर क़ानूनानुसार उसका करना अवश्य जानता हो अपराध न होगा ॥

उदाहरण.

( अ ) देवदत्त एक सिपाही ने अपने अफ़सर की क़ानूनानुसार आज्ञा से बहुतसे मनुष्यों की भीड़पर बन्दूक छोड़ी तो देवदत्त ने कुछ अपराध न किया ॥

( इ ) देवदत्त किसी अदालत के अहलकार को उस अदालत की आज्ञा हुई कि हरमित्र को पकड़ो और देवदत्तने यथोचित पूछपाछ करके विष्णुमित्र को हरमित्र जानकर विष्णुमित्र को पकड़ा तो देवदत्त ने कुछ अपराध नहीं किया ॥

काम किसी हाकिम का जब कि वह न्यायकरनेको बैठाहो

( ७७ ) कोई काम जिसको कोई हाकिम उस समय करै जब कि वह न्याय करने में किसी क़ानूनानुसार मिलेहुए अधिकार को या ऐसे अधिकार को जिसका क़ानूनानुसार मिलना वह शुद्धभाव से निश्चय मानरहा हो वर्तता हो अपराध न होगा ॥

काम जो किसी अदालत की तजवीज़ अथवा आज्ञानुसार किया जाय—

( ७८ ) कोईकाम जिस का करना किसी अदालतकी तजवीज़ अथवा आज्ञानुसार अवश्य अथवा उचित हो अपराध न गिना जायगा कदाचित् ऐसे समय में किया जाय जब कि वह तजवीज़ अथवा आज्ञा प्रचलित हो यद्यपि उस अदालत को उस तजवीज़ के करने अथवा आज्ञा के देने का अधिकार न भी हो तब उस काम को करनेवाला मनुष्य शुद्धभाव से निश्चय मान-

रहा हो कि उस अदालत को ऐसा अधिकार प्राप्त है ॥

काम कियाहुआ किसी ऐसे मनुष्य का जिस को उसके करनेका अधिकार हो या जो वृत्तान्त अशुद्ध समझने से उसकाम के करने का अधिकारी अपने को समझता हो—

(७९) कोई काम किया हुआ किसी ऐसे मनुष्यका जिस को क़ानूनानुसार उसके करने का अधिकार हो अथवा जो अपने तईं शुद्धभाव से वृत्तान्त को यथार्थ न समझने से और न किसी क़ानूनका मतलब अशुद्ध समझने के कारण उसके करने का अधिकारी क़ानूनानुसार निश्चय मानरहा हो अपराध न गिना जायगा ॥

## उदाहरण.

देवदत्त ने विष्णुमित्र को कुछ ऐसा काम करते देखा कि जिसको वह समझा कि ज्ञातघात है और देवदत्त ने अपनी बुद्धि को जहांतक होसका शुद्धभाव से दौड़ाकर उस अधिकार के वर्तने में जो क़ानूनन सब मनुष्यों को दिया है कि ज्ञातघात के अपराधियों को जबकि वे उस अपराध को कररहे हैं पकड़े विष्णुमित्र को किसी यथोचित् अधिकारी के सामने लाने के लिये पकड़ा तो देवदत्त ने कुछ अपराध न किया यद्यपि पीछे यह भी साबित होजाय कि विष्णुमित्र वह काम अपने रक्षा के लिये कर रहा था ॥

नीति पूर्वक काम के करने में दैवयोग से कुछ का कुछ होजाना—

(८०) कोई काम जोबिना कुप्रयोजन अथवा बिना कुज्ञान के किसी नीति पूर्वक काम को नीति पूर्वक भांति और नीति पूर्वक उपाय से यथोचित् सावधानी और चौकसी करने में दैवयोग से अथवा अभाग्य से होजाय अपराध न गिना जायगा ॥

## उदाहरण.

देवदत्त कुछ काम कुल्हाड़ी से कररहा था बेंट में से कुल्हाड़ी छटकी और एक मनुष्य जो वहीं पास खड़ा था जालगी वह उससे मरगया यहां

कदाचित देवदत्त की ओर से यथोचित सावधानी होने में कुछ कसर न हुई तो उसका काम क्षमा करने के योग्य है और अपराधी नहीं है ॥

काम जिससे कुछ ज्यान होजाना सम्भवित हो परन्तु कुप्रयोजन के बिना दूसरे ज्यान के रोकने के लिये कियागया हो—

( ८१ ) कोई काम केवल इसी कारण अपराध गिना जायगा कि करनेवाले ने उस से ज्यान का होना अति संभवित जानकर उसको किया कदाचित् ज्यान पहुंचाने के किसी कुप्रयोजन से न किया गया हो परन्तु शुद्धभाव से किसी के तन अथवा धन को दूसरे ज्यान के रोकने अथवा बचाने के प्रयोजन से कियागया हो ॥

विवेचना—ऐसी अवस्था में यह बात निश्चय करनी होगी कि जिस ज्यान के रोकने का प्रयोजन किया वह इसप्रकार का और ऐसा सम्भवित था या न जिसके कारण उस काम से ज्यान का होना अति सम्भवित जानकर भी उसके करने की जोखिम उठानी उचित अथवा क्षमा करने के योग्य समझी जाय ॥

## उदाहरण.

( अ ) देवदत्त किसी धुएंकी नावके कमान को एकाएकी बिना अपने कसूर अथवा सावधानी के ऐसा योग आपड़ा कि जबतक अपनी नावको रोकैही रोकै तबतक रामयान नाव को जिसमें २० अथवा ३० मुसाफ़िर थे अवश्य टक्कर लगती जानपड़ी और टक्कर बचाने का केवल यही उपाय था कि देवदत्त अपनी नाव का मुंह दूसरी ओर फेर देता और मुंह फेरने से जोखिम इस बात की थी कि और एक नाव रुद्रशरनाम को जिसमें केवल दो ही मुसाफ़िर थे टक्कर लगती परंतु उसका बचना भी संभवितथा यहां कदाचित् देवदत्त अपनी नाव का मुंह रुद्रशर नाव को टक्कर देने के प्रयोजन विना और रामयान के मुसाफ़िरों को टक्कर लगने की विपत्ति से बचाने के निमित्त शुद्धभाव से फेर देता तो किसी अपराध का अपराधी

न गिनाजाता यद्यपि उसके इस काम से जिसको वह जानता था कि इससे रुद्रशर नाव को टक्कर लगती अति सम्भवित है रुद्रशर को टक्कर भी लगजाती कदाचित् यह बात निश्चय पाई जाती कि जिस विपत्ति के बचाने के प्रयोजन से हमने यह काम किया वह ऐसी थी कि रुद्रशर नाव को ठक्कर दिलाने की जोखिम उठानी क्षमा के योग्य है॥

(इ) देवदत्तने एक बड़ी भारी आग लगानेके समय आगका फैलना रोकने के लिये घरों को गिराया और यहकाम उसने शुद्ध भावसे मनुष्यों का जीव अथवा धन बचानेके प्रयोजन से किया यहां कदाचित् यह बात पाई जाय कि जो ज्यान रोका जाने को था वह इसप्रकार का और इतना सम्भवित था जिससे देवदत्त का काम क्षमा के योग्य हुआ तो देवदत्त किसी अपराध का अपराधी न गिनाजायगा॥

काम सात वर्ष से नीचे की अवस्था के बालक का—

(८२) कोई काम जो सात बरस से नीचे की अवस्था के बालक ने किया हो अपराध न होगा॥

काम सात वर्ष से ऊपर और बारह बरस से नीचे की अवस्था के बालक का जिसकी समझ यथोचित पकी नहो

(८३) कोई काम किया हुआ सात बरस से ऊपर और १२ बरस से नीचे की अवस्था के किसी बालक का जिसकी समझ इतनी पकावट को न पहुंची हो कि उस विषय में इतने कामके गुण और फलों को विचार सके अपराध न होगा॥

काम सिड़ी मनुष्य का

(८४) कोई काम किया हुआ किसी ऐसे मनुष्य का जो उसके करने के समय सिड़ीपन के कारण उस काम के गुण समझने को अथवा यह जानने को कि यह काम अनीति है अथवा क़ानून के बिरुद्ध है असमर्थ हो अपराध न होगा॥

काम किसी मनुष्य का जो अपनी इच्छा के विरुद्ध दिये हुए नशे के कारण बिचार करने को असमर्थ हो

(८५) कोई काम किया हुआ किसी ऐसे मनुष्य का जो उसके करने के समय नशेके कारण उस काम का गुण अथवा यह बात कि यह काम अनीति है अथवा क़ानून के बिरुद्ध है जानने को असमर्थ हो अपराध न होगा कदाचित् जिस बस्तु मे से नशा हुआ वह उसके बिना जाने अथवा उसी इच्छा के बिरुद्ध उसको दी गई हो ॥

जिस अपराध के लिये कोई बिशेष ज्ञान या प्रयोजन अवश्य हो उन को कदाचित् कोई मनुष्य नशे में करै

( ८६ ) उन अवस्थाओं में जिनमें कोई काम अपराध न गिना जाता हो जब तक कि किसी बिशेष ज्ञान अथवा बिशेष ज्ञान अथवा बिशेष प्रयोजन से न किया जाय कोई मनुष्य जो नशे में उस काम को करैगा उसी योग्य होगा मानौ उसको वही ज्ञान था जो होसक्ता कदाचित् वह नशे में न होता सिवाय इसके कि जिस बस्तु से उसे नशा हुआ वह उसके बिना जाने अथवा उसकी इच्छा के बिरुद्ध उसको दी गई हो ॥

काम जो बिना प्रयोजन या बिना इस बात के कि इससे किसी मनुष्य को मृत्यु अथवा भारी दुःख होना अति संभवित है उसी मनुष्य की राज़ी से किया जाय

( ८७ ) कोई काम जिस से मृत्यु अथवा भारी दुःख करने का प्रयोजन नहो और न उसका करने वाला यह बात जानता हो कि इससे मृत्यु अथवा भारी दुःख का होना अति संभवित है किसी ऐसे ज्यान के कारण अपराध न गिना जायगा जो १८ बरस से ऊपर की अवस्था के किसी मनुष्य को जिसने उस ज्यान का सहना अंगीकार कर लिया हो चाहे प्रगट उस काम से

होजाय अथवा जिसके होने का प्रयोजन करने वाले ने किया हो और न किसी ऐसे ज्यान के कारण गिना जायगा जो उस काम के करनेवाले ने जान लिया हो कि ऊपर लिखे प्रकार के किसी मनुष्य को जिसने उस ज्यान की जोखिम अंगीकार करनी हो जाना अति सम्भवित हो ॥

## उदाहरण.

देवदत्त और विष्णुमित्र मन बहलाने के लिये आपस में पटा खेलने को राज़ी हुए और इस राज़ी से यह बात समझी गई कि पटा खेलने में जो कुछ ज्यान बिना कपट के किसी को होजाय उसका सहना दोनों ने अंगीकार किया देवदत्त ने जबकि वह बिना कपट के खेलता था विष्णुमित्र को चोट दी तो देवदत्त ने कुछ अपराध नहीं किया ॥

काम जो मृत्यु करने का प्रयोजन बिना शुद्धभावसे किसी मनुष्य की राज़ी से उसके भले के लिये किया जाय—

(८८) कोईकाम जिससेकिसी की मृत्यु करने का प्रयोजन न हो किसी ऐसे ज्यान के कारण अपराध न गिना जायगा जो किसी मनुष्य को जिसके भले के लिये वह काम किया गया हो और जिसने उस ज्यान का सहना अथवा उसको जोखिम उठाना अंगीकार करलिया हो चाहै प्रगट अप्रगट उस काम से होजाय अथवा जिसके होने का प्रयोजन करनेवाले ने किया हो अथवा जिसका होना करनेवाले ने अति सम्भवित जान लिया हो ॥

## उदाहरण.

देवदत्त एक डाक्टर ने यह बात जान बूझकर कि फलानी चीर फार से मृत्यु विष्णुमित्र की जो एक बड़े दुख के रोग में फंसा है होनी अति सम्भवित परन्तु विना प्रयोजन इस बात के कि विष्णुमित्र की मृत्यु हो शुद्धभाव से विष्णुमित्र के भलेका प्रयोजन करके वही चीरफार विष्णुमित्र की राज़ी से की तो देवदत्त ने कुछ अपराध नहीं किया ॥

काम जो शुद्धभाव से किसी बालक या सिड़ी मनुष्य के भले के लिये उसके रक्षक की ओर से अथवा राज़ी से किया जाय॥

( ८९ ) कोई काम जो शुद्ध भावसे १२ बरस से कमती अवस्था के अथवा सिड़ी मनुष्य के भले * के लिये उसके रक्षक की ओर से जिसकी नीति पूर्वक रक्षा में वह मनुष्य हो अथवा रक्षक की राज़ी से चाहे प्रगट हो चाहे अप्रगट किया जाय किसी ज्यान के कारण जो उस काम से होजाय अथवा जिसके होने का प्रयोजन करनेवाले ने किया हो अथवा जिसका होना करनेवाले ने अति संभवित जान लिया हो नीचे लिखे नियमानुसार अपराध न गिना जायगा॥

प्रथम—यह छूट प्रयोजन करके किसी की मृत्यु करने अथवा मृत्यु का उद्योग करने से सम्बन्ध न रक्खेगी॥

दूसरे—यह छूट किसी काम के करने से जिसको करनेवाला जानता हो कि इससे मृत्यु का होना अति सम्भवित है सम्बन्ध न रक्खेगी सिवाय इसके वह काम मृत्यु अथवा भारी दुःख के रोकने के निमित्त अथवा किसी बड़े रोग अथवा दुर्बलता के मिटाने के निमित्त किया जाय॥

तीसरे—यह छूट जानबूझ कर भारी दुःख उत्पन्न करने से अथवा उत्पन्न करने का उद्योग करने से सम्बन्ध न रक्खेगी सिवाय इसके कि मृत्यु अथवा भारी दुःख के रोकने के निमित्त अथवा किसी बड़े रोग अथवा दुर्बलता के मिटाने के निमित्त किया जाय॥

चौथे—यह छूट किसी ऐसे अपराध में जिससे वह

* शब्द भले, के अर्थ के लिये देखो दफ़ा ९२ के नियम॥

सम्बन्ध न रखती हो सहायता पहुंचाने के अपराध से सम्बन्ध न राखैगी ॥

### उदाहरण.

देवदत्त ने शुद्ध भाव से अपने बालक के भले के लिये बिना उसकी राज़ी के यह बात जान बूझकर कि उसका अंग चिरवाने से उस बालक की मृत्यु होनी अति सम्भवित है परंतु उस बालक की मृत्युका प्रयोजन न करके किसी डाक्टर से पथरी निकलवाने के लिये उस बालकका अंग चिराया तो देवदत्त से यह छूट संबन्ध रक्खैगी क्योंकि प्रयोजन उसका बालक के इलाज से था ॥

राज़ी जो जानली जाय कि भय अथवा धोखेसे दी गई

(९०) कोई राज़ी ऐसी राज़ी न गिनीजायगी जैसी कि संग्रह के किसी दफ़ा में प्रयोजन कीगईहै कदाचित् वह राज़ी किसी मनुष्य ने हानि के डरसे अथवा किसी वृतान्त को यथार्थ न समझने से दी हो और कदाचित् उस काम का करने वाला मनुष्य जानता हो अथवा निश्चय मानने का हेतु रखता हो कि यह ऊपर कहेहुए भय अथवा यथार्थ न समझने के कारण दी गई है ॥

राज़ी किसी बालक अथवा सिड़ी मनुष्य की—

अथवा जब वह राज़ी किसी ऐसे मनुष्य ने दी हो जो सिड़ीपन से अथवा नशे के कारण गुण और फल उस काम के मध्ये उसने अपनी राज़ी दी हो अथवा जबकि वह राज़ी बारह बरस से कमती अवस्था के किसी मनुष्य ने दी हो सिवाय इसके कि लेख से इसके विरुद्ध आशय पाया जाय ॥

काम जो इस बात को छोड़ कर कि राज़ी देने वाले मनुष्य को उस से ज्यान पहुंचा आपही अपराधी हो दफ़ा ८७ व ८८ व ८६ की छूटों में गिन्ती न होंगे

(९१)—८७ और ८८ और ८९ उन कामों से सम्बन्ध न रक्खैगी जो इस बात को छोड़कर भी कि

उनसे कुछ ज्यान उस मनुष्य को जिसने अथवा जिसके लिये राज़ी दी गई पहुंचा अथवा पहुंचने का प्रयोजन किया गया अथवा पहुंचना अति संभवित जाना गया आपही अपराध हो ॥

## उदाहरण.

पेट गिरवाना सिवाय इसके कि शुद्ध भावसे स्त्री का जीव बचाने के लिये हो इस बात को छोड़कर भी कि उसमें कुछ ज्यान उस स्त्री को होजाय अथवा होने का प्रयोजन किया जाय आपही एक अपराध है वह उस ज्यान के कारण अपराध नहीं है और पेट के गिराने के मध्ये राज़ी उस स्त्री की अथवा उसके रक्षक की उस कामको उचित बनाती हो ॥

काम जो शुद्धभावसे किसी मनुष्य के भले के लिये बिना राज़ी के किया जाय–.

(९२) कोई काम किसी ऐसे ज्यान के कारण जो उससे किसी मनुष्य को जिसके भले के लिये शुद्धभाव से वह काम किया गया हो होजाय यद्यपि उस मनुष्य की बिना राज़ी के भी हो अपराध न होगा कदाचित् अवस्था ऐसी हो कि उसमें उस मनुष्य को अपनी राज़ी प्रगट करना असम्भव हो अथवा वह मनुष्य राज़ी देने को असमर्थ हो और अपना कोई रक्षक या और मनुष्य जिसकी वह क़ानूनानुसार रक्षा में होता और जिसमें उस काम के मध्ये जो भले के लिये किया गया राज़ी लेना सम्भव होता परन्तु नियम ये हैं ॥

प्रथम–यह छूट प्रयोजन करके मृत्यु उत्पन्न करने या मृत्यु का उद्योग करने से सम्बन्ध न रक्खेगी ॥

दूसरे–यह छूट किसी काम के करने से जिसे करने वाला जानता हो कि मृत्यु का होना अति सम्भवित है सम्बन्ध न रक्खैगा सिवाय इसके कि वह काम मृत्यु अथवा

भारी दुखके रोकने अथवा किसी भारीरोग अथवा दुर्बलता के मिटाने के निमित्त किया जाय ॥

तीसरे—यह छूट जानबूझ कर दुःख उत्पन्न करने अथवा दुख उत्पन्न करने का उद्योग करने से सम्बन्ध न रक्खेगी सिवाय इसके कि मृत्यु अथवा दुख रोकने के निमित्त किया जाय ॥

चौथे—यह छूट किसी ऐसे अपराध में जिससे वह छूट संबन्ध रखती हो और सहायता करने से संबन्ध न रक्खैगी ॥

उदाहरण.

(अ) विष्णुमित्र अपने घोड़े से गिरके मूर्छित होगया और देवदत्त एक डाक्टर ने विचार किया कि विष्णुमित्र की खोपड़ी में छेद करना चाहिये कि फिर देवदत्त ने बिना प्रयोजन करने के लिये विष्णुमित्र के भले के लिये कियागया जबतक कि विष्णुमित्र विचार करनेके लिये फिर समर्थहुआ उसने पहले शुद्ध भाव से उसकी खोपड़ी चीरी तो देवदत्त ने कुछ अपराध नहीं किया ॥

(इ) विष्णुमित्र को नाहर उठाकर ले चला और देवदत्तने यह बात जान बूझकर कि बन्दूक छोड़ने से विष्णुमित्र को गोली लगनी अति सम्भवित है परन्तु विना प्रयोजन करने विष्णुमित्र की मृत्युके शुद्धभाव से उसके भले के लिये नाहरपर बन्दूक चलाई उससे गोली विष्णुमित्र के लगकर भारी घाव हुआ तो देवदत्त ने कुछ अपराध नहीं किया ॥

(उ) देवदत्त डाक्टरने किसी बालक को ऐसी चोट में देखा जिससे सम्भवित हुआ कि कदाचित् तत्काल चीर फाड़ न कीजाय तो यह चोट मृत्युकारक होगी परन्तु अवसर इतना न था कि उस बालक के रक्षक की राज़ी पूंछी जाय इसलिये देवदत्तने शुद्धभाव से उस बालक के भले के लिये उसकी बिनाराज़ी के चीरफार की तो देवदत्तने कुछ अपराध नहीं किया ॥

(ए) देवदत्त किसी ऐसे मकानपर था जिसमें आग लगरहीथी और एक बालक बिष्णुमित्रभी उसके साथ में था नीचे लोगों ने कम्बल पसारा और देवदत्तने उस बालक को मकान की छतपर से कम्बल में गिरने के लिये यह बात जानबूझ कर कि इस गिरने से इस बालक का मरजाना भी संभवित है परन्तु शुद्धभावसे उस बालक को मारने के प्रयोजन के विना और उसके भले के लिये छोड़ा इस अवस्था में कदाचित् वह बालक गिराने से मरभी गया तो देवदत्तने कुछ अपराध नहीं किया॥

**विवेचना—केवल द्रव्य सम्बन्धी भला दफ़ा ८८ व ८९ व ९२ के अर्थ में भला न समझा जायगा ॥**

शुद्ध भाव से कुछ कहदेना } **( ९३ ) बतला देना किसी बात का शुद्धभाव से इसी कारण अपराध न गिनाजायगा कि जिस मनुष्य को वह बात बतलादी गई उसको उससे कुछ ज्यान होगया कदाचित् वह बात उस मनुष्य के भले के लिये बतलाई गईहो ॥**

## उदाहरण.

देवदत्त डाक्टर ने शुद्धभाव से किसी रोगी से अपना बिचारांश कह दिया कि तू इस रोग से बच नहीं सक्ता और वह रोगी इस दधके से मरगया तो देवदत्तने कुछ अपराध नहीं किया यद्यपि वह जानता भी था कि इस कहने से उस रोगी की मृत्यु होनी अति सम्भवित है ॥

काम जिसके करने के लिये कोई मनुष्य धमकी के द्वारा बेबस कियाजाय— } **( ९४ ) सिवाय ज्ञातघात और राज विरुद्धी अपराधों के द्वारा कियाजाय जिनका दंड बध है दूसरा कोई काम किया हुआ किसी ऐसे मनुष्य का जो उसके करने के लिये इसप्रकार की धमकियों से जिनसे उस काम के करने के समय हेतु सहित डर इस बात का पाया गया हो कि कदाचित् वह मनुष्य उस कामको न करता तो उसका फल तत्काल मृत्यु होता बेबस कियाजाय अप-**

राध न होगा परन्तु नियम है कि उस काम के करनेवाले मनुष्य ने अपनी इच्छा से अथवा अपने को तत्काल मृत्यु से कोई कमती ज्यान पहुंचाने के हेतु सहित डर से उस अवस्था में न डाला हो जिसमें वह इसभांति बेबस किया गया ॥

बिवेचना—कोई मनुष्य जो अपनी इच्छा से अथवा मार पीट की धमकी से डाकुओं के गोल में यह बात जान बूझकर मिलै कि यह डाकू है तो वह इसहेतु कि उसके साथियों ने ज़बर्दस्ती उससे कोई काम जो क़ानूनानुसार अपराध है कराया इस छूट से सहायता न पावेगा ॥

बिवेचना—२—कोई मनुष्य जिसको डाकुओं के गोल ने पकड़कर और तत्काल मारडालने की धमकी देकर उस से ज़बरदस्ती कोई काम जो क़ानूनानुसार अपराध है कराया हो जैसे किसी लुहार से किवाड़ किसी मकान के तुड़वाये हों इस प्रयोजन से कि डाकू उसके भीतर घुसकर लूट करें इस छूट से रक्षा पावैगा ॥

कोई काम जिस से कुछ तुच्छ ज्यानहो— ( ९५ ) कोई काम इस हेतु से अपराध गिन लिया जायगा कि उससे कोई ज्यान हुआ अथवा होने का प्रयोजन किया गया अथवा होना अति सम्भवित जानागया कदाचित् वह ज्यान ऐसा तुच्छ हो कि कोई साधारण बुद्धि और स्वभाव का मनुष्य उसकी नालिश न करैगा ॥

# निज़रक्षा का अधिकार

कोई काम जो निज रक्षा के लिये किया जाय अपराध न होगा—
(९६) कोई काम जो निज रक्षा का अधिकार बर्तने में किया जाय अपराध न होगा ॥

तन और धन की रक्षा का अधिकार
(९७) हरएक मनुष्य को अधिकार है कि दफ़ा ९९ के नियमों के आधीन रह कर रक्षा करैं ॥

पहले—अपने अथवा और मनुष्यों के तनकी किसी ऐसे अपराध से जो मनुष्य के तनसे सम्बन्ध रखता हो ॥

दूसरे—अपने अथवा और किसी मनुष्य के स्थावर अथवा ग़ैर स्थावर धन की किसी ऐसे काम से जो चोरी अथवा जोरी अथवा उत्पात अथवा मुदाख़लत बेजा के अर्थ अनुसार अपराध हो अथवा जो चोरी या जोरी या उत्पात या मुदाख़लत बेजा का उद्योग हो ॥

निज रक्षा का अधिकार सिड़ी इत्यादि मनुष्यों के काम से—
(९८) जब कोई काम जो निस्सन्देह अपराध परन्तु उस के करने वाले की अवस्था की छुटाई अथवा बुद्ध के सिड़ीपन अथवा नशे की बेसुधी के कारण अथवा इस कारण कि उसने कोई बात यथार्थ न समझी अपराध न गिना जाता हो तो उसके रोकने के लिये अपनी निजरक्षा का अधिकार हरएक मनुष्य को उसी भांति प्राप्त होगा मानो वह काम अपराध ही है ॥

(अ) विष्णुमित्रने सिड़ीपन की दशा में देवदत्त के मारडालने का उद्योग तो विष्णुमित्र अपराधी किसी अपराध का न हुआ परन्तु तौभी देवदत्त को अपनी रक्षा का अधिकार उसी भांति प्राप्त रहा मानो विष्णुमित्र सिड़ी न था ॥

(इ) देवदत्त रात के समय किसी ऐसे मकान में गया जिसमें जाने का वह क़ानूनानुसार अधिकारी था और विष्णुमित्र ने शुद्धभाव से देवदत्त को चोर समझकर उसपर उठैया किया तो इस हेतु से कि विष्णुमित्रने धोखे में उठैया किया विष्णुमित्र अपराध किसी अपराध का न हुआ परन्तु देवदत्त को अधिकार अपनी रक्षा का उसी भांति प्राप्त होगा मानौ विष्णुमित्र धोखे में न था॥

जिन कामों के रोकने के लिये निजरक्षा का अधिकार न होगा—

(९९) प्रथम—निजरक्षा का अधिकार किसी ऐसे काम के रोकने के लिये न होगा जिससे हेतु सहित डर मृत्यु अथवा भारी दुख का न हो कदाचित् उस काम को कोई सर्व सम्बन्धी नौकर शुद्धभाव से अपनी नौकरी के कारण से करै अथवा करने का उद्योग करै यद्यपि वह काम क़ानून में ठीक २ उचित भी न हो॥

दूसरे—निजरक्षा का अधिकार किसी ऐसे काम के रोकने के लिये न होगा जिससे हेतु सहित डरमृत्यु अथवा भारी दुख का न हो कदाचित् वह काम किसी सर्व संबन्धी नौकर की आज्ञा से उस अवस्था में कियाजाय अथवा उसके किये जाने का उद्योग कियाजाय जबकि वह शुद्धभाव से अपनी नौकरी देता हो यद्यपि वह आज्ञा क़ानून में ठीक उचित्त भी नहो॥

तीसरे—निज रक्षा का अधिकार उन अवस्थाओं में न होगा जिनमें सर्व सम्बन्धी अधिकारियोंसे रक्षा मिलने का अवकाश हो॥

चौथे—निजरक्षा का अधिकार किसी अवस्था में ऐसा न होगा कि जितना ज्यान पहुंचना रक्षा के लिये अवश्य हो उससे बढ़ती ज्यान पहुंचायाजाय॥

बिवेचना—१—कोई मनुष्य निजरक्षा के अधिकार से किसी ऐसे काम के रोकने के लिये रहित न गिना जायगा जिसको कोई सर्व सम्बन्धी नौकर अपनी नौकरी के द्वारा करने का उद्योग करै सिवाय इसके कि वह यह बात जानता हो अथवा निश्चय मानने का हेतु रखता हो कि यह मनुष्य जो इस काम को करता है सर्व संबन्धी नौकर है ॥

बिवेचना—२—कोई मनुष्य किसी ऐसे काम के रोकने के लिये निजरक्षा के अधिकार से रहित गिना जायगा जो किसी सर्व सम्बन्धी नौकर की आज्ञा से किया जाय अथवा किये जाने का उद्योग किया जाय सिवाय इसके कि वह यह बात जानता हो अथवा निश्चय मानने का हेतु रखता हो कि यह मनुष्य जो इस काम को करता है इसी प्रकार की आज्ञा से करता है अथवा सिवाय इसके कि करनेवाला उस अधिकार को जिसके बलसे वह उस काम को करता हो वर्णन करदे अथवा जो उसके पास लिखा हुआ अधिकार हो तो मांगने पर उस अधिकार को दिखला दे ॥

तनकी निज रक्षा का अधिकार मृत्यु करने तक कब हो सकेगा— (१००) तनकी रक्षा का अधिकार पिछली दफ़ा में लिखे हुए नियमों के आधीन रहकर * आतताई को जान बूझकर मृत्यु अथवा और कुछ ज्यान पहुंचाने तक हो सकेगा कदाचित् वह अपराध जिससे निजरक्षा का अधिकार वर्तना अवश्य हुआ नीचे लिखे प्रकारों में से किसी प्रकार का हो ॥

* यहां उस मनुष्य को समझना चाहिये जो अपने ऊपर उठैया करके आये ॥

प्रथम—ऐसा आततांई पन जिससे हेतु सहित डर इस बात का पाया जाय कि कदाचित् वह रोका न जायगा तो इस आततांई पन का फल मृत्यु होगा ॥

दूसरे—ऐसा आततांई पन जिससे हेतु सहित डर इस बात का पाया जाय कि कदाचित् वह रोका न जायगा तो इस आततांई पनका फल भारी दुःख होगा ॥

तीसरे—कोई आततांई पन जो ज़बरदस्ती व्यभिचार करने के प्रयोजन से किया जाय ॥

चौथे—कोई आततांई पन जो स्वभाव विरुद्ध कामातुरता पूरी करने के प्रयोजन से किया जाय ॥

पांचवें—कोई आततांई पन जो किसी ज़बरदस्ती पकड़ लेजाने अथवा भगा लेजाने के प्रयोजन से किया जाय ॥

छठे—कोई आततांई पन जो किसी मनुष्य को अनीति बंधि में रखने के प्रयोजन से ऐसी अवस्था में किया जाय जब हेतु सहित डर उसको इस बात का हो कि इससे छूटने के लिये सर्व सम्बन्धी हल्कारों तक न पहुंच सकूंगा ॥

यह अधिकार मृत्युको छोड़ कर दूसरा कोई ज्यान पहुंचाने तक कब हो सकैगा—

(१०१) कदाचित् अपराध ऊपर की दफ़ा में लिखे हुए प्रकारों मे से किसी प्रकार का नहो तो तन की निज रक्षा का अधिकार आततांई को जानबूझ कर मार डालने तक न होगा परन्तु दफ़ा ९९ में लिखे हुए नियमों के आधीन यहांतक हो सकैगा कि आततांई को मृत्यु छोड़कर दूसरा कोई ज्यान पहुंचा दिया जाय ॥

तन की निजरक्षा का आदि अंत—

(१०२) तन की निजरक्षा का अधिकार उसीसमय प्राप्त होजायगा जब कि तन को विपत्ति पहुंचाने का हेतु सहित डर किसी

अपराध के उद्योग से अथवा धमकी से पाया जाय यद्यपि वह अपराध किया भी न गया हो और यह अधिकार उतनेही समय तक रहेगा जबतक कि तन की बिपति का हेतु सहित डर है ॥

धन की निजरक्षा का अधिकार मृत्यु करने तक कब होसकेगा– } ( १०३ ) धन की निजरक्षा का अधिकार दफ़ा ९९ में लिखे हुये नियमों के आधीन अनीति करनेवाले को जान बूझकर मार डालने अथवा और कोई ज्यान पहुंचाने तक होसकेगा कदाचित् वह अपराध जिसके करने से अथवा करने के उद्योग से उस अधिकार का वर्तना अवश्य हुआ आगे लिखे हुए प्रकारों मे से किसी प्रकार का हो ॥

( १ ) जोरी–

( २ ) राति के समय घर फोड़ना–

( ३ ) उत्पात करना आगे के द्वारा किसी ऐसे मकान अथवा डेरा अथवा नावपर जो मनुष्य के रहने के स्थान की भांति अथवा चीज़ वस्तु धरने की ठौर की भांति काम में हो ॥

चौथे–चोरी अथवा उत्पात अथवा मकान की मुदाख़लतबेजा ऐसी अवस्था में जबकि हेतु सहित डर इसबात का पाया जाय कि कदाचित् निजरक्षा का अधिकार न बन जायगा तो उसका परिणाम मृत्यु अथवा भारीदुख होगा

यह अधिकार मृत्यु को छोड़कर दूसरा कोई ज्यान करदेने कब होसकेगा– } ( १०४ कदाचित् वह अपराध जिसके किये जाने से अथवा किये जाने के उद्योग से वर्तना निजरक्षा के अधिकार का अवश्य हुआ चोरी अथवा उत्पात अथवा मुदाख़लत बेजा पिछली दफ़ा में लिखे हुए प्रकारों को

छोडकर दूसरे किसी प्रकार की हो तो वह अधिकार जान बूझ कर मृत्यु को छोड़कर दूसरा कोई ज्यान अनीति करनेवाले को पहुंचाने तक होसकेगा ॥

धन की निजरक्षा के अधिकार का आदि अंत— ( १०५ ) पहले धन की निज रक्षा के अधिकार उसी समय आरम्भ होगा जबकि धन की विपति के हेतु सहित डर का आरम्भ हो ॥

दूसरे—धन की निजरक्षा का अधिकार चोरी रोकने को उतनी देर तक वर्तमान रहै जबतक कि अपराधी धन लेकर चला न जाय अथवा सर्व सम्बन्धी अहलकारों से सहायता मिलजाय न अथवा वह धन फेर न लिया जाय ॥

तीसरे—धन की निजरक्षा का अधिकार ज़ोरी रोकने को उतनी देर तक बर्तमान रहेगा जबतक कि अपराधी किसी मनुष्य को मारता हो अथवा दुख पहुंचाता हो अथवा अनीति बंधि में रखता हो अथवा मार डालने या दुख पहुंचाने या अनीति बंधि में रखने का उद्योग कररहा अथवा जबतक कि तत्काल मृत्यु अथवा तत्काल दुख अथवा तत्काल अनीति बंधि का हेतु सहित डर है ॥

चौथे—धनकी निजरक्षा का अधिकार मुदाख़लत बेजा अथवा उत्पात रोकने को उतनी देर तक रहेगा जब तक अपराधी मुदाख़लत बेजा अथवा उत्पात कर रहा हो ॥

पांचवें—धन की निजरक्षा का अधिकार रात्ति के समय घर फोड़ना रोकने को उतनी देरतक रहेगा जब तक कि मकान की मुदाख़लत बेजा जो उस घर फोड़ने से उत्पन्न हुई रहै ॥

निज रक्षा का अधिकार मृत्युकारक उठैया रोकनेको उस अवस्था में जब कि किसी अनापराधी मनुष्य को ज्यान पहुंचाने की जोखिम हो— ( १०६ ) कदाचित् किसी ऐसे उठैये को रोकने को जिस से हेतु सहित डर मृत्यु होने का पाया जाय कि उस अधिकार को भली भांति वर्तने से किसी निरापराधी मनुष्य को ज्यान पहुंचाने की जोखिम अवश्य हो तो उसको निजरक्षा का अधिकार यहां तक कि उस जोखिम को भी उठाले ॥

## उदाहरण.

देवदत्त पर एक भीड़ने जो उसके ज्ञानज्ञात के उद्योग में थी उठैया किया और वह अपने निजरक्षा के अधिकार को बिना इसके कि उस भीड़ पर बंदूक छोड़े भली भांति बर्त्त नहीं सक्ताथा और बन्दूक छोड़ने से अवश्य ज्यान पहुंचने की जोखिम उन छोटे २ बालकों को थी जो उस भीड़में मिल रहे थे कदाचित् ऐसी दशा में देवदत्त बन्दूक छोड़ देता और उससे किसी बालक को ज्यान होजाता तो देवदत्त अपराधी न गिना जाता ॥

---

# *अध्याय ५

## सहायता के विषय में.

सहायता किसी कामकी ] ( १०७ ) कोई मनुष्य किसी काम में सहायता देनेवाला कहलावेगा जबकि वह ॥

---

* यह अध्याय उन अपराधों से सम्बन्धित है जिनका लेख दफ़ (अ) १२४ (अ) व २२५ (अ) व २२५ (बे) व २९४ (अ) व ३०४ अ दं मुकर्रर किये हैं देखो ऐक्ट २७ सन् १८७० ई० की दफ़ा १३ ॥

प्रथम—किसी मनुष्य को उस कामके करने के लिये कावे—अथवा ॥

दूसरे—एक अथवा अनेक मनुष्यों के साथ उस काम के करने के लिये जथे में मिलकर मता करै और उसजथे के मतके कारण और उस काम के होने के निमित्त कुछ काम अथवा क़ानून विरुद्ध चूक वर्तीजाय ॥

तीसरे—प्रयोजन करके उस कामके लिये जाने में किसी काम अथवा क़ानून विरुद्ध चूक के द्वारा सहारादे ॥

विवेचना—१—कोई मनुष्य जो जानबूझ कर झूंठ बोलने के द्वारा अथवा किसी मुख्य बातको जिसका प्रगट करना उस पर अवश्यहो गुप्त रखकर अपनी इच्छा से किसी कामको करै अथवा २ करने या कराने का उद्योग करै वह उस कामको बहकाकर करानेवाला कहलावेगा ॥

## उदाहरण.

देवदत्त एक सर्वसंबन्धी अहलकार किसी अदालत के वारंट के द्वारा अधिकारी विष्णुमित्र के पकड़ने का है यज्ञदत्त ने इस बात को जानकर और यह भी जानकर कि हरदत्त विष्णुमित्र नहीं है अपनी इच्छा से देवदत्त से कहा कि हरदत्त विष्णुमित्र है और इस उपाय से जानबूझकर देवदत्त से हरमित्र को पकड़वा दिया तो यहां कहा जायगा यज्ञदत्त ने वह काम कर हरमित्र को पकड़वाया था ॥

विवेचना—२—जो कोई मनुष्य किसी कामके किये जाने से पहले अथवा किये जाने के समय उस काम के लिये जाने से पहले अथवा किये जाने के समय सुगमता के लिये कुछ काम करेगा तो वह मनुष्य उस काम के करने में सहायता देनेवाला कहलावेगा ॥

सहाई ] ( १०८ ) कोई मनुष्य किसी अपराध में सहायता

देनेवाला कहलावेगा जबकि वह या तो उसी अपराध के किये जाने में या दूसरे किसी ऐसे काम के किये जाने में सहायता दे जो उस अवस्था में अपराध गिना जाताहो जबकि उसका करनेवाला क़ानूनानुसार अपराध समझताहो कदाचित् वह अपराध वैसेही प्रयोजन अथवा ज्ञान से करै जैसाकि उस सहायता करनेवाले का है ॥

बिवेचना—१—किसी काममें क़ानून विरुद्ध चूक कराने का सहाई होना अपराध होसकेगा यद्यपि उस काम का करना सहाई पर अवश्य भी नहो ॥

बिवेचना—२—सहायताके अपराधकेलियेकुछ यहअवश्य नहीं है कि जिस काम में सहायता दी गई वह होही जाय अथवा जिस परिणाम का होजाना उस काम को अपराध बनाने के लिये अवश्य हो वह होही गया हो ॥

उदाहरण.

(अ) देवदत्त ने हरदत्त की ज्ञातघात के लिये यज्ञदत्त को बहका और यज्ञदत्त वह काम करने से नाहीं करगया तो देवदत्त ज्ञातघात करने के लिये यज्ञदत्त को सहायता करने का अपराधी होचुका ॥

(ई) देवदत्त ने हरदत्त के ज्ञातघात के लिये यज्ञदत्त को बहकाया और यज्ञदत्त ने बहकाने के अनुसार हरदत्त को घायल किया परंतु इस घाव से हरदत्त बचगया तो देवदत्त ज्ञातघात करने के लिये तो यज्ञदत्त बहकाने का अपराधी होचुका ॥

बिवेचना—३—यह अवश्य नहीं है कि सहायता पानेवाला मनुष्य क़ानूनानुसार अपराध करने को समर्थ ही हो अथवा यह कि सहाई का कुप्रयोजन अथवा कुज्ञान रखता हो अथवा कुछही प्रयोजन या कुज्ञान रखताहो ॥

## उदाहरण.

(अ) देवदत्त ने कुप्रयोजन से किसी बालक अथवा सिड़ी मनुष्य को सहायता किसी ऐसे काम करने में दी जो अपराध होता कदाचित् उसको कोई मनुष्य जो क़ानून अनुसार अपराध करने को समर्थ होता करता और वही प्रयोजन रखता जो देवदत्त का था तो यहां चाहै वह काम किया गया हो देवदत्त अपराध में सहायता देने का अपराधी होचुका ॥

(इ) देवदत्त ने विष्णुमित्र की ज्ञातघात के प्रयोजन से सात बर्ष से कमती अवस्था के बालक को कोई ऐसा काम जिससे विष्णुमित्र को मृत्यु हो करने के लिये बहकाया और यज्ञदत्त ने उस बहकाने के कारण उस काम को किया और उससे विष्णुमित्र की मृत्यु हुई तो यहां यद्यपि यज्ञदत्त क़ानूनानुसार अपराध करने को समर्थ होता और ज्ञातघात करता इसलिये देवदत्त बध के दंड योग्य हुआ ॥

(उ) देवदत्त ने किसी रहने के मकान में आग लगाने के प्रयोजन से देवदत्त को बहकाया और यज्ञदत्त ने अपने सिड़ीपन के कारण कि जिस से वह उस काम के गुण और फल जानने को कि जिसकाम को मैं करता हूं वह अनीति अथवा क़ानून के विरुद्ध है असमर्थ है देवदत्त ने बहकाने के अनुसार उस घर में आग लगाई तो देवदत्त ने कुछ अपराध नहीं किया परन्तु देवदत्त रहने के मकान में आग लगाने की सहायता का अपराधी हुआ और इसलिये उसी दंड के योग्य हुआ जो उस अपराध के लिये ठहरायागया है ॥

(ए) देवदत्त ने चोरी कराने के प्रयोजन से विष्णुमित्र का माल विष्णुमित्र के क़ब्ज़े से लेलेने के लिये यज्ञदत्त को बहकाया और देवदत्त ने धोखा देकर यज्ञदत्त को यह निश्चय कराया कि यह माल मेरा है और यज्ञदत्त ने वह माल विष्णुमित्र के क़ब्ज़े से शुद्धभाव से यह जानकर कि यह माल देवदत्तका है लेलिया तो यज्ञदत्त ने यह काम धोखे से किया इस लिये उसने वह माल बेधर्मी से नहीं लिया और न चोरी करनेवाला हुआ परन्तु देवदत्त चोरी की सहायता का अपराधी होचुका और उसी दंड के योग्य हुआ मानो यज्ञदत्त ने चोरी की ॥

**विवेचना—४—जब सहायता किसी अपराध की अपराध हो तो उस सहायता की सहायता भी अपराध होगी ॥**

## उदाहरण.

देवदत्त ने यज्ञदत्त को बहकाया कि हरमित्र को बहकाकर विष्णुमित्र की ज्ञातघात करावै और यज्ञदत्त ने उसी अनुसार विष्णुमित्र की ज्ञातघात करने के लिये हरदत्त को बहकाया और हरदत्त ने उस अपराध को यज्ञदत्त के बहकाने के कारण किया तो यज्ञदत्त अपने अपराध के बदले उसी दंड के योग्य हुआ जो ज्ञातघात के लिये ठहराया गया है और देवदत्त ने यज्ञदत्त को उस अपराध के करने के लिये बहकाया इससे वह भी इसी दंड के योग्य हुआ ॥

**विवेचना—५—जथे मते के द्वारा बहकाने का अपराध किया जाने के लिये कुछ यह अवश्य नहीं कि सहाई ने उसी मनुष्य के जिसने अपराध किया अपराध का मता किया हो इतनाही बहुत है कि वह उस जथे मते में साझी हुआ हो । जिसके अनुसार अपराध किया गया ॥**

## उदाहरण.

देवदत्त ने विष्णुमित्र को विषदेने का मता यज्ञदत्त से किया और यह ठहराया कि देवदत्त बिष खिलावै यज्ञदत्त ने यह मता हरदत्त को समझाया और कहा कि विष कोई तीसरा मनुष्य खिलावेगा देवदत्त का नाम न लिया हरदत्त ने बिष लादेना स्वीकार किया और लाकर यज्ञदत्त को इस निमित्त दिया कि जैसा मता होचुका है उसी अनुसार काम में आवै फिर देवदत्त ने खिलाया और विष्णुमित्र उससे मरगया तो यहां यद्यपि देवदत्त और हरदत्त ने आपस में मता नहीं किया तो भी हरदत्त साझी उस जथे मते में हुआ जिसके अनुसार विष्णुमित्र की मृत्यु हुई इसलिये हरदत्त ने वह अपराध किया जिसका लक्षण इस दफ़ा में कहा है और ज्ञातघात के दंड योग्य हुआ ॥ (दफ़ा ४० को देखो)

दंड सहायता का कदाचित् वह काम जिसकी सहायता हुई उसी सहायता के कारण किया गया हो और उसके दंड कोई स्पष्ट लेख नहो—

( १०९ ) जो कोई मनुष्य किसी अपराध में सहायता करैगा उस को कदाचित् सहायता कियाहुवा काम उसी सहायता के कारण किया गया हो और इस संग्रह में उस सहायता के दंडका कुछ स्पष्ट नियम न लिखा हो वही दंड किया जायगा जो उस अपराध के लिये ठहराहो॥

विवेचना—१—कोई काम अथवा अपराध सहायता के कारण किया जाना तब कहलावेगा जबकि वह काम बहकाने के कारण अथवा मते के अनुसार अथवा उस सहारे से जिससे सहायता निकलती हो किया जाय ॥

नजीर—कोई शख्स मकान किरायः पर लेकर वहां बदमाशों को जुआ खेलने दे कि जिससे लोगों को तकलीफ़ हो तो बावजूद इसके कि मकान किरायः पर लेना इस काम के लिये साबित नहो उसको सज़ादेना दुरुस्त है ॥

सर्कार बनाम टुन्डा वग़ैरः मुफ़स्सलः २८ जनवरी सन् १८९१ सफ़ा ३६४ जिल्द १४ मंदरास इन्डीयन लारिपोर्ट ॥

देवदत्त ने यज्ञदत्त एक सर्व सम्बन्धी नौकर के आगे कुछ घूंस इनाम की भांति इस प्रयोजन से रक्खी कि देवदत्त पर यज्ञदत्त अपने ओहदे का काम भुगतानि में कुछ पक्षपात करे और यज्ञदत्त ने वह घूंस स्वीकार करली तो देवदत्तने दफ़ा १६१ मेंलक्षण किए हुए अपराध की सहायताकी ॥

(इ) देवदत्तने यज्ञदत्त को झूंठी गवाहीदेने के लिये बहकाया और यज्ञदत्त ने उस बहकाने से वह अपराध किया तो देवदत्त उस अपराध में सहायता करने का अपराधी हुआ और जिस दंड के योग्य यज्ञदत्त है उसी के योग्य देवदत्त हुआ ॥

(उ) देवदत्त और यज्ञदत्तने विष्णुमित्र को विष देने का काम किया और देवदत्तने उसी मते के अनुसार बिष लाकर यज्ञदत्त को इस प्रयोजन से सौंपा कि वह उसे विष्णुमित्र को खिलावै और यज्ञदत्तने उसी मते के अनुसार विष्णुमित्र को ऐसे समय जबकि वहां देवदत्त न था बिष दिया और उससे विष्णुमित्र की मृत्यु हुई तो यहां यज्ञदत्त ज्ञातघात का अपराधी हो चुका और देवदत्त उस अपराध की सहायता जथे मते के द्वारा करने वाला ठहरा इसलिये देवदत्त उसी दंड के योग्य होगा जो ज्ञातघात के लिये ठहराया गया है ॥

दंड सहायता का कदाचित् सहायता पानेवाला मनुष्य अपराधके कामको सहायता करनेवाले के प्रयोजन के सिवाय किसी और प्रयोजन से करै

(११०) जो कोई मनुष्य किसी अपराध के होने में सहायता पहुंचावेगा और सहायता पानेवाला मनुष्य कुछ अपराधका काम सहायता पहुंचाने वाले के प्रयोजन अथवा ज्ञानके सिवाय किसी और प्रयोजन अथवा ज्ञानसे करेगा तौ सहाई उसी अपराध के दंड के योग्य होगा जो कियाजाता कदाचित् सहायता पानेवाला मनुष्य उस कामको सहायता करनेवाले के प्रयोजन अथवा ज्ञान के अनुसार करता दूसरी भांति न करता ॥

दंड सहायता करनेवाले को जबकि एक काम में सहायता पहुंचाई जाय और उससे भिन्न दूसरा कोई काम होजाय–

(१११) जब एक काम में सहायता पहुंचाई जाय और उससे भिन्न कोई दूसरा काम हो जाय तो उस होजाने वाले काम के बदले सहाई उसी और उतनेही दंड के योग्य होगा मानौ उसने स्पष्ट उस काम में सहायता पहुंचाई परन्तु नियम यह है कि जो काम होजाय वह इस प्रकारका हो कि सहायता से

उसका होजाना अति संभवित पाया जाय और बहकाने के कारण अथवा सहारे से अथवा जो मता उस सहायता का मूल हुआ उस मत के अनुसार किया गया हो ॥

## उदाहरण.

(अ) देवदत्तने विष्णुमित्र के भोजन में विष मिलाने के लिये एक बालक को बहकाया और इस काम के लिये विष उसको सौंपदिया बालकने उस बहकाने के अनुसार विष दिया परन्तु भूलकर हरमित्र के भोजन में जो कि विष्णुमित्र के भोजन के पास रक्खा था मिला दिया यहां बालकने देवदत्त के बहकाने में आकर यह कामकिया और यह काम देवदत्त की सहायता संभवित परिणाम भी था इसलिये देवदत्त उसी भांति और उतने दंड के योग्य होचुका मानो उसने बालक को हरमित्र के भोजन में विष मिलाने के लिये बहकाया था ॥

[illegible] आग लगाई उसी समय वहां से कुछ माल भी चुराया तो देवदत्त यद्यपि आग लगाने में सहायता देने का अपराधी हुआ परन्तु चोरी की सहायता का अपराधी नहीं हुआ क्योंकि चोरी एक अलग काम था और आग लगाने का संभवित परिणाम नथा ॥

(उ) देवदत्तने हरदत्त और यज्ञदत्त को आधीरात के समय जोरी से चोरी करने के प्रयोजनसे किसी मकान को जिसमें मनुष्य रहते थे फोड़ने के लिये बहकाया और उनको इस कामके लिये हथियार भी दिये यज्ञदत्त और हरदत्तने उसघर को फोड़ा और उसके रहने वालों से एक मनुष्य विष्णुमित्र को जिसने उसको रोका मारडाला तो यहां कदाचित् उसी दंड के योग्य होगा जो ज्ञातघात के लिये ठहराया गया हो ॥

सहाई कब इस योग्य होगा कि जिस काम में उसने सहायता की ओर जो काम कियागया हो दोनों का दंड पावै

(११२) कदाचित् वह काम जिसके बदले पिछली दफ़ा के अनुसार सहायता करनेवाला मनुष्य दंड के योग्य हो सहायता

किये हुए काम से अधिक किआजाय और आपही एक अलग अपराधी भी हो तो सहायता करनेवाला दोनों अपराधों का दंड अलग २ पाने के योग्य होगा ॥

## उदाहरण.

देवदत्तने किसी सर्वसम्बन्धी नौकर की की हुई कुरकी में बलसे सामना करने के लिये यज्ञदत्त को बहकाया और यज्ञदत्त ने उसी अनुसार कुरकी को रोका और रोकने में यज्ञदत्तने जानबूझकर कुरकी करनेवाले अहलकार को भारी दुःख पहुंचाया जो यहां यज्ञदत्तने कुरकी को रोका और जानबूझकर भारी दुःख पहुंचाया तो यहां दोनों अपराध किये इसलिये यज्ञदत्त उन दोनों अपराधों के दंड योग्य हुआ और कदाचित् देवदत्त ने यहबात जानली हो कि कुरकी का सामना करने में भारी दुःख पहुंचना अति संभवित है तो देवदत्त भी इनदोनों अपराधों मे से प्रत्येक के बदले दंड योग्य होगा ॥

दंड सहाई को उस परिणाम के बदले जो उसके प्रयोजन किये हुए परिणाम संभवित होजाय—

(११३) जब सहायता करने वाले ने कुछ विशेष परिणाम होने के प्रयोजन से किसी काम में सहायता की हो और जिस कामके बदले सहाई सहायता करने के कारण दंड के योग्य हो वह उस परिणाम से जिसका प्रयोजन सहाय में किया था कुछ भिन्न परिणाम करे तो सहाई उस परिणाम के बदले जिस का प्रयोजन न था उसी भांति और उतनेही दंड के वह योग्य होगा मानो उसने उस काम में परिणाम होने के प्रयोजन से सहायता की थी परंतु नियम यह है कि वह उस सहायता किये हुए कामसे उस भिन्न परिणाम का होना अति संभवित जानता हो ॥

## उदाहरण.

देवदत्तने विष्णुमित्र को भारी दुःख पहुंचाने के लिये यज्ञदत्त को बह-

काया और इस बहकाने के कारण यज्ञदत्त ने विष्णुमित्र को भारी दुःख पहुंचाया और उससे विष्णुमित्र मरगया यहां कदाचित् देवदत्त ने जानलिया हो कि जिस भारी दुःख के लिये सहायता की गई है उससे मृत्यु का होना अति संभवित है तो देवदत्त उसी दंड के योग्य होगा जो प्राणघात के ठहराहो ॥ (देखो दफ़ा ४० को)

मौजूद न होना सहाई का अपराध होने के समय—

(११४) जब कभी कोई मनुष्य जो मौजूद न होने की अवस्था में सहायता का दंड पानेके योग्य होता उस काम अथवा अपराध के जिसके बदले वह सहायता के दंड योग्य होता होने के समय मौजूद हो तो समझा जायगा कि उसने वह काम अथवा साधारण आपकिया ॥

सहायता किसी ऐसे अपराध में जिसका दंड वध अथवा जन्म भरका देश निकाला हो कदाचित् वह अपराध सहायता के कारण न कियाजाय—

(११५) जो कोई मनुष्य सहायता किसी अपराध में जिसका दंड वध अथवा जन्मभरका देश निकाला हो कदाचित् वह अपराध उसी सहायता के कारण न किया हो और इस संग्रह में उस सहायता के दंड का कुछ स्पष्ट नियम न हो तो दंड दोनों मे से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद ७ वर्ष तक होसकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा और कदाचित् कोईकाम जिसके बदले सहाई सहायता का दंड पाने योग्य हो और जिस से किसी मनुष्य को दुख पहुंचता है किया जाय तौ दंड दोनों मे से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद चौदह वर्ष तक हो सकैगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा ॥

कदाचित् कोई काम जिससे ज्यान होता हो न हो सहायता के कारण होजाय—

## उदाहरण.

देवदत्तने विष्णुमित्र की प्रातघात के लिये यज्ञदत्त को बहकाया परन्तु यज्ञदत्त से वह अपराध हुआ नहीं यहां कदाचित् यज्ञदत्त विष्णुमित्र को मारडालता तो ज़रूर वध अथवा जन्मभरका देश निकाले के दंड के योग्य होता इसलिये देवदत्त किसी म्यादको जो सात वर्षतक हो सकेगी कैद हो सकेगा और जरीमाने के भी योग्य होगा और कदाचित् उस सहायता के कारण विष्णुमित्र को कुछ दुःख पहुंचता हो तो देवदत्त किसी म्यादको जो चौदह बरस तक होसकेगी कैद हो सकेगा और जरीमाने के भी योग्य होगा ॥

( दफ़ा ४० को देखो )

सहायता किसी अपराध में जो कैद के दंड योग्यहो कदाचित् वह अपराध उस सहायता के कारण न किया जाय--

( ११६ ) जो कोई मनुष्य सहायता किसी अपराध में जो कैद के दंड योग्य हो करैगा उसको कदाचित् वह अपराध उस सहायता के ही कारण न होजाय--और उस सहायता के दंड का कुछ स्पष्ट लेख संग्रह में न पाया जाय तो दंड दोनों प्रकारों मे से किसी प्रकार की कैद का जो उस अपराध के लिये ठहराई गई हो किसी म्याद को जो उस अपराध के लिये ठहराई हुई बड़से बड़ म्याद की चौथाई तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का जितना कि उस अपराध के लिये ठहराया गयाहो अथवा दोनों का किया जायगा और कदाचित् सहायता करनेवाला अथवा सहायता पानेवाला मनुष्य कोई ऐसा सर्व संम्बंधी

कदाचित् सहाई अथवा सहायता पानेवाला मनुष्य कोई ऐसा सर्व सम्बन्धी नौकर हो जिसका काम उस अपराध का रोक हो--

नौकर जिसका काम उस अपराध को रोकना हो तो दंड उस अपराध के लिये ठहराये हुए प्रकार का जिस

की म्याद उस अपराध के लिये ठहराई हुई बढ़ती से बढ़ती म्याद की आधी तक होसकेगी अथवा जरीमाने का जितना उस अपराध के लिये ठहराया गया हो अथवा दोनों का किया जायगा ॥

## उदाहरण.

(अ) देवदत्तने एक सर्व सम्बन्धी नौकर यज्ञदत्त को घूंस इसलिये दिखाई कि यज्ञदत्त अपने ओहदे के काम में देवदत्त का कुछ पक्षपात करने के बदले इनाम की भांति उसको ले और यज्ञदत्तने उस घूंस लेने से नाहीं की तो देवदत्त इस दफ़ा के अनुसार दंड के योग्य हो चुका ॥

(इ) देवदत्तने झूंठी गवाही देने के लिये यज्ञदत्तको बहकाया यहां कदाचित् यज्ञदत्तने झूंठी गवाही नदी तौभी देवदत्तने इसदफ़ाके अनुसारके लक्षण से अपराध किया और उसी अनुसार दंड के योग्य हुआ ॥

(उ) देवदत्त एक पुलिस के अहिलकारने जिसका काम चोरी रोकने का है चोरी होने में सहायता की तो यहां यद्यपि चोरी न भी हुई तौभी देवदत्त उस अपराध के लिये ठहराई बढ़ती से बढ़ती म्याद की आधी म्याद की क़ैद के योग्य हो चुका और जरीमाने के भी योग्य होगा ॥

(ए) यज्ञदत्तने एक पुलिस के अहिलकार देवदत्त को जिसका काम चोरी रोकने का था उसी अपराध के करने में सहायता पहुंचाई तो यहां यद्यपि चोरी न हुई तौभी यज्ञदत्त चोरी के अपराध के लिये ठहराई हुई बढ़तीसे बढ़ती म्याद की आधी म्याद की क़ैद के योग्य होचुका और जरीमाने के योग्य भी हुआ ॥

( दफ़ा ४० को देखो )

सहायता पहुंचाना अपराध के करनेमें सबके द्वारा अथवा दस से अधिक मनुष्यों के द्वारा—

( ११७ ) जो कोई मनुष्य अपराध के होने में सब के अथवा किसी संख्या अथवा सम्बन्ध दशसे अधिक मनुष्यों के द्वारा सहायता पहुंचावेगा उसको दंड दोनों मे से किसी प्रकार की क़ैद

का जिसकी म्याद तीनवर्ष तक होसकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जावेगा ॥

## उदाहरण.

देवदत्तने किसी सर्व सम्बन्धी स्थान में एक टिकट दश मनुष्यों से अधिक की किसी सम्प्रदायको दूसरी प्रतिकूल सम्प्रदायको ऊपर जबकि वह समाज करके निकले किसी नियत समय और नियत स्थानपर उठैया को लटका दिया तो देवदत्त इस दफ़ा में अपराध किया ॥

गुप्त रखना किसी ऐसे अपराध के अथवा जन्मभर के देश निकाले के दंड योग्य हो- का जाना

(११८) जो कोई मनुष्य बध अथवा जन्मभरके देशनिकाले के दंड योग्य किसी अपराध के प्रयोजन से अथवा उस का सुगम होना अति संभवित जानकर अपनी इच्छा से किसी काम अथवा क़ानून विरुद्ध चूक के द्वारा उस अपराध के उद्योग को छुपावेगा अथवा कुछ बात जिसको वह जानता हो कि झूंठी है उस उद्योग के मध्ये कहेगा उसको कदाचित् वह अपराध हो जाय तो दंड दोनों मे से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद सातवर्ष तक होसकेगी किया जायगा अथवा जब वह अपराध हो न जाय तो दोनों मे से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद तीन वर्ष तक हो सकेगी किया जायगा और दोनों अवस्थाओं में जरीमाने के भी योग्य होगा ॥

## उदाहरण.

देवदत्तने यह बात जानबूझ कर कि यज्ञदत्त के मकानपर डाका पड़ने को है साहबमजिस्ट्रेट को झूंठी खबर देदी कि डाका हरदत्तके मकानपर जो दूसरी ओर है पड़ा चाहता है और इस उपाय से उस अपराध का होना

सुगम करने के प्रयोजन से साहबमजिस्ट्रेट को धोखा दिया और इसी कारण यज्ञदत्त के मकानपर डांका पड़गया तो देवदत्त इस दफा के अनुसार दंड योग्य हुआ ॥

कोई सर्व सम्बन्धी नौकर जो किसी ऐसे अपराध के होने के उद्योग को जिसको रोकना उसका काम हो छुपावे—

( ११९ ) जो कोई मनुष्य सर्व सम्बन्धी नौकर होकर किसी अपराध के उद्योगको जिसका रोकना सर्व संबंधी नौकर होने के कारण उसपर अवश्य हो अपनी इच्छासे कुछ काम अथवा क़ानून विरुद्ध चूक करके उस अपराध का होना सुगम करने के प्रयोजन से अथवा सुगम होना अति संभवित जानकर छुपावेगा अथवा उस उद्योग के मध्ये कोई ऐसी बात जिसको वह जानता हो कि झूंठी है कहेगा उसको कदाचित् वह अपराध होजाय दंड उस अपराध के लिये ठहराये हुए प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद उस अपराध के लिये ठहराई हुई बढ़से बढ़ म्याद की आधी तक होसकेगी अथवा जरीमाने का जितना कि उस अपराध के लिये ठहराया गया हो अथवा दोनों का किया जायगा और

कदाचित् अपराध होजाय ]

कदाचित् अपराध बध इत्यादि के दंड योग्य हो—

कदाचित् वह अपराध बध अथवा जन्मभरके देश निकाले के दंड योग्यहो तो दंड किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दशवर्ष तक होसकेगी किया जायगा और कदाचित् वह अपराध हो न जाय तो दंड उस अपराध के लिये ठहराये हुए प्रकारकी क़ैद का जिसकी म्याद उस अपराध के लिये ठहराई हुई बढ़से बढ़ म्याद की चौथाई तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का जितना कि

जब अपराध हो न जाय ]

उस अपराध के लिये ठहराया गया हो अथवा दोनों का किया जायगा ॥

## उदाहरण.

देवदत्त पुलिस का अहलकार जिसपर क़ानूनानुसार अवश्य था कि चोरी होने की उद्योग की जो कुछ ख़बर पावे उसको रपट करै यह बात जानबूझ कर कि यज्ञदत्त चोरी करने का उपाय कर रहाहै उस अपराध का होना सुगम करने के प्रयोजन से इस बात की रिपोर्ट देने में चूका तो यहां देवदत्त ने क़ानून विरुद्ध चूक करके यज्ञदत्त के उद्योग को छुपाया और इस दफ़ा के नियमानुसार दंड के योग्य हुआ ॥

छुपाना उद्योग का जो क़ैद के दंड योग्य किसी अपराध के करने के लिये हो—

(१२०) जो कोई मनुष्य क़ैद के दंड योग्य किसी अपराध के उद्योग को उस का किया जाना सुगम करने के प्रयोजन से अथवा सुगम होना अति संभावित जानकर अपनी इच्छा से कुछ काम अथवा क़ानून विरुद्ध चूक करके छुपावेगा अथवा उस उद्योग के मध्ये कोई ऐसी बात जिसको वह जानता हो कि झूठी है उसको कदाचित् वह अपराध होजाय दंड उस अपराधके लिये ठहराये हुए प्रकारकी क़ैद का

कदाचित् अपराध होजाय—] की म्याद उस अपराध के लिये ठहराई हुई क़ैद की बढ़ से बढ़ चौथाई तक कदाचित्

कदाचित् अपराध न होजाय—] अपराध हुआ न हो तो ८ वें भाग तक होसकेगी अथवा जरमाने का जितना उस अपराध के लिये ठहराया गया हो अथवा दोनों का

जायगा ॥

# अध्याय ६

## राज विरोधी अपराधों के विषय में ।

श्रीमतीमहारानी के दरबार के साथ युद्ध करना अथवा युद्ध करने को उद्योग करना या युद्ध करने में सहायता देना—

(१२१) जो कोई मनुष्य श्रीमती महारानी के दरबार के साथ युद्ध करेगा अथवा युद्ध करने में सहायता देगा उसको दंड वध अथवा जन्मभर की कैद अथवा जन्मभर के देश निकाले का किया जायगा और उसका सब धन जप्त किया जायगा ॥

### उदाहरण.

(अ) देवदत्त किसी बलवे में जो श्रीमती महारानी के दरबार के साथ किया गया साझी हुआ तो देवदत्तने इस दफ़ा में लक्षण किया हुआ अपराध किया ॥

(इ) देवदत्तने किसी बलवे में जो श्रीमती महारानी के दरबार के साथ सीलौन के टापूमें हुआ हिन्दुस्तान से बैरियों के पास हथियार पहुंचाकर सहायतादी तो देवदत्त श्रीमती महारानी के दरबार के साथ युद्ध होने में सहायता पहुंचाने का अपराधी हुआ ॥

श्रीमती महारानी के हिन्दुस्तान के अंग्रेज़ी राज्य अथवा उसके बेद- खल करना या बेदखल करने में सहायता देना—

(१२१) (*अ) जो कोई मनुष्य हिन्दुस्तान के अंग- रेज़ी राज्य अथवा अपराधों जो दफ़ा

* दफ़ा १२१ (अ) ऐक्ट २७ सन् १८७० ई० की दफ़ा ४ के ज़रिया से दर्ज की गई है ॥

दंड योग्य हैं उद्योग करना अथवा हिन्दुस्तान के अंग्रेज़ी राज्य या उसके किसी विभाग से श्रीमती महारानी को अधिकार से बेदखल करने के लिये सहायता करै अथवा अपराध संयुक्त बल के द्वारा अथवा अपराध संयुक्त बल दिखाकर गवर्नमेन्ट हिन्द अथवा किसी लोकल गवर्नमेंट की कमती होने के लिये सहायता करै तो उसको जन्म भरके देश निकाले का अथवा किसी कम म्याद का अथवा दोनों प्रकारों मे से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दश बरस तक होसकेगी ॥

विवेचना—इस दफ़ा के अनुसार सहायता दिये जाने के वास्ते यह अवश्य नहीं है कि कोई काम अथवा क़ानून विरुद्ध चूक उसके उद्योग में दिखाई दे ॥

श्रीमती महारानी के दरबार के साथ युद्ध करने के प्रयोजन से हथियार इत्यादि इकट्ठे करना— सिपाही अथवा हथियार अथवा गोला बारूद आदि मेरवज़ीम इकट्ठे करेगा या दूसरे किसीभांति युद्धका सामान करेगा इस प्रयोजन से कि श्रीमती महारानीके दरबार के साथ युद्ध करै अथवा करने को तैयार हो उसको दंड जन्मभर की क़ैद अथवा देश निकाले का अथवा दोनों प्रकार मेंसे किसीप्रकार की क़ैदका जिसकी म्याद दशबरस से अधिक न होगी किया जायगा और उसका सब धन ॥

गुप्तता के प्रयोजनसे युद्ध के उद्योग को छुपाना— (१२३) जो कोई मनुष्य किसी काम अथवा क़ानून विरुद्ध चूक के द्वारा किसी उद्योग के जो श्रीमती महारानीके दरबार के साथ युद्ध होने के लिये हो रहा हो छुपावेगा इसप्रयो-

जन से कि यह छुपाना उस युद्ध के होने में सुगमकरेगा अथवा यह बात अति संभावित जानकर कि इस छुपाने से उस युद्ध का करना सुगम होगा उसको दंड दोनों मेसे किसी प्रकार की क़ैदका जिसकी म्याद दश बरस तक होसकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा ॥

उठैया करना गवर्नरजनरैल अथवा लेफ्टनेन्ट गवर्नर इत्यादि पर किसी नीति पूर्वक अधिकार को दबाकर वर्तवानेथावर्तनेसेरोकदेनेकेप्रयोजनसे

(१२४) जो कोई मनुष्य हिन्दुस्तान के गवर्नर जनरैल से अथवा किसी हाते के गवर्नर से अथवा किसी लेफ्टनेन्ट गवर्नर से अथवा गवर्नर से अथवा गवर्नर जनरैल हिन्द की कौंसिल के अथवा किसी हाते सल के सभासद से दबाकर कोई अधिकार जो उक्त गवर्नर जनरैल अथवा गवर्नर अथवा लेफ्टनेन्ट गवर्नर अथवा सभासद को क़ानून अनुसार प्राप्त हो किसी भांति वर्त्तवाने अथवा वर्त्तने से रोक देने के प्रयोजन से उक्त गवर्नर जनरैल अथवा गवर्नर अथवा लेफ्टनेन्ट गवर्नर अथवा सभासद पर उठैया करैगा अथवा अनीति रीति से रोकैगा अथवा अनीति रीतिके साथ मनाकरने का उद्योग करैगा अपराध संयुक्त बल के द्वारा या अपराध संयुक्त बल दिखाकर दबावेगा अथवा दबाने का उद्योग करेगा उसको दोनों प्रकारों मेसे दंड किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद सात बरस तक होसकेगी कियाजायगा और जरीमानेकेभी योग्य होगा ॥

कोई मनुष्य अक्षर के साथ अथवा चिन्ह अथवा और प्रकार अंग्रेज़ी राज्यमें कुमति से बोलेजाय अथवा नक़ली लिखावट के साथ—

(१२४) (*अ) जो मनुष्य अक्षर के साथ अथवा चिन्हके साथ अथवा नक़ल की हुई लिखावट के साथ अथवा किसी और प्रकार से बोले गये हों सर्व संबंधी आज्ञा में कुमति जो हिन्दुस्तान के कुल अंग्रेज़ी राज्य में क़ानून अनुसार हुई हो पैदा करने का इरादा करै उसको दंड जन्म भरके देश निकाले अथवा किसी म्याद का जिसपर जरीमाना भी अधिक होसक्ता है या क़ैद का जिसकी म्याद तीन बरसतक होसकेगी और जरीमाना भी अधिक होसकेगा अथवा जरीमाने का दंड होगा ॥

विवेचना—ऐसी अप्रसन्न बात जिससे सर्कार के यथोचित् अधिकार की आज्ञा में रहने का इरादा दिलका पाया जाता हो और उन अधिकारों के रोकने अथवा हटा डालने के अनोचित इरादों की बाबत् केवल इस प्रकार की तदबीर पैदा करने के प्रयोजन से तर्क करना इस दफ़ा के अनुसार अपराध नहीं है ॥

युद्ध करना किसी दरबार के साथ जो महाद्वीप एशिया में श्रीमती महारानी का हितकारी हो—

(१२५) जो कोई मनुष्य एशिया में किसी देश के ऐसे अधिपति के साथ जिसकी मित्रता या संधि श्रीमती महारानी के दरबार से हो युद्ध करैगा अथवा युद्ध करने में सहायता देगा उसको

* दफ़ा १२४ (अ) ऐक्ट २७ सन् १८७० ई० की दफ़ा ५ के ज़रियासे दर्ज की गई है इस संग्रह के अध्याय ४ व ५ उन अपराधों से सम्बन्ध रखते हैं जो दफ़ा १२४ (अ) के अनुसार दंड पाने योग्य हैं ॥ देखो ऐक्ट २७ सन् १८७० ई०

दंड जन्म भरके देश निकाले का अथवा जन्म क़ैद का इसके सिवाय जरीमाना भी होसकेगा अथवा दोनों मे से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद सातवर्ष तक हो सकेगी और इसके सिवाय जरीमाना भी होसकेगा अथवा निरे जरीमाने का किया जायगा॥

लूटमार करना किसी ऐसे अधिपति के राज्यमें जो श्रीमती महारानीके दरबार के साथ संधि रखता हो—

(१२६) जो कोई मनुष्य किसी ऐसे देशाधिपति के राज्य में जिसकी मित्रता अथवा संधि श्रीमती महारानी के दरबार से हो. लूटमार करैगा अथवा लूटमार करने का सामान करेगा उसको दंड दोनों मे से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद सात बरस तक हो सकेगी किया जायगा और योग्य जरीमाने और उन बस्तुओं की ज़प्ती के भी योग्य होगा जो उस लूटमार में काम आई हो अथवा काम आने के प्रयोजन से रक्खी गई हो अथवा उस लूटमार के द्वारा प्राप्त हुई हो॥

रखलेना ऐसे मालका जो दफ़ा १२५ व १२६ मेंवर्णन किये हुए युद्ध अथवा लूटमार के द्वारा प्राप्त हुआहो—

(१२७) जो कोई मनुष्य किसी माल को यह बात जानबूझ कर कि दफा १२५ व १२६ में वर्णन किये हुए किसी अपराध करने से प्राप्त हुआ है रखलेगा उस को दंड दोनों किस्मों मे से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद सातबर्ष तक होसकेगी किया जायगा और जरीमाने के योग्य होगा और जो माल इस भांति रखलिया गया उसकी ज़प्ती के योग्य होगा॥

सर्व सम्बन्धी नौकर जो जानबूझ कर किसी राज विरोधी अपराध के क़ैदी को अथवा युद्ध के क़ैदी को अपनी चौकसी से भागजानेदे—

( १२८ ) जो कोई मनुष्य सर्व सम्बन्धी नौकर होकर और किसी राज्य विरोधी क़ैदी की अथवा युद्ध के क़ैदी की चौकसी पाकर अपनी इच्छासे उस क़ैदी को किसी मकान से जंहां वह क़ैद हो निकल जाने देगा उसको दंड जन्म भरके देश निकाले का अथवा दोनों मे से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दश बर्षतक होसकेगी किया जायगा और ज़रीमाने के भी योग्य होगा ॥

सर्व सम्बन्धी नौकर जो असावधानीसे राज्य विरोधी अथवा युद्धके क़ैदीको अपनी चौकसी में से भाग जानेदे—

( १२९ ) जो मनुष्य सर्व सम्बन्धी नौकर होकर और किसी राज्य विरोधी क़ैदी अथवा युद्धके क़ैदी की चौकसी पाकर असावधानी से उस क़ैदी को किसी मकानमें जहां वह क़ैदहो निकलजाने देगा उसको दंड साधारण क़ैद का जिसकी म्याद तीन बरस तक होसकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा ॥

ऐसे क़ैदीको भागने में सहायता देना अथवा छुड़ालेना अथवा आश्रय देना—

( १३० ) जो कोई मनुष्य जान बूझकर किसी राज विरोधी क़ैदी को अथवा युद्ध के क़ैदी को किसी नीति पूर्वक बंधि मे से भागने में सहायता अथवा सहारा देगा अथवा ऐसे क़ैदी को जो नीति पूर्वक बंधि मे से भागाहो आश्रय देगा अथवा छुपावेगा ऐसे क़ैदी के फिर पकड़े जाने में सामना करैगा अथवा सामना करने का उद्योगकरेगा उसको दंड जन्मभर के देश निकाले का अथवा दोनों मे से किसी प्रकारकी क़ैद का जिसकी

म्याद दश बरसतक होसकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा ॥

बिवेचना—कोई राज्य बिरोधी क़ैदी अथवा युद्धका क़ैदी जिसको हिन्दुस्तान के अंगरेज़ी राज्य के नियतासिवानी के भीतर अपने न भागने की प्रतिज्ञा अनुसार फिरने की आज्ञा हुईहो कदाचित् उन्ही सिवानों से जिनके भीतर फिरने की आज्ञा हुईहै बाहर निकल जाय तो कहा जायगा कि नीति पूर्वक बंधि से भागगया ॥

# अध्याय ७

## जंगी अथवा जहाजी सैना सम्बन्धी अपराधों के विषय में.

बग़ावत में सहायतादेना अथवा किसी सिपाही अथवा जहाजी केवटको उसके कामसे बहकाने का उद्योग करना—

(१३१) जो कोई मनुष्य श्रीमती महारानीकी जंगी अथवा जहाजी सैनाके किसीअफसर अथवा सिपाही अथवा जहां जहाजके खलासी को बग़ावत करने में सहायता देगाअथवा इस प्रकारके किसी अफसर अथवा सिपाही अथवा केवट को उसके प्रजा धर्मसे अथवा कामसे बहकाने का उद्योग करेगा उसको दंड जन्म क़ैद अथवा जन्मभरके देशनिकाले का अथवा दोनों मे से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दश बरस तक होसकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा ॥

विवेचना—इस दफ़ा में शब्द अफ़सर सिपाही के अर्थ में हर मनुष्य लिया जायगा जो आर्टी किल्स आफ़वार धर्म प्रबन्धी सैना श्रीमती महारानी के आधीनहै अथवा आर्टी किल्स आफ़वार जो ऐक्ट ५ सन् १८६९ ई० के लेखानुसार हो॥

( दफ़ा ६ ऐक्ट २७ सन् १८७० ई० )

सहायता करना बग़ावत में जबकि वह बग़ावत उसी सहायता के कारण होजाय

( १३२ ) जो कोई मनुष्य श्रीमती महारानी की जंगी अथवा जहाजी सैना के किसी अफ्सर अथवा केवट को बग़ावत करने में सहायता देना जबकि वह बग़ावत उसी सहायता के कारण कीजाय उसको दंड बध अथवा जन्म क़ैद अथवा जन्मभरके देश निकाले का अथवा दोनों मे से किसी प्रकार की क़ैद का होगा जिसकी म्याद दश बरस तक होसकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा॥

सहायता देना किसी उठैये में जो कोई सिपाही अथवा केवट अपने ऊपर अफ्सरपर जबकि वह अपने ओहदेका काम भुगताताहो—

( १३३ ) जो कोई मनुष्य श्रीमती महारानी की जंगी अथवा जहाजी सैना के किसी अफ्सर अथवा सिपाही अथवा केवट को किसी ऊपर के अफ्सरपर जबकि वह अपने ओहदे का काम भुगताता हो उठैया करनेमें सहायता देगा उसको दंड दोनों मे से किसी प्रकार की क़ैदका जिस की म्याद तीन बरस तक होसकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा॥

सहायता ऐसे उठैये में कदाचित् वह उठैया होजाय—

( १३४ ) जो कोई मनुष्य श्रीमती महारानी की जंगी

अथवा जहाजी सैना के किसी अफ़सर अथवा सिपाही अथवा केवट को किसी ऊपर के अफ़सर पर जबकि वह अपने ओहदे का काम भुगताता हो उठैया करने में सहायता देगा कदाचित् वह उठैया उसी सहायता के कारण किया जाय उसको दंड दोनों मे से किसी प्रकारकी क़ैद का जिसकी म्याद सातबरस तक होसकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा ॥

सहायता देना किसी सिपाही अथवा केवट के भागने में — (१३५) जो कोई मनुष्य श्रीमती महारानीकी जंगी अथवा जहाजी सैना के किसी अफ़सर अथवा सिपाही अथवा केवट को नौकरी से भागने में सहायता देगा उसको दंड दोनों मे से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दो बरसतक होसकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

नौकरी से भागे हुए को आश्रय देना— (१३६) जो कोई मनुष्य सिवाय नीचे लिखी हुई छूट के श्रीमती महारानी की जंगी अथवा जहाजी सैना के किसी अफ़सर अथवा सिपाही अथवा केवट को यह जानबूझकर अथवा जानने का हेतु पाकर कि यह अफ़सर अथवा सिपाही अथवा केवट अपनी नौकरी से भागआया है आश्रय देगा उसको दंड दोनों मे से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दो बरस तक होसकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का कियाजायगा ॥

छूट—यह नियम उस अवस्था में संबंध नहीं रक्खेगा जब कि कोई स्त्री अपने पति को आश्रय दे ॥

नौकरी से भागा हुआ मनुष्य जो किसी सौदागरी जहाज में उसके नावपति की असावधानी से छुपाया जाय–

(१३७) नावपति अथवा अधिकारी किसी सौदागरी जहाजका जिसपर श्रीमती महारानी की जंगी अथवा जहाजी सैना का कोई भागा हुआ छुपाया जाय यद्यपि वह उसके छुपाये जाने से बेखबर भी हो योग्य किसी जरीमाने के जो पांच सौ रु० से अधिक न होगा जबकि वह उस छुपाये जानेका हाल जान सका कदाचित् उस असावधानी उस नावपतिपने में अथवा अधिकारीपने का काम में न होती अथवा उस जहाज के प्रबंध में कुछ खोट न होता ॥

किसी सिपाही अथवा केवटकी आज्ञा भंग के काम में सहायता देनी–

(१३८) जो कोई मनुष्य किसी ऐसे काम में जिसको वह जानता हो कि श्रीमती महारानी की जंगी अथवा जहां जहाजी सैना के अफ़सर अथवा सिपाही अथवा केवट की ओर से आज्ञा भंग का काम होजाय दंड दोनों मे से किसी प्रकारकी क़ैदका जिसकीम्याद छः महीनेतक होसकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

(१३८) (अ) इस अध्याय की दफ़ैं ऊपर लिखेहुये अनुसार इस तरहपर संबंध रक्खेगी मानौ श्रीमती महारानी के जहाजी फौज या नौकर हिन्द को शामिल है ॥

जो मनुष्य जंगी क़ानूनके आधीन है इस संग्रह के अनुसार दंड दिये जाने के योग्य न होंगे–

(१३९) कोई मनुष्य जो आधीन श्रीमती महारानी की जंगी अथवा जहाजी

सैना के क़ानून अथवा उस जंगी अथवा उस जहाजी सैना के किसी खंड के क़ानून का हो इस अध्याय में लक्षण किये हुये किसी अपराधके लिये संग्रह के अनुसार दंड दिये जाने के योग्य न होगा ॥

पहरना सिपाही की वरदीका ] ( १४० ) जो कोई मनुष्य श्रीमती महारानी की जंगी अथवा जहाजी सैना में सिपाही न होकर कोई वरदी पहनेगा अथवा ऐसा चिन्ह धारण करैगा जो सिपाही की वरदी अथवा चिन्ह के सदृश हो इस प्रयोजन से कि वह सिपाही प्रतीत किया जाय उसको दंड दोनों मे से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद तीन महीने तक होसकेगी अथवा जरीमाने का जो पांचसौ रु० तक होसकेगा अथवा दोनों का किया जायगा ॥



# अध्याय ८



## सर्व सम्बन्धी कुशलता में विघ्न डालनेवाले अपराधों के विषय में।

अनीति जमाऊ ] ( १४१ ) पांच अथवा अधिक मनुष्यों का कोई जमाव अनीति जमाउ कहलावेगा कदाचित् उस जमाउ के सब मनुष्यों का साधारण मतलब यह है ॥

( १ ) अपराध संयुक्त बलके द्वारा अथवा अपराध संयुक्त बल दिखाकर दबाना हिन्दुस्तान की क़ानून कारक अथवा क़ानून प्रवर्त्तक गवर्नमेन्ट का अथवा किसी हाते की गवर्नमेन्ट को अथवा किसी लेफ्टनेन्ट गवर्नर को अथवा किसी सर्व सम्बन्धी नौकर को जबकि वह अपनी

नौकरी की नीति पूर्वक अधिकार वर्त्त रहा हो ॥ (अथवा)

(२) रोकना किसी क़ानून के प्रचार का अथवा क़ानून अनुसार आज्ञा पत्रका ॥ (अथवा)

तीसरे—करना किसी उत्पात अथवा मुदाख़लत बेजा अथवा और किसी अपराध का ॥ (अथवा)

चौथे—अपराध संयुक्त बलके द्वारा अथवा किसी और अपराध संयुक्त बल दिखाकर लेना अथवा प्राप्त करना किसी माल का अथवा रहित करना किसी मनुष्य को किसी मार्ग अथवा जलाशय के अधिकार के भोगने से अथवा और किसी अमूर्त्ति अधिकार से जिसको वह भोग रहा हो अथवा प्रचलित करना किसी अधिकार का अथवा कल्पित अधिकार का ॥ (अथवा)

पांचवें—अपराध संयुक्त बलके द्वारा अथवा अपराध संयुक्त बल दिखाकर बेबस करना किसी मनुष्य को उस काम के करने के लिये जिसका करना उसपर क़ानूनानुसार अवश्य हो अथवा उस काम के करने से चुकाने के लिये जिसके करने का वह क़ानूनानुसार अधिकारी है ॥

बिवेचना—कोई जमाउ जोकि जमा होने के समय अनीति जमाउ न हो पीछे से अनीति जमाउ होसकेगा ॥

साझी होना किसी अनीति जमाउ में— } (१४२) जो कोई मनुष्य उन बातों को जानकर जिनके कारण कोई जमाउ अनीति जमाउ कहलाता हो प्रयोजन करके उस जमाउ में मिलेगा अथवा उसमें बना रहेगा वह अनीति का साक्षी कहलावेगा ॥

दंड ] (१४३) जो कोईमनुष्य साझी किसी अनीतिजमाउ का होगा उसको दंड दोनों मे से किसी प्रकार की क़ैद

का जिसकी म्याद छः महीने तक होसकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

साझीहोना किसी अनीति जमाउ में कोई मृत्यु कारक हथियार बांधकर—

( १४४ ) जो कोई मनुष्य कुछ मृत्युकारक हथियार या और कोई बस्तु जिसको मारने के हथियार की भांति वर्ते जाने से मृत्यु का होना अति संभवितहो बांधकर साझी किसी अनीति जमाउ का बनेगा उसको दंड दोनों मे से सिसी प्रकार की कैद का जिसकी म्याद दो बरस तक होसकेगी अथवा जरीमाने के अथवा दोनों का किया जायगा ॥

मिलना अथवा बना रहना किसी अनीति जमाउ में यहबात जानकर कि उसके फैल फूट होने केलिये आज्ञा होचुकी है—

( १४५ ) जो कोई मनुष्य किसी अनीति जमाउ में मिलैगा अथवा बना रहेगा यह बात जान बूझकर कि क़ानून में ठहराई हुई भांति फैल फूट होने की आज्ञा उस जमाउ को होचुकी है उसको दंड दोनों मे से किसी प्रकार की कैद का जिसकी म्याद दो बरस तक होसकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

वल जो सब साझियों के मतलब के प्राप्त होने के लिये एक साझी की ओर से वर्ताजाय—

( १४६ ) जब कोई बलवा अथवा अन्याय किसी अरीति जमाउ साझियों का मतलब प्राप्त होने के लिये वर्ता जायगा तो उस जमाउ का प्रत्येक साझी दंगे के अपराध का अपराधी गिना जायगा ॥

दंगा करने के लिये दंड

( १४७ ) जो कोई मनुष्य दंगा करने के अपराध का अपराधी होगा उसकोदंड दोनोंमेसे किसीप्रकार की कैदका जिसकी म्याद दोबरस तक होसके

गी अथवा जरीमाने अथवा दोनों का किया जायगा ॥

मृत्युकारी हथिकार बांधकर दंगा करना—

(१४८) जो कोई मनुष्य कुछ मृत्यु कारी हथियार अथवा और कोई वस्तु जिसके मारने के हथियार की भांति वर्तेजाने से मृत्यु का होना अति संभवित हो बांधकर दंगा करने का अपराधी होगा उसको दंड दोनों मे से किसी प्रकार की कैद का जिसकी म्याद तीन बरस तक होसकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

हरएक साझी किसी अनीति जमाउ का अपराधी उस अपराध का गिना जायगा जो सब साझियों का मतलब प्राप्त होने के लिये कियाजाय—

(१४९) कदाचित् कुछ अपराध किसी अनीति जमाउ का कोई साझियों का मतलब प्राप्त करने के लिये करै अथवा ऐसा अपराध करै जिसको उस जमाउ के साझी जानते हों कि उस मतलब को प्राप्त करने में उसका कियाजाना अति संभवित है तो हरएक मनुष्य जो अपराध के किये जाने के समय साझी उस जमाउ का हो अपराधी उस अपराध का गिना जायगा ॥

किसी अनीति जमाउ से मिलने के लिये मनुष्यों को नौकर रखना अथवा नौकर रखने में आना कानी देना

(१५०) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को किसी अनीति जमाउ में मिलने अथवा साझी होने के लिये नौकरी पर अथवा रोजनदारी पर रक्खेगा या कामपर लगावेगा अथवा नौकरी या अजूरे पर रखने में या काम पर लगाने में बढ़ावा देगा अथवा आना कानी करैगा वह उस अनीति जमाउ के साझी की भांति दंड योग्य होगा और जो कोई अपराध इसप्रकार का कोई मनुष्य उस अनीति जमाउ

का साक्षी होकर उस नौकर रक्खे जाने अथवा अजूरा पाने अथवा काम पर लगाये जाने के अनुसार करेगा उसी भांति दंड के योग्य होगा मानौ वह आप उस अनीति जमाउ का साक्षी हुआ अथवा उसने आपही उस अपराध को किया ॥

जानबूझ कर मिलना अथवा बना रहना पांच अथवा अधिक मनुष्यों के किसी जमाउ में पीछे इसके कि उसके फैल फूट होने की आज्ञाहो चुकीहो—

( १५१ ) जो कोई मनुष्य जान बूझकर पांच अथवा अधिक मनुष्यों के जमाउ में जिससे सर्व सम्बन्धी कुशल में विघ्न पड़ना अति संभवित हो मिलैगा अथवा बना रहैगा पीछे इससे कि उस जमाउ के फैल फूट होने की क़ानूनानुसार हो चुकीहो उसको दंड दोनों मे से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद छः महीने तक होसकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

बिवेचना—कदाचित् जमाउ दफ़ा १४१ में लक्षण किये हुए प्रकार का अनीति जमाउ हो तो अपराधी दफ़ा १४५ के अनुसार दंड योग्य होगा ॥

सर्व संबंधी नौकरपर उठैया करना अथवा उसको रोकना जबकि वह दंगे इत्यादिका होना बंद करताहो—

( १५२ ) जो कोई मनुष्य किसी सर्व सम्बन्धी नौकर पर जबकि वह अपनी नौकरी का काम भुगताने में किसी अनीति जमाउ को फैल फूट करने का उपाय करता हो अथवा दंगे या खानेजंगी को बंद करता हो उठैया करैगा अथवा उठैया करने की धमकी देगा अथवा उसको रोकैगा या रोकने का उद्योग करैगा अथवा उस सर्व सम्बन्धी नौकर के

साथ अपराध संयुक्त करैगा अथवा अपराध संयुक्त बल करने की धमकी देगा अथवा उद्योग करैगा उसको दंड दोनों मे से किसी प्रकार की कैद का जिसकी म्याद तीन बरस तक होसकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का कियाजायगा॥

बिना बात क्रोध कराने का काम कराना दंगा होने के प्रयोजनसे—

(१५३) जो कोई मनुष्य दुर्भाव से अथवा बिना बातकोई कानून विरुद्ध काम करके किसीको क्रोधदिलावेगा इस प्रयोजन से अथवा यह बात अति संभवित जानकर कि इस क्रोध के दिलाने से दंगा होना उसको कदाचित् दंगे का अपराध उसी क्रोध कराने के कारण होजाय उस को दंड दोनों मे से किसी प्रकार की कैद का जिसकी म्याद एक बरसतक होसकेगी अथवा जरीमानेका अथवा दोनों का किया जायगा और कदाचित् दंगा हो न जाय तो दंड दोनों मे से किसी प्रकार कैद का जिसकी म्याद छः महीने तक होसकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का कियाजायगा॥

मालिक अथवा काबिज़ धरती का जिसपर अनीति जमाउ जुड़े

(१५४) जब कभी कोई अनीति जमाउ अथवा दंगा होजाय तो मालिक अथवा काबिज़ उस धरतीके जो जिसपर वह अनीति जमाउ अथवा दंगा हुआ हो और—और किसी मनुष्य कोभी जो धरतीमें कुछस्वार्थ अथवा स्वार्थका दावा रखताहो दंड जरीमाने का जो एक हज़ार रुपये से अधिक न होगा किया जायगा कदाचित् वह आप अथवा उसका कारिन्दा अथवा सर्बराकार वहबात जानकर कि यह अपराध हो रहाहै अथवा होचुका है अथवा उसका होना अति

संभवित माननेका हेतु पाकर सबसे नगीचकी चौकी पुलिस के मुख्य अफसरको अपने वशभर जल्दी से जल्दी खबर न देगा और उस अवस्था में जबकि उसका होना अति संभवित मानने का हेतु पायाजाय उसके रोकने में अपने वशभर सब उपाय न करैगा और उस अवस्था में जबकि वह होजाय अपने वशभर सब उपाय उस दंगे के मिटाने अथवा अनीति जमाउ के फैल फूट करने में न करैगा॥

दंड योग्य होना उस मनुष्य का जिसके भलेके लिये दंगा किया जाय—

(१५५) जब कभी कोई दंगा किसी ऐसे भले के लिये उसकी ओरसे कियाजाय जो मालिक अथवा क़ाबिज़ उस धरतीकाहो जिसकेमध्ये दंगा कियाजाय अथवा जो कुछ दावा स्वार्थका उस धरती में अथवा जिस बातपर झगड़ा होकर दंगा हुआ उस बातमें रखताहो अथवा जो उस दंगे से कुछलाभ निकाले अथवा स्वीकार करै तो ऐसा मनुष्य जरीमाने के योग्य हुआ कदाचित् उसने आप या उसके कारिन्दे या सरबराकारने हेतु इस बात के मानने का पाकर कि दंगा होना अति संभवित है अथवा जिस अनीति जमाउने दंगा किया उसका इकट्ठा होना अति संभवित है अपने वशभर नीतिपूर्वक सब उपाय उस दंगे अथवा जमाउका होना रोकने में और उसके मिटाने और फैलफूट करने के लिये न कियाहो॥

दंड योग्य होना उस मालिक अथवा क़ाबिज़के कारिन्देका जिसके भले के लिये दंगा कियाजाय—

(१५६) जब कभी कोई दंगा किसी ऐसे मनुष्य के भलेके लिये अथवा उसकी ओरसे किया जाय जो मालिक अथवा क़ाबिज़ उस धरतीका हो जिसके मध्ये दंगा कियागया अथवा जो

कुछ दावा स्वार्थका उस धरती में अथवा जिस बातपर झगड़ा होकर दंगा हुआ उस बातमें रखताहो अथवा जो उस दंगे से कुछलाभ निकाले अथवा स्वीकार करै तौ कारिन्दा अथवा सरबराकार उस मनुष्यका जरीमाने के दंड योग्य होगा कदाचित् उस कारिन्दा या सर्वराकार ने हेतु इसबातका पाकर कि दंगा होना अति संभवित है अथवा जिस अनीति जमाउने दंगा किया उसका इकट्ठा होना अतिसंभवित है अपने वशभर सब अनीतिपूर्वक उपाय उस दंगे अथवा जमाउका होना रोकने में और उसके मिटाने और फैलफूट करने के लिये न किये हों ॥

आश्रय देना उनमनुष्यों को जो किसी अनीति जमाउके लिये नौकर रक्खे गये हो—

( १५७ ) जो कोई मनुष्य किसी घर अथवा मकान में जो उसके कब्ज़े अथवा चौकसी में हों अथवा जिसपर उसका अधिकारहो ऐसे मनुष्यों को आश्रय देगा अथवा आने देगा अथवा इकट्ठा करैगा जिस को वह जानता होकि किसी अनीति जमाउ में मिलने अथवा साझी होने के लिये नौकर रक्खे गये हों या अजूरेपर या कामपर लगाये जाने को हैं उनको दंड किसी प्रकारकी कैदका जिसकी म्याद छः महीने तकहो सकेगी अथवा दोनोंका किया जायगा ॥

किसी अनीति जमाउ अथवा दंगे में साझा करने के लिये नौकर होना—

( १५८ ) जो कोई मनुष्य दफ़ा १४१ में लक्षण किये हुए कामों मे से किसी काम के करने या सहायता देने के लिये नौकर रहेगा अथवा अजूरा लेगा अथवा अजूरा या नौकरी मागेगा या उस के मिलनेका उद्योग करैगा उसको दंड दोनों मे से किसी

प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद छः महीनेतक होसकेगी अथवा जरीमाने अथवा दोनोंका किया जायगा और जो कोई मनुष्य ऊपर कही हुई भांति नौकरी अथवा अजूरा लेकर कुछ मृत्युकारी हथियार अथवा और कोई वस्तु जिसको हथियार की भांति वर्त्तेजाने से मृत्यु होना अति संभवित हो बांधकर फिरैगा उसको दंड दोनोंमे से किसी अथवा हथियार बांधकर फिरना ] प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दो बरसतक होसकेगा अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का कियाजायगा ॥

खाने जंगी ] ( १५९ ) जब दो अथवा दो से अधिक मनुष्य किसी सर्वसम्बन्धी जगह में लड़कर सर्वसम्बन्धी कुशलतामें विघ्न डालेंगे तो कहा जायगा कि उन्होंने खाने जंगी की ॥

खाने जंगी करने का दंड— } ( १६० ) जो कोई मनुष्य खानेजंगी करैगा उस को दंड दोनों मे से किसी प्रकार की क़ैदका जिसकी म्याद एक महीने तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का जो एकसौरुपयेतक होसकेगा अथवा दोनों का किया जायगा ॥

# अध्याय ९

## अपराध जो सर्व सम्बन्धी नौकरों की ओर से किये जायं अथवा उनसे सम्बन्ध रक्खैं ।

सर्व संबंधी नौकर जो अपने ओहदेके किसी कामके मध्ये सिवाय कानूनानुसार चाकरी के कुछ घूंस की भांतिले-

(१६१) जो कोई मनुष्य सर्व सम्बन्धी नौकर होकर अथवा सर्व सम्बन्धी नौकरी पाने की आशा रखकर अपने अथवा दूसरे किसी मनुष्य के निमित्त अपने ओहदेका अधिकार वर्त्तने में किसी मनुष्य के साथ पक्षपात अथवा द्रोह करने के लिये अथवा हिन्दुस्तान की क़ानूनकारक या क़ानून प्रवर्त्तक गवर्नमेन्ट के सामने अथवा किसी हाते की गवर्नमेन्ट के सामने अथवा किसी लेफ्टनेन्ट गवर्नर के सामने अथवा किसी सर्व सम्बन्धी नौकरके सामने किसी मनुष्यका काम बनादेने या बिगाड़देने या बिगाड़देने के बदले अथवा बनादेने या बिगाड़देनेका उद्योग करै तो उसको दंड दोनों मे से किसी प्रकारकी क़ैदका जिसकी म्याद तीन बरस तकहो सकेगी किया जायगा अथवा जरीमाने का अथवा दोनोंका किया जायगा॥

बिवेचना—सर्व सम्बन्धी नौकर होनेकी आशा रखना कदाचित् कोई मनुष्य जिसको सर्व सम्बन्धी नौकरी मिलने की आशा नहो दूसरों को इस बातके निश्चय माननेका धोखा देकर कि मैं ओहदा पानेको हूं और तब तुम्हारा काम बना दूंगा कुछ घूंसले तौ वह ठगनेका अपराधी होसकेगा परन्तु इस दफ़ा में लक्षण कियेहुए अपराधक अपराधी न गिना जायगा॥

घूंस—इस शब्दका तात्पर्य्य केवल रुपयेही घूंससे नहीं है और न केवल उस घूंससे है जिसकी कूत रुपये में हो सकै—क़ानून अनुसार चाकरी—इन शब्दोंका तात्पर्य्य केवल उसी चाकरी से नहीं है जिसको कोई सर्व सम्बन्धी नौकर

नीति पूर्वक तगादा करके मांग सक्ताहो परन्तु इनमें सब प्रकार चाकरी जिसके स्वीकार करने की आज्ञा उसको उस गवर्नमेन्ट से जिसकी वह नौकरी करताहो मिलचुकी हो गिनी जायगी ॥

कुछ करने के लिये लालच अथवा इनाम इनशब्दों में वह मनुष्य भी गिना जायगा जो कुछ घूंस किसी ऐसे कामके करने के लिये जिसके करने का वह प्रयोजन रखता हो लालच की भांति अथवा जिस कामको उसने नहीं किया है उसके लिये इनाम की भांति लेगा ॥

## उदाहरण.

(अ) देवदत्त एक मुन्सिफ़ ने विष्णुमित्र को किसी कोठीवाल की कोठी में अपने भाई के लिये एक नौकरी विष्णुमित्र की जीत में कोई मुक़द्दमा तजवीज़ करदेने के बदले इनाम की भांति प्राप्त की तो देवदत्त ने इस दफ़ा में लक्षण किया हुआ अपराध किया ॥

(इ) देवदत्त ने जो किसी आज्ञाकारी दरबार में रजीडंट के ओहदे पर है उस दरबार के दीवान से एक लाख रुपया लेना स्वीकार किया यह सावित नहीं है कि देवदत्त ने यह रुपया अपने ओहदे का कोई विशेष काम करने के लिये या रोकने के लिये अथवा सरकार अंग्रेज़ी में उस दरबार का कोई विशेष बनादेने या बनादेने का उद्योग करने के लिये लालच अथवा इनाम की भांति स्वीकार किया परंतु यह सावित है कि देवदत्त ने यह रुपया ओहदे अपने का अधिकार बर्त्तने में साधारण उस दरबार का पक्षपात करने के लिये लालच अथवा इनाम की भांति स्वीकार किया तो देवदत्त ने इस दफ़ा में लक्षण किया हुआ अपराध किया ॥

(उ) देवदत्त किसी सर्वसम्बन्धी नौकर ने विष्णुमित्र को इस झूंठी बात मानलेने का धोखा दिया कि देवदत्त की सिफ़ारश के कारण विष्णु मित्र को गवर्नमेन्ट से ख़िताब मिला है और इस भांति फुसलाने से गवर्न-

मेन्ट ने कुछ रुपया देवदत्त को इस काम के बनादेने के लिये इनाम की भांति दिया तो देवदत्तने इस दफ़ामें लक्षण किया हुआ अपराध किया—

लेना घूंसका किसी सर्वसम्बन्धी नौकर को बुरे अथवा क़ानून विरुद्ध उपाय से फुसलाने के निमित्त—

( १६२ ) जो कोई मनुष्य अपने निमित्त अथवा किसी दूसरे मनुष्य के निमित्त किसी सर्व सम्बन्धी नौकर को अपने ओहदे का कुछ काम करने अथवा न करने के लिये अथवा अपने ओहदेका अधिकार वर्त्तने में किसी मनुष्य के साथ पक्षपात अथवा द्रोह करने अथवा क़ानूनकारक या क़ानून प्रवर्त्तक गवर्नमेन्ट हिन्दके सामने अथवा किसी हाते की गवर्नमेन्ट के सामने अथवा किसी लेफ्टनेन्ट गवर्नर के सामने अथवा किसी सर्व सम्बन्धी नौकर के सामने किसी मनुष्य का कछ काम बनादेने या बिगाड़ देने के लिये अथवा बनादेने या बिगाड़देनेका उद्योग करने के लिये किसी बुरे अथवा क़ानून विरुद्ध उपायसे फुसलाने के बदले कुछ घूंस किसी मनुष्य से लालच अथवा इनामकी भांति स्वीकार अथवा प्राप्त करैगा अथवा स्वीकार करने को राज़ी होगा अथवा प्राप्त करनेका उद्योग करेगा उसको दंड दोनों मेसे किसी प्रकारकी क़ैदका जिसकी म्याद तीनबरस तकहो सकेगी अथवा जरीमानेका अथवा दोनों का किया जायगा॥

लेनाघूंसका किसी सर्वसम्बन्धी : को निजकी सिफ़ारश करने के लिये—

( १६३ ) जो कोई मनष्य अपने निमित्त अथवा किसी दूसरे मनुष्य के निमित्त किसी सर्व सम्बन्धी नौकरको अपने ओहदेका काम करने अथवा न करने के लिये अथवा क़ानूनकारक या क़ानून प्रवर्त्तक

गवर्नमेन्ट हिन्दके सामनें अथवा किसी हातेकी गवर्नमेन्ट हिन्दके सामने अथवा लेफ्टनेन्ट गवर्नरके सामने अथवा किसी सर्व सम्बन्धी नौकर के सामने किसी मनुष्यका कुछ काम बना देने या बिगाड़ देनेके लिये अथवा बना देने का उद्योग करने के लिये अपनी निज सिफारशसे फुसलाने के बदले कुछ घूंस किसी मनुष्यसे लालच अथवा इनाम की भांति स्वीकार अथवा प्राप्त करेगा अथवा स्वीकार करनेको राज़ी होगा तो उसको दंड साधारण कैदका जिसकी म्याद तीनबरस तक होसकेगी अथवा ज़रीमाने का अथवा दोनोंका किया जायगा ॥

## उदाहरण.

कोई वकील हो हाकिम के सामने किसी मुकद्दमे में प्रश्नोत्तर करने के लिये मेहनताना ले और कोई मनुष्य जो किसी ऐसी अरज़ी को जिसमें अरज़ी देनेवालों की कारगुजारी अथवा दावा लिखकर गवर्नमेन्ट को दियाजायगा शुद्ध करने के लिये तलब पावै और कोई तनख्वाह कारिन्दा किसी दंड के किये हुए अपराधी का जो गवर्नमेन्ट के सामने कुछ लेख इस आशय का जिससे उस दंड की आज्ञा का अयोग्य होना प्रगट हो पेश करै इस दफ़ा में न गिने जायंगे क्योंकि वे निज की सिफारश नहीं करते और न करने की प्रतिज्ञा करते हैं ॥

ऊपर किये हुए वर्णन अपराधों में सर्व सम्बन्धी नौकर की ओर से सहायता होने के लिये दंड—

(१६४) जो कोई सर्वसम्बन्धी नौकर हो और उसके नाम से पिछली दो दफों में लक्षण किये हुये अपराधों मे से कोई अपराध किया जाय वह कदाचित् उस अपराध में सहायता देगा तो उसको दंड दोनों मे से किसी प्रकार की कैद का जिसकी म्याद तीन बरस तक होसकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनोंका कियाजायगा ॥

## उदाहरण.

देवदत्त कोई सर्वसंबंधी नौकर है उसकी स्त्री हरदेवी ने देवदत्त से विनती करने के किसी मनुष्य को कोई नौकरी दिलाने के बदले कुछ भेंट लालच की भांतिले ली और देवदत्त ने ऐसा करने में उसकी सहायता दी तो हरदेवी योग्य किसी कैद के जिसकी म्याद एक बरस से अधिक न होंगी अथवा जरीमाने के अथवा दोनों के होगी और देवदत्त योग्य कैद के जिसकी म्याद तीन वरस तक होसकेगी अथवा जरीमाने अथवा दोनों के होगा॥

सर्ब सम्बन्धी नौकर जो कुछ मोलदार बस्तु बिना बदला दिये किसी मनुष्य से ले जिस का कुछ स्वार्थ उससर्बसंबंधी नौकरके कियेहुए किसी मुक़-द्दमे अथवा काम में हो—

(१६५) जो कोई सर्ब संबंधी नौकर होकर अपने अथवा किसी दूसरे मनुष्य के निमित्त कोई मोलदार बस्तु बिना उसका बदला दिये अथवा ऐसा बदला देकर जिसको वह जानता हो कि यथार्थ नहीं है किसी मनुष्य से जिसको वह जानता हो कि इसका कुछस्वार्थ किसी मुक़द्दमे में अथवा काम में जिसको मैंने किया है अथवा मैं करने को हूँ आगे था या अब है या आगे होगा अथवा इसका कुछ सम्बन्ध मेरे ओहदे के काम में है अथवा जिस सर्व संबंधी नौकर का मैं आधीन हूँ उस के ओहदे के काम से है अथवा किसी मनुष्य से जिसको वह जानता हो कि इस भांति स्वार्थ रखने रखनेवाले मनुष्य से सम्बन्ध अथवा स्वार्थ रखता है स्वीकार अथवा प्रीति करेगा अथवा स्वीकार करने को राज़ी होगा अथवा प्रीति करने का उद्योग करेगा उसको दंड दोनों मे से किसी प्रकार की कैद का जिसकी म्याद

दो बरस तक होसकेगी अथवा जरीमाने अथवा दोनोंका किया जायगा ॥

## उदाहरण.

(अ) देवदत्त किसी कलक्टर ने एक मकान विष्णुमित्र का जिसका कोई बंदोबस्त का मुक़द्दमा उसके सामने दायर था भाड़े पर लिया और यह ठहरी कि देवदत्त पचासरुपये देगा और वह मकान ऐसा है कि कदाचित् शुद्धभावसे मामला किया जाता तो देवदत्त को दोसौ रुपया महीना देना पड़ता यहां देवदत्त ने विष्णुमित्र से मोलदार वस्तु विना यथार्थ बदला दिये प्राप्त की ॥

(इ) देवदत्त किसी हाकिम ने विष्णुमित्र से जिसका कोई मुक़द्दमा देवदत्त की कचहरी में दायर है गवर्नमेन्ट का प्रामेसरी नोट उस समय जबकि वेबजार में बढ़ती पर विकते थे बट्टे से मोल लिये तो देवदत्त ने मोलदार वस्तु विस्णुमित्र से विना यथार्थ बदला दिये प्राप्त की ॥

(उ) विष्णुमित्र का भाई हलफदरोगी के मुक़द्दमे में गिरिफ्तार होकर देवदत्त नाम किसी मजिस्ट्रेट के सामने लायागया देवदत्त ने विष्णुमित्र को किसी बंककोठी के हिस्से बढ़ती परबेचे उससमय जबकि वेबजार में बट्टे से विकते थे और विष्णुमित्र ने देवदत्त को उसी अनुसार हिस्सों का मोल चुकादिया तो जो रुपया देवदत्त ने इस भांति प्राप्त किया वह मोलदार वस्तु है जिसको उसने बिना यथार्थ बदला दिये प्राप्त किया ॥

सर्बसंबंधी नौकर जो किसी मनुष्य को हानि पहुंचाने के प्रयोजन से क़ानूनकी आज्ञा को उल्लंघन करना—

(१६६) जो कोई मनुष्य सर्ब सम्बन्धी नौकर होकर क़ानून की किसी आज्ञा को जिसमें उसके लिये सर्ब संबंधी नौकरी भुगताने की रीति हो जानबूझकर न मानगा इस प्रयोजन से अथवा यह बात जानकर कि इस आज्ञा के उल्लंघन से किसी मनुष्य को हानि पहुंचेगी उसको दंड साधारण क़ैदका जिसकी म्याद एक बरस तक होसकेगी

अथवा जरीमाने का अथवा दोनोंका किया जायगा ॥

## उदाहरण.

देवदत्त एक अहलकारने जिसको क़ानून की आज्ञा है कि किसी ऐसी डिगरी के इजराय में जो कि अदालत से विष्णुमित्रके पक्षापातमें होचुकी है कुछ माल कुरक करै जानबूझकर क़ानून की उस आज्ञा को उल्लंघन किया और यहबात जानली कि इससे विष्णुमित्र को हानिपहुंचनी अति संभवित है तो देवदत्तने इस दफ़ामें लक्षण किया हुआअपराध किया ॥

सर्ब सम्बन्धी नौकर जो हानि पहुंचाने के प्रयोजन से कुछ अशुद्ध लिखतम बनावै—

(१६७) जो कोई मनुष्यसर्ब सम्बन्धी नौकर होकर और सर्ब संबंधी नौकर होने के कारण किसी लिखितम को ऐसी रीतिसे बनाने अथवा उल्था करनेका अधिकार पाकर उस लिखतम को ऐसी रीतिसे जिसको वह जानता या मानताहो कि अशुद्ध है किसी मनुष्यको हानि पहुंचाने के प्रयोजनसे अथवा हानि पहुंचनी अति संभवित जानकर बनावेगा अथवा उल्था करेगा उसको दंड दोनों मेसे किसीप्रकारकी क़ैदका जिसकी म्याद ३ बरसतक होसकेगी अथवा जरीमानेका अथवा दोनोंका किया जायगा ॥

सर्ब सम्बन्धी नौकर जो क़ानूनकी आज्ञाके विरुद्ध व्यौपार करै—

(१६८) जो कोई मनुष्य सर्ब सम्बन्धी नौकर होकर और सर्ब सम्बन्धी नौकरहोनेकेकारण आधीन इस क़ानूनीआज्ञाका होकर कि उसको व्यौपार करना वर्जितहै कुछ व्यौपार करैगा उसको दंड साधारण क़ैदका जिसकी म्याद एक बर्षतक होसकेगी अथवा जरीमानेका अथवा दोनोंका किया जायगा ॥

सर्व सम्बन्धी नौकर जो क़ानूनकी आज्ञाके विरुद्ध कुछ बस्तु मोललेे या लेनेके लिये बोली बोलै–

(१६९) जो कोई मनुष्य सर्व सम्बन्धी नौकर होकर और सर्व सम्बन्धी नौकर होने के कारण आधीन इस क़ानूनीआज्ञाका होकर कि उसको फलानी बस्तुका मोललेना अथवा मोललेनेके लिये बोली बोलना वर्जितहै उसी बस्तुको अपने नामसे अथवा दूसरे के नामसे अथवा दूसरों के संगमें या साझेमें मोल लेगा अथवा लेनेके लिये बोली बोलेगा उसको दंड साधारण क़ैदका जिसकी म्याद दोबरसतक होसकेगी अथवा जरीमानेका अथवा दोनोंका किया जायगा और वह बस्तु कदाचित् मोललेली गईहो तो ज़प्तीकी जायगी॥

सर्व सम्बन्धी नौकर का मिस करना–

(१७०) जो कोई मनुष्य किसी ओहदेपर सर्व सम्बन्धी नौकर होनेका मिस करेगा यहबात जानबूझकर कि मैं इस ओहदेपर नौकर नहींहूं अथवा झूंठमूंठ उस मनुष्यका रूप धरैगा जो उस ओहदेपर नौकरहो और इस साधारण कियेहुए रूपमें उस ओहदे के मिससे कुछ काम करैगा उसको दंड दोनों मेसे किसी प्रकारकी क़ैदका जिसकी म्याददो बरस तक होसकेगी अथवा जरीमानेका अथवा दोनोंका किया जायगा॥

सर्व सम्बन्धी नौकरकी वरदी पहिरना अथवा चिन्ह रखना छल छिद्रके प्रयोजनसे–

(१७१) जो कोई किसी विशेष प्रकारका सर्व सम्बन्धी नौकर न होकर कोई वरदी अथवा चिह्न जो उसी प्रकारके सर्व संबंधी नौकरों की बरदी अथवा चिह्नके सदृशहो पहनेगा इस प्रयोजनसे अथवा यह संभावित जानताहो कि उसी प्रकार नौकरों में प्रतीति

किया जायगा उसको दंड दोनों मेसे किसी प्रकार कैदकी जिसकी म्याद तीन महीनेतक होसकेगी अथवा जरीमाने जो दोसौरु० तक होसकेगा अथवा दोनोंका किया जायगा ॥

# अध्याय १०

## सर्व संबंधी नौकरों के नीति पूर्वक अधिकार का अपमान करने के विषय में ।

सर्व सम्बन्धी नौकरके जारीकिये हुए सम्मन अथवा और किसी आज्ञा पत्रके जारी होनेसे बचने के लिये रूपोश होना—

( १७२ ) जो कोई मनुष्य किसी सर्व संबंधी नौकर के जिसको क़ानूनानुसार अधिकारसम्मन अथवा इत्तलायनामा अथवा हुक्मनामा जारी करनेकाहो जारी किये सम्मन अथवा इत्तलायनामा अथवा हुक्मनामेके जारी होनेसे बचने केलिये रूपोश होना उसको दंड साधारण कैदका जिसकी म्याद एक महीनेतक होसकेगी अथवा ज़रीमानेका जो पांचसौ रुपये तक होसकेगा अथवा दोनोंका किया जायगा॥

और कदाचित् वह सम्मन या इत्तलायनामा या हुक्मनामः अदालत जसटिस में असालतन या मुख़्त्यारतन हाज़िर होने के लिये अथवा कुछ खिदमत पेश करने के लिये हो तो दंड साधारण क़ैद का जिसकी म्याद छः महीने तक होसकेगी अथवा जरीमाने का जो एक हजार रु० तक होसकेगा अथवा दोनों का किया जायगा ॥

रोकना किसी सम्मन अथवा और प्रकार के हुक्मनामे का जारी होने से अथवा प्रकट कियेजाने से—

( १७३ ) जो कोई मनुष्य कुछ प्रयोजन करके अपने ऊपर अथवा और किसी

मनुष्य के ऊपर जारी होना किसी सम्मन अथवा इत्तलायनामा अथवा हुक्मनामा का जिसके जारी होने की आज्ञा किसी ऐसे सर्व संबंधी नौकर ने दीहो जिसको क़ानूनानुसार अधिकार सम्मन अथवा इत्तलायनामा अथवा हुक्मनामा जारी करने का किसी भांति रोकैगा अथवा इसीप्रकार के सम्मन अथवा इत्तलायनामा अथवा हुक्मनामा का किसी जगह नीतिपूर्वक लगाया जाना-जान बूझकर रोकैगा अथवा इसीप्रकार के किसी सम्मन अथवा इत्तलायनामे या हुक्मनामे को किसी जगह से जहां वह नीतिपूर्वक लगाया हो जान बूझकर हटावेगा अथवा नीतिपूर्वक प्रगट होना किसी इश्तिहार का जिस के प्रगट होने की आज्ञा किसी ऐसे सर्व सम्बंधी नौकर ने दीहो जो उसके प्रगट किये जाने की आज्ञा देने का क़ानूनानुसार अपने ओहदे के प्रताप से अधिकारी हो जान बूझकर रोकैगा उसको दंड साधारण क़ैद का जिस की म्याद एक महीने तक होसकेगी अथवा जरीमाने का जो पांच सौ रुपया तक होसकेगा अथवा दोनों का किया जायगा ॥

और कदाचित् वह सम्मन या इत्तलायनामा या हुक्मनामा या इश्तिहार अ़दालत में असालतन वा मुख़्तारतन हाज़िर होने अथवा कोई लिखतम पेश करने के लिये हो तो दंड साधारण क़ैद का जिसकी म्याद छः महीने तक होसकेगी अथवा जरीमानेका जो एकहजाररु० तक होसकेगा अथवा दोनों का किया जायगा ॥

सर्व संबंधी नौकर को आज्ञानुसार हाजिर होने में चूकना-

(१७४) जो कोई मनुष्य जिसको अ़दालतन या

मुख़्त्यारन हाज़िर होना किसी नियत स्थान और नियत समय पर किसी ऐसे सम्मन या इत्तिलायनामे या हुक्म नामे या इश्तिहार किसी अदालत जसटिस में असालतन या मुख़्त्यारतन होने के लिये हो तो दंड साधारण क़ैद का जिसकी म्याद छः महीने तक होसकेगी अथवा जरीमाने का जो एक हज़ार रु० तक होसकेगा अथवा दोनों का किया जायगा॥

## उदाहरण.

(अ) देवदत्त जिसपर क़ानूनानुसार अवश्य था कि कलकत्ते में सुप्रीम-कोर्ट के सामने उसी कोर्ट के जारी किये हुए सफीने के अनुसार हाज़िर होता जानबूझ कर हाज़िर होने से चूका तो देवदत्त ने इस दफा में लक्षण किया हुआ अपराध किया॥

(इ) देवदत्त जिसपर क़ानूनानुसार अवश्य था कि किसी जिला जज के सामने उसी जिला के जंज के जारी किये सम्मन के अनुसार गवाही देने को हाज़िर होता हाज़िर होने से चूका तो देवदत्त ने इस दफ़ा में लक्षण कियाहुआ अपराध किया॥

किसी सर्व संबंधी नौकर के सामने कोई लिखतम पेश करने से चूकना किसी ऐसे मनुष्य का जिसपर उस लिखतम का पेश करना अवश्यहो—

(१७५) जो कोई मनुष्य जिसपर किसी सर्व संबंधी नौकर के सामने कोई लिखतम पेश करनी अथवा देना क़ानून अनुसार अवश्य हो जान बूझकर उस लिखतम के पेश करने से या देने से चूकेगा उसको दंड साधारण क़ैद का ज़िसकी म्याद एक महीने तक होसकेगी अथवा जरीमाने का जो पांचसौ रुपया तक होसकेगा अथवा दोनों का किया जायगा॥

और कदाचित् पेश होना अथवा दिया जाना उस

लिखतम का किसी अदालत जसटिस में अवश्य हो तो दंड साधारण कैद का जिसकी म्याद छः महीने तक होसकेगी अथवा जरीमानेका अथवा दोनोंका कियाजायगा॥

## उदाहरण.

देवदत्त जिसपर कानूनानुसार अवश्य था कि किसी ज़िले की अदालत में कोई लिखतम पेश करै जान बूझकर उसके पेश करने से चूंका तो देवदत्त ने इस दफ़ा में लक्षण किया हुआ अपराध किया ॥

किसी सर्व संबंधी नौकर को इत्तलाय देने अथवा ख़बर पहुंचाने से चूकना किसी ऐसे मनुष्य का जिसपर उस इत्तला अथवा ख़बर पहुंचना कानूनानुसार अवश्य है—

( १७६ ) जो मनुष्य जिसपर सर्व किसी सम्बन्धी नौकरकी किसी बात की इत्तलाय अथवा ख़बर पहुंचानी क़ानूनानुसार अवश्य हो जानबूझ कर क़ानून में आज्ञा कियेहुए प्रकार और समय पर उस इत्तला अथवा ख़बर के देने से चूकेगा उसको दंड साधारण कैद का जिसकी म्याद एक महीने तक होसकेगी अथवा जरीमाने का जो पांचसौ रु० तक होसकेगा अथवा दोनों का किया जायगा और कदाचित् वह इत्तला अथवा ख़बर के देने से चूकेगा उसको दंड साधारण कैद का जिसकी म्याद एक महीने तक होसकेगी अथवा दोनों का किया जायगा और कदाचित् वह इत्तला अथवा ख़बर जिसका पहुंचना अवश्य हो कुछ अपराध होजाने के मध्ये अथवा किसी अपराध का होना रोकने के लिये अथवा किसी अपराधी के पकड़ने के विषय में हो तो दंड साधारण कैद का जिसकी म्याद छः महीने तक होसकेगी अथवा जरीमाने का जो एक हज़ार रुपये तक होसकेगा अथवा दोनों का किया जायगा ॥

इत्तला देना ] ( १७७ ) जो कोई मनुष्य जिसपर किसी सर्व संबंधी नौकर की किसी बात इत्तला पहुंचानी क़ानूनानुसार अवश्य हो उसी बात के मध्ये कोई इत्तला जिस को वह झूठी जानता हो अथवा झूठी जानने का हेतु रखता हो सच्ची कहकर पहुंचावेगा उसको दंड साधारण क़ैद का जिसकी म्याद छः महीने तक होसकेगी अथवा जरीमाने का जो एक हज़ार रु० तक होसेकगा अथवा दोनों का किया जायगा और कदाचित् वह इत्तला जिस का पहुंचाना क़ानूनानुसार अवश्य हो कुछ अपराध होजाने के मध्ये अथवा किसी अपराध का होना रोकने के लिये अथवा किसी अपराधी को पकड़ने के विषय में हो तो दंड दोनों मे से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दो बरस तक होसकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

## उदाहरण.

(अ) देवदत्त किसी ज़मींदार ने यह बात जानकर कि उसके गांव की सीमा के भीतर कोई ज्ञातघात होगया है जानबूझकर किसी जिले के मजिस्ट्रेट को झूठी ख़बर दी कि यह मृत्यु अकस्मात सांप के काटने से हुई तो देवदत्त इस दफा में लक्षण कियेहुए अपराध का अपराधी हुआ ॥

(इ) देवदत्त किसी गांव के चौकीदार ने यहबात जानली कि अनजाने मनुष्यों का एक बड़ा समूह उसके गांव में होकर विष्णुमित्र एक धनाढ्य सौदागर के मकान पर जो वहां से नगीच के एक गांव में था डाका डालने को गया है और देवदत्त पर बंगाले हाते के क़ानून ३ सन् १८८१ ई० की ७ दफ़ा जिम्न ५ के अनुसार अवश्य था कि तुरंत और ठीक २ इत्तला ऊपर कहीहुई बात की चौकी पुलिस के अफ़सर को पहुंचावै परन्तु उसने जान बूझकर पुलिस के अफ़सर को झूठी ख़बर दी कि गांव में

होकर भर मिले मनुष्यों का समूह फलानी जगह पर जो उधर से जिधर वह समूह गया था दूसरी ओर दूर पर था डांका. डालने के प्रयोजन से गया है तो यहां देवदत्त इस दफ़ा के पिछले भाग में लक्षण कियेहुये अपराध का अपराधी हुआ ॥

सौगन्द करने से नटना उस समय जबकि कोई सर्व सम्बन्धी नौकर सौगन्द करने की आज्ञादे—

( १७८ ) जो कोई मनुष्य सत्यबोलने की सौगंद करने से नाहीं करैगा उस समय जबकि कोई सर्व सम्बन्धी नौकर जो क़ानूनानुसार सौगंद कराने का अधिकारी हो उससे सौगंद करावै उसको दंड साधारण क़ैदका जिसकी म्याद छः महीने तक होसकती है अथवा जरीमाने का जो एक हज़ाररु० तक होसकैगा अथवा दोनों का किया जायगा ॥

उत्तर न देना किसी सर्व सम्बन्धी नौकर के प्रश्नका जिसको प्रश्न करनेका अधिकार हो—

( १७९ ) जो कोई मनुष्य जिसपर किसी सर्व सम्बन्धी नौकर के सामने किसी विषय में सच्चा इज़हार देना क़ानून अनुसार अवश्य हो किसी ऐसे प्रश्नका जो उसी विषय में उसी सर्व संबंधी नौकरने अपने क़ानूनानुसार अधिकार के वर्त्तने में उससे पूछा हो उत्तर देनेसे नाहीं करैगा उसको दंड साधारण क़ैदका जिसकी म्याद छः महीनेतक होसकेगी अथवा जरीमाने का जो एक हज़ाररु० तक होसकेगा अथवा दोनोंका किया जायगा ॥

इज़हारपर दस्तख़त करनेसे नाहीं करना

( १८० ) जो कोई मनुष्य अपने इज़हार पर दस्तख़त करने से नाहीं करैगा उस समय जबकि उसको दस्तख़त करने की आज्ञा कोई सर्व संबंधी नौकर जो क़ानूना अनुसार ऐसी आज्ञा देनेका

अधिकारहो दे उसको दंड साधारण क़ैदका जिसकी म्याद ३ महीनेतक होसकेगी अथवा जरीमाने का जो पांचसौरु० तक होसकेगा अथवा दोनोंका किया जायगा ॥

सौगंद करके झूंठा इज़हार देना उस मनुष्य के सामने अथवा सर्व नौकर जो क़ानूनानुसार सौगंद करानेका अधिकारीहो-

( १८१ ) जो कोई मनुष्य जिसपर किसी विषय में किसी सर्व संबंधी नौकर के सामने अथवा और किसी मनुष्यके सामने जो क़ानून अनुसार सौगंद कराने का अधिकारी हो सौगंद करके सच्चा इज़हार देना अवश्यहो उसी सर्व संबंधी नौकर अथवा और मनुष्यके सामने सौगंद करके उसी विषय में कोई इज़हार जो झूंठाहो और जिसको वह यानी झूंठा जानताहो या मानताहो या सच्चा न मानता हो देगा उसको दंड दोनों मेसे किसी प्रकारकी क़ैदका जिसकी म्याद तीन बेरसतक होसकेगी किया जायगा और और जरीमाने के भी योग्य होगा ॥

झूंठी खबर देना इस प्रयोजनसे कि कोई सर्व संबंधी नौकर अपना क़ानूनानुसार अधिकार काममें लावै और उससे दूसरे मनुष्य को हानि पहुंचै-

(१८२) जो कोई मनुष्य किसी सर्वसंबंधी नौकरकी कोई ख़बर जिसको वह जानता या मानताहो देगा इस प्रयोजनसे अथवा यह बात अति संभवित जानकर कि इससे वह सर्व संबंधी नौकर अपने क़ानूनानुसार अधिकारको वर्त्तेगा और उससे किसी मनुष्यको नुक्सान अथवा क्लेश पहुंचैगा अथवा वह सर्व संबंधी नौकर कोई ऐसा काम करैगा या करने से चूकेगा जिसका करना अथवा चूकना उसपर उचित न होता कदाचित् वह सच्चाहाल उसबातका जिसके मध्ये ख़बर दीगई जानलेता

उसको दंड दोनों मेसे किसी प्रकारकी कै़दका जिसकी म्याद छः महीनेतक होसकेगी अथवा दोनों का किया जायगा ॥

(अ) देवदत्त किसी मजिस्ट्रेट को जिसके आधीन पुलिस का एक अहिलकार विष्णुमित्र था यह बात जानकर कि यह ख़बर झूंठी है और इससे अति संभवित है कि वह मजिस्ट्रेट विष्णुमित्र को नौकरी से छुड़ावेगा ख़बर दी कि विष्णुमित्र अपने काम में असावधानी अथवा कुचाल का अपराधी हुआ तो देवदत्त ने इस दफ़ा में लक्षण किया हुआ अपराध किया ॥

(इ) देवदत्त ने यह बात जानकर कि यह ख़बर झूंठी है और इससे विष्णुमित्र के मकान की तलाशी होनी और विष्णुमित्र को क्लेश पहुंचना अति संभवित है किसी सर्वसम्बन्धी नौकर को ख़बरदी कि विष्णुमित्र ने एक गुप्त मकान में चोरी का नमक रक्खा है तो देवदत्त ने इस दफ़ा में लक्षण कियाहुआ अपराध किया ॥

सामना करना किसी वस्तुके लिये जाने में जो किसी सर्व सम्बन्धी नौकर की नीति पूर्वक आज्ञासे लीजाय–

(१८३) जो कोई मनुष्य किसी वस्तुके लिये जाने में जो किसी सर्व सम्बन्धी नौकर की नीति पूर्वक आज्ञासे ली जातीहो यह बात जानकर अथवा जानने का हेतु पाकर कि यह नौकर सर्व संबंधी है सामना करैगा उसको दंड दोनोंमेसे किसीप्रकार की कै़दका जिसकी म्याद छः महीने तक अथवा जरीमाने का जो एकहज़ाररु० तक होसकेगा अथवा दोनों का किया जायगा ॥

रोकना किसी ऐसी बस्तु के नीलाम का जो किसी सर्व संबंधी नौकर की नीति पूर्वक आज्ञा से नीलामपर चढ़ीहो

(१८४) जो कोई मनुष्य जानबूझकर किसी ऐसी बस्तु के नीलाम को ले सकेगा जिसको वह जानता हो अथवा जाननेका हेतु रखता

हो कि किसी सर्व संबंधी नौकर की नीति पूर्वक आज्ञा से नीलामपर चढ़ी है उसको दंड दोनों मेसे किसी प्रकार की क़ैदका जिसकी म्याद एक महीने तक होसकेगी अथवा जरीमाने का जो पांचसौ रु० होसकेगा अथवा दोनोंका किया जायगा ॥

क़ानून विरुद्ध मोल लेना या मोल लेने की बोली बोलना किसी एमी वस्तुके लिये जो किसी सर्व संबंधी नौकर की आज्ञासे नीलामहो–

( १८५ ) जो कोई मनुष्य किसी वस्तुको जो किसी सर्व सम्बन्धी नौकर की नीति पूर्वक आज्ञा से नीलामपर चढ़ीहो वह आप चाहै किसी मनुष्य के लिये हो और कोई जिसको वह जानताहो कि उस नीलाम में उस वस्तु के मोललेने को क़ानून अनुसार असमर्थ है मोल लेगा अथवा लेने के लिये बोली बोलेगा अथवा यह प्रयोजन करके बोली बोलेगा कि इस बोली के बोलने से कुछ आवश्यकता उसके ऊपर आतीहो उसको न उठावेगा उसको दंड दोनों मेसे किसी प्रकार की क़ैदका जिसकी म्याद एक महीने तक होसकेगी अथवा जरीमाने का जो दोसौ रु० होसकेगा अथवा दोनों का किया जायगा ॥

किसी सर्व सम्बन्धी नौकरको अपनी नौकरीका काम भुगताने में रोकना–

( १८६ ) जो कोई मनुष्य जान बूझकर किसी सर्व संबंधी नौकर को अपनी नौकरीका काम भुगताने में रोकैगा उसको दंड दोनों मेसे किसी प्रकार की क़ैदका जिसकी म्याद तीन महीनेतक होसकेगी अथवा जरीमानेका जो पांचसौ रु० तक होसकेगा अथवा दोनों का किया जायगा ॥

किसी सर्व सम्बन्धी नौकरको सहायता देनेसे चूकना उस अवस्थामें जबकि सहायता देना क़ानून अनुसार अवश्यहो–

(१८७) जो कोई मनुष्य जिसपर क़ानून अनुसार करना अथवा पहुंचाना सहायता का किसी सर्व संबंधी नौकर को अपनी नौकरीका काम भुगताने में अवश्यहो जान बूझकर सहायता देनेसे चूकैगा उसको दंड दोनों मेसे किसी प्रकारकी क़ैदका जिसकी म्याद एक महीने तक होसकैगी अथवा जरीमाने का दोसौ रु० तक होसकैगा अथवा दोनों का किया जायगा ॥

और कदाचित् वह सहायता उससे किसी सर्व संबंधी नौकर ने जो क़ानून अनुसार अधिकारी सहायता मांगने काहो किसी अदालत के क़ानून पूर्वक हुक्मनामे के भुगताने के लिये अथवा किसी अपराध का होना रोकने के लिये अथवा दंगा या खानेजंगी मिटाने के लिये अथवा किसी मनुष्य को जिसपर कोई अपराध लगाया गयाहो अथवा जो अपराधी किसी अपराध का अथवा क़ानूनानुसार बंधि से भागजानेकाहो पकड़ने के लिये मांगी हो तो दंड साधारण क़ैदका जिसकी म्याद छः महीने तक हो सकैगी अथवा जरीमाने का जो पांचसौ रु० तक होसकैगा अथवा दोनोंका किया जायगा ॥

नमानना किसी आज्ञा को जो किसी सर्व संवंधी नौकर ने यथोचित् दीहो

(१८८) जो कोई मनुष्य यह बात जानबूझ कर कि मुझपर किसी सर्व संवंधी नौकर की आज्ञानुसार जो नीतिपूर्वक उस आज्ञा के देने का अधिकारी है कोई काम करना बर्जित है अथवा किसी बस्तु के मध्ये जो मेरे कब्ज़े अथवा बंदोबस्त है कोई काम करना उचित

है उस आज्ञा को न मानेगा उसको कदाचित् उस न मानने से रोक अथवा कलेश अथवा हानि किसी मनुष्य को जो नीतिपूर्वक काम पर लगाया गया हो होजाय अथवा होजाना अति संभवित होजाय अथवा होने की जोखिम होजाय तो दंड साधारण क़ैद का जिसकी म्याद एक महीने तक होसकेगी अथवा जरीमाने का जो दो सौ रु० तक होसकेगा अथवा दोनों का किया जायगा ॥

और कदाचित् उसने मानने से जोखिम मनुष्य के जीव अथवा अरोग्यता अथवा कुशलता को होजाय अथवा होना अति संभवित हो अथवा कोई दंगा या खानेजंगी होजाय या होना अति संभवित हो तो दंड दोनों मे से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद छः महीने तक होसकेगी अथवा जरीमाने का जो हज़ार रु० तक होसकेगा अथवा दोनों का किया जायगा ॥

बिवेचना—यह कुछ अवश्य नहीं है कि अपराधी का प्रयोजन ज्यान पहुंचाने से ही हो अथवा यह आज्ञा न मानने से ज्यान पहुंचना उसने अति संभवित समझ लिया हो इतना ही बहुत है कि जिस आज्ञा को उसने न माना उसको वह जानता हो कि दी गई है और उसी आज्ञाको न माननेसे ज्यान होजाय अथवा होजाना अति संभवित हो ॥

## उदाहरण.

आज्ञा किसी सर्व सम्बन्धी नौकर की जो क़ानूनानुसार ऐसी आज्ञा जारी करने का अधिकारी है जारीकी कि सम्प्रदाय फलानी गली में हो कर समाज से निकले और देवदत्त ने जानबूझकर उस आज्ञा को नमाना और इस दंगे का संदेह हुआ तो देवदत्त ने इस दफ़ा में लक्षण कियाहुआ अपराध किया ॥

सर्व सम्बन्धी नौकर को हानि पहुँचाने की धमकी— } (१८९) जो कोई मनुष्य हानि पहुंचाने की धमकी किसी सर्व संबन्धी नौकर को अथवा और किसी मनुष्य को जिसमें वह जानता हो कि उस सर्व संबन्धी नौकर का कुछ स्वार्थ है दिखावैगा इस प्रयोजन से कि उस सर्व सम्बन्धी नौकर से उसके सर्व संवन्धी अधिकार के मध्ये कुछ काम करावै उसको दंड दोनों मे से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दो बरस तक होसकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

हानि पहुंचानेकी धमकी इसलिये कि कोई मनुष्य किसी सर्व सम्बन्धी नौकरसे रक्षा मांगनेसे रुकजाय— } (१९०) जो कोई मनुष्य हानि पहुंचाने की धमकी किसी मनुष्य को इस निमित्त देगा कि वह मनुष्य किसी हानि से बचने के लिये किसी सर्व सम्बन्धी नौकर से जिसको क़ाननानुसार रक्षा मांगने से रुकजाय अथवा बैठ रहै दिखलावैगा उसको दंड दोनों मेसे किसी प्रकार की क़ैदका जिसकी म्याद एक बरसतक होसकेगी अथवा जरीमानेका अथवा दोनों का किया जायगा ॥



# अध्याय ११



## झूंठी गवाही और सर्वसंबंधी न्यायमें बिघ्नडालने वाले अपराधों के विषय में ।

झूंठी गवाही देना ] (१९१) जो कोई मनुष्य जिसपर सौगंद ले लेने के कारण अथवा क़ानूनके किसी स्पष्ट लेखके

कारण सच्चबरण करना क़ानूनानुसार अवश्यहो अथवा किसी विषय में सच्चा इज़हार देना अवश्यहो कोई ऐसा बयान करै जो झूंठाहो और जिसको वह जानताहो ख्वाह झूंठा इक़रार करताहो जिसको वह सच्चा जानताहो तो कहा जायगा कि उसने झूंठी गवाहीदी ॥

बिवेचना १—कोई बयान आम इससे कि वह जवान से किया जाय या किसी और तरह इस दफ़ा की मुराद में दाख़िल है ॥

बिवेचना—२—कोई झूंठा बयान जो तसदीक़ करनेवाला मनुष्य अपनी दानिस्त की निस्बत करै इस दफ़ा की मुराद में दाख़िल है और जैसे कोई मनुष्य यह बयान करने से कि मैं फलानीबात जानताहूं जिसको वह न जानता हो झूंठी गवाही देनेका मुजरिम है वैसही वह मनुष्यभी झूंठी गवाही देनेका अपराधी होसक्ता है जो बयान करै कि मैं फलानी बातको जानताहूं जिसको वह जानताहो ॥

## उदाहरण.

(अ) देवदत्त एक वाजबी दावा के वाब में जो एक हज़ार रु० का है विष्णुमित्र हरमित्र पर रखता हो मुक़द्दमे की दरपेशी के वक्त झूंठी सौगंद उठाये कि मैंने हरमित्र को विष्णुमित्र के दावा का वाजबी होने का इक़बाल करते सुना है तो देवदत्त ने झूंठी गवाही दी ॥

(इ) देवदत्त जिसपर सौगंद की रू से सच २ बयान करना वाजिब है यह बयान करै कि मैं जानता हूं कि फ़लानी दस्तखत हरमित्र के हाथ की लिखी हुई जानता हूं तो देवदत्त ने वह बयान किया जिसको वह झूंठा जानता हूं और इसलिये उसने झूंठी गवाही दी ॥

(उ) देवदत्त जो हरमित्र के लिखने की शान पहचानता है यह बयान करै कि मैं जानता हूं कि फ़लानी दस्तखत हरमित्र के हाथ की लिखी

हुई है और नेक नियती से ऐसाही जानता हो तो इस सूरत में देवदत्तका बयान सिर्फ अपनी दानिस्त की निस्बत है और वह उसकी दानिस्त की निस्बत सच्चा है और इसलिये देवदत्त ने झूंठी गवाही दी नहीं गो वह दस्तखत हरमित्र के हाथकी लिखी नहो॥

(ए) देवदत्त जिसपर एक सौगन्दकीरूसे सच२बयान करना वाजिब है यह बयान करै कि मैं जानता हूं कि हरमित्र फ़लाने दिन फ़लानीं जगह मौजूदथा हालांकि वह इस कामके निस्बत कुछ न जानता हो तो देवदत्त ने झूंठी गवाही दी आम इससे कि हरमित्र उस रोज उस जगह मौजूद था॥

(ए) देवदत्त तरजुमा या मुतर्रज्जिम है जिसपर सौगन्द की रूसे वाजिब है कि किसी बयान या लिखतम का ज़बानी या तहरीरी सच्चा तरजुमा करै और वह ज़बानी या तहरीरी झूठ तर्जुमा करै या उसकी तस्दीक करै जो सच्चा न हो और जिसका सच्चा होना वह जानता हो तो देवदत्त ने झूंठी गवाही दी॥

झूंठी गवाही देना ] ( १९२ ) जो कोई मनुष्य कोई सूरत पैदा करै या किसी किताब या किसी कागज़ सरिश्ते में कोई झूंठी तहरीर बनाये या कोई दस्तावेज़ जिसमें कोई झूंठा बयान मुन्दर्जहो बनाये इस नियत से कि वह सूरत या झूंठी तहरीर या झूंठा बयान अदालत की किसी कारवाई में या किसी कारवाई में जो क़ानून की रूसे किसी सर्व सम्बन्धी नौकरके रूबरू उसकी सरकारी नौकरीकी हैसियत से या किसी सालस के रूबरू होरही हो वजह सबूत में पेश होसकै और इस नियत से कि वह सूरति या झूंठी तहरीर या झूंठा बयान जो इस तरह वजह सबूत में पेश होसकै किसी ऐसे मनुष्यको जो उस कारवाई में वजह सबूत की निस्बत रायलगायेगा किसी काम की निस्बत जो उस कारवाई के नतीजे के लिये अहम है ग़लत राय बहम पहुंचाने का बायस होसकै तो कहा जायगा

कि उस मनुष्यने झूंठी गवाही बनाई ॥

### उदाहरण.

(अ) देवदत्त किसी सन्दूक में जो हरमित्र का है इस नियत से कुछ जेवर रखदे कि वह जेवर उस सन्दूक से बरआमद हो और यह सूरति हरमित्र को चोरी का अपराधी साबित कराये तो देवदत्त ने झूंठी गवाही बनाई ॥

(इ) देवदत्त अपनी दुकान के बहीखाते में इसगरजसे कोई झूंठी तहरीर बनाये कि वह उसको किसी अदालत में बमंजलः सबूत मोतविद काम में लाए तो देवदत ने झूंठी गवाही बनाई ॥

(उ) देवदत्त इस नियत से कि हरमित्र को विचार संयुक्त अपराध का अपराधी ठहराये इस तरह एक चिट्ठी लिखे कि उसमें हरमित्र के लिखने में अपना लिखना मिलावे और वह चिट्ठी उस विचार सयुक्त अपराध की किसी साझी के नाम लिखी हुई जानी जाय और उस चिट्ठी को ऐसी जगह रक्खे जहां वह जानता हो कि गालबन पुलिस के ओहदेदार तलाश करलेंगे तो देवदत्त ने झूंठी गबाही बनाई ॥

दंड झूंठी गवाहीका ] ( १९३ ) जो कोई मनुष्य अदालतकी कारस्वाई की किसी हालत में जानबूझ कर झूंठी गवाही दे या इस ग़रज़से झूंठी गवाही बनाये कि वह अदालत की किसी कारस्वाई को किसी हालत में काममें लाईजाय तो उस मनुष्यको दोनों क़िस्मों मेसे किसी क़िस्म की क़ैद जिसकी म्याद सात बरसतक होसकैगी और जरीमाने के भी योग्य होगा ॥

और जो कोई मनुष्य जानबूझ कर झूंठी गवाही किसी हालमें दे या बनाये तो उसको दोनों क़िस्मों मेसे किसी क़िस्म की सज़ा दी जायगी ज़िसकी म्याद तीन बरसतक होसकती है और वह जरीमाने के भी योग्य होगा ॥

विवेचना १—जो कोई मुक़द्दमा किसी अदालतके हाकिम

के हुज़ूर में दरपेशहो उसकी तहक़ीक़ात और तजवीज़ अ़दालत की कारखाई है ॥

बिवेचना—२—किसी अ़दालत की हुज़ूरकी कारखाई से पहिले जिस तहक़ीक़ात की निस्बत क़ानूनकी रूसे हिदायतहो वह तहक़ात अ़दालतकी कारखाई की एक हालत है गो वह तहक़ीक़ात किसी अ़दालतकी हुज़ूर में वाक़ै नहो ॥

## उदाहरण.

देवदत्त किसी तहकीकात में जो मजिस्ट्रेट के रोबरू इस गरज से हो रही हो कि आया हरमित्र तजबीज़ के लिये सिशन में सिपुर्द कियाजाय या नहीं सौगंद से कुछ बयान करै जिसको वह झूठा जानता हो तो चूंकि यह तहकीकात अदालत की कारखाई की एक हालत है इसलिये देवदत्त ने झूठी गवाही दी ॥

बिवेचना—कोई तहक़ीक़ात जिसके लिये क़ानून के मुताबिक़ किसी अ़दालत की जानिब से हिदायत हो और जो किसी अ़दालत से हुक्म के मुताबिक अमल में आये अ़दालत की कारखाई की एक हालत है गो वह तहक़ीक़ात किसी अ़दालत के हुज़ूर वाक़ै नहो ॥

## उदाहरण.

देवदत एक तहकीकात में किसी अहलकार के रूबरू जो किसी अदालत की तरफ से बरसर ज़मीन किसी आराजी की हदूद को दरयाफ्त करने के लिये मुअय्यन हुआ हो सौगंद की रू से कुछ बयान करै जिस को वह झूठा जानता हो तो चूंकि यह तहकीकात अदालत की कारखाई की एक हालत है तो देवदत्त ने झूठी गवाही दी ॥

जुर्म क़ाबिल सज़ाय मौत के साबित कराने की नियत से झूठी गवाही देना या बनाना—

( १९४ ) जो कोई मनुष्य झूठी गवाही दे या बनाये इस नियत से कि या इस

काम के एहतमाम इल्म से कि उस झूंठी गवाही के बायस किसी मनुष्य को ऐसे अपराध का अपराधी साबित कराये जिसके पादाश में मजमुआ क़ानून इंगलिस्तान की रू से दंडबध मुक़र्रर है तो उस मनुष्य को जन्म भर के देश निकाले या क़ैद सख्त का दंड दिया जायगा जिसकी म्याद दस बरस तक होसकती है और जरीमाने के भी योग्य होगा ॥

और अगर कोई बिना अपराधी साबित होजाय और दंड बध पाजाय तो उस मनुष्य को जिसने ऐसी झूंठी गवाही दी हो या तो दंड बध दिया जायगा या वह दंड जो इस दफ़ा में ऊपर लिख आये हैं ॥

( १९५ ) जो कोई मनुष्य झूंठी गवाही दे या बनाये इस नियत से या इस काम के एहतमाल के इल्म से कि उस झूंठी गवाही के बायस किसी शख्स को ऐसे अपराध का अपराधी ठहराये जिसके उद्योग में * क़ानून ब्रटिशइंडिया या इंगलिस्तान की रू से * दंड बध तो मुक़र्रर नहीं है परन्तु जन्म क़ैद या देश निकाले अथवा क़ैद का जिसकी म्याद सात बरस या ज़ियादा है तो मनुष्य मज़कूर को वह दंड दिया जायगा जिसके योग्य वह मनुष्य है जो उस अपराध का अपराधी होजाय ॥

## उदाहरण.

देवदत्त किसी अदालत में इस नियत से झूठी गवाही दे कि उसके जरिये से हरमित्र को डकैती का अपराध ठहरादे परंतु डकैती के लिये जन्मभरका देश निकाला या कैद सख्त का दंड मुक़र्रर है जिस की म्याद दस बरस तक हो सक्ती है मय जरीमाने या बिला जरीमाने इस लिये देवदत्त जन्म भरके देशनिकाले या सख्त क़ैद का मय जरी माने या बिला जरीमाने के योग्य है ॥

झूठी जानीहुई वजह सबूत को काम में लाना— (१९६) जो कोई मनुष्य सबूत को जिसे वह जानता है कि झूठी या बनाई हुई सच्ची या असली वजह सबूत की हैसियत से काम में लाये या काममें लानेका उद्योग करै तो उसको उस तरह दंड दिया जायगा कि गोया उसने झूठी गवाहीं दी या बनाई ॥

झूठा सारटीफ़िकट जारी करना या उस पर दस्तखत करना— (१९७) जो कोई मनुष्य कोई ऐसा सारटीफ़िकट जारी करै या उसपर दस्तखत करै जिसका दिया जाना या जिसपर दस्तखत किया जाना क़ानून की रू से ज़रूर है या जो किसी ऐसे काम वाक़ई से मुतल्लक़ हो जिसकी वजह सबूत के तौर पर वह सारटीफ़िकट क़ानूनन लेलिये जाने के लायक है और यह जानकर या जानने की वजह रखकर कि उस सारटीफ़िकट में कोई अहम लिखा है तो उस मनुष्य को उस तरह दंड दिया जायगा कि गोया उसने झूठी गवाही दी ॥

किसी सारटीफ़िकट को जिस में कोई काम अहम झूठजाना हुआ है सच्चे सारटीफ़िकट की हैसियत से काम में लाना— (१९८) जो कोई मनुष्य फासदतौर से किसी ऐसे सारटीफ़िकट को सच्चे सारटीफ़िकट की हैसियत से काम में लाये या काम में लाने का उद्योग करै यह जानकर कि उस सारटीफ़िकट में अहम झूठ लिखा है तो उसको उसी तरह दंड दिया जायगा कि गोया उसने झूठी गवाही दी ॥

किसी इज़हार में जो क़ानून की रूसे वजह सबूत के तौर पर लियेजानेके लायक़ है— (१९९) जो कोई मनुष्य किसी इज़हार में जो उसने दिया या जिसपर उसने दस्तखत

हो और जिस इज़्हार को किसी काम वाक़ई की वजह सबूत के तौर पर लेना किसी अदालत या सर्व संबन्धी नौकर या किसी और मनुष्य पर कानूनन वाजब या उस के लिये कानूनन जायज़ हो उस मतलब के किसी काम अहम की निस्बत जिसके लिये वह इज़्हार दियागया या काम में लायागया है कुछ बयान करै जो झूठा हो या जिसका झूठा होना या तो वह जानता या जानने को हो या जिसका सच्चा होना वह जानता हो तो उस मनुष्य को उसी तरह दंड दिया जायगा कि गोया उसने झूठी गवाही दी ॥

झूठ जानेहुये किसी ऐसे इज़्हार को सच्चे की भांति से काम में लाना—

( २०० ) जो कोई मनुष्य झूठे तौर से किसी ऐसे इज़्हार को सच्चे की भांति काम में लाना या काम में लाने का उद्योग करना यह जान बूझकर कि उसमें कोई काम अहम झूठा है तो उसको उसी तरह दंड दिया जायगा कि गोया उसने झूठी गवाही दी ॥

विवेचना—१ हरएक ऐसा इज़्हार जो सिर्फ किसी बेज़ाब्तगी की वजह से लेलिये जाने के काबिल नहो दफ़ा १९९ और २०० की मुराद में दाख़िल है ॥

सबूत को छुपाना अथवा झूठ ख़बर देना अपराधी को अपराध से बचाने के हेतु से—

( २०१ ) जो कोई मनुष्य यह जानकर अथवा इस काम के निश्चय मानने का हेतु रखकर ... ा अपराध का होजाना उस अपराध का किया जाना अथवा निश्चय माननेके हेतु को इस नियतसे छुपाये कि अपराधी को दंड पाने से बचाये अथवा इस नियत से उस अपराध की निस्बत कुछ ख़बर दे जिसका झूठा

होना वह जानता अथवा निश्चय मानता हो ॥

जो दंड बध के योग्य हो- ] तो जो उस अपराध के उद्योग में जिसको वह जानता अथवा निश्चय मानता है कि उस का किया जाना दंड बध ठहराया गया है तो उस मनुष्य को दोनों प्रकारों में से किसी प्रकार की क़ैद का दंड दिया जायगा जिसकी म्याद सात बर्ष तक होसक्ती है और वह जुरमाने के योग्य भी होगा ॥

जो जन्म क़ैद व देश निकाले के योग्यहो- } जिसका दंड देश निकाला व जन्म क़ैद हो अथवा ऐसी क़ैद जिसकी म्याद दश बरस तक होसक्ती है तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारों मेसे किसी प्रकार की क़ैदका दंड दिया जायगा जिसकी म्याद तीन बरस तकहो और वह जरीमाने के योग्यभी होगा ॥

जो क़ैद दश बरससे कम के योग्यहो- } और जो उस अपराध के उद्योग में ऐसी क़ैदका दंड ठहराया गयाहो जिसकी म्याद दश बरससे कमहो तो उस मनुष्यको उस प्रकार की सज़ादी जायगी जो उस अपराधके लिये ठहराई गई हो और जिसकी म्याद बड़ी से बड़ी म्यादकी एक चौथाई तक होसक्ती है जो उस अपराध के लिये ठहराई गई है अथवा जरीमाने का दंड अथवा दोनों का दंड दिया जायगा ॥

## उदाहरण.

देवदत्त यह जानकर कि हरमित्र ने विष्णुमित्र को मारडाला है उस की लाश को इस प्रयोजन से छुपाये कि वह दंड से बचजाय तो देवदत्त दोनों प्रकारों की क़ैद मे से किसी प्रकार की क़ैद का दंड दियाजायगा। जिसकी म्याद सातबरस तक होसक्ती हो और जुरमाने के भी योग्य होगा ॥

( २०२ ) जो कोई मनुष्य यह जानकर या निश्चय मानने का हेतु रखकर कि किसी अपराध का किया जाना आवश्यकहो उस जुर्म के लिये कोई ऐसी ख़बर देने से चूकेगा जिसका देना क़ानूनानुसार उसपर आवश्यकहो तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारों मेसे किसी प्रकारकी क़ैद का दंड दिया जायगा जिसकी म्याद छः महीने तक हो सकती है अथवा जरीमाने की अथवा दोनों सज़ायें दी जायंगी ॥

( २०३ ) जो कोई मनुष्य यह जानकर अथवा निश्चय मानने का हेतु रखकर कि कोई अपराध होजाय उस अपराध के मध्ये कोई झूठ ख़बरदे तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारों मेसे किसी प्रकार की क़ैदका दंड दिया जायगा जिसकी म्याद दोबरस तक होसकती है अथवा जरीमाने का दंड अथवा दोनों दंड दिये जायंगे ॥

विवेचना—दफ़ात २०१ व २०२ में और इस दफ़ा में शब्द "अपराध" दाख़िल है जिसका किया जाना किसी स्थान में जो अंगरेज़ी राज्यसे बाहरहो और जो अंगरेज़ी राज्य के अन्दर पैदा होने की विषय में नीचे लिखी हुई दफ़ा याने दफ़ा ३०२ व ३०४ व ३८२ व ३९२ व ३९४ व ३९५ व ३९६ व ३९७ व ३९८ व ३९९ व ४०२ व ४३५ व ४३६ व ४४९ व ४५० व ४५७ व ४५८ व ४५९ व ४६० मेसे किसी दफ़ा के अधिकारसे योग्य दंडहो ॥

नष्ट करना किसी लिखतम जो सबूत के तरह पेश कीजाय—

( २०४ ) जो कोई मनुष्य किसी ऐसी लिखतम को छुपायेगा या मिटायेगा जिसको वह किसी अदालत आफ़ जसटिस के हुज़ूर में अथवा किसी काररवाई

में जो क़ानून के अनुसार किसी सर्व सम्बन्धी नौकर के सामने जो उसकी नौकरी के हैसियत से होरही हो जिसके सबूत से क़ानूनन मजबूर होसके अथवा सर्व लिखतम अथवा उसके खंड को मिटाडाले अथवा ऐसा करदे कि पढ़ने के योग्य न रहे इस प्रयोजन से कि उस अदालत अथवा उस सर्व संबंधी नौकर के सामने उस लिखतम का सच होने के तौरपर पेश होना या काम में आना रुकजाय अथवा पीछे इसके ऊपर लिखी हुई लिखतम के पेश करने के लिये क़ानूनानुसार आज्ञा अथवा हिदायत होचुकी हो उस काम मेसे किसी कामका अपराधी होगा तो उस मनुष्य को दोनोंप्रकारों मेसे किसी प्रकारका दंड दिया जायगा जिसकी म्याद दोबरस तक होसकती है या जरीमाने का या दोनोंका किया जायगा ॥

झूठ मूठ कोई और मनुष्य बनना दीवानी अथवा फौज दारी के मुक़द्दमे में अमल-दरआमद होने स्वार्थ से—

( २०५ ) जो कोई मनुष्य झूठ मूठ कोई और मनुष्य बनकर कुछ काम अथवा काररवाई के लिये कोई इक़रार अथवा इक़बाल अथवा बयान अथवा कोइ इक़बाल दावा दाखिल करै या परवाना जारी कराय अथवा हाज़िर ज़ामिनी अथवा माल ज़ामन होजाय अथवा दीवानी अथवा फ़ौजदारी के किसी मुक़द्दमा में कोई काम करै तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारों में किसी प्रकार का दंड दिया जायगा जिसकी म्याद तीनबरस तक होसकती है अथवा ज़रीमाना व दोनों दंड दिये जायंगे ॥

छल छिद्रसे उठा लेजाना अथवा छुपादेना किसी वस्तुका इस प्रयोजनसे कि ज़प्ती में अथवा इजराय डिगरी में उसका लिया जाना रुकजाय—

( २०६ ) जो कोई मनुष्य छल छिद्र से किसी बस्तुको इस प्रयोजन से उठा लेजाय और छुपादे अथवा किसी के नामङ्करदे अथवा किसी मनुष्य के हवाले करदे कि उस आज्ञा के अनुसार जो किसी अ़दालत अथवा सर्व सम्बन्धी नौकर की आज्ञा हुई हो अथवा जिसके जारी होने का शुभाहो उस बस्तु को जिसका ज़प्त होना अथवा जरीमाने या किसी डिगरी अथवा अ़दालत दीवानीके मुक़द्दमे में अथवा और किसी अ़दालत से जारी हो अथवा जिसको वह जानताहो कि उसके जारी होने का शुभा है तो उस मनुष्य को दोनों प्रकारों मेसे किसी प्रकार की क़ैद की सज़ा दीजायगी जिसकी म्याद दोबरस तक होसकती है अथवा जरीमाने का दंड अथवा दोनों दंड दिये जायंगे॥

छल छिद्रसे दावा करना किसी वस्तुपर इस प्रयोजनसे कि उस का लिया जाना ज़प्ती में अथवा इजराय डिगरी में रुकजाय—

( २०७ ) जो कोई मनुष्य किसी बस्तु को अथवा बस्तु के अधिकार को स्वीकार करैगा अथवा रख लेगा अथवा उसपर दावा करैगा यह जान बूझ कर कि मेरा इसमें कुछ हक़्क़ है या हक़्क़ की रू से दावा नहीं है अथवा जो मनुष्य किसी वस्तु के किसी अधिकार के दावें के मध्ये कुछ धोखा देगा इस प्रयोजन से कि वह वस्तु अथवा उसका वह अधिकार किसी ज़प्ती में अथवा जुरमाने में जिस के दंड की आज्ञा किसी अ़दालत से अथवा समर्थ हाकिम के यहां से होचुकी हो अथवा होनी अति संभ-

वित होना जानता हो अथवा किसी ऐसी डिगरी या हुक्म के इजराय में जो किसी अदालत से किसी दीवानी मुकद्दमे में हो चुका हो अथवा होना वह अति संभावित जानताहो लिये जाने से बचजाय उसको दंड दोनों मे से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दो वरस तक होसकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

छल छिद्र से अपने ऊपर लेना किसी डिगरी का जिसका रुपया वाजबी नहो—

(२०८) जो कोई मनुष्य किसी दूसरे की नालिश में अपने ऊपर छलछिंद्र से कोई डिगरी अथवा हुक्म करावैगा अथवा होने देगा उस रुपये के लिये जो कि उसके ऊपर वाजबी नहो अथवा वाजिब से अधिक हो अथवा किसी बस्तु या बस्तु के अधिकार के लिये जिसपर उस मनुष्य का कुछ हक्क़ नहो अथवा जो मनुष्य छलछिद्र से अपने ऊपर किसी चुकी हुई डिगरी अथवा हुक्म को अथवा उसके किसी चुके हुए भाग को जारी करावैगा अथवा जारी होने देगा उसको दंड दोनों मे से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दो बरस तक होसकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

## उदाहरण.

देवदत्त ने विष्णुमित्र के ऊपर नालिश की और विष्णुमित्र ने यह जानकर कि उसके ऊपर देवदत्त का डिगरी पाना अति संभवित है छल छिद्र से अपने ऊपर यज्ञदत्त की नालिश में जिसका दावा उसके ऊपर वाजिव न था उससे भी अधिक रुपये की डिगरी करादी इस प्रयोजन से कि जो रुपया देवदत्त की डिगरी में विष्णुमित्र का माल नीलाम होने से आवै उसमें यज्ञदत्त अपने लिये अथवा विष्णुमित्र के भले के लिये

हिस्सा पावै यहां बिष्णुमित्र ने इस दफ़ा के अनुसार अपराध किया ॥

अदालत में झूठा दावा- ] ( २०९ ) जो कोई मनुष्य छल छिद्र से अथवा बेधर्मई से अथवा किसी मनुष्य को हानि अथवा खेद पहुंचाने के प्रयोजन से किसी अ्रदालत में कोई दावा जिसको वह जानता हो कि झूठा है करैगा उस को दंड दोनों मे से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दो बर्ष तक होसकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

छल छिद्र से प्राप्त करनी कोई डिगरी जिसका रुपया वाजबी नहो- } ( २१० ) जो कोई मनुष्य छल छिद्र से किसी मनुष्य पर कोई डिगरी अथवा हुक्म उस रुपये के लिये जो वाजबी नहीं है अथवा वाजबी से अधिक है अथवा किसी बस्तु या बस्तु के लिये अधिकार जिसपर उसका कुछ हक़ नहीं है प्राप्त करैगा अथवा जो मनुष्य छल छिद्र से किसी पर किसी चुकी हुई डिगरी अथवा हुक्म को अथवा उसके किसी भाग को जिसका दावा चुकगया हो छलछिद्र से जारी करावैगा अथवा छल छिद्र से इसप्रकार का कोई काम अपने नाम से न होने देगा अथवा होने की आज्ञा देगा उसको दंड दोनों मे से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दो बरस तक होसकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

हानि पहुंचाने के प्रयोजन से झूठ मूठ अपराध लगाना- } (२११) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को हानि पहुंचाने के प्रयोजन से उसके ऊपर कोई अपराध संबंधी मुक़द्दमा दायर करैगा या करावैगा अथवा उसको झूठ तुहमत

किसी अपराध के करने की लगावैगा यह जानबूझ कर कि उस मनुष्य के ऊपर यह मुक़द्दमा अथवा तुहमत क़ानून अनुसार निर्मल है उसको दंड दोनों मे से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दो वर्ष तक होसकैगी अथवा जरीमाने अथवा दोनों का किया जायगा और कदाचित् वह झूठा मुक़द्दमा किसी ऐसे अपराध के मध्ये हो जिसका दंड बध अथवा जन्म भर के देश निकाले अथवा सात बरस अथवा उससे अधिक म्याद की क़ैद हो तो दंड दोनों मे से किसी प्रकार की क़ैदका जिसकी म्याद सातबरस तक होसकैगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा॥

आश्रय देना किसी अपराधी को– (२१२) जब कभी कोई अपराध होजाय तो जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को जिसको वह जानता हो या जानने का हेतु रखता हो कि अपराधी है आश्रय देगा या छुपावेगा इस प्रयोजनसे कि वह क़ानूनानुसार दंड से बचजाय॥

कदाचित् अपराध बधके दंड योग्यहो– कदाचित् वह अपराध बधके दंड योग्य हो तो दंड दोनों मे से किसी प्रकार की क़ैदका जिसकी म्याद पांचबरस तक होसकैगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा और कदाचित्

कदाचित् अपराध जन्मभरके देश निकाले अथवा क़ैदके दंड योग्यहो– वह अपराध जन्मभर के देश निकाले या दशबरस तक की म्यादकी क़ैदके दंडयोग्य हो तो दंड दोनों मे से किसी प्रकार की क़ैदका जिसकी म्याद तीनबरस तक होसकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा और कदाचित् वह अपराध ऐसा होकि

उसके दंडकी म्याद दशबरस तक की क़ैदकी नहीं एकही बरस तककी क़ैद होसकै तो दंड उसी प्रकारकी क़ैदका जो उस अपराधके लिये ठहराई हुई बढ़ती से बढ़ती म्यादकी चौथाई तक होसकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनोंका किया जायगा ॥

यह नियम किसी ऐसे मुक़द्दमे में सम्बन्ध न रक्खैगा जिसमें अपराधी की जोरू अथवाखसम छुपानेवाला हो ॥

( १ )* शब्द "अपराध" इस दफ़ा में हर एक ऐसा काम शामिल है जिसका किया जाना हिन्दुस्तान के अंगरेज़ी राज्य से बाहर संभवित हो और जो अंगरेज़ी राज्य के भीतर होने के हेतु में नीचे लिखी हुई दफ़ायें अर्थात् दफ़ा ३०२ व ३०४ व ३८२ व ३९२ व ३९३ व ३९४ व ३९५ व ३९६ व ३९७ व ३९८ व ३९९ व ४०२ व ४३५ व ४३६ व ४४९ व ४५० व ४५७ व ४५८ व ४५९ व ४६० मेसे किसी दफ़ा के अनुसार लायक़ दंड हो तो वैसा हरएक काम दफ़ा हेतु से योग्य दंड होगा जैसा कि गोया अपराधी से अंगरेज़ी राज्यके भीतर अपराधी हुआथा ॥

## उदाहरण.

देवदत्तने यह जानकर कि यज्ञदत्त ने डांकाडाला यज्ञदत्तको यह जान बूझकर छुपाया इस प्रयोजन से कि वह नीतिपूर्वक दंड पाने से बचजाय तो यह यज्ञदत्त जन्म भर के देश निकाले के दंड योग्य था इस लिये देवदत्त को दंड दोनों मे से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद तीन बरस से अधिक नहोगी और जरमाने का होसकेगा ॥

* यह इबारत ऐक्ट ३ सन् १८९४ ई० ता० २३ फरवरी के अनुसार बढाई गई है ।

किसी अपराधी को दंडसे बचाने के बदले इनाम की भांति लेना–

(२१३) जो कोई मनुष्य कुछ अपराध छुपाने अथवा किसी मनुष्य को किसी अपराध के नीतिपूर्वक दंड से बचाने अथवा किसी मनुष्य को नीतिपूर्वक दंड दिलाने का उपाय न करने के बदले अपने लिये अथवा और किसी के लिये कुछ इनाम अथवा कोई वस्तु लेनी स्वीकार करैगा अथवा लेनेका उद्योग करैगा अथवा स्वीकार करनेपर राज़ी होगा उसको कदाचित् वहअपराधके बध दंड योग्यहो तो दंडदोनों

कदाचित् अपराध बधके दंड योग्यहो

मे से किसी प्रकार की क़ैदका जिसकी म्याद सातबरस तक होसकैगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा और कदाचित् वह अपराध जन्म भरके देश निकाले अथवा दशबरस तककी

कदाचित् वह अपराध जन्मभर के देश निकाले अथवा क़ैद के योग्य हो–

क़ैद के योग्य हो तो दंड दोनों मे से किसी प्रकारकी क़ैदका जिसकीम्याद तीनबरसतक हो सकैगी कियाजायगा और जरीमाने केभी योग्य होगा और क़दाचित् वह अपराध ऐसा हो कि उसके दंड की म्याद दशबरस तक न होसकै तो दंड उसीप्रकार की क़ैदका जैसा कि उस अपराध के लिये ठहराई गईहो किसी म्याद की जो उस अपराध के लिये ठहराई हुई बढ़ती से बढ़ती म्याद की चौथाईतक होसकैगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

अपराधी को दंड से बचाने के बदले इनाम देना अथवा कुछ वस्तु फेर देनी–

(२१४) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को इस बात के लिये कि उसने किसी अपराध को छुपाया अथवा किसी मनुष्य के किसी अपराध के नीति

पूर्वक दंड से बचाया अथवा इस बात के बदले कि उस ने किसी मनुष्य को नीतिपूर्वक दंड दिलाने का उपाय न किया कुछ इनाम देगा अथवा दिलावेगा अथवा देने का उद्योग करैगा अथवा देने को राज़ी होगा अथवा कोई बस्तु फेर देगा उसको कदाचित् वह अपराध बध के दंड योग्य हो तो दंड दोनों मे से किसी प्रकार की कै़द का

कदाचित् अपराधबध के दंड योग्य हो—

जिसकी म्याद सात बरस तक होसकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा और कदाचित् वह अपराध जन्म भर के

कदाचित् अपराध जन्मभर के देश निकाले अथवा कै़द के दंड योग्य हो—

देश निकाले अथवा दस बरस तक दंड योग्य हो तो दंड दोनों मे से किसी प्रकार की कै़द का जिसकी म्याद तीन बरस तक होसकैगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा और कदाचित् वह अपराध ऐसा हो कि उसके दंड की म्याद दस बरस तक नहोसकै तौ दंड दोनों मे से किसी प्रकार की कै़द का जैसा कि उस अपराध के लिये ठहराई गईहो किसी म्याद की जो उस अपराध के लिये ठहराई हुई बढ़ती से बढ़ती म्याद की चौथाई तक होसकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा—

## छूट

( २१३ ) और २१४ के नियम किसी ऐसे मुक़द्दमें से सम्बन्ध न रक्खेंगे जिसमें काम का करनाही अपराधहो चाहै करनेवाले का प्रयोजन उसके करने से हो चाहै नहो और उस कामके बदले हानि पहुंचानेवाला मनुष्य दीवानी में नालिश करसक्ता है॥

(उदाहरण) ऐक्ट १० सन् १८८२ ई० के अनुसार निकाल दिये गयेहैं॥

इनाम लेना चोरी इत्यादि का माल निकालने में सहायता देने के बदले—

(२१५) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को कुछ ऐसा माल असबाब जो इस संग्रह के अनुसार दंड दिये जाने के योग्य किसी अपराध के द्वारा उसके पाससे जाता रहाहो फिर पाने में सहायता देने के मिससे अथवा सहायतादेने के बदले कुछ इनाम लेगा अथवा लेने को राज़ी होगा अथवा स्वीकार करैगा उसको कदाचित् वह अपने वशभर अपराधी को पकड़ाने अथवा उसपर अपराध साबित कराने के लिये उपाय न करैगा तो दंड दोनों मे से किसी प्रकार की क़ैदका जिसकी म्याद दोबरस तक होसकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा॥

आश्रय देना किसी अपराधी को जो बंधिसे भाग गयाहो अथवा जिसके पकड़े जाने की आज्ञा होचुकी हो—

(२१६) जब कभी कोई मनुष्य जिसके ऊपर कोई अपराध के बदले क़ानूनानुसार बंधिमें हो उस बंधिसे भाग जाय अथवा जबकभी कोई सर्व संबंधी नौकर अपने ओहदे का नीतिपूर्वक अधिकार वर्त्तने में किसी अपराध के बदले किसी मनुष्य के पकड़े जानेको आज्ञा देदे तो जो कोई मनुष्य उस मनुष्यका भाग जाना अथवा उसके पकड़े जानेकी आज्ञा का होना जानबूझ कर उसको आश्रय देगा अथवा छुपावैगा इस प्रयोजन से कि उसका पकड़ा जाना रुकजाय उसको दंड इसभांति दिया जायगा कि कदाचित् वह अपराध जिसके बदले भाग जानेवाला बंधि में था अथवा पकड़ा जाने को या बधके दंड योग्य होतो

दंड दोनों मे से किसी प्रकार की कै़दका जिसकी म्याद

| | |
|---|---|
| कदाचित् अपराध वधके दंडके योग्यहो– | सातबरस तक होसकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य |

होगा और कदाचित् वह अपराध जन्मभरके देश निकाले अथवा दशबर्ष की कै़दके दंड योग्य होतो दोनों मे से दंड

| | |
|---|---|
| कदाचित् अपराध जन्मभरके देश निकाले अथवा कै़द के योग्यहो– | किसी प्रकारकी कै़दका जिसकी म्याद तीनबरस तक होसकैगी जरीमाने समेत अथवा बिना |

जरीमाने किया जायगा कदाचित् वह अपराध ऐसाहो कि उसके दंडकी म्याद दशाबरस तक नहीं एकबरस तकहो सकती हो तो दंड उसी प्रकार की कै़दका जैसी कि उस अपराध के लिये ठहराईगई हुई बढ़ती से वढ़ती म्याद की चौथाई तक होसकैगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

"अपराध" शब्द इस दफ़ा के अनुसार ऐसा काम या चूक काम भी शामिलहै जिसका अपराध होना अंगरेज़ी राज्य के बाहर किसी ऐसे मनुष्य के वर्णन किया है जो हिन्दुस्तानी अंगरेज़ी राज्य के भीतर उस अपराधी होने प्रयोजन में दंड योग्य अपराध होने के लिये वह अपराधी मनुष्य किसी का़नून के अनुसार सौंप जाना अपराधियों का किसी दूसरे राज्य को अथवा भागे हुए अपराधियों का प्रचलित का़नून सन् १८८१ ई० के अनुसार अथवा दूसरी प्रकार हिन्दुस्तानी राज्य के भीतर पकड़ा जाय अथवा कै़द में रहने के योग्य है—और ऐसा काम अथवा चूक काम इस दफ़ा के प्रयोजन से इस तरह दंड योग्य गिना जायगा कि मानों उस मनुष्य अपराधी ने हिन्दु-

स्तानी अंगरेज़ी राज्य के भीतर काम अथवा चूक काम का अपराधी हुआ ॥ +——+ यह फ़िक़रा दफ़ा २१६ में एक्ट १० सन् १८८६ ई० के अनुसार दफ़ा २३ से अधिक कियागया है ॥

बल सहित उठैया होने के उद्योग में आश्रय देने का दंड

(२१६) (अ) जो कोई मनुष्य यह जान बूझ कर अथवा निश्चय मानने का हेतु रखकर कि बहुधा मनुष्य बल सहित चोरी अथवा बल सहित उठैया करनेवाले हैं अथवा हाल में उन्होंने बल सहित चोरी अथवा बल सहित उठैया किया हो उन सबको अथवा उनमें से किसी मनुष्य को इस प्रयोजन से आश्रय दे कि उस बल सहित चोरी अथवा बलसहित उठैयाका कियाजाना सुगमहोजाय अथवा वे मनुष्य अथवा उनमें से को मनुष्य दंड रहित होजाय उसको कठिन कैद का दंड जिसकी म्याद सात बरस तक हो सक्ती हो दिया जाय अथवा जरीमाने के भी योग्य होगा ॥

छूट

यह नीतिपूर्वक आज्ञा उस अपराध से संबंध न रक्खेगी जिसमें अपराधीकी जोरू अथवा खसम आश्रय देनेवाला हो ॥

* दफ़ा२१६(ब)दफ़ा २१२ व २१६ व२१६(अ) में शब्द" आश्रय में किसी मनुष्य को आश्रय देना अथवा उसको खाने अथवा पीने की चीज़ अथवा रुपया अथवा वस्त्र

दफ़ा २१२ व २१६ व २१६ (अ) में "आश्रय" का वर्णन–

अथवा जोखिम के हथियारों से अथवा और उपायों से दुख पहुंचाना अथवा किसी मनुष्य को

* यह दफ़ा बमूजिब तरमीम ऐक्ट नम्बर ३ सन् १८६४ई० ता० २३ बढ़ाई गई ॥

किसीतरह पकड़े जानेसे निकल भागने के लिये सहायता देना भी दाखिल है

इस दफ़ा की आज्ञा उस हालत में संबंध न रक्खेगी जहां आश्रय देनेवाली अथवा छुपानेवाली उस मनुष्य की स्त्री अथवा खसम से पाया जाय जिसका पकड़ा जाना संभवित है ॥

सर्व संबंधी नौकर होकर जो किसी मनुष्य को दंड से अथवा किसी माल की ज़प्ती से बचाने के प्रयोजन से किसी नीतिपूर्वक आज्ञा को न माने.

( २१७ ) जो कोई मनुष्य सर्व संबंधी नौकर होकर किसी मनुष्यको नीतिपूर्वक दंडसे बचाने के प्रयोजन से अथवा बचाना अति संभवित जानकर अथवा जितना दंड उस मनुष्यको होसक्ता हो उतने से कमती कराने के प्रयोजन से अथवा कमती होना अति संभवित जानकर अथवा किसी मालकी ज़प्ती से अथवा किसी दूसरी क़ानून पूर्वक ज़ब्तसे बचाने के प्रयोजन से अथवा बचाना अति संभवित जानकर अपने ओहदे का काम भुगताने की रीति के मध्ये क़ानून की आज्ञा को जानबूझ कर उल्लंघन करैगा उसको दंड दोनों मे से किसी प्रकार की क़ैदका जिसकी म्याद दोबरस तक होसकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

सर्व सम्बन्धी नौकर जो किसी मनुष्यको दंड से अथवा माल की ज़प्ती से बचाने के प्रयोजन से कोई अशुद्ध लिखतम बनावै अथवा

( २१८ ) जो कोई मनुष्य सर्व संबंधी नौकर होकर और सर्व सम्बन्धी नौकर होने के कारण किसी कागज़ अथवा लिखतम के तैयार करने का

काम पाकर उस काग़ज़ अथवा लिखतम को किसी ऐसी रीति से जिसको वह अशुद्ध जानता हो सबको अथवा किसी एक मनुष्य को हानि अथवा नुक्सान पहुंचाने के प्रयोजन अथवा नुक्सान पहुंचाना अति संभवित जानकर अथवा किसी मनुष्यको क़ानूनानुसार दंडसे बचाने के प्रयोजन से अथवा बचाना अति संभवित जानकर अथवा किसी मालको क़ानूनानुसार ज़प्ती अथवा और किसी इल्लतसे बचाने के प्रयोजन से अथवा बचाना अति संभवित जानकर बचावेगा उसको दंड दोनों मे से किसीप्रकार की क़ैदका जिसकी म्याद तीनबरस तक होसकैगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनोंका किया जायगा ॥

सर्व संबंधी नौकर जो कुप्रयोजन से किसी न्याय संबंधी काररवाई में कोई ऐसी आज्ञा अथवा रिपोर्ट इत्यादि करै जिसको वह जानता हो कि क़ानून विरुद्ध है—

(२१९) जो कोई मनुष्य सर्व संबंधी नौकर होकर कुप्रयोजन अथवा ईर्षा से किसी अदालती मामले की किसी अवस्था में कोई रिपोर्ट अथवा आज्ञा अथवा डिगरी अथवा फैसला जिसको वह जानता हो कि क़ानून के विरुद्ध है देगा अथवा करैगा उसको दंड दोनों मे से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद सात बरस तक होसकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

जो कोई मनुष्य अधिकार पाकर किसी मनुष्य को बंधि में रक्खै अथवा तजवीज़ के लिये ऊपर के हाकिम को सौंपे यह जान बूझकर कि मैं क़ानून के विरुद्ध करता हूं—

(२२०) जो कोई मनुष्य किसी ऐसे ओहदे पर होकर जिससे उस को अधिकार किसी मनुष्य को क़ैद करने

अथवा न्याय के लिये ऊपर के हाकिम को सौंपने अथवा क़ैद में रखने का हो किसी को कुप्रयोजन से अथवा ईर्षा से क़ैद में भेजेगा अथवा न्याय के लिये सौंपेगा अथवा क़ैद में रक्खेगा यह जान बूझकर कि इस काम को मैं क़ानून के विरुद्ध करता हूं उसको दंड दोनों मे से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद सात बरस तक होसके-गी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा॥

जिस सर्व संबंधी नौकर पर किसी को पकड़ना क़ानून अनुसार अवश्य हो उसकी ओर से पकड़ने में जान बूझकर चूकना—

(२२१) जो कोई मनुष्य सर्व संबंधी नौकर हो और उसपर सर्व सम्बन्धी नौकर होने के कारण पकड़ना अथवा क़ैद में रखना किसी मनुष्य का जो अपराध में फंसा हो अथवा पकड़े जाने के योग्य हो अथवा क़ानून अनुसार अवश्य हो वह कदाचित् जान बूझकर उस मनुष्य के पकड़ने से चूकेगा अथवा जान बूझकर उसको क़ैद से भागजाने देगा। अथवा जानबूझ कर उसको भागने में अथवा भागने का उद्योग करने में सहायता देगा उसको दंड इस रीति से किया जायगा कि जो वह मनुष्य उस क़ैद में था अथवा जिसका पकड़ा जाना उचित था किसी ऐसे अपराध में जिसका दंड बध हो फंसा हो अथवा पकड़े जाने के योग्य हो तो दंड दोनों मेसे किसीप्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद सात बरस तक होसकेगी जरीमाने समेत अथवा बिना जरीमाने होगा अथवा जब वह मनुष्य जो क़ैद में था अथवा जिसका पकड़ाजाना उचित था किसी ऐसे अपराध में था जिसका दंड देश निकाला अथवा दश वर्ष तक की क़ैदहो फंसाहो अथवा

पकड़े जाने के योग्य हो तो दंड दोनों मेसे किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद तीन बरस तक होसकैगी जरीमाने समेत अथवा बिना जरीमाने होगा अथवा—

जब वह मनुष्य क़ैद में था अथवा जिसका पकड़ाजाना उचित था किसी ऐसे अपराध में जिसका दंड दस बरस से कमती की म्याद की क़ैद हो फंसा हो अथवा पकड़े जाने के योग्य हो तो दंड दोनों मे से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दो बरस तक होसकैगी जरीमाने समेत अथवा बिना जरीमाने के होगा ॥

किसी मनुष्य को जिसपर दंड की आज्ञा किसी अदालत से होचुकी हो क़ानूनानुसार अवश्य हो उसकी ओर से पकड़ने में जानबूझ कर

(२२२) जो कोई मनुष्य सर्व सम्बन्धी नौकर हो और उसपर सर्व संबंधी नौकर होने के कारण पकड़ना और क़ैद में रखना किसी अपराध में किसी अदालत से दंड की आज्ञा होचुकी हो क़ानूनानुसार अवश्य हो वह कदाचित् उस मनुष्य को पकड़ने से जान बूझकर चूकेगा अथवा जान बूझकर उसको क़ैद से भागजाने देगा अथवा जानबूझ कर उसको भागजाने में अथवा भाग जाने का उद्योग करने में सहायता करैगा उसको दंड इस रीति से किया जायगा कि जब वह मनुष्य जो क़ैद में था अथवा जिसका पकड़ना उचित था अथवा वध के दंड की आज्ञा पाचुका था तो दंड बध जन्मभर के देश निकाले का अथवा दोनों मे से किसीप्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद चौदह बरस तक होसकेगी जरीमाने समेत अथवा बिना जरीमा होगा अथवा जब वह मनुष्य जो क़ैद में

था अथवा जिसका पकड़ना उचित था किसी अ्रदालत की आज्ञानुसार अथवा आज्ञा के बदले जन्मभर के देश निकाले अथवा जन्मभर के दंड सेवा अथवा दस बरस तक वा दस वरस के ऊपर के देश निकाले अथवा सेवा दंड अथवा कैद का पाचुका हो तो दंड दोनों मे से किसीं प्रकार की कैद का जिसकी म्याद तीन बरस तक हो जरीमानेसमेत अथवा विना जरीमानेहोगा अथवा—

वह मनुष्य कैद में था अथवा जिसका पकड़ा जाना उचित था किसी अ्रदालत की आज्ञानुसार दंड दोबरस से कमती म्यादका पाचुका हो तो दोनों मेसे किसी प्रकारकी कैदका जिसकी म्याद तीनबरस तक होसकैगी अथवा वो मनुष्य नीतिपूर्वक कैद में रक्खा गयाहो ॥

(देखो दफ़ा २७ ऐक्ट सन् ७० ई० द० ८ को देखो)

जो सर्व सम्बन्धी नौकर होकर अपनी असावधानी से किसी को बंधि से भागजाने देगा—

(२२३) जो कोई मनुष्य सर्व संबंधी नौकर होकर और उसपर सर्व संबंधी नौकर होनेके कारण कैद में रखना किसी मनुष्यका जो किसी अपराध में फँसा हो अथवा जिसके ऊपर अपराध साबित होचुका हो * अथवा क़ानूनानुसार कैद में रक्खा गयाहो * वह कदाचित् असावधानी से उस मनुष्य को कैद से भागजा[ने दे] उसको दंड साधारण कैदका जिसकी म्याद दोबरस तक होसकैगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनोंका किया जायगा ॥

---

* यह शब्द दफ़ा २२३ में ऐक्ट २७ सन् १८७० ई० की दफ़ा ८ के अनुसार बढ़ाये गयेहैं ॥

अपने नीतिपूर्वक पकड़े जाने में किसी की ओर से सामना अथवा रोक होनी—

(२२४) जो कोई मनुष्य किसी अपराध में जो उसपर लगाया गया हो अथवा जो उसपर साबित हो चुकाहो उसके पकड़ेजाने में कुछ अनीति सामना अथवा रोक जानबूझ कर करैगा अथवा जिस बंधि में वह उसी अपराध के बदले क़ानूनानुसार क़ैदमें रक्खा गयाहो उसमे से भाग जायगा अथवा भागने का उद्योग करैगा उसको दंड दोनों मे से किसी प्रकारकी क़ैदका जिसकी म्याद दोबरस तक होसकैगी अथवा जरीमानेका अथवा दोनोंका किया जायगा॥

किसी दूसरे मनुष्यके नीति पूर्वक पकड़ेजाने में सामना अथवा रोक करना—

(२२५) जो कोई मनुष्य किसी अपराध में किसी दूसरे मनुष्य के क़ानूनानुसार पकड़े जाने में जानबूझ कर अनीति सामना अथवा रोक करैगा अथवा किसी दूसरे मनुष्यको किसी बंधि से जिसमें वह किसी अपराध के बदले क़ानूनानुसार रक्खा गयाहो अनीति रीति से छुड़ावेगा अथवा छुड़ानेका उद्योग करैगा उसको दंड दोनों मेसे किसीप्रकार की क़ैदका जिसकी म्याद दोबरस तक होसकैगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा॥

अथवा वह मनुष्य जो पकड़ेजाने को था अथवा जो छुड़ालिया गया अथवा जिसके छुड़ाने का उद्योग किया गया किसी ऐसे अपराध में जिसका दंड देश निकाला अथवा दशबरस तक की क़ैदकाहो फँसा हो अथवा पकड़े जाने के योग्य हो तो दंड दोनों मेसे किसीप्रकार की क़ैदका

जिसकी म्याद तीनबरस तक होसकैगी किया जायगा और जरीमाने केभी योग्य होगा ॥

अथवा जब वह मनुष्य जो पकड़ाजाने को था अथवा जो छुड़ालिया गया अथवा जिसके छुड़ानेका उद्योग किया गया किसी ऐसे अपराध में जिसका दंड वध हो फंसा हो अथवा पकड़े जाने को हो तो दंड दोनों मेसे किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद सात बरस तक होसकैगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा ॥

अथवा जब वह मनुष्य जो पकड़ा जाने को था अथवा जो छुड़ालिया गया अथवा जिसके छुड़ाने का उद्योग किया गया किसी अ़दालत की आज्ञानुसार अथवा उस के दंड के कारण जो उस आज्ञा के बदले ठहराया गया हो उसको जन्मभर का देश निकाला अथवा दश बरस या उस से अधिक म्याद के देश निकाले की अथवा सेवा दंड अथवा क़ैद के योग्य हो तो उसको दोनों प्रकारों मे से किसी प्रकार की क़ैद का दंड दिया जायगा जिसकी म्याद सात बरस तक हो सक्ती अथवा जुरमाने के भी योग्य होगा ॥

सर्व संबंधी नौकर की ओर से किसी मनुष्य के पकड़ने में चूकना अथवा भागजाने देना जिसके लिये कोई और आज्ञा नहो—

* (दफ़ा) २२५ (अ) जो कोई मनुष्य सर्व संबंधी नौकर हो कर अथवा सर्व संबंधी नौकर होने कारण कानूनानुसार किसी मनुष्य के पकड़े जाने अथवा क़ैद में रखने का अधिकारी हो जिसके लिये दफ़ा २२१ या दफ़ा २२२ अथवा दफ़ा २२३ अथवा किसी और नीति प्रचलित समय में कोई आज्ञा हुई हो उसके पकड़े जाने में चूकना अथवा

उसको क़ैद से भागजाने देना तो उसको नीचे लिखे अनुसार दंड दिया जायगा ॥

( अ ) जब वह सर्व संबंधी जानबूझकर उस काम को करै तो उसको दोनों प्रकारों में किसी प्रकार की क़ैद जिसकी म्याद तीन बरस तक हो सकैगी अथवा ज़ुरमाने की सज़ा अथवा दोनों सज़ायें दी जायंगी—और

( ब ) जब वह काम भूल से होगया हो तो उसको क़ैद का दंड दिया जायगा जिसकी म्याद दो बरस तक होसकैगी अथवा ज़ुरमाने की सज़ा अथवा दोनों सज़ायें दी जायंगी ॥

ऐसी अवस्था में जब बल सहित पकड़े जाने में सामना करना अथवा रोकना अथवा भागजाना अथवा छुड़ा लेजाना जिनके लिये किसी और तरह का हुक्म नहीं

* ( २२५ )-(ब) जो कोई मनुष्य जानबूझ कर कोई ऐसा काम करै कि जिसके लिये दफ़ा २२४ अथवा दफ़ा २२५ में अथवा किसी और नीति प्रचलित समय में कुछ और आज्ञा नहो अपने अथवा किसी और मनुष्य के पकड़े जाने में बल सहित सामना करना अथवा क़ानून विरुद्ध रोकना अथवा क़ैद से भागजाना अथवा भाग जानेका उद्योग करना जिसमें वह नीतिपूर्वक क़ैद रहा हो अथवा किसी और मनुष्य को छुड़ावे अथवा छुड़ाने का उद्योग करै जिसमें वह मनुष्य नीतिपूर्वक क़ैद हो तो उसको दोनों प्रकारों मे से किसी

* यह दफ़ा २२५ ( अ ) व २२५ ( ब ) ऐक्ट १० सन् १८८६ ई० की द० २४ के अनुसार २२५ ( अ ) के बदले क़ायम हुई हैं जो ऐक्ट २७ सन् १८७० ई० द० ९ के अनुसार बढ़ाई गई ॥

: का दंड दिया जायगा।
महीने तक हो सक्ती है अथवा जुरमाने की सज़ा अथवा दोनों सज़ायें दीजायंगी ॥

अनीति रीतिसे देश निकालेसे लौटआना } ( २२६ ) जो कोई मनुष्य क़ानून-अनुसार देश निकाले का दंड पाचुका हो वह कदाचित् ठहराई हुई म्याद भुगत जाने से पहिले अपना दंड माफ़ कियाजाने विना लौट आवेगा उसको दंड जन्मभरके देश निकाले का किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा और देश निकाला होने से पहिले किसी म्यादकी जो तीनबरस से अधिक न होगी कठिन क़ैद में रक्खा जायगा ॥

दंडके माफ़ीका क़ौल क़रार तोड़ना— } ( २२७ ) जो कोई मनुष्य कुछ क़ौल क़रार करके अपना दंड माफ़ कराचुका हो वह कदाचित् जानबूझ कर उस क़ौल क़रार को तोड़ेगा तो कदाचित् उस दंडका कुछ भाग भुगत न लिया हो वही दंड जो पहिले दिया गया था दिया जायगा और कदाचित् उस दंड का कोई भाग भुगत चुका हो तो दंड उतनाही जितना कि विना भुगता रहा हो किया जायगा ॥

जानबूझकर अपमान करना किसी सर्व संबंधीनौकर का अथवा विघ्न डालना उसके काम में जबकि वह किसी न्याय के मामले की किसी अवस्था में उपस्थित हो. } ( २२८ ) जो कोई मनुष्य जान बूझ कर किसी सर्व संबंधी नौकर का अपमान करैगा अथवा उस के काम में विघ्न डालेगा उस समय जबकि वह न्याय संबंधी मामले की किसी अवस्था में स्थित हो उसको दंड साधारण क़ैद जिसकी म्याद छः महीने तक होसकैगी अथवा जरीमाने का जो एक हज़ार

रुपया तक होसकैगा अथवा दोनों का किया जायगा ॥

झूठा मिस करके पंच अथवा असेसर बनना } (२२९) जो कोई मनुष्य दूसरा मनुष्य बनकर अथवा और किसी भांति किसी मुकद्दमे में जिसमें वह जानता हो कि कानून अनुसार मुझ को पंच अथवा असेसर की भांति सौगंद करने अथवा पंचों अथवा असेसरों में नाम लिखाने या दाखिल होनेका अधिकार नहीं है जानबूझ कर पंच अथवा असेसर की भांति सौगंद करैगा अथवा नाम लिखावैगा अथवा दाखिल होने देगा अथवा इन कामों में से कोई काम होने देगा अथवा मालूम करके कि कानून के विरुद्ध मुझ से इस प्रकार की सौगंद लीगई है अथवा मेरा नाम लिखा गया है उस पंचायत में जानबूझकर बैठगा अथवा असेसर बनेगा उसको दंड किसी प्रकार की कैद का जिसकी म्याद दो बरस तक हो सकैगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥



# अध्याय



## सिक्कों और गवर्नमेन्ट के स्टांप संबंधी अपराधों के विषय में ॥

सिक्का ] (२३०) *सिक्का वह धातु है जो कि मौजूद होने के समय द्रव्य की भांति काम में आवै और किसी सर्व संबंधी अथवा उस समय के राजा की आज्ञा से इस प्रकार प्रचलित होने के लिये मुहर किया गया और जारी किया गया हो ॥

* यह इबारत दफा२३० में ऐक्ट नं०६ सन् १८९६ई० के अनुसार बढाई गईहै ॥

* श्रीमती महारानी का सिक्का वह धातु है जो श्री मती महारानी अथवा गवर्नमेन्ट हिन्द अथवा किसी और हाते की गवर्नमेन्ट अथवा किसी और गवर्नमेन्ट या श्री मती महारानी की आज्ञानुसार द्रव्य की भांति प्रचलित होने के लिये ठप्पा किया गया और चलाया गया हो और वह धातु इस भांति ठप्पा किया गया और चलाई हो इस अध्याय के प्रयोजन से श्रीमती महारानी का सिक्का ठहरेगा यह संभवित मान कर कि इस काम के लिये उस का प्रचलित होना बंद होगया हो ॥

उदाहरण.

( अ ) कौड़ियां सिक्का नहीं हैं ॥

( इ ) तांबे के टुकड़े जिन पर मुहर न लगी हो अथवा ठप्पा न हुआ हो सिक्का नहीं है यद्यपि द्रव्य की भांति काम में आते भी हों ॥

( उ ) तमगे सिक्का नहीं है क्योंकि वे द्रव्य की भांति काम आने के प्रयोजन से नहीं बनाये जाते ॥

( ऊ ) सिक्का जो कम्पनी का रुपया कहलाता है श्रीमती महारानी का सिक्का है ॥

*( ए ) फ़र्रुखाबादी रुपया जो गवर्नमेन्ट हिन्द की आज्ञानुसार पहले रुपया की तरह प्रचलित था श्रीमती महारानी का सिक्का है परन्तु अब ऊपर लिखे अनुसार रिवाज़ नहीं रहा है ॥

खोटा सिक्का बनाना ] ( २३१ ) जो कोई मनुष्य खोटा सिक्का बनावेगा अथवा खोटा सिक्का बनाने के कामों मेसे जानबूझ कर कोई काम करैगा उसको दंड दोनों मे से किसी प्रकार

---

* दरबारह अधिक होने दंड के दूसरे अपराध ठहराये जाने में अध्याय १२ के उद्योग में देखो ऊपर की दफा ७५–यह फिकरा द० २३० में साबिक फ़िक़रे, की जगह ऐक्ट १९ स० ७५ के अनुसार क़ायम कियागया ॥

* यह इबारत दफ़ा २३० में ऐक्ट नं० ६२२ सन् १८६६ ईस्वी के अनुसार बढ़ाई गई ॥

की क़ैद जिसकी म्याद सात बरस तक होसकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

बिवेचना–जो कोई मनुष्य धोखा देने के प्रयोजन से अथवा जानबूझकर कि इससे धोखा देना अति संभवित है किसी खरे सिक्के को दूसरे सिक्के के सदृश करैगा वह इस अपराध का करनेवाला होगा ॥

श्रीमती महारानी का खोटा सिक्का बनाना

( २३२ ) जो कोई मनुष्य श्रीमती महारानी का सिक्का खोटा बनावैगा अथवा खोटा बनाने के कामों मे से कोई जानबूझ कर करैगा उसको दंड जन्म भर के देश निकाले का अथवा दोनों मे से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दश बरस तक होसकैगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा ॥

खोटा सिक्का बनाने के लिये औज़ार बनाना अथवा बेचना–

( २३३ ) जो कोई मनुष्य ठप्पा अथवा औज़ार खोटा सिक्का बनाने में काम आने के निमित्त अथवा यह बात जान बूझकर या निश्चय मानने का हेतु पाकर कि यह खोटा सिक्का बनाने के निमित्त काम में आने के प्रयोजन से बनावैगा अथवा सुधारैगा अथवा बनाने या सुधारने के कामों मे से कोई काम करैगा अथवा मोल लेगा या बेचैगा या किसी को देदेगा उसको दंड दोनों मे से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद तीन बरस तक होसकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा ॥

श्रीमती महारानी का खोटा सिक्का बनाने के लिये औज़ार बनाना अथवा बेचना–

( २३४ ) जो कोई मनुष्य ठप्पा अथवा औज़ार श्रीमती महारानी का खोटा सिक्का बनाने में काम

आने के निमित्त अथवा यह बात जान बूझकर या निश्चय मानने का हेतु पाकर कि यह श्रीमतीमहारानी का खोटा सिक्का बनाने के निमित्त काम में आने के प्रयोजन से है बनावैगा या सुधारैगा अथवा बनाने या सुधारने के कामों मे से कोई काम करैगा अथवा मोल लेगा या बेचेगा या उसको किसी को देदेगा उसको दंड दोनों मे से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद सात बरस तक होसकैगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा ॥

पास रखना औज़ार अथवा सामान का इस प्रयोजन से कि खोटा सिक्का बनाने के लिये काम आवै—

(२३५) जब कोई मनुष्य औज़ार अथवा सामान खोटा सिक्का बनाने के निमित्त अथवा यह जानबूझ कर अथवा निश्चय मानने का हेतु पाकर कि यह औज़ार अथवा सामान इस निमित्त काम में आने केप्रयोजन से है अपने पास रक्खैगा उसको दंड दोनों मे से किसीप्रकार की क़ैदका जिसकी म्याद तीनबरस तक होसकैगी किया जायगा और जरीमाने केभी योग्य होगा और कदाचित् वह सिक्का जो बनाया जाने को हो श्रीमती महारानी का सिक्का हो तो दंड दोनों मे से किसीप्रकार की क़ैदका जिसकी म्याद दशबरस तक होसकैगी किया जायगा और जरीमाने केभी योग्य होगा ॥

हिन्दुस्तान के बाहर खोटा सिक्का बनाने के लिये हिंदुस्तान में सहायता देनी—

(२३६) जो कोई मनुष्य हिन्दुस्तान के अंगरेज़ी राज्यके बाहर खोटा सिक्का बनाने में सहायता देगा उसको दंड उसी भांति दिया जायगा मानो उसने हिन्दुस्तान के अंगरेज़ी राज्यके भीतर खोटा सिक्का बनाने में सहायता दीहै ॥

खोटे सिक्के को बाहर भेजना अथवा भीतर लाना—

(२३७) जो कोई मनुष्य हिन्दुस्तान के अंगरेज़ी राज्यके भीतर से कोई खोटा सिक्का बाहर लेजावेगा अथवा भीतर लायेगा यह बात जानबूझ कर अथवा निश्चय मानने का हेतु पाकर कि यह खोटा है उसको दंड दोनों मे से किसी-प्रकार की क़ैदका जिसकी म्याद तीनवरस तक होसकैगी किया जायगा और जरीमाने केभी योग्य होगा ॥

श्रीमती महारानी के खोटे सिक्के को बाहर लेजाना अथवा भीतर लाना—

(२३८) जो कोई मनुष्य हिन्दुस्तान के अंगरेज़ी राज्यके भीतर कोई खोटा सिक्का बाहरसे लावेगा अथवा बाहर लेजायगा यह बात जानबूझ कर अथवा निश्चय मानने का हेतु पाकर कि यह खोटा है और सिक्का श्रीमती महारानी का है उसको दंड जन्मभर के देश निकाले का अथवा दोनों मे से किसीप्रकार की क़ैदका जिसकी म्याद दशबरस तक होसकैगी किया जायगा और जरीमाने केभी योग्य होगा ॥

देना किसी मनुष्यको कोई सिक्का जो खोटा जानबूझ कर पास रक्खा गयाहो—

(२३९) जो कोई मनुष्य अपने पास कोई ऐसा खोटा सिक्का रखता हो जिसको उसने अपने पास आने के समय खोटा जानलिया हो वह कदाचित् छल छिद्रसे अथवा छल छिद्र कियेजाने के प्रयोजनसे उस सिक्के को किसी मनुष्य को देदेगा अथवा उसके लेने के लिये किसी मनुष्य को फुसलाने का उद्योग करैगा उसको दंड दोनों मे से किसीप्रकार की क़ैदका जिसकी म्याद पांचबरस तक होसकैगी किया जायगा और जरीमाने केभी योग्य होगा ॥

देना श्रीमती महारानी के सिक्के का जो खोटा जान बूझकर पास रक्खा गया हो—

( २५० ) जो कोई मनुष्य अपने पास कोई ऐसा खोटा सिक्का रखताहो जो श्रीमती महरानी का खोटा सिक्का है वह कदाचित् छल छिद्रसे अथवा छल छिद्र कियेजाने के प्रयोजन से उस सिक्के को किसी मनुष्य को देगा या उसके लेनेके लिये किसी मनुष्य को फुसलाने का उद्योग करैगा उसको दंड दोनों मे से किसीप्रकार की कैदका जिसकी म्याद दशबरस तक होसकैगी किया जायगा और जरीमाने केभी योग्य होगा ॥

खरे सिक्के की भांति देना किसी मनुष्य को कोई सिक्का जिसको देनेवाले ने अपने पास आने के समय खोटा न जाना हो—

( २५१ ) जो कोई मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य को खरे की भांति खोटा सिक्का जिस को वह जानता हो कि यह खोटा है परन्तु जिस समय वह सिक्का उसके पास आया हो उस समय उसने खोटा न जाना हो देगा अथवा उस के देने का उद्योग करैगा अथवा उसके लेने को फुसला- वेगा उसको दंड दोनों मेसे किसी प्रकार की कैद का जिस की म्याद दो बरस तक होसकेगी अथवा जरीमाने का जो उस खोटे सिक्के दशगुने तक होसकेगा अथवा दोनों का किया जायगा ॥

## उदाहरण.

देवदत्त किसी सराफ ने कम्पनी के खोटे रुपये को अपने साझी यज्ञ- दत्त को चलाने के निमित्त दिये और यज्ञदत्त ने वे रुपये हरदत्त को वेचे और हरदत्त ने यह जानबूझ कर कि ये खोटे हैं मोल ले लिये फिर हर दत्त ने वे रुपये गंगादत्त को जिन्स के बदले दिये और गंगादत्त ने खोटे न जानकर ले लिये और लेलेने से पीछे गंगादत्त ने जानलिया कि ये

रुपये खोटे हैं परन्तु फिर भी खरे की भांति कहीं चला दिये तो यहां गंगादत्त केवल इसी दफ़ा के अनुसार दंड योग्य होगा परन्तु यज्ञदत्त और हरदत्त दफ़ा २३९ अथवा २४० के अनुसार जैसी अवस्था हो दन्ड पावैगा ॥

खोटासिक्का होना किसी मनुष्य के पास जिसने अपने पास आने के समय उसको खोटा न जानलिया हो—

(२४२) जो कोई मनुष्य छल छिद्र अथवा छल किये जाने के प्रयोजन से कोईऐसा खोटा सिक्का अपने पास रक्खैगा जिसको उसने अपने पास आने के समय जान लिया हो कि खोटा है उसको दंड दोनों मे से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद तीन बरस तक होसकैगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा ॥

श्रीमती महारानी का खोटा सिक्का होना किसी मनुष्य के पास जिसने अपने पास आनेके समय खोटा जानाहो—

(२४३) जो कोई मनुष्य छल छिद्र से अथवा छलछिद्र किये जाने के प्रयोजन से कोई ऐसा खोटा सिक्का अपने पास रक्खेगा जो श्रीमती महारानी का खोटा सिक्का हो और जिसको उसने अपने पास आने के समय जान लियाहो कि यह खोटा है उसको दंड दोनों मे से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद सात बरस तक होसकैगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा ॥

जो मनुष्य टकसाल में नौकर होकर कोई सिक्का क़ानून अनुसार ठहराई तोल अथवा धातु से दूसरी तोल अथवा धातु का बनावै—

(२४४) जो कोई मनुष्य हिन्दुस्तान के अँगरेज़ी राज्य में क़ानूनानुसार ठहराई हुई किसी टकसाल में नौकर होकर कुछ काम इस प्रयोजन से करैगा

अंथवा जिस काम का करना उसपर क़ानूनानुसार अवश्य है उसके करने से चूकेगा कि किसी सिक्का को जो उस टकसाल से निकले क़ानूनानुसार ठहराई हुई तोल अथवा ठहराई धातु पै दूसरी तोल अथवा धातुका बनाया जाय उसको दंड दोनों मे से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद सात बरस तक होसकेगी किया जायगां और जरीमाने के भी योग्य होगा ॥

अनीति रीतिसे लेजाना किसी टकसालसे सिक्का बनाने का कोई औज़ार

(२४५) जो कोई मनुष्य बिना नीतिपूर्वक अधिकार के सिक्का बनाने का कोई औज़ार अथवा लोयार किसी टकसाल से जो हिन्दुस्तान के अंगरेज़ी राज्य में नीतिपूर्वक ठहराई गई हो लेजायगा उसको दंड दोनों मे से किसीप्रकार की क़ैदका जिसकी म्याद सातबरस तक होसकैगी किया जायगा और जरीमाने केभी योग्य होगा ॥

छल छिद्रसे सिक्के की तौल घटाना अथवा धातु बदलना—

( २४६ ) जो कोई मनुष्य छल छिद्रसे अथवा बेधर्मई से किसी सिक्के के मध्ये कुछ ऐसा काम करैगा जिस से उस सिक्के की तौल घट जाय अथवा जिन वस्तुओं से वह बना हो बदल जाय उसको दंड दोनों मे से किसी प्रकार की क़ैदका जिसकी म्याद तीनबरस तक होसकैगी किया जायगा और जरीमाने केभी योग्य होगा ॥

बिवेचना—कोई मनुष्य जो किसी सिक्के मे से कुछ अंशको लेकर निकालले और खाली ठौरमें कुछ और वस्तु रखदेतौ कहा जायगा कि उसने उस सिक्के की धातु बदलली ॥

छल छिद्रसे श्रीमती महारानी के सिक्के की तौल घटाना अथवा धातुका बदलना—

( २४७ ) जो कोई मनुष्य छल छिद्रसे अथवा बेधर्मई से श्रीमती महारानी के सिक्के के मध्ये कुछ ऐसा काम करैगा जिससे उस सिक्के की तौल घट जाय अथवा जिन बस्तुओं से वह बनाहो बदल जाय उसको दंड दोनों मे से किसीप्रकार की क़ैदका जिसकी म्याद सातबरस तक होसकैगी किया जायगा और जरीमाने केभी योग्य होगा॥

रूप बदलना किसी सिक्के का इस प्रयोजन से कि दूसरे प्रकार के सिक्के की भांति चलाया जाय—

( २४८ ) जो के मनुष्य किसी सिक्के पर कुछ ऐसा काम जिससे उस सिक्के का रूप पलट जाय इसप्रयोजनसे करैगा कि वह सिक्का किसी दूसरे प्रकार के सिक्के की भांति चलजाय उसको दंड दोनों मे से किसीप्रकार की क़ैदका जिसकी म्याद तीनबरस तक होसकैगी किया जायगा और जरीमाने केभी योग्य होगा॥

रूप बदलना श्रीमती महारानी के सिक्के का इस प्रयोजन से कि दूसरे प्रकार के सिक्के की भांति चलै—

( २४९ ) जो कोई मनुष्य श्रीमती महारानी के किसी सिक्केपर कुछ ऐसाकाम जिससे उससिक्के का रूप पलट जाय इस प्रयोजन से करैगा कि वह सिक्का किसी दूसरे प्रकार के सिक्के की भांति चलाजाय उसको दंड दोनों मे से किसी प्रकार की क़ैदका जिसकी म्याद सातबरस तक होसकैगी किया जायगा और जरीमाने केभी योग्य होगा॥

देना दूसरे को कोई सिक्का जो पास आने के समय जान लिया हो कि बदला हुआ है-

(२५० ) जो कोई मनुष्य अपने पास कोई ऐसा सिक्का जिसके मध्ये दफ़ा २४६ अथवा २४८ में लक्षण किया हुआ अपराध हुआ हो रखकर और जिस समय वह सिक्का उसके पास आया उस समय यह जानबूझ कर कि वही अपराध इसके मध्यें होचुका उस सिक्के को छल छिद्रसे अथवा छल छिद्र किये जाने के प्रयोजन से किसी दूसरे मनुष्य को देगा अथवा उसके लेने के लिये किसी मनुष्य को फुसलाने का उद्योग करैंगा उसको दंड दोनों मेसे किसीप्रकार की क़ैदका जिसकी म्याद पांचबरस तक होसकेगी किया जायगा और जरीमाने केभी योग्य होगा ॥

देना किसी मनुष्य को श्रीमती महारानी का कोई सिक्का जो पास आने के समय जानलिया गया हो कि बदला हुआ है-

( २५१ ) जो कोई मनुष्य अपने पास श्रीमती महारानी का कोई ऐसा सिक्का जिसके मध्ये २४७ अथवा २४९ में लक्षण कियाहुआ अपराधहो रखकर और जिस समय वह सिक्का उसके पास आया उस समय यह बात जान बूझकर कि वही अपराध इसके मध्ये होचुका है उस सिक्के को छलछिद्र से अथवा छलछिद्र किये जाने के प्रयोजन से किसी दूसरे मनुष्य को देना अथवा उसके लेने के लिये किसी मनुष्य को फुसलाने का उद्योग करैगा उसको दंड दोनों मे से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दशबरसतक होसकैगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा ॥

होना बदले हुये सिक्के का किसी मनुष्य के पास जिसने अपने पास आने के समय उसे जानलिया हो कि बदला हुआ है–

( २५२ ) जो कोई मनुष्य छलछिद्र से अथवा छल छिद्र कियेजाने के प्रयोजन से कोई ऐसा सिक्का जिस के मध्ये दफ़ा २४६ अथवा २४८ में लक्षण किया हुआ अपराध हुआ हो अपने पास आने के समय यह बात जान बूझकर रक्खेगा कि इसके मध्ये वह अपराध होचुका हो उसको दंड दोनों मेस किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद तीन बरस होसकैगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा ॥

होना श्रीमती महारानी के बदले हुए सिक्के का किसी मनुष्य के पास जिसने अपने पास आनेके समय जानलिया हो कि बदला हुआ है–

( २५३ ) जो कोई मनुष्य छल छिद्र से अथवा छलछिद्र कियेजाने के प्रयोजन से कोई ऐसा सिक्का जिसके मध्ये दफ़ा २४७ अथवा २४९ में लक्षण कियाहुआ अपराध हुआ हो अपने पास आने के समय यह बात जान बूझकर रक्खैगा कि इसकेमध्ये वह अपराध होचुकाहै उस को दंड दोनों मे से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद पांच बरस तक होसकैगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा ॥

खरे सिक्के की भांति देना किसी को कोई ऐसा सिक्का जिसको देने वाले ने अपने पास आने के समय बदला हुआ न जाना हो–

( २५४ ) जो कोई मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य को खरे सिक्के की भांति अथवा जिस प्रकार का वह हो उससे दूसरे प्रकार के सिक्के की भांति कोई सिक्का जिसके मध्ये दफ़ा २४६ अथवा २४७ अथवा २४८ अथवा २४९

में वर्णन किया हुआ काम किया गया हो परन्तु उसने अपने पास आने के समय यह न जाना हो कि इसके मध्ये वह होचुका है देगा अथवा उसके लेनेके लिये किसी मनुष्य को फुसलाने का उद्योग करैगा उसको दंड दोनों मे से किसीप्रकार की कैदका जिसकी म्याद दोबरस तक होसकैगी अथवा जरीमाने का जो उसके बदलेहुये अथवा बदलने का उद्योग कियेहुये सिक्के के मोल के दशगुने तक होसकैगा किया जायगा ॥

गवर्नमेन्ट का स्टाम्प खोटा बनाना— (२५५) जो कोई मनुष्य किसी ऐसे स्टाम्प को जिसको गवर्नमेन्ट ने अपनी आमदनी के निमित्त चलाया हो खोटा बनावैगा अथवा जानबूझ कर खोटा बनाने के कामों मे से कोई काम करैगा उसको दंड जन्म भर के देश निकाले का अथवा दोनों मे से किसी प्रकार की कैद का जिसकी म्याद दश बरस तक होसकैगी कियाजायगा और जरीमाने केभी योग्य होगा ॥

बिवेचना—जो कोई मनुष्य एकप्रकारके सच्चे स्टाम्प के दूसरे प्रकार के सच्चे स्टाम्प के सदृश होने के लिये बनावैगा इस अपराध का करनेवाला कहलावैगा ॥

गवर्नमेन्ट का खोटा स्टाम्प बनाने के लिये औज़ार अथवा सामान रखना पास— (२५६) जो कोई मनुष्य अपने पास औज़ार अथवा सामान कोई ऐसा स्टाम्प जिसको गवर्नमेन्ट ने अपनी आमदनी के निमित्त चलाया हो झूठा बनाने में काम आने के निमित्त अथवा यह बात जानबूझ कर अथवा निश्चय मानने का हेतु पाकर कि यह झूठा स्टाम्प बनाने में काम आने के प्रयोजन से है रक्खैगा उसको दंड दोनों मे से किसी प्रकार की कैदका जिसकी म्याद

सातबरस तक होसकैगी किया जायगा और जरीमाने केभी योग्य होगा ॥

बनाना अथवा बेंचना औज़ार का कोई खोटा गवर्नमेन्टका स्टाम्प बनाने के निमित्त–

(२५७) जो कोई मनुष्य कुछ औज़ार ऐसा स्टाम्प जिसको गवर्नमेन्टने अपनी आमदनी के निमित्त चलाया हो झूठा बनाने में काम आने के निमित्त अथवा यह बात जानबूझ कर या निश्चय मानने का हेतु पाकर कि यह ऐसा स्टाम्प बनाने में काम आने के प्रयोजन से है बतलावेगा अथवा बनाने के कामों मे से कोई काम करैगा अथवा मोल लेगा अथवा वेचेगा अथवा किसी को देदेगा उसको दंड दोनों मे से किसी प्रकार की क़ैदका जिसकी म्याद सातबरस तक होसकैगी किया जायगा और जरीमाने केभी योग्य होगा ॥

गवर्नमेन्ट का खोटा स्टाम्प बेचना–

(२५८) जो कोई मनुष्य कोई ऐसा स्टाम्प जिसको यह जानता हो अथवा निश्चय मानने का हेतु रखता हो कि यह खोटा है किसी स्टाम्प का जिसको गवर्नमेन्टने अपनी आमदनी के निमित्त चलाया है बेचेगा अथवा बेचने के लिये रक्खैगा उसको दंड दोनों मे से किसीप्रकार की क़ैदका जिसकी म्याद सातबरस तक होसकैगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा ॥

गवर्नमेन्ट का खोटा स्टाम्प पास रखना–

(२५९) जो कोई मनुष्य अपने पास कोई ऐसा स्टाम्प जिसको वह जानता हो अथवा निश्चय मानने का हेतु रखताहो कि यह खोटा सिक्का किसी स्टाम्प का है जिसको गवर्नमेन्टने अपनी आमदनी के निमित्त चलाया है अपने पास रक्खैगा इस

प्रयोजन से कि उसको सच्चे स्टाम्प की भांति काम में लावै अथवा किसी को दे इसलिये कि वह सच्चे स्टाम्प की भांति काम में आवै उसको दंड दोनों मे से किसी-प्रकार की कैदका जिसकी म्याद सातबरस तक होसकैगी किया जायगा और जरीमाने केभी योग्य होगा ॥

सच्चे स्टाम्प की भांति काममें लाना गवर्नमेन्ट के किसी स्टांप का जो जानलिया हो कि झूठा है–

(२६०) जो कोई मनुष्य सच्चें की भांति किसी ऐसे स्टांप को काम में लावैगा जिसको वह जानता हो कि यह खोटा है किसी स्टांप का है जिसको गवर्नमेन्ट ने अपनी आमदनी के निमित्त चलाया है उसको दंड दोनों मे से किसीप्रकार की कैदका जिसकी म्याद सातबरस तक होसकैगी किया जायगा अथवा जरीमानेका अथवा दोनोंका किया जायगा ॥

मिटाना किसी लेखका किसी वस्तु से जिस पर गवर्नमेन्ट का कोई स्टांप लगा हो अथवा दूर करना किसी लिखतम से किसी स्टांपका जो उसके लिये लगाथा गया हो–

(२६१) जो कोई मनुष्य छल छिद्र अथवा गवर्नमेन्टका नुकसान करने के प्रयोजन से किसी वस्तु से जिस पर कोई ऐसा स्टाम्प लगा हो जो गवर्नमेन्ट ने अपनी आमदनी के मिमित्त चलाया किसी लेख को अथवा लिखतम को जिसके लिये वह स्टाम्प काम में आया हो दूर करैगा अथवा मिटावैगा अथवा किसी लिखतम से कोई स्टाम्प जो उस लेख या लिखतम के लिये काम में आया हो इस प्रयोजन से दूर करैगा कि वह स्टाम्प किसी दूसरे लेख अथवा लिखतम के लिये काम में आवै उसको दंड दोनों मे से किसी प्रकार की

क़ैद का जिसकी म्याद तीन बरस तक होसकैगी अथवा दोनों का किया जायगा ॥

काम में लाना गवर्नमेन्ट के किसी स्टांप को जो जान लिया गया हो कि आगे काम में आचुका हो—

( २६२ ) जो कोई मनुष्य छलछिद्र से अथवा गवर्नमेन्ट का नुक़सान करने के प्रयोजन किसी निमित्त कोई ऐसा स्टाम्प काम में लावैगा जिसको गवर्नमेन्ट ने अपनी आमदनी के निमित्त चलाया हो और जिसको वह जानता हो कि आगे काम में आचुका है उसको दंड दोनों मे से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दो बरस तक हो सकैगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

मिटाना किसी चिन्ह का जिस से जाना जाय कि स्टांप काममें आचुका है—

( २६३ ) जो कोई मनुष्य छल छिद्र से अथवा गवर्नमेन्ट का नुक़सान करने के प्रयोजन से किसी स्टांप से जिसको गवर्नमेन्टने अपनी आमदनीके निमित्त चलाया हो कोई चिन्ह जो उस स्टांप पर यह बात जानने के लिये कि वह काम में आचुका है लगाया गया अथवा छापा गया हो छीलैगा अथवा दूर करैगा अथवा किसी ऐसे स्टांप को जिस पर से वह चिन्ह छील डाला गया अथवा दूर किया गया हो अपने पास रक्खैगा अथवा बेचैगा अथवा देडालैगा अथवा किसी स्टांप को जिसको वह जानता हो कि एक बेर काम में आचुका है बेचैगा अथवा दे डालैगा उसको दंड दोनों मे से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद तीन बरस तक हो सकैगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

# अध्याय १३

## नाप तोल संबंधी अपराधों के विषय में।

छल छिद्र से कामलाना तोलने के किसी झूठे औज़ार का— (२६४) कोई मनुष्य छल छिद्र से तोलने के किसी औज़ार को जिसको वह जानता हो कि झूठा है काम में लावैगा उसको दंड दोनों मे से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद एक बरस तक होसकैगी अथवा जर्रीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा॥

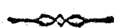
छल छिद्रसे काम में लाना किसीझूठेबांटका या नापका (२६५) जो कोई मनुष्य छल छिद्र से किसी झूठे बांट अथवा लंबाई जाचने के नाप को अथवा नापने के पात्र को काम में लावैगा अथवा छल छिद्र से किसी बांट अथवा लंबाई जाचने के किसी नाप को अथवा नापने के पात्र को जितना कि वह है उससे कमती बढ़ती तोल अथवा नाप की भांति काम में लावैगा उसको दंड दोनों मे से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद एक बरस तक होसकैगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा॥

झूठे बांट अथवा नापका अपने पास रखना— (२६६) जो कोई मनुष्य किसी तौलने के औज़ार को अथवा बांटको अथवा लम्बाई जाचने के नापको अथवा नापने के पात्रको जिसको वह जानता हो कि झूठा है इस प्रयोजन से अपने पास रक्खैगा कि यह छल छिद्र से काम में आवै उसको दंड दोनों मे से किसीप्रकार की क़ैदका जिसकी म्याद एकबरस तक होसकैगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा॥

झूठे बांट अथवा नाप बनाने अथवा बेचने— ( २६७ ) जो कोई मनुष्य कुछ तौलने का औज़ार अथवा बांट अथवा लंबाई जाचने का नाप अथवा नापने का पात्र जिसे वह जानता हो कि झूठा है इस प्रयोजन से बनावैगा अथवा बेचैगा अथवा वह बात जानबूझ कर कि उसका सच्चे की भांति काम में आना अति संभवित है उसको दंड दोनों मे से किसीप्रकार की क़ैदका जिसकी म्याद एकबरस तक होसकैगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥



# अध्याय १४



## सर्व संबंधी आरोग्यता और कुशलता और सुगमता और सुलज्जिता और सज्जनता और सुशीलता में विघ्न डालनेवाले अपराधों के विषय में ।

सर्व सम्बन्धी बाधा ] ( २६८ ) वह मनुष्य सर्व संबंधी बाधा का अपराधी होगा जोकि किसी ऐसे काम अथवा क़ानून विरुद्ध चूक का अपराधी हो जिससे सबको अथवा आस पास के रहनेवालों अथवा आस पास के मिलकियत रखनेवालों को हानि अथवा बिपत्ति अथवा कलेश पहुंचै अथवा जिससे उस स्थानपर सर्व संबंधी अधिकार वर्त्तने के लिये आने जानेवाले मनुष्यों को हानि अथवा बिपत्ति अथवा क्लेश पहुंचना अवश्यहो ॥

असावधानी किसी काममें जिससे फैलाना किसी जोखिमके रोग का अति संभवित हो—

(२६९) जो कोई मनुष्य अनीति से अथवा असावधानी से कोई ऐसा काम करैगा जो फैलानेवाला जीव जोखिम के रोग का हो अथवा जिसको वह जानताहो या निश्चय मानने का हेतु रखता हो कि इससे फैलाना किसी जीव जोखिम के रोग का अति संभवित है उसको दंड दोनों मे से किसीप्रकार की कैदका जिसकी म्याद छः महीने तक होसकैगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

दुर्भाव का काम जिससे फैलना जीव जोखिमके रोगका अति संभवित हो

(२७०) जो कोई मनुष्य दुर्भाव से कोई ऐसा काम करैगा जो फैलाने वाला किसी जीव जोखिम के रोग का हो अथवा जिसको वह जानताहो या निश्चय मानने का हेतु रखता हो कि इससे फैलना किसी जीव जोखिम के रोग का हो अति संभवित है उसको दंड दोनों मे से किसीप्रकार की कैदका जिसकी म्याद दोबरस तक होसकैगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

किसी क्वारटीन आज्ञा को न मानना—

(२७१) जो कोई मनुष्य किसी आज्ञा को जो हिंदकी गवर्नमेन्ट ने अथवा और किसी गवर्नमेन्ट ने जहाज को क्वारटीन की अवस्था में रखने के लिये अथवा क्वारटीन अवस्था के जहाज के किनारेपर अथवा दूसरे जहाजों के पास आने जाने के विषय में अथवा जिन स्थानों में छूने से फैलनेवाला कोई रोग प्रबल हो उनके मनुष्यों की आवाजाई दूसरे स्थान में होने के मध्ये नियत की और चलाई हो जानबूझ कर न मानेगा उसको दंड दोनों मेंसे

किसीप्रकार की कैद का जिसकी म्याद छः महीने तक हो सकैगी अथवा जरीमानेका अथवा दोनोंका कियाजायगा ॥

खाने अथवा पीने की वस्तु जो बेंचने के लिये हो उस में मिलावट करनी—

(२७२) जो कोई मनुष्य खाने अथवा पीने की किसी वस्तु में कुछ ऐसी मिलावट जिससे वह वस्तु खाने अथवा पीने के लिये निकाम होजाय इस प्रयोजन से करैगा कि उस वस्तुको खाने अथवा पीने के लिये बेचै अथवा वह जानबूझ कर कि उसखाने अथवा पीने के लिये बेचाजाना अति संभवित है उसको दंड दोनों मेसे किसीप्रकार की कैदका जिसकी म्याद छः महीने तक होसकैगी अथवा जरीमाने का जो एकहज़ार रुपये तक होसकैगा ॥

बेंचना खाने अथवा पीने की वस्तु का जो ज्यान पहुंचानेवाली हो—

(२७३) जो कोई मनुष्य खाने अथवा पीने के लिये कोई ऐसी वस्तु जो निकाम की गई हो अथवा होगई हो यहबात जान बूझकर अथवा निश्चय माननेका हेतु पाकर बेचेगा जो खाने अथवा पीने के क़ाबिल न रहीहो अथवा बेचने के लिये सामने रक्खैगा कि यह वस्तु खाने अथवा पीने के लिये निकाम है उसको दंड दोनों मेसे किसी प्रकार की कैद का जिसकी म्याद छः महीने तक होसकैगी अथवा जरीमाने का जो एक हज़ार रुपये तक होसकैगी अथवा दोनों का किया जायगा ॥

औषधि में मिलावट करनी—

(२७४) जो कोई मनुष्य किसी बनी हुई अथवा बिना बनी औषधि का गुण घटिजाय अथवा बदल जाय अथवा वह निकाम होज़ाय इस प्रयोजन से करैगा कि वह बिना मिलावट की औषधि

की भांति बेची जाय अथवा काम में लाई जाय अथवा यह जान बूझकर कि उसका इसभांति बेचा जाना या काम में लाया जाना अति संभावित है उसको दंड दोनों मेसे किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद छः महीने तक होसकैगी अथवा जरीमाने का जो एक हज़ार रुपये तक होसकैगा अथवा दोनों का किया जायगा ॥

मिलावट की हुई औषधि को बेचना—

(१७५) जो कोई मनुष्य किसी बनी हुई अथवा बिना बनीहुई औषधि को यह जान बूझकर कि उसमें कुछ मिलावट ऐसी हुई है जिससे इसका गुण घटि गयाहै अथवा बदल गया है अथवा जिससे यह निकाम होगई बिला मिलावट की औषधि की भांति बेचेगा अथवा बेचने के लिये सामने रक्खैगा अथवा किसी दवाईख़ाने से औषधि के काम के लिये देगा अथवा किसी ऐसे मनुष्य से जानता नहो कि मिलावट हुई है उसको औषधि के काम में मिलावैगा उसको दंड दोनों मेसे किसीप्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद छः महीने तक होसकैगी अथवा जरीमाने का जो एक हज़ार रुपये तक होसकैगा अथवा दोनों का किया जायगा ॥

बेचना किसी औषधिको दूसरी औषधि के नामसे

(२७६)जो कोई मनुष्य किसी बनी हुई अथवा बिना बनी हुई औषधि को जानबूझ कर दूसरी बनी हुई अथवा बिना बनी हुई औषधि की भांति बेचेगा अथवा बेचने के लिये सामने रक्खैगा अथवा औषधि के लिये किसी दवाई खाने से देगा उसको दंड दोनों मेसे किसीप्रकार की क़ैदका जिसकी म्याद छः महीने तक होसकैगी अथवा जरीमाने का जो

एकहज़ार रुपया तक होसकैगा अथवा दोनोंका किया जायगा ॥

बिगाड़ना किसी सर्व संबंधी कुआं कुंड इत्यादि के पानीको— ( २७७ ) जो कोई मनुष्य सर्व संबंधी कुआं नदी इत्यादि के अथवा कुंड के पानी को जानबूझ कर बिगाड़ैगा ऐसा कि वह पानी जिस काम में साधारण आता हो उस काम के योग्य जैसा था वैसा न रहै उसको दंड दोनों मेसे किसीप्रकार की क़ैदका जिसकी म्याद तीनमहीने तक होसकैगी अथवा जरीमाने का ज़ो पांचसौ रुपया तक हो सकेगा अथवा दोनों का किया जायगा ॥

पवन को अरोग्यता के अयोग्य करना— ( २७८ ) जो कोई मनुष्य किसी जगह की पवन को जानबूझ कर बिगाड़ैगा ऐसा कि वह आस पास के रहनेवाले अथवा काम काज करनेवाले अथवा गैल निकलनेवाले मनुष्यों को अरोग्यता के लिये निकाम होजाय उसको दंड जरीमाने का जो पांचसौ रुपये तक होसकैगा किया जायगा ॥

सबके चलने की गैलमें गाड़ीघोड़ा इत्यादि सवारी कोसुध दौड़ाना— ( २७९ ) जो कोई मनुष्य सबके आने जाने की किसी गैल में कुछ सवारी ऐसी बे सुध अथवा असावधानी से दौड़ावैगा जिससे मनुष्य की जीव जोखिम हो अथवा दूसरे मनुष्यको दुःख अथवा हानि पहुंचनी अति संभावित हो—उसको दंड दोनों मेसे किसीप्रकार की क़ैदका जिसकी म्याद छः महीने तक होसकैगी अथवा जरीमाने का जो एकहज़ार रुपयातक होसकैगा अथवा दोनों का किया जायगा ॥

नावको बेसुधि चलाना ] ( २८० ) जो कोई मनुष्य किसी

नावको ऐसी बेसुधी अथवा असावधानी से चलावैगा जिससे मनुष्य की जोखिम हो अथवा दूसरे मनुष्यको दुःख अथवा हानि पहुंचनी अति संभवित हो उसको दंड दोनोंमेसे किसीप्रकार की कैदका जिसकी म्याद छः महीने तक होसकैगी अथवा जरीमाने का जो एकहज़ाररु०तक हो सकैगा अथवा दोनोंका किया जायगा॥

झूठा उजाला अथवा चिन्ह दिखाना—

(२८१) जो कोई मनुष्य झूठा उजाला अथवा १ + बया इस प्रयोजन से अथवा यह बात अति सम्भवित जानकर कि इस से कोई नाव चलानेवाला बहक जाय दिखलावैगा उसको दंड दोनों मेसे किसीप्रकार की कैदका जिसकी म्याद सातबरस तक होसकैगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनोंका किया जायगा॥

पानी के रस्ता पहुंचाना किसी मनुष्य का भाड़े के लिये किसी ऐसी नाव से जो अति बोझी अथवा जोखिम की हो—

(२८२) जो कोई मनुष्य अपने भाड़े के लिये किसी मनुष्य को जान बूझकर अथवा असावधानी से किसी नाव में जो ऐसी दशा में अथवा इतनी भारी हो कि उस से मनुष्य के जीव की जोखिम दिखाई पड़ै पानी के रस्ता भेजेगा अथवा भिजवावैगा उसको दंड दोनों मेसे किसीप्रकार की कैद का जिसकी म्याद छः महीने तक होसकैगी अथवा जरीमाने का जो एक हज़ार रुपये तक होसकैगा अथवा दोनों का किया जायगा॥

जोखिम अथवा रोक डालना किसी सर्व संबंधी गैल में अथवा नाव के मार्ग में—

(२८३) जो कोई मनुष्य कुछ काम करके अथवा जो वस्तु उसके पास हो या उसको सौंपी

गई हो उसकी चौकसी में चूक करके सबके चलने की गैल में अथवा नाव के चलने की गैल में किसी मनुष्य को जोखिम अथवा रोक अथवा हानि पहुंचावैगा उसको दंडजरीमानेका जो दोसौरुपयेतक होसकैगा कियाजायगा ॥

विष की किसी वस्तु के मध्ये असावधानी करनी— ( २८४ ) जो कोई मनुष्य किसी विषदार वस्तु के मध्ये कोईकाम ऐसा बेधड़क अथवा असावधानी से करैगा जिसमें मनुष्य की जीव जोखिम हो या किसी मनुष्य को दुख या हानि पहुंचनी अति संभावित हो अथवा किसी विषदार वस्तु के मध्ये जो उसके पास हो जान बूझकर अथवा असावधानी करके ऐसी चौकसी जो उस विषदार वस्तु से दूसरे मनुष्य की जीव जोखिम होने का सन्देह मिटाने के लिये काफ़ी हो करने से चूकेगा उसको दंड दोनों मेसे किसीप्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद छः महीने तक होसकेगी किया जायगा अथवा जरीमाने का जो एक हज़ार रुपया तक होसकैगा अथवा दोनों का किया जायगा ॥

अग्नि अथवा जलनेवाली वस्तु के मध्ये असावधानी करना— ( २८५ ) जो कोई मनुष्य अग्नि अथवा जलनेवाली किसी वस्तु के मध्ये कोई ऐसा काम बेधड़क अथवा असावधानी से करैगा जिस से मनुष्य की जीव जोखिम हो या किसी मनुष्य को दुख या हानि पहुंचनी अति संभावित हो अथवा अग्नि अथवा जलने वाली वस्तु से दूसरे मनुष्य की जीवजोखिम होने की संदेह मिटाने के लिये काफ़ी हो करने से चूकेगा उसको दंड दोनों मेसे किसीप्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद छः महीने तक

होसकैगी अथवा जरीमाने का जो एक हज़ार रुपये तक होसकैगा अथवा दोनों का किया जायगा ॥

अग्नि की भांति उड़नेवाली वस्तु के मध्ये असावधानी करना—

( २८६ ) जो कोई मनुष्य अग्नि की भांति उड़नेवाली वस्तु के मध्ये कोई काम ऐसा बेधड़क अथवा असावधानी से करैगा जिससे मनुष्य की जीव जोखिम हो या किसी मनुष्य को दुःख या हानि पहुंचनी अति सम्भावित हो अथवा अग्नि की भांति उड़नेवाली किसी के मध्ये जो उसके पास हो जान बूझकर अथवा असावधानी करके ऐसी चौकसी जो उस अग्नि की भांति उड़नेवाली वस्तु से दूसरे मनुष्य की जीव जोखिम होने का संदेह मिटाने के लिये काफी हो करने से चूकैगा उसको दंड दोनों मेसे किसीप्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद छः महीने तक होसकैगी अथवा जरीमाने का जो एक हज़ार रुपया तक होसकैगा अथवा दोनों का किया जायगा ॥

किसी कलके मध्ये जो अपराधी के अधिकार अथवा चौकसी में हो असावधानी करना—

( २८७ ) जो कोई मनुष्य किसी कलके मध्ये कोई काम ऐसा बेधड़क अथवा असावधानी से करैगा जिससे मनुष्य को दुःख या हानि पहुंचनी या जीव जोखिम होना अति सम्भावित हो अथवा किसी कलके मध्ये जो उसके पास हो जान बूझकर अथवा असावधानी करके ऐसी चौकसी जो उस कल से दूसरे मनुष्य की जीव जोखिम होने का संदेह मिटाने के लिये काफी हो जानबूझ कर चूकैगा उसको दंड दोनों मेसे किसीप्रकार की क़ैदका जिसकी म्याद छः महीने तक होसकैगी अथवा जरीमाने का जो एकहज़ार

रुपया तक होसकैगा अथवा दोनोंका किया जायगा॥

मकान के गिराने अथवा मरम्मत कराने के विषय में असावधानी करना—

(२८८) जो कोई मनुष्य किसी मकान के गिराने अथवा मरम्मत करने में जानबूझ कर असावधानी करके उस मकान के मध्ये ऐसी चौकसी जो उसके गिराने से मनुष्य की जीव जोखिम होने का संदेह मिटाने के लिये काफ़ी हो करने से चूकैगा उसको दंड दोनों मेसे किसीप्रकार की क़ैदका जिसकी म्याद छः महीने तक होसकैगी अथवा जरीमाने का जो एकहज़ार रुपये तक होसकैगा अथवा दोनोंका किया जायगा॥

किसी पशु के मध्ये असावधानी करना—

(२८९) जो कोई मनुष्य किसी पशु के मध्ये जो उसके पास हो जानबूझ कर अथवा असावधानी करने में ऐसी चौकसी जो उस पशु से मनुष्य की जीव जोखिम अथवा भारी दुःख होने का संदेह मिटाने के लिये काफ़ी हो करने से चूकैगा उसको दंड दोनों मेसे किसीप्रकार की क़ैदका जिस की म्याद छः महीने तक होसकैगी अथवा जरीमाने का जो एकहज़ाररु० तक होसकैगा अथवा दोनोंका किया जायगा॥

सर्व दुःख दाई कामका दंड—

(२९०) जो कोई मनुष्य कोई ऐसा सर्व दुखदाई काम जो इस संग्रह के अनुसार और किसी भांति दंड के योग्य नहीं है करैगा उसको दंड जरीमाने का जो दोसौरु० तक होसकैगा किया जायगा॥

बन्द करने की आज्ञापाने से पीछे किसी सर्व दुखदाई काम को करते रहना—

(२९१) जो कोई मनुष्य किसी सर्वदुखदाई कामको फिर न करने अथवा करने से रुकजाने की आज्ञा

किसी ऐसे सर्व संबंधी नौकरसे जिसको उस आज्ञा के देनेका अधिकार क़ानूनानुसार प्राप्त हो पाकर फिरभी करता रहैगा अथवा करैगा उसको दंड साधारण क़ैदका जिसकी म्याद छः महीने तक होसकैगी अथवा जरीमानेका अथवा दोनोंका किया जायगा ॥

बेचंना इत्यादि निर्लज्जता की पुस्तकों का—

(२९२) जो कोई मनुष्य कोई निर्लज्जताकीपुस्तक अथवा काग़ज़ अथवा चित्र अथवा बिचित्र अथवा मूर्ती अथवा प्रतिमा बेचैगा अथवा बांटैगा अथवा बेंचने को या किरायेपर बाहरसे लावैगा या छावैगा अथवा जानबूझ कर सबके देखने की जगहपर रक्खैगा अथवा इनकामों का उद्योग करैगा वा करने को राज़ी होगा उसको दंड दोनों मेसे किसीप्रकार की क़ैदका जिसकी म्याद तीनमहीने तक होसकैगा अथवा जरीमानेका अथवा दोनोंका किया जायगा॥

## छूट

यह दफ़ा किसी ऐसी तसबीर से सम्बन्ध न रक्खैगी जो किसी मंदिर के ऊपर अथवा भीतर अथवा प्रतिमा निकालने के रथपर हो अथवा किसी मज़हब अर्थात् मत सम्बन्धी कामके लिये रक्खी गईहो या काम में आतीहो चाहै वह मूर्ति कटकर बनी हो चाहै खुदकर और चाहै रंगदार हो चाहै और भांति की ॥

बेचना अथवा दिखलाने के लिये निर्लज्जता की पुस्तक पास रखनी—

(२९३) जो कोई मनुष्य अपने पास कोई ऐसी निर्लज्जता की पुस्तक अथवा वस्तु जैसी की पिछली दफ़ा में वर्णन हुई है बेचनी अथवा बांटने अथवा सबको दिखलाने के लिये रक्खैगा उसको दंड दोनों मेसे किसी प्रकार

की कैद का जिसकी म्याद तीन महीने तक होसकैगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

निर्लज्जता के गीत ] ( २९४ ) जो कोई मनुष्य सर्व संबंधी स्थान पर अथवा उसके नीचे कोई ऐसा गीत अथवा छन्द गावैगा या पढैगा या और कुछ बात बकैगा जिससे दूसरों को खेद हो उसको दंड दोनों मेसे किसी प्रकार की कैद का जिसकी म्याद तीन महीने तक होसकैगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

चिट्ठी डालने की मनाही ] ( २९४ ) *( अ ) जो कोई मनुष्य दफ्तर या मकान बगरज़ ऐसी चिट्ठी डालने के रक्खै जिसकी आज्ञा सर्कार से नहीं है उसको दंड दोनों मेसे किसीप्रकार की कैद का दंड जिसकी म्याद छः महीने तक होसकैगी किया जायगा अथवा जुरमाना अथवा दोनों दंड दिये जायँगे ॥

जो कोई मनुष्य किसी वाक़ै अथवा इत्तिफ़ाक़ के वकूअ पर जो निस्बत या ताअ़ल्लुक़ किसी टिकट या कुये या नम्बर या हिंदुसा वग़ैरह से ऐसी चिट्ठी डालने में रखता हो किसी मनुष्य के फ़ायदे के वास्ते कुछ रुपया अथवा असबाब हवाले करने अथवा कोई काम करने के लिये अथवा किसी काम करने देने के लिये कोई तजवीज़ मुश्तहिर करै उसको दंड जरीमाने का जो एक हज़ार रु० तक होसक्ता है होगा ॥

दफ़ा २९४ ( अ ) ऐक्ट २७ सन् १८८० ईस्वी की दफा १० के जरिया से दाखिल की गई इस मजमुआ क़वानीन के बाब ४,५ व २३ उन जुर्मों से मुतअ़ल्लक़ हैं जो हस्ब दफा २९४ (अ) क़ाबिल सज़ा है देखो ऐक्ट २७ सन् १८७० ई० की दफ़ा १३ ॥

# अध्याय १५

## मत संबंधी अपराधों के विषय में

किसी संप्रदाय के मत की निन्दा के प्रयोजन से पूजा के किसी स्थान को ज्यान पहुंचाना अथवा अपवित्र करना—

(२९५) जो कोई मनुष्य पूजा के किसी स्थान को अथवा और किसी बस्तु को जिसको किसी संप्रदाय के मनुष्य पूज्य मानते हों तोड़ैगा अथवा फोड़ैगा अथवा ज्यान पहुंचावैगा अथवा भ्रष्ट करैगा इस प्रयोजन से कि इस से किसी सम्प्रदाय के मत की निन्दा हो अथवा यह बात अति सम्भावित जानकर कि किसी सम्प्रदाय के मनुष्य इस तोड़ फोड़ अथवा ज्यान अथवा भ्रष्टता को अपने मत की निन्दा समझैंगे उसको दंड दोनों मेसे किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दोबरस तक होसकैगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

किसी मत सम्बन्धी समाज को छेड़ना—

(२९६) जो कोई मनुष्य जान बूझकर किसी समाज को जो निरापराधी रीति से पूजा अथवा मत संबंधी उत्सव में लगा हो छेड़ैगा उसको दंड दोनों मेसे किसीप्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद एक बरस तक होसकैगी अथवा जरीमाने अथवा दोनों का किया जायगा ॥

कबरस्थान इत्यादि पर मुदाखलत बेजा करनी—

(२९७) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य के मन को खेद देने अथवा किसी मनुष्य के मत की निन्दा करने के प्रयोजन से

अथवा यह बात अति सम्भावित जानकर किसी मनुष्य के मन को खेद होगा अथवा किसी मनुष्य के मत की निन्दा होगी किसी पूजा के स्थान में अथवा और किसी स्थान में जो मृत्यु कार्यों के लिये अथवा मरे हुये के गाड़ने के लिये हुए हो मुदाखलत बेजा करनी अथवा किसी मुर्दे की बे हुर्मती करैगा अथथा उन मनुष्यों के समाज को जो किसी मृत्यु कार्य के लिये इकट्ठे हुये हों छेड़ेगा उसको दंड दोनों मेसे किसीप्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद एक बरस तक होसकैगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

किसी मनुष्य के अंतःकरण को मत के विषय में जान बूझकर दुख देने के प्रयोजन से कुछ कहना इत्यादि—

(२९८) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य के अंतःकरण को मत के विषय में सोच विचार और जान बूझकर दुख देने के प्रयोजन से कुछ बचन कहैगा अथवा उस मनुष्य के सुनने में कोई शब्द करैगा अथवा उस मनुष्य के देखने कुछ शरीर मटकावैगा अथवा उस मनुष्य की दृष्टि के सामने कुछ बस्तु रक्खैगा उसको दंड दोनों मेसे किसीप्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद एक बरस तक होसकैगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनोंका किया जायगा॥

---

# अध्याय १६

## मनुष्य के मत सम्बन्धी अपराधों के विषय में जीव सम्बन्धी अपराध ।

ज्ञातवत घात ] (२९९) जो कोई मनुष्य मृत्यु उत्पन्न करने

के प्रयोजन से अथवा तन को ऐसा दुख पहुंचाने के प्रयोजन से जिससे मृत्यु का होना अति संभवित है कुछ काम करके मृत्यु उत्पन्न करैगा वह ज्ञातवत घात का अपराध करनेवाला कहलावैगा ॥

उदाहरण.

( अ ) देवदत्त ने किसी गढ़ के ऊपर कुछ लकड़ियां और घास पाटदी इस प्रयोजन से कि मृत्यु उत्पन्न करै अथवा यह बात जानबूझ कर कि इस से मृत्यु उत्पन्न होनी अति सम्भवित है और विष्णुमित्र ने उस धरती को ठोस जानकर उसपर पांव रक्खा और गिर कर मर गया तो देवदत्त ने ज्ञातवत घात का अपराध किया ॥

( इ ) देवतत्त ने जान लिया कि विष्णुमित्र किसी झूकटे की ओट में है और यज्ञदत्त ने इस बात को न जाना देवदत्त ने विष्णुमित्र की मृत्यु करने के प्रयोजन से अथवा मृत्यु होना अति संभवित जानकर यज्ञदत्त को उस झूकटे पर बन्दूक छोड़ने के लिये बहकाया यज्ञदत्त ने बन्दूक छोड़ी और विष्णुमित्र उसमें मरगया तो यज्ञदत्त यहां यद्यपि किसी अपराध का अपराधी न भी हो परन्तु देवदत्त ने अपराध ज्ञातवत घात का किया.

( उ ) देवदत्त ने किसी चिड़ियाको मारकर चुरालेजाने के प्रयोजन से बन्दूक छोड़ी और यज्ञदत्त को जो एक झूकटे के पीछे बैठाथा मारा परंतु देवदत्त को मालूम न था कि यज्ञदत्त यहां बैठा है तो यद्यपि यहां देवदत एक अनीति कामकर रहा था तो भी अपराधी ज्ञातवत घात का न हुआ क्योंकि उसने यज्ञदत्त के मारने का अथवा ऐसा काम करने का जिसको वह जानता होता कि इसमे मृत्युका अति संभवित है प्रयोजन नहीं किया.

विवेचना—१ कोई मनुष्य जो किसी मनुष्य को जिसे कुछ बड़ा अथवा रोग अथवा शरीर की दुर्बलता लग रही हो कुछ शरीर का दुख पहुंचावैगा और उससे उस मनुष्य की मृत्यु होने में जल्दी होगी मृत्यु करनेवाला गिना जायगा ॥

बिवेचना—२ जब मृत्यु शरीर के दुखके कारण हुई हो तो जो मनुष्य उस दुख को पहुंचानेवाला हो मृत्यु उत्पन्न करनेवाला गिना जायगा यद्यपि यथोचित् औषधि लगाने और चतुरता से वह मृत्यु रुक भी सकती ॥

बिवेचना—३ मारना किसी बालक का उसकी माता के गर्भ में ज्ञातवतघात न गिना जायगा परन्तु मारना किसी ऐसे जीतेहुए बालक का जिसका कोई अंग बाहर निकल आया हो ज्ञातवत घात होसकैगा यद्यपि उस बालक ने स्वास भी नलीहो और उसका जन्मभी न होचुका हो॥

( ३०० ) कदाचित् वह काम जिससे मृत्यु हुई हो अथवा मृत्यु करने के प्रयोजन से किया गयाहो—अथवा—

पहिले—कदाचित् वह काम जिससे मृत्यु हुई हो अथवा मृत्यु करने के प्रयोजन किया गयाहो ॥

दूसरे—जब वह काम कुछ ऐसा शरीरका दुःख पहुंचाने के प्रयोजन से किया गयाहो जिसको अपराधी जानताहो कि इससे मृत्यु होनी उस मनुष्य की जिसको वह दुःख पहुंचाया गया है अति संभवित है—अथवा—

तीसरे—जब वह काम किसी मनुष्य को कोई शरीर का दुःख पहुंचाने के प्रयोजन से किया गयाहो और वह शरीरका दुःख जिसके पहुंचाने का प्रयोजन किया गयाहो ऐसा होकि प्रकृति की साधारण रीति के अनुसार मृत्यु उत्पन्न करने के लिये काफ़ी हो ॥

चौथे—जब उस काम का करनेवाला मनुष्य जानताहो कि यह काम ऐसी अत्यन्त जोखिमका है कि इससे मृत्यु अथवा शरीरका ऐसा दुःख होना अति संभवित है जिससे मृत्यु होनी दुर्लभ नहीं है और फिरभी उस कामको बिना

किसी हेतु के जिससे मृत्युकरने अथवा ऊपर कहे प्रकारका शरीरके दुःख पहुंचानेकी जोखिमउठानी माफ़होसकै करै ।

## उदाहरण.

( अ ) देवदत्त ने बिष्णुमित्र पर उसके मारडालने के प्रयोजन से बन्दूक छोड़ी उससे विष्णुमित्र मरगया तो देवदत्त ने ज्ञातघात का अपराध किया ॥

( इ ) देवदत्त ने यह बात जानबूझ कर कि विष्णुमित्र ऐसे किसी रोग में फंसा है कि घूंसा मारने से उसकी मृत्यु होनी अति संभवित उस को शरीर का दुःख पहुंचाने के प्रयोजन से घूंसा मारा और विष्णुमित्र घूंसा से मरगया तौ देवदत्त ज्ञातघात का अपराधी हुआ ॥

यद्यपि प्रकृति अनुसार वह घूंसा किसी निरोगी मनुष्य के मारडालने को काफ़ी नथा परंतु जब देवदत्त यह बात न जानता हो कि बिष्णुमित्र किसी रोगमें है और उसको ऐसा घूंसामारै जो साधारण प्रकृति अनुसार निरोगी मनुष्य को मारडालने को काफ़ी नहो तो देवदत्त यद्यपि उसने शरीर का दुःख पहुंचाने का प्रयोजन भी किया हो अपराधी ज्ञातघात का न होगा ॥

कदाचित् उसने प्रयोजन मृत्यु करने अथवा ऐसा शरीरका दुःख जिससे साधारण प्रकृति अनुसार मृत्यु होती है पहुंचाने का न किया हो ॥

( उ ) देवदत्त प्रयोजन करके विष्णुमित्र को तलवार से घाव अथवा लठ से चोट ऐसी दी जो साधारण प्रकृति अनुसार मनुष्य की मृत्यु उत्पन्न करने के लिये काफ़ी है और विष्णुमित्र उससे मरगया तो देवदत्त ज्ञातघात का अपराधी हुआ यद्यपि उसने बिष्णुमित्र की मृत्यु का प्रयोजन भी किया हो ॥

देवदत्त ने विना किसी हेतु के जिससे वह माफ होसक्ता मनुष्यों की भीड़ पर भरी हुई तोप छोड़दी और उससे एक मनुष्य मरगया तौ देवदत्त अपराधी ज्ञातघात का हुआ—यद्यपि उसने आगेसे किसी विशेष मनुष्यं को मारडालने का मनोर्थ न भी किया हो ॥

## छूट

ज्ञातवत घात किस अवस्था में ज्ञातघात न गिनी जायगी

ज्ञातवत घात उस अवस्था में ज्ञातघात न गिनी जायगी जबकि अपराधी ने किसी बड़े और तत्काल क्रोध दिलानेवाला कामके कारण अपने आपे में न रहकर उस मनुष्य को जिसने वह क्रोध दिलाने का कारण उत्पन्न किया मारडाला हो अथवा भूलसे या अकस्मात् दूसरे किसी मनुष्य को मारडाला हो परन्तु यह छूट नीचे लिखे हुए नियमों के आधीन होगी ॥

पहिले—क्रोध दिलाने का वह कारण अपराधी ने किसी मनुष्य को मारडालने अथवा दुःख पहुंचाने का मिस करने के लिये उपाय करके अथवा अपनी इच्छा से कुछ हेतु उत्पन्न न कियाहो ॥

दूसरे—क्रोध दिलाने का वह कारण किसी ऐसे कामसे न हुआ हो क़ानून की आज्ञा अनुसार किया गयाहो अथवा किसी सर्व संबंधी नौकर करने अथवा अपना अधिकार वर्त्तने में किया हो ॥

तीसरे—क्रोध दिलाने का वह कारण किसी ऐसे काम से न हुआ हो जो निजरक्षा का अधिकार क़ानून अनुसार वर्त्तने में किया गयाहो ॥

बिवेचना—यह बात कि क्रोध दिलाने का कारण ऐसा बड़ा और तत्कालथा यह नहीं जिससे वह अपराध ज्ञातघात गिना जाने से बचै तहक़ीक़ात के आधीन होगी ॥

### उदाहरण.

(अ) देवदत्त ने उस क्रोध में जिस के दिलाने का कारण विष्णुमित्र ने उत्पन्न किया जानबूझ कर विष्णुमित्र के बालक हरमित्र को मारडाला तो यह ज्ञातघात हुई क्योंकि क्रोध दिलाने का कारण उत्पन्न

किया हुआ उस वालक का नथा और न उस वालक की मृत्यु उस क्रोध अवस्था में किसी काम के करने से अक्समात अथवा दैवगति से होगई॥

(इ) हरमित्रने देवदत्तको अचानक और भारी क्रोध दिलानेका कारण उत्पन्न किया और देवदत्त ने उस क्रोध में हरमित्र पर विना प्रयोजन उसके मारडालने के और बिना जाने इस वात के कि इससे मृत्यु विष्णुमित्र की जो निकट खड़ा था परंतु दृष्टि से वाहर था होगी पिस्तौल चलाई और विष्णुमित्र उससे मरगया तो यहां देवदत्त ने ज्ञातघात नहीं की॥

( उ ) देवदत्त को विष्णुमित्र किसी वेलिफ ने कानून की आज्ञानुसार पकड़ा इस पकड़ने से देवदत्त को एकाएकी अत्यंत क्रोध होआया और उसने विष्णुमित्र को मारड़ाला तो यह ज्ञातघात हुई क्योंकि जो क्रोध हुआ जिसको एक सर्वसंवन्धी नौकर ने अपने अधिकार को वर्तने में किया॥

( ए ) विष्णुमित्र नाम किसी माजिस्ट्रेट के सामने देवतत्त गवाही देने के लिये विष्नुमित्र ने कहा कि हम देवदत्त की गवाही की एकबात भी सची नहीं मानते हैं और देवदत्त ने हलफ़दरोगी की है इन बचनों से देवदत्त को एकाएकी क्रोध हो आया उसने विष्णुमित्र को मारड़ाला तो वह ज्ञातघात हुई॥

( ऋ ) देवदत्त ने विष्नुमित्र की नाक पकड़ने को हाथ चलाया विष्नुमित्रने अपनी निज रक्षा का अधिकार वर्तने में नाक पकड़ने से रोकने के लिये देवदत्त को रोक लिया और उसमें देवदत्त को एकाएकी भारी क्रोध हो आया और उसने विष्नुमित्र को मारडाला तो एक ज्ञातघात हुई क्योंकि क्रोध ऐसे कामसे हुआ जो निज रक्षा का अधिकार वर्त्तने में कियागया॥

( लृ ) विष्णुमित्र ने यज्ञदत्त को पीटा इसमें यज्ञदत्त को भारी क्रोध हो आया उसीसमय देवदत्त ने जो वहां खड़ाथा यज्ञदत्त के इस क्रोध से अपना काम निकालने और विष्णुमित्रको मरवा डालने के प्रयोजनसे यज्ञदत्त के हाथ में एक छूरी देदी और उस छूरीसे यज्ञदत्तने विष्णुमित्र को मारडाला तो यहां यद्यपि यज्ञदत्त अपराधी केवल ज्ञातवत घात काहो परन्तु देवदत्त अपराधी ज्ञातघात का हुआ॥

### छूट

ज्ञातवत घात उस अवस्था में ज्ञातघात न गिनी जायगी जबकि अपराधी अपने तन अथवा धनकी निजरक्षा के अधिकार को शुद्धभावसे वर्त्तने में क़ानूनके दियेहुए अधिकार के उल्लंघन करके बिना आगे से शोच बिचार किये और बिना यह प्रयोजन किये कि निजरक्षा के निमित्त जितना ज्यानपहुंचाना अवश्य है उससे अधिक पहुंचाया जाय उस मनुष्यको मारडाले जिसके मुक़ाबिले में अधिकार को वर्त्तता हो ॥

### उदाहरण.

विष्णुमित्रने देवदत्तको चाबुकसे मारने का उद्योग किया परन्तु ऐसा कि जिससे देवदत्त को भारी दुःख पहुंचे देवदत्तने पिस्तौल सामने किया विष्णुमित्र उस उद्योग से न रुका तब देवदत्तने शुद्धभाव से यह बात निश्चय मानकर कि अब मुझको चाबुक की मारसे बचने का और कोई उपाय नहीं है विष्णुमित्र को पिस्तौलसे मारडाला तो देवदत्तने ज्ञातघात नहीं केवल ज्ञातवत घातकी ॥

### छूट

ज्ञातवत घात उस अवस्था में ज्ञातघात न गिनी जायगी जबकि उसका करनेवाला कोई सर्व संबंधी नौकर होकर अथवा किसी सर्व संबंधी नौकर न्याय वधिक काम के भुगताने सहायता देनेवाले होकर क़ानून के दियेहुए अधिकार से बढ़िजाय और किसी मृत्यु का कुछ ऐसा काम करके करडाले जिसका करना वह अपनी नौकरी यथोचित् भुगताने के लिये शुद्धभाव से और बिना रखने कुछ द्रोह के साथ उस मनुष्य के जिसकी मृत्यु हुई हो आवश्यक और नीतिपूर्वक जानताहो ॥

छूट

ज्ञातवत घात उस अवस्था में ज्ञातघात न गिनी जायगी जबकि वह एका एकी झगड़ा होकर लड़ाई में क्रोध की अधिकताके कारण बिना पहिले से बिचार किये होजाय और अपराधी ने कोई अनुचित अवसर पाकर अथवा निर्दईपन करके अथवा साधारण रीति से कुछ काम न किया हो ॥

बिवेचना—ऐसे मुक़द्दमे में यह बात कुछ मुख्य न गिनी जायगी कि कौनसी ओरवाले ने क्रोध कराया अथवा पहिले उठैया किया ॥

ज्ञातवत घात उस अवस्था में ज्ञातघात न गिनी जायगी जबकि वह मनुष्य मारा गयाहो अठारह बर्ष से ऊपरकी अवस्था का और उसने आप अपनी मृत्यु कराई हो अथवा अपनी राजी से मृत्यु की जोखिम उटाई हो ॥

उदाहरण.

देवदत्तने जानबूझकर विष्णुमित्र एक मनुष्यने जिसकी अवस्था अठारह वर्षसे कमती थी बहकाकर अपघात कराई तो ज्ञातघात में सहायता की क्योंकि वहां विष्णुमित्र अपनी अवस्था के कारण अपनी मृत्युकराने के लिये अपनी आज्ञा देनेको असमर्थ था इसलिये देवदत्त ज्ञातघात का सहाई हुआ ॥

घातवत घात किसी ऐसे मनुष्य की मृत्यु करने से, जो उस मनुष्य के जिस के मारडालने का प्रयोजन था भिन्नहो—

( ३०१ ) कदाचित् कोई मनुष्य कुछ ऐसा काम करके जिससे वह किसी मनुष्य की मृत्यु होने का प्रयोजन रखता हो अथवा मृत्यु होनी अति संभवित है जानता हो उस मनुष्य

की मृत्यु करावै जिसकी मृत्युसे न तो उसका प्रयोजन हो और न वह आप उसका होजाना अति सम्भवित जानता हो तो वह ज्ञातवत घात उसीप्रकार की गिनी जायगी जैसा कि उस अवस्था में होती जब उसने उसी मनुष्य की मृत्यु कराई होती जिसकी मृत्यु से उसका प्रयोजन था अथवा जिसकी मृत्यु होनी उसने अपने आप अति सम्भवित जानली थी ॥

( ३०२ ) जो कोई मनुष्य ज्ञातघात करैगा उसको दंड बध का अथवा जन्म भरके देश निकाले का किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा ॥

नजीर ।

एक शख्स आदी गांजा पीनेका उसने अपनी जोरू और लड़के को मारडाला था और इकरार किया था कि वह उससे झगड़ा किया करती हाईकोर्ट से तज्वीज़ हुआ कि यह इक़रार क़तल जुर्म अम्द यानी ज्ञातवत घात का नहीं उसने इत्तफ़ाकी अमर जिनकी तवै का वाक़ै नहीं किया है पस तजवीज़ करनी चाहिये कि इस्त आल तवै हुआ नहीं ॥

सर्कार बनाम खासा राम मु० २९ फ़रवरी सन् १८९० सफ़ा ५६४ जिल्द १४ बंबई इन्टयन लारिपोर्ट ॥

दंड उस ज्ञातवत घात का जो कोई जन्ममियादी बंधुआ करड़ाले—

(३०३) जो कोई मनुष्य दंड जन्मभर के देश निकाले का पाकर ज्ञातघात करैगा उसको दंड वधका दिया जायगा-

दंड ऐसी ज्ञातवत घात का जो ज्ञातघात के तुल्य हो—

( ३०४ ) जो कोई मनुष्य करने वाला कि ऐसी ज्ञातवत घात का होगा जो ज्ञातघात के तुल्य न हो उसको दंड जन्मभर के देश निकाले का अथवा दोनों मे से किसी प्रकार की कैद

का जिसकी म्याद दश बरस तक होसकैगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा ॥

कदाचित् वह काम जिसकी मृत्यु करने के प्रयोजन से अथवा शरीर के दुख पहुंचाने के प्रयोजन से जिससे मृत्यु का होना अति संभवित हो किया गया हो अथवा जब वह काम जिससे मृत्यु हुई यह बात जानबूझ कर कि इससे मृत्यु होनी अति संभविन हो परंतु बिना प्रयोजन मृत्यु कराने अथवा ऐसा शरीर के दुख पहुचाने के प्रयोजन से जिससे मृत्यु का होना अति सम्भवित हो—किया गया हो तो दंड दोनोंमेसे किसीप्रकारकी कैदका जिसकीम्याद दश बरस तक होसकैगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

असावधानी अथवा गफलतमेंमृत्युकाहोना

(३०४)(अ) कदाचित् कोई मनुष्य किसी असावधानी अथवा गफ़लत के काम से जो ज्ञातवत घात के दंड योग्य न हो किसी मनुष्य को मृत्यु का होना अति सम्भवित हो उसको दंड दोनों मे से किसीप्रकार की कैद का जिसकी म्याद दो वर्ष तक होसकैगी होगा अथवा जरीमाना अथवा दोनोंदंडहोंगे।

(दफा ३०४ अ० ऐक्ट २७ सन् १८७० ई०) अध्याय ४ व ५ व २३ मजमुआ हाज़ा उस जुर्म से मुतअल्लिक होंगे जो हस्ब दफ़ा हाज़ा काबिल सज़ा हैं ( दफ़ा १३ ऐक्ट २७ सन् १८७० ई०

बालक अथवा सिड़ी मनुष्य को अपघात करनेमें सहायता पहुंचानी—

(३०५) कदाचित् अंठारह वर्ष से कमती अवस्था को कोई मनुष्य अथवा कोई सिड़ी मनुष्य अथवा कोई उत्तम मनुष्य अथवा कोई जन्म मूर्ख अथवा ऐसा मनुष्य जो नशा पिये हो अपघात करै तो जो कोई

मनुष्य उस अपघात में सहायता देगा उसको दंड बध का अथवा जन्मभर के देश निकाले का अथवा दोनों मे से किसी प्रकार की कैद का जिसकी म्याद दश बरस से अधिक न होगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा ॥

अपघात में सहायता देनी ] ( ३०६ ) कदाचित् कोई मनुष्य अपघात करै तो जो कोई उस अपघात में सहायता देगा उसको दंड दोनों मे से किसी प्रकार की कैद का जिसकी म्याद दश वर्ष तक होसकैगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा ॥

ज्ञातघात का उद्योग ] ( ३०७ ) जो कोई मनुष्य काम इस प्रयोजन से अथवा वह जानबूझ कर और ऐसी अवस्था में करैगा कि कदाचित् इस काम से किसी की मृत्यु हो जायगी तौ मैं ज्ञातवत घातका अपराधी हूंगा उसको दंड दोनों प्रकारों मेसे जिसकी म्याद दोबरस तक होसकैगी किया जायगा और जरीमाने केभी योग्य होगा और जब उसी काम से किसी मनुष्य को दुःख पहुंच जाय तो जन्म भरका देश निकाला पहिले कहे हुए दंड के योग्य होगा ॥

उद्योग जन्म म्यादी की तरफ़ से— } जिस हालमें कि कोई मनुष्य जो ऊपर लिखी हुई दफ़ा के अनुसार अपराधी होकर दंड जन्म भरके देश निकाले की भुगत रहा हो उस सूरत में अगर किसी मनुष्य को ज़रर पहुंचै तो उसको दंड बधका होसक्ता है ॥

यह ज़िमन दफ़ा ३०७ में ऐक्ट २७ सन् १८८० ई० दफ़ा ११ के ज़रिया से बढाई गई है ॥

## नज़ीर

एक शख्सने अपने ससुर की चार लकड़ियां मारीथीं वह गिरपड़ा उसने उसको मुर्दा समझकर उसझोपड़ी में जहां वह गिरपड़ा था आग लगादी जिससे वह जल गया हाईकोर्ट ने तजवीज किया कि आग का लगाना इसलिये कि शहादत बाकी न रहै पसवह जुर्म फेल मुलजिम सजा का है न कत्ल अम्दयानी ज्ञातवत घातका ॥

## उदाहरण.

( अ ) देवदत्तने विष्णुमित्र के ऊपर उसके मारडालने के प्रयोजन से ऐसी अवस्था में बन्दूक छोड़ी जबकि कदाचित् विष्णुमित्र की मृत्यु हो जाती तौ देवदत्त ज्ञातवत घातका अपराधी गिना जाता तो देवदत्तने ज्ञातघात की और इस दफ़ा के अनुसार दंडपाने के योग्य हुआ ॥

( इ ) देवदत्त ने थोड़ी अवस्था के एक बालक की मृत्यु करने के प्रयोजन से उसको ऐसे ठौर जहां कोई मनुष्य जाता नथा छोड़ दिया तो देवदत्त ने इस दफ़ा में लक्षण कियाहुआ अपराधकिया यद्यपि उस बालक की मृत्यु नभी हुई ॥

( उ ) देवदत्त ने विष्णुमित्र को मार डालने के प्रयोजन से एक बंदूक मोल लेकर भरी तो जबतक देवदत्त ने लक्षण कियाहुआ अपराध नहीं किया फिर देवदत्त ने वह बन्दूक विष्णुमित्र पर छोड़ी तो इस दफा में लक्षण कियेहुये अपराध का अपराधी हुआ और कदाचित् उस बन्दूक के छोड़ने से विष्णुमित्र को घायल भी किया तो देवदत्त इस दफा के पिछले भाग के ठहराये हुये दंड के योग्य हुआ ॥

( ए ) देवदत्त ने विष्णुमित्र को विष से मार डालने के प्रयोजन से विष मोल लेकर भोजन में जो उसी के पास रहता था मिला दिया तो तबतक देवदत्त ने इस दफा में लक्षण कियाहुआ अपराध नहीं किया फिर देवदत्त वही भोजन विष्णुमित्र के आगे रक्खा अथवा आगे रखने के लिये विष्णुमित्र के नौकरों को दिया तो देवदत्त इस दफा में लक्षण कियेहुये अपराध का अपराधी हुआ ॥

ज्ञातवत घात करने का उद्योग-

( ३०८ ) जो कोई मनुष्य कुछ काम इसप्रयोजन अथवा यह जान बूझकर ऐसी अवस्था में करैगा कि कदाचित् उस काम से किसी की मृत्यु होजायगी तो मैं ऐसे ज्ञातवतघात का अपराधी हूंगा जो ज्ञातघात के तुल्य नहीं है उसको दंड दोनों मेसे किसीप्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद तीन बरस तक होसकैगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा और अगर उस काम से किसी को दुख पहुंचे तो उसको दंड दोनों मेसे किसीप्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद सात वर्ष तक होसकैगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

उदाहरण..

( अ ) देवदत्त ने एकाएकी किसी भारी क्रोध दिलानेवाले काम के कारण विष्णुमित्र के ऊपर ऐसी पिस्तौल चलाई जबकि कदाचित् विष्णुमित्र की मृत्यु होजाती तो देवदत्त उस ज्ञातवतघातका अपराधी गिनाजाता जोकि ज्ञातघात के तुल्य नहीं है तो देवदत्त ने इस दफा में लक्षण किया हुआ अपराध किया ॥

( ३०९ ) जो कोई मनुष्य अपराध करने का उद्योग करके उस अपराध के मध्ये कुछ काम करैगा उसको दंड साधारण क़ैद का जिसकी म्याद एक बरस तक होसकैगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा ॥

( ३१० ) जो कोई मनुष्य इस क़ानून के जारी होने के पीछे ज्ञातघात के द्वारा अथवा ज्ञातघात समेत डांका डालने अथवा बालकों के चुराने के लिये किसी दूसरे मनुष्य अथवा मनुष्यों से बहुधा मेल रक्खेगा ठग कहलावैगा ॥

( ३११ ) जो कोई मनुष्य ठग होगा उसको दंड जन्म भर के देश निकाले का किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा ॥

## पेट गिराने और बिना जन्मे बालकों को हानि पहुंचाने और जन्में बालकों को बाहर डाल आने और जनना छुपाने के विषय में ॥

पेटगिराना ] ( ३१२ ) जो कोई मनुष्य जान बूझकर किसी गर्भवती स्त्री का पेट गिरावैगा उसको कदाचित् यह गर्भपात शुद्धभाव से उस स्त्री का जीव बचाने के प्रयोजन से किया गया हो तो दंड दोनों मेसे किसीप्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद तीन बर्ष तक होसकैगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा और कदाचित् गर्भ पकगया अर्थात् बालक के जीव पड़ गया हो तो दंड दोनों मेसे किसीप्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद सात बर्ष तक होसकैगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा ॥

बिवेचना—जो कोई आप अथवा गिरवावै इस दफ़ा के अर्थ में अपराधिनी गिनी जायगी ॥

बिना स्त्री की राजी पेट गिराना— } ( ३१३ ) जो कोई मनुष्य पिछली दफ़ा में लक्षण किया हुआ अपराध बिना स्त्री की राज़ी के करैगा चाहे गर्भ उस स्त्री का कच्चा हो चाहे पक्का हो उसको दंड जन्म भर के देश निकाले का अथवा दोनों मेसे किसीप्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दस बर्ष तक होसकैगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा ॥

मृत्यु जो किसी ऐसे काम के प्रयोजन से होजाय जो पेट गिराने के प्रयोजन से किया गयाहो—

( ३१४ ) जो कोई मनुष्य किसी गर्भवती स्त्री का पेट गिराने के प्रयोजन से कोई ऐसा काम करैगा जिससे उस स्त्री की मृत्यु होजाय उसको दंड दोनों मेसे किसीप्रकार की कैद का जिसकी म्याद दस बरस तक होसकैगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा और कदाचित् वह काम बिना स्त्री की राज़ी के किया जाय तौ दंड यातौ जन्म भर के देश निकाले का या जैसा कि ऊपर कहा गया है किया जायगा ॥

बिवेचना—इस अपराधका कुछ यह अवश्य नहीं है कि अपराधी उसकामसे मृत्युकाहोना अति सम्भवित जानताहो।

कोई काम जो इस प्रयोजनसे किया जाय कि बालक जीता हुआ पैदा न होने पावै अथवा पैदा होनेसे पीछे मरजाय—

( ३१५ ) जो कोई मनुष्य किसी बालक के पैदा होनेसे पहिले उसका जीता हुआ पैदा होना रोकने अथवा पैदा होने के पीछे मरजाने के प्रयोजन से कुछ करैगा और उससे उस बालक का जीता हुआ पैदा होना रुकजायगा अथवा पैदा होकर मरजायगा उसको कदाचित् वह काम शुद्धभाव से उस बालक की माता का जीव बचाने के लिये किया हो उसको दंड किसीप्रकार की कैदका जिस की म्याद दशबरस तक होसकैगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनोंका किया जायगा ॥

मृत्यु करनी किसी बालक की जो पैदा न हुआ परंतु गर्भ में जीव पड़गयाहो कुछ ऐसाकाम करके जो ज्ञातघात के समानहो—

( ३१६ ) जो कोई मनुष्य कुछ काम ऐसी अवस्था में जब कि उस काम से मृत्यु का हो जाना उसको अपराधी ज्ञात-

वतघात का बनावै करैगा और उस काम से मृत्यु किसी बालक की जो जन्मा न हो परंतु जिसमें जीव पड़गया हो होजायगी उसको दंड दोनों मे से किसी प्रकार की कै़द की जिसकी म्याद दश बरस तक होसकैगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा ॥

## उदाहरण.

देवदत्त ने यह बात जानबूझकर कि इस काम के करने से किसी गर्भवती स्त्री की मृत्यु होनी अति सम्भवित है कोई ऐसा काम किया है कि कदाचित् उससे उस स्त्री की मृत्यु होजाती तो वह काम ज्ञातवत घात समान गिना जाता उस स्त्री को दुख तो हुआ परंतु मरी नहीं हां उसके गर्भ में जो बालक था और उसमें जीव पड़गया था उस बालक की मृत्यु उसी दुख के पहुंचने से होगई तो देवदत्त इस दफ़ा में लक्षण किये हुए अपराध का अपराधी हुआ ॥

बाहर डाल आना अथवा छोड़ देना बारह वर्ष से कमती अवस्था के बालक का उसके मा या बाप की ओर से अथवा और किसी मनुष्य की ओर से जिनकी रक्षा से हो—

(३१७) जो कोई मनुष्य बारह वर्ष से कमती अवस्था के किसी बालक का बाप अथवा मा अथवा रक्षक होकर उस बालक को किसी जगह डाल आवैगा अथवा छोड़ आवेगा इस प्रयोजन से कि यह सदैव को मुझसे छूटजाय उसको दंड दोनों मे से किसी प्रकार की कै़द का जिसकी म्याद सात बरस तक होसकैगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

विवेचना—इस दफ़ा से यह प्रयोजन नहीं है कि कदाचित् बाहर डालआने के कारण बालक मरजाय तौ अपराधी पर अपराध ज्ञातवत घातका अथवा ज्ञातघात का जैसी अवस्था हो न लगायाजाय ॥

जनना छुपाना किसी बालक की लोथ को गुप चुप अलग करके— } (३१८) जो कोई मनुष्य किसी बालक की लोथ को गुपचुप गाड़ कर अथवा और किसी भांति अलग करके उसका पैदा होना जानबूझ कर छुपावेगा अथवा छुपाने का उद्योग करैगा चाहै वह बालक पैदा होने से पहले मरा हो चाहे पीछे उसको दंड दोनों मे से किसी प्रकार की कैद का जिसकी म्याद दो वरस तक हो सकैगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

दुख ] (३१९) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य के शरीर को दरद अथवा रोग अथवा बलहीनता पहुंचावेगा वह दुख पहुंचाने वाला कहाजायगा ॥

भारी दुख ] (३२०) केवल नीचे लिखे प्रकारों का दुखभारी दुख कहलावेगा ॥

प्रथम—हिजड़ए करना ॥

दूसरे--किसी एक आंख के देखने से सदैव को रहित ॥ करना ॥

तीसरे—किसी एककानके सुनने सदैव सदैवको रहित ॥

चौथे—किसी अंग अथवा जोड़ से रहित करना ॥

पांचवे—किसी अंग अथवा जोड़ को सदैव को नष्ट अथवा बलहीन करना ॥

छठे—सदैव को शिर अथवा चेहरे को कुरूप करना ॥

सातवें—किसी हड्डी अथवा दांत को तोड़ना अथवा उखाड़ना ॥

आठवें—कोई दुख जिससे जीवकी जोखिमहो अथवा

जिससे वह मनुष्य जिसको दुख दिया जाय बीस दिन तक कठिन शरीरक पीड़ा सहै अथवा साधारण उद्यम न करसकै ॥

जानबूझ कर दुःख देना ] ( ३२१ ) जो कोई मनुष्य कुछ काम इस प्रयोजन से करैगा कि इससे किसी मनुष्य को दुःखं पहुंचे अथवा यह बात जानबूझ कर कि इससे किसी मनुष्य को दुःख पहुंचना अति सम्भवित है और उस काम से किसी मनुष्य को दुःख तो कहा जाय कि उसने जान मानकर दुःख पहुंचाया ॥

जानमान कर भारी दुःख पहुंचाना— } ( ३२२ ) जो कोई मनुष्य जान मानकर दुःख पहुंचावैगा और कदाचित् वह दुःख जिसके पहुंचने से उसका प्रयोजन नहो अथवा जिसका पहुंचना उसने आप अति सम्भावित जान लिया हो भारी दुःख होगा और जो दुःख उसने कि उससे जान मानकर भारी दुःख पहुंचे ॥

बिवेचना—कोई मनुष्य जानमान कर भारी दुःख पहुंचानेवाला न कहलावैगा सिवाय इसके कि भारी दुःख पहुंचाया हो और भारी दुःख पहुंचना आप अति सम्भवि-जान लियाहो परन्तु जब एकप्रकार का भारी दुःख पहुंच जाय तो कहलावैगा कि उसने जानमान कर भारी दुःख पहुंचाया ॥

## उदाहरण.

देवदत्त ने विष्णुमित्र का चेहरा सदैव को कुरूप करदेने के प्रयोजन से अथवा कुरूप होना अति सम्भवित जान बूझकर एक घूसा विष्णुमित्र के मारा जिससे विष्णुमित्र का चेहरा तो बिगड़ा परन्तु उसने कठिन

शरीर का दुख बीस दिन तक पाया वहां देवदत्त ने जान मानकर भारी दुःख पहुंचाया ॥

जानमान पहुंचाने का दुःख उसका दंड—

( ३२३ ) जो कोई मनुष्य सिवाय दफ़ा ३३४ में लिखी हुई अवस्था में और किसी अवस्था में जानमान कर दुःख पहुंचावैगा उसको दंड दोनों मेसे किसीप्रकार की क़ैदका जिसकी म्याद एकबरस तक होसकैगी अथवा जरीमाने का जो एकहज़ार रुपये तक होसकैगा अथवा दोनोंका किया जायगा ॥

जानबूझ कर जोखिम के हथियारों से अथवा और उपायों से दुःख पहुंचाना

(३२४) जो कोई मनुष्य सिवाय दफ़ा ३३४ में लिखी हुई अवस्थाके और किसी अवस्था में जानमान कर फेंक कर मारने अथवा हूल लगाने अथवा काटने के हथियार से अथवा और किसी औज़ार से जिनको मार डालने के हथियार की भांति काम में लाने से मृत्यु का होना अति संभवित हो अथवा आगसे अथवा गरम बस्तु से अथवा किसी बिषसे अथवा शरीर को गलित करनेवाली बस्तुसे अथवा अग्नि की भांति उड़नेवाली बस्तुसे जिसको स्वांस के द्वारा लेने वा निकालने या रुधिर में पहुंचाने से मनुष्य के शरीर को अचेतना होती हो अथवा किसी पशुसे किसी को दुःख पहुंचावेगा उसको दंड दोनों मेसे किसीप्रकार की क़ैदका जिसकी म्याद तीनबरस तक होसकैगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनोंका किया जायगा ॥

जानमानकरभारी दुख पहुंचाने का दंड—

( ३२५ ) जो कोई मनुष्य दफ़ा ३३५ में लिखी अवस्था के सिवाय और किसी अवस्था में जानमान कर भारी दुख पहुंचावेगा उसको दंड दोनों मे से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी

म्याद सात बरस तक होसकैगी कियाजायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा ॥

कोई औजारों अथवा हथियारों या उपायों से शरीर को भारी दुख पहुचाने का दण्ड—

(३२६) जो कोई मनुष्य सिवाय दफ़ा ३३५ में लिखी अवस्था के और किसी अवस्था में जानमान कर फेंककर मारने अथवा हूल लगाने अथवा काटनेके हथियारकी भांति काम में लाने से मृत्यु का होना अति सम्भावित हो अथवा आगसे अथवा गरम बस्तु से अथवा विष से अथवा शरीर को गलित करनेवाली बस्तु से अथवा और स्वांस के द्वारा लेने या रुधिर में पहुंचाने से मनुष्य के शरीर को अचेतना होती हो अथवा किसी बस्तु से किसी को भारी दुख पहुंचावेगा उसको दंड जन्म भरके देश निकाले का अथवा दोनोंमेंसे किसीप्रकार की कैदका जिसकी म्याद दश बरस तक होसकैगी किया जायगा और जरीमाने केभी योग्य होगा ॥

दगाकर माल लेने के लिये अथवा दबाकर अनुचित काम लेनेके लिये जानमान कर दुःख पहुंचाना—

(३२७) जो कोई मनुष्य जान मानकर दुःख पहुंचावेगा इस निमित्त कि उस दुःख सहनेवालेसे अथवा जो मनुष्य उस दुःख सहने वाले से स्वार्थ रखता हो उससे दबाकर कोई माल मिल्कियत अथवा दस्तावेज़ लेले अथवा दबाकर कोई ऐसा काम ले जो अनीति हो अथवा जिससे किसी अपराध के करने में सुगमता मिलती हो उसको दंड दोनों मेंसे किसी प्रकार की कैदका जिसकी म्याद दशबरस तक होसकैगी किया जायगा और जरीमाने केभी योग्य होगा ॥

दुःख पहुंचाने इत्यादि के प्रयोजन से अचेत करने वाली औषधि खिलाना—

( ३२८ ) जो कोई मनुष्य किसी को कोई विष अथवा अचेत करने वाली बस्तु अथवा और कोई बस्तु उस मनुष्य को दुःख पहुंचाने के प्रयोजन से अपराध करने या अपराध को सुगम करने के प्रयोजन से अथवा यह बात अति सम्भावित जानकर कि इससे दुःख पहुंचेगा खिलावेगा उसको दंड दोनों मेसे किसीप्रकार की क़ैदका जिसकी म्याद दशबरस तक होसकैगी किया जायगा और जरीमाने केभी योग्य होगा ॥

दबाकर माल लेनेके लिये अथवा दबाकर कोई अनुचित काम कराने के लिये जान मानकर भारी दुःख पहुंचाना—

( ३२९ ) जो कोई मनुष्य जान मानकर भारी दुःख पहुंचावैगा इस निमित्त उस भारी दुःख सहने वाले से अथवा जो मनुष्य उसमें स्वार्थ रखता हो उससे दबाकर कोई माल मिल्कियत अथवा दस्तावेज़ लेले अथवा दबाकर कोई ऐसा काम ले जो अनीति हो अथवा जिससे किसी अपराध के करने में सुगमता मिलती हो उसको दंड जन्म भरके देश निकाले का अथवा दोनों मेसे किसीप्रकार की क़ैदका जिसकी म्याद दशबरस तक होसकैगी किया जायगा और जरीमाने केभी योग्य होगा ॥

दबाकर इक़रार कराने अथवा दबाकर कुछ माल फेर लेनेके लिये जानमान कर दुःख देना—

( ३३० ) जो कोई मनुष्य जान मानकर दुःख पहुंचावैगा इस निमित्त कि दुःख सहनेवाले से अथवा जो मनुष्य उसमें स्वार्थ रखताहो उससे दबाकर कोई इक़रार करावै अथवा कोई ख़बर जिससे पता किसी अपराध का अथवा चाल चलन सम्बन्धी अपराध का लग

सकै पूंछै अथवा इस निमित्त कि दुःख सहनेवाले से या जो मनुष्य उसमें स्वार्थ रखता हो उससे दबाकर कोई माल अथवा दस्तावेज़ फेरै या फिरावै अथवा कोई दावा या तगादा चुकावै अथवा ऐसी मुखबरी जिससे किसी माल अथवा दस्तावेज़ का फेर पाना सुगम हो करावै उसको दंड दोनों मेसे किसीप्रकार की क़ैदका जिसकी म्याद सातबरस तक होसकैगी किया जायगा और जरीमाने केभी योग्य होगा ॥

## उदाहरण.

(अ) देवदत्त एक पुलिस के अहलकार ने विष्णुमित्र को इसलिये दुख दिया कि दवाकर विष्णुमित्र से किसी अपराध के करने का इक़रार करावै तो देवदत्त इस दफ़ा के अनुसार अपराधी हुआ ॥

(इ) देवदत्त एक पुलिस के अहलकार ने यज्ञदत्त से यहबात दबाकर पूछने के लिये कि चोरी का फ़लाना माल कहां रक्खा है दुख दिया तो देवदत्त इस दफ़ा के अनुसार अपराधी हुआ ॥

(उ) देवदत्त एक माल के अहलकार ने विष्णुमित्र को इसलिये दुख दिया कि उससे दवाकर मालगुज़ारी की बाकी का वाजिबी रुपया वसूल करै तो देवदत्त इस दफ़ा के अनुसार अपराध का अपराधी हुआ ॥

(ए) देवदत्त एक ज़िमीदार ने किसी रैयत को इसलिये दुख दिया कि दवाकर उससे लगान वसूल करै तो देवदत्त इस दफ़ा के अनुसार अपराध का अपराधी हुआ ॥

दबाकर यक़रार कराने अथवा कुछ माल फेर लेनेके लिये जान मानकर भारी दुःख देना—

(३३१) जो कोई मनुष्य जान मानकर भारी दुःख पहुंचावैगा. इस निमित्त कि उस भारी दुःख सहनेवाले मनुष्य से अथवा जो मनुष्य उसमें कुछ स्वार्थ रखताहो उससे दबाकर कोई इक़रार करावै अथवा कोई जिससे पता किसी अपराधका अथवा चाल चलन संबंधी

अपराध का लग सकै पूंछै अथवा इस निमित्त कि दुःख सहनेवाले से या जो मनुष्य उसमें स्वार्थ रखताहो उस से दबाकर कोई माल अथवा दस्तावेज़ फेरै या फिरावै अथवा कोई दावा तगादा चुकावै अथवा ऐसी मुख़बरी जिससे किसी माल अथवा दस्तावेज़ का फेरपाना सुगम हो करावै तो उसको दंड दोनों मेसे किसीप्रकार की क़ैदका जिसकी म्याद दशबरस तक होसकैगी किया जायगा और जरीमाने केभी योग्य होगा ॥

सर्व संबंधी नौकर को जानमान कर दुःख पहुंचाया इसलिये कि वह अपने ओहदेका काम करने से डरजाय—

( ३३२ ) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को जो सर्व संबंधी नौकर और अपने ओहदेका काम भुगताताहो जानमान कर दुःख पहुंचावैगा कि यह मनुष्य अथवा और कोई सर्व संबंधी नौकर अपनी नौकरी का काम भुगताने से रुकजाय अथवा डरजाय अथवा इस कारण कि उस मनुष्य ने अपनी नौकरी कोई काम क़ानून अनुसार भुगताने का उद्योग किया उसको दंड दोनों मेसे किसीप्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद तीनबरस तक होसकैगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

सर्व सम्बन्धी नौकरको जानमान करभारी दुःख पहुंचाना इसलिये कि वह अपने ओहदे का काम करने से रुकजाय—

( ३३३ ) जो कोई मनुष्य जानमान कर किसी मनुष्य को जो सर्व संबंधी नौकर हो और अपने ओहदेका भुगताता हो भारी दुःख पहुंचावैगा अथवा इस प्रयोजन से पहुंचावैगा कि वह मनुष्य अथवा और कोई सर्व सम्बन्धी नौकर अपनी नौकरी का काम भुगताने से रुकजाय या डरजाय

अथवा इस कारण कि उस मनुष्य ने अपनी नौकरी का कोई काम क़ानूनानुसार भुगताया अथवा भुगताने का उद्योग किया उसको दंड दोनों मेसे किसीप्रकारकी क़ैदका जिसकी म्याद दशबरस तक होसकैगी किया जायगा और जरीमाने केभी योग्य होगा ॥

क्रोध उत्पन्न करनेवाले काम कारण जानमान कर दुख पहुंचाना—

(३३४) जो कोई मनुष्य भारी और एकाएकी क्रोध दिलाने के कारण जानमान कर किसी को दुख पहुंचावेगा उसको कदाचित् यह प्रयोजन उसका न हो और न वह आप यह बात अति सम्भवित जानता हो कि इस से सिवाय उस मनुष्य के जिसने क्रोध दिलाया दूसरे किसी मनुष्य को दुःख पहुंचावेगा उसको दंड दोनों मेसे किसी प्रकार की क़ैदका जिसकी म्याद एक महीने तक होसकैगी अथवा जरीमाने का जो पांचसौरु० तक होसकैगा अथवा दोनोंका किया जायगा ॥

(दफ़ा ८ ऐक्ट नम्बर८ सन् १८७२ ई०)

क्रोध दिलानेवाले कामके कारण भारी दुःख पहुंचाना ॥

(३३५) जो कोई मनुष्य किसी भारी और एका एकी क्रोध दिलानेवाले काम के कारण जानमान कर किसी को भारी दुःख पहुंचावेगा उसको दंड दोनों मेसे किसीप्रकार की क़ैदका जिसकी म्याद चारबरस तक होसकैगी अथवा जरीमाने का जो दोहज़ाररु० तक होसकैगा अथवा दोनों का किया जायगा ॥

बिवेचना—पिछली दोनों दफ़ा उन्ही नियमों के आधीन हों जिनकी कि दफ़ा ३०० की पहिली छूट है ॥

दंड ऐसे काम का जिससे दूसरे के जीव अथवा शरीरक कुशल की जोखिमहो—

( ३३६ ) जो कोई मनुष्य कुछ काम ऐसा निधड़क अथवा असावधानी से करैगा जिससे औरों के जीव अथवा शरीरक कुशल की जोखिम हो उसको दंड दोनों मेसे किसीप्रकार की कैदका जिसकी म्याद तीनमहीने तक होसकैगी अथवा जरीमाने का ढाईसौरु० तक होसकैगा अथवा दोनोंका किया जायगा ॥

दुःख पहुंचाना किसी ऐसे कामसे जिससे औरों के जीव अथवा शरीरक कुशल की जोखिमहो—

( ३३७ ) जो कोई मनुष्य कुछ काम ऐसा निधड़क अथवा असावधानी से जिससे औरों के जीव अथवा शरीरक कुशल की जोखिम हो करके दुःख पहुंचावेगा उसको दंड दोनों मेसे किसीप्रकार की कैदका जिसकी म्यादें छः महीने तक होसकैगी अथवा जरीमाने का जो पांचसौ रुपया तक होसकेगा अथवा दोनोंका किया जायगा ॥

भारी दुःख पहुंचाना किसी ऐसे कामसे जिससे औरों के जीव अथवा शरीरक कुशल की जोखिमहो—

( ३३८ ) जो कोई मनुष्य कुछ ऐसा निधड़क असावधानी से जिससे औरोंकेजीव अथवा शरीरक कुशल की जोखिम हो करके भारी दुःख पहुंचावैगा उसको दंड दोनों मेसे जिसकी म्याद दोबरस तक होसकैगी अथवा जरीमाने का जो एकहज़ाररु० तक होसकैगा अथवा दोनोंका किया जायगा ॥

( जुरायम मुतज़क्करे दफ़आत ३४१ व ३४२ क़ाबिल राज़ीनामा है )

( दफ़ा ३४५ ऐक्टनम्बर १० सन् १८८२ ई० मुलाहज़ा तलब )

## ( अनीति रोक और अनीति बंधके विषय में )

अनीति रोक ] ( ३३९ ) जो कोई मनुष्य जानमान कर किसी मनुष्यको इस भांति रोकैगा जिससे वह मनुष्य उस ओर को जिधर जानेका उसे अधिकार होजाने से रुकजाय उस मनुष्य को अनीति से रोकनेवाला कहलावैगा ॥

## छूट

रोकना किसी ऐसी गैल का जो सर्व सम्बन्धी नहो चाहै पानी की हो चाहे खुश्की की हो और जिसके रोकने से कोई मनुष्य शुद्धभाव से अपने को क़ानूनानुसार अधिकारी मानता हो इस दफ़ा के अर्थ में अपराध गिना जायगा ॥

## उदाहरण.

देवदत्त ने एक रस्ते को जिसमें विष्णुमित्र चलने का अधिकारी था रोका और देवदत्त को शुद्धभाव से इस बात का निश्चय था कि मुझको इस गैल के रोकने का अधिकार है इस रोकने से विष्णुमित्र वहां होकर निकलने से रुकगया तो देवदत्त ने विष्णुमित्र को अनीतिरीति से रोक पहुंचाई ॥

अनीति बंधि ] ( ३४० ) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को अनीति रोक इस भांति पहुंचावैगा जिससे वह मनुष्य किसी नियत सीमा के बाहर जाने से रुकजाय वह उस मनुष्य को अनीति बंधि करनेवाला कहलावेगा ॥

## उदाहरण.

देवदत्त ने विष्णुमित्र को भीति खिचे हुये किसी मकान में करके ताला लगादिया इससे विष्णुमित्र उस घेर की भीति के बाहर किसी ओर जाने से रुकगया तो देवदत्त ने विष्णुमित्र को अनीतिबंधि में रक्खा ॥

( इ ) देवदत्त ने किसी मकान के द्वारपर बन्दूक बांधहुये मनुष्य बैठा दिये और विष्णुमित्र से कहदिया कि जो तू मकान से बाहर निकलने

का उद्योग करैगा तो वे लोग तुम्हपर बन्दूक छोड़ैंगे यहां देवदत्त ने विष्नुमित्र को अनीति बन्धि में रक्खा ॥

अनीति रोक का दंड ] ( ३४१ ) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को अनीति रोक पहुंचावेगा उसको दंड साधारण क़ैद का जिसकी म्याद एक महीने तक होसकैगी अथवा जरीमाने का जो पांचसौ रुपये तक होसकैगा अथवा दोनों का किया जायगा ॥

अनीति बंधि का दंड ] ( ३४२ ) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को अनीति बंधि में रक्खैगा उसको दंड दोनों मेसे किसीप्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद एक बरस तक होसकैगी अथवा जरीमाने का जो एकहज़ार रु० तक होसकैगा अथवा दोनों का किया जायगा ॥

तीन दिनतक अथवा उससे अधिक दिनतक अनीति बंधि में रखना— } ( ३४३ ) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को तीन दिन तक अथवा उससे अधिक दिनतक अनीति बंधि में रक्खैगा उसको दंड दोनों मेसे किसीप्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दोबरस तक होसकैगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

दश दिनतक अथवा उससे अधिक दिनतक अनीति बंधिमें रखना— } ( ३४४ ) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को दश दिन तक अथवा उससे अधिक दिनतक अनीति बंधि में रक्खैगा उसको दंड दोनों मेसे किसीप्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद तीन बरस तक होसकैगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा ॥

अनीति बन्धि में रखना ऐसे मनुष्य को जिसके छोड़देने के लिये पर्वानः जारी होचुका— } ( ३४५ ) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को अनीति बन्धि में यह बात जान

बूझकर कि इसके छोड़देने के लिये पर्वानः यथोचित् जारी होचुका है रक्खैगा उसको दंड दोनों मेसे किसी प्रकार की कै़द का जिसकी म्याद दोबरस तक होसकैगी सिवाय उस म्याद के कै़दका जो इस अध्याय की किसी और दफ़ा के अनुसार होसकती हो किया जायगा ॥

अनीति वंदि में गुप्तरखना— ] ( ३४६ ) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को अनीति बंदि में इस भांति रक्खैगा जिससे प्रयोजन उसका यह पाया जाय कि इस मनुष्य का बंदि में होना कोई मनुष्य जो वंदि किये मनुष्य से कुछ स्वार्थ रखता हो अथवा कोई सर्व सम्बन्धी नौकर जानले अथवा बंदि की जगह को ऊपर कहे प्रकार का कोई मनुष्य अथवा सर्व सम्बन्धी नौकर जान सकै अथवा खोज नपावै उसको दंड दोनों मेसे किसीप्रकार की कै़द का जिसकी म्याद दोबरस तक होसकैगी सिवाय उसके दंड किया जायगा जिसके योग वह अनीति बंधि के कारण हो ॥

दवाकर माल लेलेने अथवा कोई अनीति काम दवाकर कराने के प्रयोजन से नीतिबंदि— } ( ३४७ ) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को अनीति बंदि में इस निमित्त रक्खैगा उससे अथवा और किसी मनुष्य से जो उसमें स्वार्थ रखता हो कुछ माल मिल्कियत अथवा दस्तावेज़ दवाकर लेले अथवा उस बंदि कियेहुये मनुष्य से या उस मनुष्य से जो उसमें स्वार्थ रखता हो कुछ माल मिल्कियत अथवा दस्तावेज़ दवाकर लेले अथवा उस बंदि कियेहुये मनुष्य से या उस मनुष्य से जो उसमें स्वार्थ रखता हो दवाकर लेले अथवा उस बंदि किये मनुष्य से जो उसमें स्वार्थ रखता हो दवाकर कोई अनीति काम कराले अथवा

कोई ऐसी ख़बर जिससे किसी अपराध का होना सुगम होता हो पूछे उसको दंड दोनों मेसे किसीप्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद तीन बरस तक होसकैगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा ॥

( दफ़ा ४० को देखो )

दबाकर इक़रार कराने अथवा दबाकर माल फिराने के लिये अनीति बंधि में रखना—

( ३४८ ) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को अनीति बंधि में इस निमित्त रक्खैगा कि उससे अथवा और किसी मनुष्य से जो उसमें स्वार्थ रखता हो दबाकर इक़रार करावै अथवा कोई ख़बर जिस से खोज किसी अपराध का अथवा चाल चलन संबंधी अपराध का लग सक्ता हो पूछे अथवा इस निमित्त कि बंधि कियेहुये मनुष्य से जो स्वार्थ रखता हो दबाकर कोई माल मिल्कियत अथवा दस्तावेज़ फेरले अथवा कोई दावा या तगादा चुकावै अथवा कोई ऐसी ख़बर जिससे कोई माल मिल्कियत अथवा दस्तावेज़ फिरसकै पूछले उसको दंड दोनों मेसे किसीप्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद तीनबरस तक होसकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा ॥

जुरायम मुतज़क्किरे दफ़आत ३५२ व ३५५ व ३५८ क़ाबिल राज़ीनामे है

( दफ़ा ४५ ऐक्ट १० सन् १८८३ ई मुलाहिज़ातलब )

# ( नीतिबल और उठैया )

बल ] ( ३४९ ) कोई दूसरे मनुष्य पर बल करनेवाला कहलावैगा जबकि वह दूसरे को चलायमान करै अथवा उसको चलायमानता को बदले या उसकी चलायमानता को ठहरावै अथवा किसी वस्तु को इस भांति चलायमानता में डालै या उसकी चलायमानता को ठहरावै जिस से वह वस्तु उससे दूसरे मनुष्य के किसी अंग को छूजाय अथवा और किसी बस्तु को जो पहनेहुये हो या लिये जाता हो अथवा किसी बस्तु को जो इसप्रकर से रक्खी हो कि उसको छूना उस मनुष्य के त्वचा इन्द्री को खेद पहुंचता हो छूजाय परन्तु नियम यह है कि उस मनुष्य ने उस चलायमानता को किया अथवा चलायमानता को बदला अथवा चलायमानता को ठहराया वह उस चलायमानता के करने को अथवा चलायमानता के बदलने को अथवा चलायमानता के ठहराने को नीचे लिखी नीति भांतों मेसे किसीप्रकार की एक भांति से करै ॥

( प्रथम ) अपने शरीर के बलसे ॥

( दूसरे ) किसी बस्तुको इस भांति रखकर जिससे बिना कुछ और काम उसकी ओरसे अथवा किसी दूसरे मनुष्य की ओरसे किये जानेके वह बस्तु चलायमान हो जाय अथवा उसकी चलायमानता बदलजाय अथवा ठहर जाय ॥

( तीसरे ) पशुको चलायमान करके अथवा उसकी चलायमानता को बदल कर या ठहरा कर ॥

---

वह जुरम जो दफ़ात ३५२ व ३५५ क़ाबिल सज़ा हों देखो ऐक्ट १० सन् १८८२ ईस्वी दफ़ा ३४५ ॥

अनीतिबल ] ( ३५० ) जो कोई मनुष्य प्रयोजन करके किसी मनुष्य या विना मनुष्य की राजी के वल करैगा इस लिये कि कुछ अपराध करै अथवा इस प्रयोजन से या यह बात अति सम्भवित जानकर कि इस बल के करने से उस मनुष्य को जिस के साथ बल किया जाता है कुछ हानि अथवा डर अथवा कलेश पहुंचावैगा तो कहलावैगा कि उसने उस मनुष्य के साथ अनीति बल किया ॥

## उदाहरण.

( अ ) विष्नुमित्र किसी नदी में लंगर पडीहुई एक नावपर वैठा था देवदत्त ने लङ्गर खोल दिये और इस भांति जानमान कर नाव को नदी में बहाया तो यहां देवदत्त ने प्रयोजन करके विष्नुमित्र को चलायमान में डाला और यह काम उसने एक वस्तु को इसप्रकार से रखकर किया कि जिससे बिना उसकी ओर से अथवा और किसी मनुष्य की ओर से कुछ और काम किये जाने के चलायमानता उत्पन्न होगई इसलिये देवदत्त ने जानमान कर विष्नुमित्र के साथ बल किया और कदाचित् यह उसने विष्नुमित्र की बिना राज़ी के इसप्रयोजन से किया हो कि कुछ अपराध को अथवा यह प्रयोजन करके या यहबात अति सम्भावित जानकर कि इस बल के करने से विष्नुमित्र को हानि अथवा डर अथवा कलेश पहुंचेगा तो देवदत्त ने विष्नुमित्र के साथ अनीतिबल किया ॥

(इ) विष्णुमित्र एक रथमें चढ़ा जाता था देवदत्तने विष्णुमित्र के घोड़ों के चाबुक मारकर जल्दी चलाया तो यहां देवदत्तने घोड़ों से उनकी चलायमानता बदलाकर विष्णुमित्र की चलायमानता को बदला इसलिये देवदत्तने विष्णुमित्र के साथ बलकिया और कदाचित् देवदत्तने यह काम विष्णुमित्र की राज़ी के विना इस प्रयोजन से अथवा यह बात अति सम्भवित जानकर कियाहो इससे विष्णुमित्र को हानि अथवा डर अथवा क्लेश पहुंचेगा तो देवदत्तने अनीति बल किया ॥

(उ) विष्णुमित्र पालकी में चढ़ाजाता था देवदत्तने विष्णुमित्रके लूटने

के प्रयोजन से बांस पकडकर पालकी ठहराली तो यहां देवदत्तने विष्णुमित्र की चलायमानता ठहराई और यह काम उसने अपने शरीरके बलसे किया इसलिये देवदत्तने विष्णुमित्रके साथ बलकिया और जोकि देवदत्तने यह बल जानबूझकर विना विष्णुमित्र की राजी के एक अपराध करने के प्रयोजन से किया इसलिये देवदत्तने विष्णुमित्रके साथ अनीति बलकिया ॥

(ए) देवदत्तने जानबूझ कर गली में विष्णुमित्र को रेलादिया तो यहां देवदत्तने अपने शरीरको अपनेही बलसे ऐसा चलायमान किया कि वह विष्णुमित्रको छोडगया इसलिये उसने जानबूझकर विष्नुमित्रके साथ बल किया और कदाचित् उसने यह काम विष्नुमित्र की राजी के विना प्रयोजन से अथवा यह बात अति सम्भवित जानकर कियाहो कि इससे विष्णुमित्र को हानि अथवा डर अथवा क्लेश पहुंचेगा तो उसने विष्नुमित्र के साथ अनीति बलकिया ॥

(ऋ) देवदत्तने एक पत्थर इस प्रयोजन से अथवा यह बात अति सम्भवित जानकर फेंका कि यह पत्थर विष्नुमित्र से अथवा विष्नुमित्र के कपडों से अथवा और किसी बस्तुसे जिससे विष्नुमित्र लिये जाताहो मिलजायगा अथवा पानी में लगकर विश्नुमित्रके कपडों पर या और किसी बस्तुपर जो विश्नुमित्र लिये जाताहो छीट डालैगा और कदाचित् उस पत्थरके फेंकने से यह होजाय कि कुछ बस्तु विश्नुमित्रसे अथवा विश्नुमित्रके कपडों से अथवा और किसीबस्तुमे जो विश्नुमित्र लिये जाताहो मिलजाय तो देवदत्तने विश्नुमित्रके साथ बलकिया और कदाचित् यह बात उसने विश्नुमित्र की राजी के बिना इस प्रयोजन से कीहो कि इससे विश्नुमित्रको हानि अथवा डर अथवा क्लेश पहुंचेगा तो देवदत्तने विश्नुमित्रके साथ अनीति बलकिया ॥

(ऌ) देवदत्तने जानबूझ कर किसी स्त्री का घूंघट खोलदिया तो यहां देवदत्तने जानबूझ कर बलकिया और कदाचित् यह काम उसने उस स्त्री की राजीके विना इस प्रयोजनसे कियाहो कि इससे उसको कुछ हानि अथवाडर अथवाक्लेश पहुंचेगा तो उसने उस स्त्रीके साथअनीतिबल किया॥

(ओ) विश्नुमित्र न्हारहाथा देवदत्तने न्हाने की जगह में जानबूझ कर खौलता पानी डालदिया तो यहां देवदत्तने जानबूझ कर अपने शरीर के

बलसे खौलते पानी को ऐसी चलायमानता में डाला जिससे उस पानी ने विश्नुमित्र के अंगको अथवा पानी को जो इसप्रकार से रक्खा था कि उसके छूने से अवश्य विश्नुमित्रके ज्ञानेन्द्रियों को खेद पहुंचे इसलिये देवदत्तने जानबूझ कर विश्नुमित्रके साथ बलकिया और कदाचित् उसने यह काम विश्नुमित्र की राजी के बिना इस प्रयोजन से अथवा यह बात अति सम्भावित जानकर किया हो कि इससे विश्नुमित्र को हानि या डर या क्लेश पहुंचेगा तो देवदत्तने विश्नुमित्र के साथ अनीतिबल किया ॥

( औ ) देवदत्त ने विष्णुमित्र की राज़ी के विना विष्णुमित्र पर एक कुत्ता सुस्कार दिया यहां कदाचित् देवदत्त का प्रयोजन विष्णुमित्र को हानि या डर या कलेश पहुंचाने से हो तो उसने विष्णुमित्र के साथ अनीतिबल किया ॥

उठैया ] ( ३५१ ) जो कोई मनुष्य कुछ इशारा अथवा उपाय इस प्रयोजन से अथवा यह बात अति संभावित जानकर करै कि इस इशारे अथवा उपाय से कोई मनुष्य जो वहां मौजूद हो यह समझे कि यह इशारा अथवा उपाय करने वाला मनुष्य मेरे साथ अनीति बल करने को है तो कहा जायगा कि उसने उठैया किया ॥

विवेचना—केवल बात कहना उठैया न गिना जायगा परंतु कहने वाले मनुष्य के इशारों अथवा उपायों के अर्थ की बातें ऐसा करसकैंगी जिस्से इशारे अथवा उपाय उठैये के बराबर गिने जांय ॥

## उदाहरण.

( अ ) देवदत्त ने विष्णुमित्र की ओर अपना घूंसा हिलाया इसप्रयोजन से अथवा यहबात अति संभवित जानकर कि इससे विष्णुमित्र निश्चय मानैगा कि देवदत्त मुझको पीटने को है तो देवदत्त ने उठैया किया ॥

( इ ) देवदत्त एक कटखने कुत्ते की भँवरकली खोलने लगा इसप्रयोजन से अथवा यह बात अति संभवित जानकर कि इससे विष्णुमित्र निश्चय

मानेगा कि देवदत्त इस कुत्ते को मेरे ऊपर छोड़ने को है तो देवदत्त ने विष्णुमित्र पर उठैया किया॥

(ज) देवदत्त ने विष्णुमित्र से कहा यह—मैं तुमको पीटूंगा एक लकड़ी उठाई तो यहां यद्यपि यहबात जो देवदत्त ने कही किसी भांति उठैया नहीं होसकती और न वह उपाय अर्थात् लकड़ी का उठाना उठैया गिना जाता जबतक कि उसके साथ और कोईबात नहोती परंतु जब उस उपाय का अर्थ उन बातों के सामने लगाया जाय तो उठैया होसकैगा॥

दंड अनीति वलका सिवाय इसके कि भारी क्रोध दिलाने वाले का काम के कारण किया जाय—

(३५२) कोई मनुष्य किसी मनुष्य पर उठैया करैगा अथवा उसके साथ अनीति बल करैगा सिवाय इसके कि उस मनुष्य को दिलाए हुए एकाएकी और भारी क्रोध में आकर ऐसा काम करै उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद एक महीने तक हो सकैगी अथवा जरीमाने का जो पांच सौ रु० तक होसकैगा अथवा दोनों का किया जायगा॥

बिवेचना—एकाएकी और भारी क्रोध का कारण होने से इस दफ़ा के अपराध का दंड कमती न हो सकैगा कदाचित् वह क्रोध अपराधी ने अपराध करने के मिस के लिये आपही कराया हो अथवा जब वह क्रोध किसी ऐसे काम से हुआ हो जो क़ानूनानुसार किया गया अथवा किसी सर्व संबंधी नौकर ने अपनी नौकरी का अधिकार क़ानूनानुसार भुगताने न दिया हो अथवा जब वह क्रोध किसी ऐसे काम से हुआ हो जो निज रक्षा के अधिकार को क़ानूनानुसार वर्तने में किया गयाहो॥

यह बात देखनी कि क्रोध ऐसा एकाएकी और ऐसा भारी था या नहीं था जो दंड घटाने के लिये काफ़ी हो तहक़ीक़ात के आधीन होगी॥

किसी सर्व संबंधी नौकर के साथ अनीति बल करना इसलिये कि वह अपने ओहदे का काम भुगताने से डरजाय—

( ३५३ ) जो कोई मनुष्य उठैया अनीति बल किसी ऐसे मनुष्य पर करैगा जो सर्व संबंधी नौकर हो और अपनी नौकरी का काम भुगताता हो अथवा इस प्रयोजन से कि वह मनुष्य अपनी नौकरी का काम भुगताने से रुकजाय या डरजाय अथवा इस कारण कि उस मनुष्य ने अपनी नौकरी का काम क़ानूनानुसार भुगताया या भुगताने का उद्योग किया उसको दंड दोनों मे से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दो बरस तक होसकैगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

किसी स्त्री पर उसकी लज्जा बिगाड़ने के प्रयोजन से उठैया अथवा अनीतिबल करना—

( ३५४ ) जो कोई मनुष्य बाल स्त्री पर इस प्रयोजन से अथवा यह बात सम्भवित जानकर कि इससे इसकी लज्जा बिगड़ैगी उठैया अथवा अनीति बल करैगा उसको दंड दोनों मे से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दो बरस तक हो सकैगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

किसी मनुष्य को बेइज्जत करने के प्रयोजनसे उठैया अथवा अनीति बल करना सिवाय इसके कि उस मनुष्य के दिलाये हुए एकाएकी और भारी क्रोध में अन्तर किया जाय—

( ३५५ ) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य की इज्जत बिगाड़ने के प्रयोजन से उस पर उठैया अथवा अनीतिबल करैगा सिवाय इसके कि उस मनुष्य ने उसको भारी और एकाएकी क्रोध होने के कारण किया हो उसको दंड दोनों मे से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दो बरस तक होसकैगी

अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

कुछ वस्तु जिसे कोई मनुष्य लिये जाता हो छीनलेने का उद्योग करने में उठैया अथवा अनीतिबल करना—

(३५६) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य से कोई वस्तु जिसे वह पहने हो अथवा लिये जाता हो छीन लेने का उद्योग करने से उसपर उठैया अथवा अनीतिबल करैगा उसको दंड दोनों मेसे किसीप्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दोबरस तक होसकैगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

अनीति बंध में रखने का उद्योग करने उठैया अथवा अनीतिबल करना—

(३५७) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को अनीति बंधि में रखने में उद्योग करने में उसपर उठैया अथवा अनीतिबल करैगा उसको दंड दोनों मेसे किसीप्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद एक बरस तक होसकैगी अथवा जरीमाने का जो एकहज़ार रुपये तक होसकैगा अथवा दोनों का किया जायगा ॥

एकाएकी और भारी क्रोध में आकर उठैया अथवा बल करना—

(३५८) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य पर उसको दिलाये हुये एकाएकी और भारी क्रोध में आकर उठैया अथवा अनीतिबल करैगा उसको दंड साधारण क़ैद का जिसकी म्याद एक महीने तक होसकैगी अथवा जरीमाने का जो दोसौ रुपये तक होसकैगा अथवा दोनों का किया जायगा ॥

विवेचना—पिछली दफ़ा उसी विवेचना के आधीन होगी जिसकी दफ़ा ३५२ है ॥

## * ज़बरदस्ती पकड़ लेजाने और बहका लेजाने और गुलामी में रखने और बेगार कराने के विषय में ।

मनुष्य को ले भागना ] ( ३५९ ) पकड़ लेजाना दोप्रकार का है हिन्दुस्तान के अंगरेज़ी राज्य मेसे पकड़ लेजाना और नीतिपूर्वक रक्षक की रक्षा मेसे पकड़ लेजाना ॥

हिन्दुस्तान के अंगरेज़ी राज्य मेसे पकड़ लेजाना— } ( ३६० ) जोकोई मनुष्य किसी को बिनाराज़ी उसकी के अथवा और किसी मनुष्य के जिसको क़ानूनानुसार उसकी ओर से राज़ी बोलने का अधिकार हो हिन्दुस्तान के अँगरज़ी राज्य की सीमा से बाहर पहुंचावेगा तो कहलावेगा कि वह मनुष्य को हिन्दुस्तान के अंगरज़ी राज्य में पकड़ लेगया ॥

नीतिपूर्वक रक्षा मेसे पकड़ लेजाना— } ( ३६१ ) जो कोई मनुष्य किसी बालक को जिसकी अवस्था लड़का हो तो चौदह बरस से नीची और लड़की हो तो सोलह बरस से नीची हो अथवा किसी सिड़ी मनुष्य को उसके नीतिपूर्वक रक्षक की रक्षा मेसे बिना उसरक्षक की राज़ी के लेजायगा अथवा बहका लेजायगा तो कहलावेगा कि वह उस बालक अथवा सिड़ी मनुष्य को नीतिपूर्वक रक्षा मेसे पकड़ लेगया ॥

विवेचना—इस दफ़ा में नीतिपूर्वक रक्षा शब्द में कोई मनुष्य जिसको बालक अथवा सिड़ी मनुष्य की चौकसी अथवा रक्षा क़ानूनानुसार सौंपी गई हो ॥

### छूट

यह दफ़ा किसी ऐसे मनुष्य के कामसे सम्बन्ध न रक्खै

---

( ऐक्ट १० सन् १८८२ ईस्वी की दफ़ा ३४५ को देखो )

गी जो अपने शुद्धभाव से किसी कमअसल बालक का मावाप निश्चय मानता हो अथवा शुद्धभाव से यह जानता हो कि इस बालक को अपनी रक्षा में लेने का मैं अधिकारी हूं सिवाय इसके कि वह काम किसी दुराचार अथवा अनीति काम के निमित्त कियागया ॥

बहका लेजाना- ] ( ३६२ ) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यं किसी जगह से चलेजाने के लिये बल से दबावेगा अथवा किसी को धोखे से बहकावेगा तो कहा जायगा कि वह मनुष्य को बहकालेगया ॥

मनुष्य को ले भागने की सज़ा ] ( ३६३ ) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को हिन्दुस्तान के अंगरेज़ी राज्य मेसे अथवा उसके रक्षक की नीतिपूर्वक रक्षा मेसे पकड़ ले जायगा उसको दंड दोनों मेसे किसीप्रकार की कैद का जिसकी म्याद सातबरस तक होसकैगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनोंका किया जायगा ॥

मारडालने के लिये पकड़ लेजाना अथवा बहका लेजाना- } ( ३६४ ) जो कोई किसी मनुष्य को इसलिये पकड़ लेजायगा अथवा बहका लेजायगा कि वह मनुष्य मारा जायगा अथवा ऐसी अवस्था में रक्खा जाय जिससे उस के मारे जाने की जोखिम हो उसको दंड जन्मभरके देश निकाले का अथवा कठिन कैदका जिसकी म्याद दशबरस तकहोसकैगी कियाजायगा और जरीमाने केभीयोग्यहोगा॥

उदाहरण.

( अ ) देवदत्त विष्णुमित्र को हिन्दुस्तान के अंगरेजी राज्य मे से इस प्रयोजन से अथवा यह बात अति सम्भवित जानकर पकड़ लेगया कि विष्णुमित्र किसी देवता के सामने बलिदान किया जाय तो देवदत्त ने इस दफा में लक्षण किया हुआ अपराध किया

( इ ) देवदत्त यज्ञदत्त को उसके घर में से बल करके अथवा बहका कर लेगया इसलिये कि यज्ञदत्त माराजाय तो देवदत्त इसमें लक्षण किया हुआ अपराध किया ॥

किसी मनुष्य को छुपा छुपी और अनीति रीति से बंधिमें रखने के प्रयोजनसे पकड़ लेजाना अथवा बहका लेजाना–

( ३६५ ) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को इस प्रयोजन से पकड़ लेजायगा अथवा बहकालेजायगा कि वह छुपा छुपी और अनीति बंधि में डाला जाय उसको दंड दोनों मेसे किसीप्रकार की कैदका जिसकी म्याद सातबरस तक होसकैगी किया जायगा और जरीमाने केभी योग्य होगा ॥

किसी स्त्री को दबाकर व्याह कराने इत्यादि के लिये पकड़ लेजाना अथवा बहकालेजाना–

( ३६६ ) जो कोई मनुष्य किसी स्त्री को पकड़ लेजायगा अथवा बहकाले इस प्रयोजन से कि वह किसी मनुष्य के साथ अपनी राज़ी के विना विवाह करने को दबाई जाय अथवा यह बात अति सम्भवित जानकर कि वह इसभांति दबाई जायगी अथवा इसलिये दबाई जाय अथवा बहकाई जाय अथवा यह बात अति संभवित जानकर कि वह व्यभिचार करने के लिये दवाई जाय अथवा बहकाई जायगी उसको दंड दोनों मेसे किसीप्रकार की कैदका जिसकी म्याद दशबरस तक होसकैगी किया जायगा और जरीमाने केभी योग्य होगा ॥

किसी मनुष्य को भारी दुःख देने अथवा गुलामी में रखने इत्यादिकेलिये पकड़लेजाना-

( ३६७ ) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को पकड़ लेजायगा अथवा बहका लेजायगा इस प्रयोजनसे कि वह मनुष्य भारी दुःख अथवा गुलामी अथवा किसी मनुष्य की स्वभाव विरुद्ध कामातुरता सहे अथवा ऐसी अवस्था में रक्खा जाय जहां इनबातों मेसे किसी के सहने

की जोखिम हो अथवा यह बात अति सम्भवित जानकर कि वह मनुष्य यह बातें सहेगा अथवा सहने की जोखिम में जायगा उसको दंड दोनों मेसे किसीप्रकार की क़ैदका जिसकी म्याद दशबरस तक होसकैगी किया जायगा और जरीमाने केभी योग्य होगा ॥

पकड़ लेगये हुए या पकड़लाये हुए मनुष्यको छुपाना अथवा अनीति बंधि में रखना—

( ३६८ ) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को यह बात जानबूझ कर कि यह पकड़ लाया गया अथवा बहका लाया गया है अनीति रीति से छुपावैगा अथवा बंधि में रक्खैगा उसको दंड उसी भांति किया जायगा मानौ वह आप उस मनुष्य को उसी प्रयोजन से और उसी ज्ञानसे अथवा उसी निमित्त पकड़ लेगया और बहका लेगया जिससे कि उसने उस मनुष्य को छुपाया अथवा बंधि में रक्खा ॥

पकड़ लेजाना अथवा बहका लेजाना दशबरस से नीचेकी अवस्था के बालक का इस प्रयोजनसे कि उसके शरीर पर से कुछ बस्तु चुराले—

( ३६९ ) जो कोई मनुष्य दश बरस की अवस्था के नीचे के किसी बालक को उसके शरीर पर से कुछ बस्तु बेधर्मई करके उतार लेने के प्रयोजनसे पकड़ लेजायगा उसको दंड दोनों मेसे किसीप्रकार की क़ैदका जिसकी म्याद सातबरस तक होसकैगी किया जायगा और जरीमाने केभी योग्य होगा ॥

किसी मनुष्य को गुलाम करके बेचना अथबा अलग करना—

(३७०) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को गुलामी की भांति इस देश में लावेगा अथवा इससे बाहर लेजायगा अथवा एक ठौर से दूसरे ठौर पहुंचावैगा अथवा मोल लेगा अथवा

बेचैगा अथवा दंड लेगा अथवा किसी को गुलाम की भांति स्वीकार करैगा या लेगा या उसकी राज़ी के बिना रक्खैगा उसको दंड दोनों मेसे किसीप्रकार की क़ैदका जिसकी म्याद सातबरस तक होसकैगी किया जायगा और जरीमाने केभी योग्य होगा ॥

गुलामी का व्योहार ] ( ३७१ ) जो कोई मनुष्य गुलामों को व्योहार के लिये इस देश में लावेगा अथवा इससे बाहर लेजायगा अथवा मोल लेगा अथवा बेचैगा अथवा बेंचने या खरीदने का व्योहार या व्यवसाय करैगा उसको दंड जन्म भरके देश निकाले का अथवा दोनों मे से किसी प्रकार की क़ैद जिसकी म्याद दश बरस तक होसकैगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा ॥

बैश्यापन इत्यादि कामों के लिये किसी बालक को बेचना या किराये पर देना— } ( ३७२ ) जो कोई मनुष्य सोलह बरस से कमती अवस्था के बालक को बैश्यापन इत्यादि कामों के लिये बेचैगा अथवा ऐसा काम लिये जाने के प्रयोजन से अथवा ऐसा काम लिया जाना अति सम्भावित जानकर बेचैगा अथवा किराये पर भेजगा उसको दंड दोनों मे से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दश बरस तक हो सकैगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा ॥

बैश्यापन इत्यादि कामों के लिये किसी बालक को मोल लेना अथवा अपने पास रखना— } ( ३७३ ) जो कोई मनुष्य सोलहबरस से कमती अवस्था के किसी बालक को बैश्यापन कराने अथवा अनीति और अधर्म का काम लिया जाना अति सम्भावित जानकर अथवा ऐसे काम

के प्रयोजन कर मोल लेगा अथवा किराये पर रक्खेगा अथवा और किसी भांति अपने पास रक्खेगा उसको दंड दोनों मे से किसी प्रकार की कैद का जिसकी म्याद दश बरस तक होसकैगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा ॥

अनीति बिगार ] ( ३७४ ) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को उसकी राज़ी के विरुद्ध अनीति रीति से दबाकर काम लेगा अर्थात् बेगार करावैगा उसको दंड दोनों मेसे किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद सातबरस तक होसकैगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

# बल सहित व्यभिचार

बल सहित व्यभिचार ] ( ३७५ ) जो कोई मनुष्य सिवाय आगे लिखी छूट के किसी स्त्री के साथ नीचे लिखेहुए पांच प्रकारों मेसे किसीप्रकार से संभोग करैगा तो कहा-जायगा कि उसने बल सहित व्यभिचार किया ॥

प्रथम—उसकी राज़ी के विरुद्ध ॥

दूसरे—उसकी राज़ी के बिना ॥

तीसरे—उसकी राज़ी से जबकि वह राज़ी उसकी मृत्यु अथवा दुःख का डर दिखाकर लीगई हो ॥

चौथे—उसकी राज़ी से जबकि वह पुरुष जानता हो कि मैं उसका पति नहीं हूं और इसके राज़ी होने का हेतु से है कि मुझको कोई दूसरा पुरुष जानती है जिसको वह नीतिपूर्वक व्याही है अथवा व्याही हुई मानरही है ॥

पांचवें—उसकी राज़ी से चाहे बिना राज़ी जबकि वह

* बारह बरस से कमती अवस्था की हो ॥

बिवेचना—प्रवेश का होजाना उस संभोग में जो बल सहित व्यभिचार के अपराध के लिये अवश्य है काफ़ी समझा जायगा ॥

छूट

अपनी जोरू के साथ जबकि वह बारह बरस से कमती अवस्था की नहो संभोग करना बल सहित व्यभिचार न गिना जायगा ॥

बल सहित व्यभिचार का दंड— } (२७६) जो कोई मनुष्य बलसहित व्यभिचार करैगा उसको दंड जन्म भर के देश निकाले अथवा दोनों मेसे किसीप्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दशबरस तक होसकैगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा ॥

# ( स्वभाव विरुद्ध अपराध )

स्वभाव विरुद्ध अपराध ] (३७७) जो कोई मनुष्य जानमान कर किसी पुरुष अथवा स्त्री अथवा पशु के साथ प्रकृति की रचना के विरुद्ध संभोग करैगा उसको दंड जन्म भर के देश निकाले का अथवा दोनों मेसे किसीप्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दशबरस तक होसकैगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा ॥

बिवेचना—जो संभोग कि इस दफ़ा में वर्णन कियेहुये अपराध के लिये अवश्य है उसमें प्रवेश का होना काफ़ी समझा जायगा ॥

---

* शब्द बारह —असल शब्द—दश—की जगह ऐक्ट १० सन् १८६१ ईस्वी की दफ़ा १ के ज़रिया से क़ायम किया गया ॥ दरबारह बेत मारने के देखो ऐक्ट ६ सन् १८८२ ईस्वी की दफ़ा ४ व ६ ॥

# अध्याय १७

## ( धन संबंधी अपराधों के विषय में )

### सिरक़ेके* वर्णन में

चोरी- ] ( ३७८ ) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य के क़ब्ज़े में कुछ स्थावर बस्तु उसकी राज़ी के बिना बेधर्मईसे लेजाने के प्रयोजन से उस बस्तु को इस भांति लेजाने के लिये उठावैगा तो कहा जायगा कि उसने चोरी की ॥

बिवेचना—१—कोई बस्तु जब तक कि वह धरती से लगी हुई हो स्थावर नहीं है इसलिये चोरी नहीं जासक्ती परंतु जमी धरती से छुड़ाई जाय चोरी जासक्ती है॥

बिवेचना—२—हटाना किसी बस्तु का वही काम करके जिस से उसका छुड़ाना होता है चोरी गिनी जा सकैगी ॥

बिवेचना—३—जैसे कोई मनुष्य किसी बस्तु का हटाने वाला कहलाता है जबकि वह उस वस्तु को उसकी जगह से हटावै ऐसेही उस अवस्था में भी कहलावैगा जबकि उस रोक को जिससे वह बस्तु अपनी जगह से हटने से रुक रही हो हटावै अथवा जबकि उसको किसी दूसरी बस्तु से अलग करै ॥

बिवेचना—४—कोई मनुष्य जो किसी पशु को किसी उपाय से हटावै उस पशु का और प्रत्येक वस्तु का जिस से वह पशु अपने इस भांति हटाये जाने के कारण हटाये हटाने वाला कहलावैगा ॥

बिवेचना—५—वह राजी जिसका ज़िकर इस अपराध

---

*सब लोगों पर वाजिब है कि उन अपराधों की मुख़बरी करें जो तहत दफ़ा ३८२क़ाबिल सज़ा हैं—देखो ऐक्ट १० सन् १८८२ ईस्वी की दफ़ा ४४ ॥

के लक्षण में आया चाहै प्रगट दीगई हो चाहै अप्रगट और चाहै उस मनुष्य ने दी हो जिसके क़ब्ज़े में वह वस्तु हो चाहै और किसी मनुष्य ने जिसको उसके देनेका अधिकारप्रगट या प्राप्त हो ॥

## उदाहरण.

(अ) देवदत्तने विष्णुमित्र की धरती का कोई पेड़ काटा इस प्रयोजन से कि विना विष्णुमित्र की राज़ी के उस पेड़ को विष्णुमित्र के क़ब्ज़े मेंसे बेधर्मई करके उठा लेजाय तो यहां जिस समय देवदत्तने इस प्रकार से लेजाने के लिये पेड़ काटा उसी समय चोर होगया ॥

(इ) देवदत्तने कुत्ते के पोटने की वस्तु अपनी जेब में रखली और इस प्रकारसे विष्णुमित्र के कुत्तेको अपने संग लगा लिया यहां कदाचित् देवदत्तका प्रयोजन उस कुत्तेको विष्णुमित्र के क़ब्ज़े मेंसे विना विष्णुमित्र की राज़ी के बेधर्मई से लेजाने का हो तो जिस समय विष्णुमित्र का कुत्ता देवदत्तके संग चला उसी समय देवदत्त चोर होगया ॥

(उ) देवदत्तको कोई बैल खज़ाने के सन्दूक से लदाहुआ मिलगया और उसने उस बैलको किसी ओर इस प्रयोजनसे हांकदिया कि खज़ाने को बेधर्मई से लेले तो जिस समय बैल हांका उसी समय देवदत्त खज़ाने का चोर होगया ॥

(ऋ) देवदत्त जो विष्णुमित्र का नौकर था उसकी चौकसी में विष्णु-मित्र की राज़ी के विना देवदत्त लेकर भागगया तो देवदत्त चोर हुआ ॥

(ऌ) विष्णुमित्रने देशाटन को जाते समय अपने चांदी सोने के वर्त्तन देवदत्त जो मालिक किसी गोदाम का था अपने लौटआने तक के लिये सौंपदिये देवदत्तने उन वर्त्तनों को किसी सुनारके पास लेजाकर बेंचदिया तो यहां वर्तन विष्णुमित्र के क़ब्ज़े में नथे इसलिये विष्णुमित्र के क़ब्ज़े से उनका खोजानाभी नहीं होसक्ता और न देवदत्त चोर हुआ यद्यपि उसने धरोहर दंड योग्य विश्वासघात कियाहो ॥

(ए) देवदत्तने विष्णुमित्र की अंगूठी किसी मेज़पर रक्खी हुई पाई जिस घरमें कि विष्णुमित्र रहता था पाई यहां वह अंगूठी विष्णुमित्र के क़ब्ज़े में

थी और कदाचित् देवदत्त उसको बेधर्मई से उठा लेजाता तो चोर होता ॥

(ओ) देवदत्तने एक अंगूठी जो किसी मनुष्यके कब्ज़े में नथी सड़कपर पड़ीपाई तो देवदत्त उसके उठालेने से चोर न होगा यद्यपि यह होसकैगा कि उसने दंड योग्य तसर्रुफ़ किया ॥

(औ) देवदत्त बिष्णुमित्र की अंगूठी विष्णुमित्र के घरमें मेज़पर पड़ी देखी परन्तु तलाशी होने और पास निकल आने के डरसे देवदत्तको रुआब न पड़ा कि तुरन्त उस अंगूठी को तसर्रुफ करै परन्तु उसने अंगूठी को ऐसी ठौर जहां कुछ सम्भवित नथा कि विष्णुमित्र उसको कभी पालेगा छुपादिया इस प्रयोजनसे कि इस अंगूठी का खोजाना बिष्णुमित्र भूल जायगा तब मैं इस ठौरसे निकाल इसको बेंच डालूंगा तो यहां देवदत्त उस अंगूठी को पहिलेही उठाते समय चोर होगया ॥

(अं) देवदत्तने अपनी घड़ी मरम्मत के लिये विष्णुमित्र किसी घड़ी बनानेवाले को दी और विष्णुमित्र उसे अपनी दुकानपर लेगया और देवदत्तपर बिष्णुमित्र का कुछ ऐसा करज नहीं आताथा जिसके बदले वह उस घड़ी को क़ानूनानुसार दबा रखसकता देवदत्त खुळा खुली दुकान में चलागया और विष्णुमित्र के हाथसे जबरदस्ती अपनी घड़ी लेकर चला आया तो यहां यद्यपि देवदत्तने अपराध मुदाखलत बेजा और उठैया का किया हो परन्तु चोरी नहीं की परन्तु जो कुछ किया सो बेधर्मई से नहीं किया ॥

(अः) कदाचित् देवदत्त घड़ी की मरम्मतके बदले विष्णुमित्र का कुछ धराता होता और विश्नुमित्र उस घड़ीको जामिनी की भांति कानूनानुसार दबा रखसकता और तब देवदत्त उसघडी को विश्नुमित्र के कब्जे से यह प्रयोजन करके कि विश्नुमित्र के पास उस बस्तुको उसके धराने की भांति न रहने दे लेजाता तौ चोर कहलाता क्योंकि तब लेजाना उसका बेधर्मई से होता ॥

(क) और कदाचित् देवदत्त अपनी घड़ी को विश्नुमित्र के पास गहने रखकर विश्नुमित्रके कब्जे से बिना उसकी राजी के और बिना चुकाने उसऋण के जो घड़ीपर लिया था लेजाता तौ यद्यपि घड़ी उसका मालथा

देवदत्त चोर होता क्योंकि तब लेजानी उसका बेधर्मई से होता ॥

(ख) देवदत्त विश्नुमित्र की कोई बस्तु विश्नुमित्र के कब्जेसे विना उस की राजीके लेली इस प्रयोजनसे कि जबतक कि विश्नुमित्रके उसके फिर पाने के बदले कुछ इनाम न पाऊंगा तबतक उसको अपने पास रक्खूंगा तो यहां देवदत्तने वह बस्तु बेधर्मई से ली इसलिये देवदत्त चोर हुआ ॥

(ग) देवदत्त का व्यवहार विष्णुमित्र के साथ मित्रता का था और विश्नुमित्र के पुस्तकालय में उस समय जबकि विश्नुमित्र मौजूद नथा गया और एक पुस्तकको विना विश्नुमित्र की प्रगट राजी के केवल पढ़ने के लिये उठालाया इस प्रयोजनसे कि फिर फेरदूंगा तो यहां सम्भवित है कि देवदत्तने यह जाना होकि इस पुस्तक को पढ़ने के लिये लेजाने की मुझको विश्नुमित्र की आज्ञा है और वह आज्ञा यद्यपि प्रगट नहीं है परन्तु समझी गई है और कदाचित् देवदत्त ऐसाही समझा होतो उसनें चोरी नहीं की ॥

(च) देवदत्त विश्नुमित्र की स्त्री से कुछ खैरात मांगी और उसनें देवदत्तको द्रव्य और भोजन और बस्त्र जिनको देवदत्त जानताथा कि उसके पति विश्नुमित्र हैं दिये यहां देवदत्त का समझना सम्भवित है कि विश्नुमित्र की स्त्री को खैरात देनेका अधिकार था और कदाचित् देवदत्त ऐसा ही समझा होतो उसने चोरी नहीं की ॥

(छ) देवदत्त विश्नुमित्र की स्त्री का यारथा उस स्त्रीने देवदत्त को कुछ मोलदार बस्तु जिसको देवदत्त जानताथा कि उसके पति विश्नुमित्र की है और ऐसी बस्तु देदेने का अधिकार उस स्त्री को विश्नुमित्र से नहीं मिला है देदी तो कदाचित् देवदत्तने वह बस्तु बेधर्मई से ली तो चोर हुआ ॥

(ज) देवदत्तने शुद्धभावसे विश्नुमित्र की किसी बस्तु को अपनी बस्तु जानकर यज्ञदत्तके पास से लेलिया तो यहां देवदत्तने वह बस्तु बेधर्मई से नहीं ली ॥

चोरी का दंड] ( ३७९ ) जो कोई मनुष्य चोरी करैगा उस को दंड दोनों मे से किसी प्रकार की कैद का जिसकी म्याद तीनबरस तक होसकैगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

चोरी किसी मकान अथवा तंबू अथवा नाव में— (३८०) जो कोई मनुष्य किसी ऐसे मकान या तंबू अथवा नाव में जो मनुष्य के रहने की जगह की भांति अथवा माल असबाब रखने के लिये काम में हो चोरी करैगा उसको दंड दोनों मे से किसी प्रकार की कैद का जिसकी म्यांद सात वरस तक होसकैगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा ॥

(दंड बेत मारने के विषय में देखो दफा २ व ३ ऐक्ट नम्वर ६. सन् १८६४ ई० )

जब कोई गुमाश्ता अथवा नौकर अपने मालिक के पास से कोई वस्तु चुरावे— (३८१) जो कोई मनुष्य गुमाश्ता अथवा नौकर होकर अथवा गुमाश्ते या नौकर के काम पर होकर कुछ वस्तु अपने मालिक अथवा पर लगाने वाले के पास से चुरावगा उसको दंड दोनों मे से किसी प्रकार की कैद का जिसकी म्याद सात बरस तक होसकैगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा ॥

चोरी करने के प्रयोजन से किसी को मारडालने अथवा दुख पहुंचाने का उपाय करके चोरी करना— (३८२) जो कोई मनुष्य चोरी करने के लिये अथवा चोरी करके भागजाने के लिये अथवा चोरी के मालको बचा रखने के लिये किसी की मृत्यु करने अथवा दुख देने अथवा रोक रखने अथवा मृत्यु या दुख या रोक का डर दिखाने का उपाय करके चोरी करैगा उसको दंड कठिन कैद का जिसकी म्याद दशबरस तक होसकैगी कियाजायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा ॥

## उदाहरण.

(अ) देवदत्तने विश्नुमित्र के कब्जे से चुराया और चोरी करते समय

एक भरा हुआ तमंचा अपने कपड़े के नीचे रखलिया इस निमित्त कि कदाचित् विष्णुमित्र को इस तमंचे से मारदूंगा तो देवदत्तने इस दफामें लक्षण किया हुआ अपराध किया ॥

(इ) देवदत्तनें विष्णुमित्र की जेब काटी और उस समय अपनें कई साथियों का विष्णुमित्र कें दायें वायें इसलिये लगा रक्खा कि कदाचित् विष्णुमित्र जेब काटते हुए देखले और रोकना चाहै अथवा देवदत्त को पकड़ने का उद्योग करै तो उसको रोकले यहांदेवदत्तनेइस दफा में लक्षण किया हुआ अपराध किया ॥

# दबाकर लेने के विषय में

दवा करलेना ] ( ३८३ ) जो कोई मनुष्य प्रयोजन करके किसी मनुष्य को कुछ डर हानि पहुंचाने का दिखायेगा चाहे डर उसी मनुष्य की हानि का जिससे डर दिखाया गया चाहै और किसी की और इस उपाय से कुछ वस्तु अथवा दस्तावेज़ अथवा मुहर या दस्तखत की हुई वस्तु जिस से दस्तावेज़ बनसके उस मनुष्य से जिसको डर दिखाया वेधर्मई करके किसी को दिलावैगा दवाकर लेने वाला कहलावैगा ॥

## उदाहरण.

( अ ) देवदत्त ने धमकी दी कि जो विश्नुमित्र इतना रुपया मुझको न देगा तो मैं उसको अपयश की कोई वात प्रगट करदूंगा और उस उपाय से उसने विश्नुमित्रको दवाकर रुपया लिया तो देवदत्त ने दवाकर रुपया लेने का अपराध किया ॥

( इ ) देवदत्त ने विश्नुमित्र को धमकी दी मैं तेरे बालक को अनीति वन्धि में रक्खूगा नहीं तो अपने दस्तखत करके मुझको दे एक तमस्सुक देदे जिसमें लिखा हो कि विश्नुमित्र मुझको इतना रुपया देगा मिश्नुमित्र ने दस्तखत करके तमस्सुक उसको दे दिया तौ देवदत्त लेने का अपराधी हुआ ॥

( उ ) देवदत्त ने विश्नुमित्र को धमकी दी कि मैं लठैत भेजकर तेरा खेत जुतवा लूंगा नहीं तौ अपने दस्तख़त करके एक तमस्सुक यज्ञदत्त को इस बात का लिखदे कि विश्नुमित्र फलानी पैदावारी यज्ञदत्त को देगा और न दे तौ इतनें जरीमाने कें योग्य होगा—देवदत्त नें इस भांति दबाकर तमस्सुक पर विश्नुमित्र के दस्तखत करालिये तो देवदत्तने दबाकर लेनेका अपराध किया ॥

( ऋ ) देवदत्त ने विश्नुमित्र को भारी दुख पहुचाने की धमकी से दबाकर वेधर्मई से कोरे कागज पर दस्तखत करालिये तों यहां वह कागज जिस पर इसभांति दस्तखत कराये गये दस्तावेज बन सकती है इसलियें देवदत्त दबाकर लेंनें का अपराधी हुआ ॥

दबाकर लेने का दंड ] ( ३८४ ) जो कोई मनुष्य दबाकर लेने का अपराधी होगा उसको दंड दोनों मेसे किसीप्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद तीनबरस तक होसकैगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

दबाकर लेने के लिये किसी मनुष्य को हानि पहुंचाने का डर दिखाना— } ( ३८५ ) जो कोई मनुष्य दबाकर लेने का अपराध करने के लिये किसी मनुष्य को कुछ हानि पहुंचाने का डर दिखावेगा अथवा डर दिखाने का उद्योग करैगा उसको दंड दोनों मेसे किसीप्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दोबरस तक होसकैगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

किसी मनुष्य को मृत्यु अथवा भारी दुःख का डर दिखाकर दबाकर लेना— } ( ३८६ ) जो कोई मनुष्य दबाकर लेने का अपराध किसी मनुष्य की मृत्यु अथवा भारी दुःख का डर दिखाकर करैगा चाहे वह डर उसी मनुष्य की मृत्यु अथवा भारी दुःख का हो जिसको डर दिखाया गया चाहैं और किसी को उसको दंड दोनों मेसे किसी

प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दशबरस तक होसकैगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा ॥

दबाकर लेने के लिये किसी मनुष्य को मृत्यु अथवा भारी दुःख का डर दिखाना—

(३८७) जो कोई मनुष्य दबाकर लेने के लिये किसी मनुष्य को मृत्यु अथवा भारी दुःख का डर दिखावेगा अथवा दिखाने का उद्योग करैगा चाहै वह डर उसी मनुष्य को मृत्यु अथवा भारी दुःख काहो जिस को डर दिखाया गया चाहै और किसी को उसको दंड दोनों मेसे किसीप्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद सात बरस तक होसकैगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा ॥

बध अथवा देश निकाले का इत्यादि दंड के योग्य किसी अपराध की तोहमत लगाने का डर दिखाकर दबाकर लेना—

(३८८) जो कोई मनुष्य दबाकर लेने का अपराध किसी मनुष्य को डर इसबात का दिखाकर करै कि मैं तुझको अथवा और किसी मनुष्य को तुहमत ऐसे किसी अपराध के करने की अथवा करने का उद्योग करने की अथवा करने के लिये किसी मनुष्य को बहकाने की लगाऊँगा जिसका दंड बध अथवा जन्म भर का देशनिकाला अथवा दशबरस तक की क़ैद है उसको दंड दोनों मेसे किसीप्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दश बरस तक होसकैगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा ॥

और अगर वह अपराध इस संग्रह की दफ़ा ३७७ के अनुसार दंड योग्य हो तो जन्म भर के देशनिकाले का दंड होसकैगा ॥

दबाकर लेने के प्रयोजन से किसी मनुष्य को अपराध लगाने की तुहमत का डर दिखाना—

( ३८९ ) जो कोई मनुष्य दबाकर लेने का अपराध करने के लिये किसी मनुष्य को डर इसबात का दिखावैगा अथवा दिखानेका उद्योग करैगा किमैं तुझ को अथवा और किसी मनुष्य को तुहमत ऐसे अपराध के करने की अथवा उद्योग करने की जिसका दंड वध अथवा जन्म भर का देशनिकाला अथवा दशबरस तक की कैद है उसको दंड दोनों मेसे किसीप्रकार की कैद का जिसकी म्याद दशबरस तक होसकैगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा ॥

और कदाचित् वह अपराध इस संग्रह की दफा ३७७ के अनुसार दंड के योग्य हो तो जन्म भर के देशनिकाले का होसकैगा ॥

# बलसहित चोरी और डकैती के विषय में

चोरी कबजोरी गिनी जायगी—

( ३९० ) जोरी में याती चोरी होती है या दबाकरलेना कदाचित् चोरी करने के लिये अथवा चोरी करने में अथवा चोरी का माल लेजानेका उद्योग करने में अपराधी जानमानकर किसी मनुष्य को मृत्यु अथवा दुःख अथवा अनीति बंधि करै अथवा करने का उद्योग करै अथवा डर तत्काल मृत्यु का अथवा तत्काल दुःख का अथवा तत्काल अनीति बंधि का दिखावै तौ वह चोरी जोरी गिनी जायगी ॥

दबाकर लेना कब जोरी कहलावैगी—

कदाचित् दबाकर लेने का अपराध करते समय अपराधी डर दिखाये

हुये मनुष्य के सामने हो और उस मनुष्य को डर उसकी या और किसी मनुष्य की तत्काल मृत्यु करने अथवा तत्काल दुःख देने का अथवा तत्काल अनीति बंधि में रखने का दिखावै और इस भांति डर दिखाकर उसका डर दिखाये हुये मनुष्य से उसी समय और उसी स्थान पर दबाकर कुछ लेले जो ऐसा दबाकर लेना जोरी गिना जायगा ॥

विवेचना—अपराधी का सामने होना ही कहा जायगा जबकि वह इतना नगीचहो कि उस मनुष्यको डर तत्काल मृत्यु अथवा तत्काल दुःख अथवा तत्काल अनीति बंधि का दिखासकै ॥

## उदाहरण.

( अ ) देवदत्त ने विष्णुमित्र को दपोच लिया और बिना विष्णुमित्र की राजी के छल करके विष्णुमित्र की द्रव्य और गहना और बस्त्रों मे से लेलिया यहाँ देवदत्त ने चोरी की और उस चोरी के करने के लिये विष्णुमित्र को जानमानकर अनीति बंधिमें रक्खा इसलिये देवदत्तने जोरी की॥

( इ ) देवदत्त को विष्णुमित्र सड़क पर मिला देवदत्त ने विष्णुमित्र को तमंचा दिखाया और उसकी थैली मांगी विष्णुमित्र ने डर के मारे थैली देदी तो यहां देवदत्त ने विष्णुमित्र को तत्काल दुःखका डर दिखा-कर थैली दबाकर ली और दबाकर लेने का अपराध करने के समय उसके सामने था इसलिये देवदत्त ने जोरी की ॥

( उ ) देवदत्त को विष्णुमित्र और विष्णुमित्र का बालक सड़कपर मिले देवदत्त ने उस बालक को पकड़ लिया और विष्णुमित्र को धमकी दी कि तू अपनी थैली मुझे नदेगा तो मैं इस बालक को खार में फेंक दूंगा विष्णु-मित्र ने डर के मारे थैली देदी तो यहां देवदत्त ने विष्णुमित्र को उस बालक को जो वहां मौजूद था तत्काल दुःख देनेका डर दिखाकर विष्णु-मित्र से थैली दबाकर लेली इसलिये देवदत्त ने विष्णुमित्र के साथ जोरी की॥

(ए) देवदत्त ने विष्णुमित्र से कुछ माल यह कहकर लिया कि तेरा बालक हमारी जमायत के साथ में है जो तू दश हज़ार रुपये हमको न भेज देगा तो वह बालक मारा जायगा यह दबाकर लेना हुआ और उसी अनुसार दंड योग्य हुआ परन्तु जोरी नहीं हुई क्योंकि विष्णुमित्र को उसके बालक की तत्काल मृत्यु का डर नहीं दिखाया ॥

डकैती- ] (३९१) जब पांच अथवा पांच से अधिक मनुष्य मिलकर जोरी करैं या करने का उद्योग करैं या करने का उद्योग करने में सहायता दें पांच अथवा पांच से अधिक हों तो उनमें से हरएक मनुष्य डकैती करनेवाला कहलावैगा ॥

जोरी का दंड- ] (३९२) जो कोई मनुष्य जोरी करैगा उसको दंड कठिन क़ैद का जिसकी म्याद दशबरस तक होसकैगी किया जायगा और जरीमाने केभी योग्य होगा ॥

और कदाचित् जोरी सूरज उगने और सूरज डूबने के बीच में सड़क पर कीजाय तो क़ैद की म्याद चौदह बरस तक होसकैगी ॥

जोरी के उद्योग का दंड ] (३९३) जो कोई मनुष्य जोरी करने का उद्योग करैगा उसको दंड कठिन क़ैद का जिस की म्याद सातबरस तक होसकैगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा ॥

जोरी करने में जानमानकर दुःख पहुंचाना- } (३९४) कदाचित् कोई मनुष्य जोरी करने में जान मानकर दुःख पहुंचावैगा तो उस मनुष्य को और हरएक मनुष्य जो उसका साथी जोरी करने में अथवा जोरी करने का उद्योग करते हों दंड जन्म भर के देश निकाले का अथवा कठिन क़ैद का जिसकी म्याद दशबरस तक होसकैगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा ॥

डकैती करने का दण्ड ] ( ३९५ ) जो कोई मनुष्य डकैती करैगा उसको दंड जन्म भर के देश निकाले का जिसकी म्याद दशवरस तक होसकैगी कियाजायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा ॥

डकैती के साथ ज्ञातघात ] ( ३९६ ) कदाचित् उन पांच अथवा पांच से अधिक मनुष्यों मेसे मिलकर डकैती करने में कोई एक भी ज्ञातघात करैगा तो उन मनुष्यों मेसे हरएक को दंड बध का अथवा जन्मभर के देश निकाले का या कठिन क़ैद का जिसकी म्याद दशवरस तक होसकैगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा ॥

जोरी अथवा डकैती के साथ मृत्यु अथवा भारी दुःख करने का दण्ड— ( ३९७ ) कदाचित् जोरी अथवा डकैती करते समय अपराधी किसी मृत्युकारी हथियार को काममें लावैगा या किसी मनुष्य को भारी दुःख पहुंचावैगा अथवा किसी मनुष्य को मृत्यु अथवा भारी दुःख पहुंचानेका उद्योग करैगा तो जिस क़ैदकादंड ऐसे अपराधी को कियाजायगा उसकी म्यादसातवरस से कमती नहोगी॥

मृत्युकारी हथियार बांधकर जोरी अथवा डकैती का उद्योग करना— ( ३९८ ) कदाचित् जोरी या डकैती का उद्योग करते समय अपराधी कुछ मृत्युकारी हथियार बांधे होगा तो जिस क़ैद का दंड ऐसे अपराधी को किया जायगा उसकी म्याद सातवरस से कमती नहोगी ॥

डकैती करने के लिये तैयारी करना— ( ३९९ ) जो कोई मनुष्य डकैती करने के लिये सामान करैगा उसको दंड कठिन क़ैद का जिसकी म्याद दश वरस तक होसकैगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा ॥

डकैती की जमायत में रहने का दण्ड—

( ४०० ) जो कोई मनुष्य इस क़ानून के जारी होने के पीछे कभी ऐसे मनुष्य की जमायत में रहेगा जो डकैती का उद्यम करने के लिये मेल रखते हों उसको दंड जन्म भरके देशनिकाले का अथवा कठिन क़ैदका जिसकीम्याद दशबरसतक होसकैगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा ॥

चोरों की डामा डोल जमायत में रहनें का दंड—

( ४०१ ) जो कोई मनुष्य इस क़ानून के जारी होने से पीछे कभी ऐसे मनुष्य का किसी ऐसे डामा डोल जमायत में रहैगा जो चोरी अथवा जोरी का उद्यम करने के लिये मेल रखते हों और वह जमायत ठगों की अथवा डकैतों की नहो उसको दंड कठिन क़ैदका जिसकी म्याद सात बरस तक होसकैगी कियां जायगा और जरीमाने केभी योग्य होगा ॥

डकैती करनें कें निमित्त इकठ्ठा होना—

( ४०२ ) जो कोई मनुष्य इस क़ानून के जारी होने के पीछे कभी किसी ऐसे पांच अथवा पांच से अधिक मनुष्यों मेसे होगा जो डकैती करने के प्रयोजन से इकठा हुए हों उसको दंड कठिन क़ैदका जिसकी म्याद सातबरस तक होसकैगी किया जायगा और जरीमाने केभी होगा ॥

# मालके तसर्रुफ़ बेजाका अपराध

बेधर्मई से मालका तसर्रुफ़ बेजा करना—

( ४०३ ) जो कोई मनुष्य बेधर्मई से किसी स्थावर बस्तुको बेजा तसर्रुफ़ करैगा अथवा अपने काम में ले आवैगा उसको दंड दोनों मेसे किसीप्रकार की क़ैदका जिसकी म्याद दो

बरस तक होसकैगी अथवा जरीमाने का भी अथवा दोनों का किया जायगा ॥

## उदाहरण.

(अ) देवदत्तने विष्णुमित्र का कुछ माल विष्णुमित्र के पास से शुद्ध-भावसे लेने के समय यह निश्चय मानकर कि यह माल मेरा है लेलिया तो देवदत्त चोरी का अपराधी न हुआ परन्तु जो देवदत्त अपनी भूलको जानकर भी बेधर्मई से उस मालको अपने काम में लावे तो इस दफाके अपराधका अपराधी होगा ॥

१-जिस वस्तुको काममें लानेका अधिकार नहो उसको काममें लाना अथवा खरच करना ॥

(इ) देवदत्तको विष्णुमित्र से मित्रता थी इसलिये विष्णुमित्र की गैर हाजिरी में विष्णुमित्र के पुस्तकालय में गया और बिना विष्णुमित्र की स्पष्ट आज्ञा के एक पुस्तक लेगया तो यहां कदाचित् देवदत्तको यही मालूम रहा हो कि मैं पढ़ने के लिये इस पुस्तक के लेजाने की मुझको समझी हुई आज्ञा है तो देवदत्तने चोरी नहीं की परन्तु जो देवदत्त फिर पीछे उस पुस्तक को अपने कामके लिये बेंचडाले तो इस दफाके अनुसार अपराधी होगा ॥

(उ) देवदत्त और यज्ञदत्त साझे में किसी घोड़े के मालिक थे देवदत्त घोड़े को यज्ञदत्त के पाससे अपने काममें लाने के लिये लेगया तो यहां देवदत्त उस घोड़े को काममें लानेका अधिकारी था इसलिये उसने उसको बेधर्मई से तसर्रुफ नहींकिया परन्तु जो देवदत्त उसघोड़ेको बेचकर सबदाम अपनेही काममें लेआता तो इसदफाके अनुसार अपराधका अपराधीहोता ॥

बिवेचना—तसर्रुफ़ बेजा जो केवल कुछ समय के लिये बेधर्मई से किया जाय तोभी इस दफ़ाके अर्थ अनुसार तसर्रुफ़ बेजा गिना जायगा ॥

## उदाहरण.

देवदत्तने एक गवर्नमेंटका प्रायेसरी नोट जो विष्णुमित्र का मालथा

और जिसकी पीठपर बिक्री बिना नामके लिखी थी पाया देवदत्तनें यह बात जानमानकर कि यह नोट विश्नुमित्र का है उसको किसी साहूकारके पास यह प्रयोजन करके गहने रखदिया कि आगे किसी समय इसको विश्नुमित्र को फेर दूंगा तो देवदत्तनें इस दफाके अनुसार अपराध किया ॥

विवेचना—२—जो कोई मनुष्य कुछ ऐसा माल जो किसी और मनुष्य का क़ब्ज़ा नहो उस मालिक की तरफ़ं से चौकसी में रखने अथवा मालिक के फेर देने के प्रयोजनसे उठाले तो बेधर्मई से लेना अथवा तसर्रुफ़ बेज़ा करना न करना कहलावैगा और न वह किसी अपराध का अपराधीं गिना जायगा—परन्तु वह ऊपर लक्षण किये हुए अपराध का अपराधी होजायगा कदाचित् उस माल को उसने यह बात जानबूझ कर अथवा जानलेने का अवसर पाकर कि इसका मालिक फलाना है अथवा मालिक को ढूंढ़ने और इत्तलाय देनेके लिये यथोचित् उपाय करने और जितने समय तक मालिक की ओर से दावा होने के लिये उस मालिक को अपने पास रखलेना उचित हो उतने समय तक रखलेने से अपने काम में ले आवै—यह बात कि ऐसे मुक़द्दमे में उचित उपाय क्या है अथवा उचित समय कितना है निर्णय करनी होगी ॥

यह कुछ अवश्य नहीं है कि पानेवाला जानता है कौन इस मालका मालिक है अथवा यह कि फ़लाना मनुष्य इसका मालिक है किन्तु इतनाही काफ़ी होगा कि तसर्रुफ़ करते समय वह उस मालको अपना न जानता हो अथवा शुद्धभावसे निश्चय न रखता हो कि इसका असल मालिक मिल नहीं सकता है ॥

## उदाहरण.

( अ ) देवदत्त ने एक रुपया सड़क पर पाया और न जाना किसका

है देवदत्त ने उस रुपया को उठा लिया तो देवदत्तने इस दफ़ा का लक्षण कियाहुआ अपराध नहीं किया ॥

( इ ) देवदत्त ने सड़क पर एक चिठ्ठी पाई जिसमें एक हुंडी भी थी सरनामे से और चिठ्ठी के लेख से उसने जानलिया कि यह हुंडी फलाने मनुष्य की है और हुंडी को तसर्रुफ किया तो देवदत्त ने इस दफ़ा के अनुसार अपराध किया ॥

( उ ) देवदत्तने एक रुक्का पाया जिसका रुपया धनी को मिल सकता था पाया और यह निश्चय न किया कि इसका खोनेवाला कौन है परन्तु जिस मनुष्य ने वह रुक्का लिखा था उसका नाम निकल आया और देवदत्त ने जानलिया कि इसका लिखनेवाला पता इसके मालिक का बतला सकैगा फिर भी देवदत्त मालिक के ढूंढने का कुछ उपाय किये बिना उस रुक्के को अपने काम में लाया तो इस दफ़ा के अनुसार अपराध का अपराधी हुआ ॥

( ऋ ) देवदत्त ने विष्णुमित्र के पास से एक थैली जिसमें कुछ द्रव्य थी गिरते देखी और देवदत्त ने वह थैली यह विचार कर कि विष्णुमित्र को फेरदूंगा उठाली परन्तु फिर पीछे अपने काम में लाया तो देवदत्त ने इस दफ़ा के अनुसार अपराध किया ॥

( ऌ ) देवदत्त ने एक थैली जिसमें रुपये थे पाई और यह नजाना कि किसकी है परन्तु पीछे जानलिया कि विश्नुमित्र की है और फिर भी उस को अपने काम में ले आया तो देवदत्त इस दफ़ा के अपराध का अपराधी है॥

( ए ) देवदत्त ने एक बड़े मोल की अंगूठी पाई और न जाना कि यह किसकी है फिर देवदत्त ने यह अंगूठी मालिक को उद्योग किये बिना तुरंत बेचडाली तो देवदत्त इस दफ़ा के अपराध का अपराधी हुआ ॥

बेधर्मई से तसर्रुफ़ करना किसी मालको जो किसी मरे हुए मनुष्य के कब्जे में उसके मरने के समय रहाहो—

( ४०४ ) जो कोई मनुष्य बेधर्मई से किसी माल को यह बात जानकर कि यह माल फलाने मनुष्य के कब्ज़े में उस मनुष्य के मरते समय था और तब से किसी ऐसे मनुष्य

के क़ब्ज़े में नहीं रहा है जो इसपर क़ब्ज़ापाने का क़ानूनानुसार अधिकारी हो तसर्रुफ़ करैगा अथवा अपने काममें लावैगा उसको दंड दोनों मेसे किसीप्रकार की क़ैदका जिसकी म्याद तीनबरस तक होसकैगी किया जायगा और जरीमाने केभी योग्य होगा और कदाचित् अपराधी उस मनुष्य के मरने समय उसका गुमाश्ता अथवा नौकर रहाहो तो म्याद सातबरस तक होसकैगी ॥

## उदाहरण.

मरते समय विष्णुमित्र का क़ब्ज़ा कुछ असबाब और द्रव्य परथा उसकी नौकरी देवदत्त उस द्रव्य को किसी ऐसे मनुष्य के क़ब्ज़े में जो क़ब्ज़ा पाने का अधिकारी था आने से पहले बेधर्मई से तसर्रुफ़ करगया तो देवदत्त ने इस दफ़ा में लक्षण कियाहुआ अपराध किया ॥

# विश्वासघात

दंड योग्य विश्वासघात ] ( ४०५ ) जो कोई मनुष्य सुपुर्ददार किसी भांति किसी माल का अथवा माल के बंदोबस्त का होकर क़ानून की किसी आज्ञा को जिसमें ऐसी सुपुर्ददारी के बर्तने की रीति ठहराई गई हो अथवा किसी प्रगट या अप्रगट नीतिपूर्वक क़ौल क़रार को जो उस सुपुर्ददारी के मध्ये वह करचुका हो तोड़कर उस माल को बेधर्मई से तसर्रुफ़ करैगा अथवा अपने काम में लावैगा अथवा बेधर्मई से उससे काम निकालेगा या उसको दूर करैगा अथवा जान मानकर किसी दूसरे मनुष्य को ऐसा करने देगा तो दंड योग्य विश्वासघात का अपराधी कहलावैगा ॥

## उदाहरण.

(अ) देवदत्तने जो किसी मरे हुए मनुष्य का वसी था उल्लंघन उस क़ानून का करके जिसमें उसको आज्ञाथी कि वसीयतनामे के अनुसार

माल असबाब को बांट दे बेधर्मई से माल असबाब को अपने काम में तसरुफ़ किया तो देवदत्तने दंड योग्य बिश्वासघात किया ॥

(इ) देवदत्त एक गोदाम का मालिकथा विष्णुमित्र सफर को जाते हुए समय कुछ माल देवदत्त को सौंप गया और वह कौल क़रार ठहराया कि जब विष्णुमित्र गोदाम के भाड़े का इतना रुपया देदेगा अपना माल फेर लेगा देवदत्तने उस मालको बेधर्मई से बेंच लिया तो देवदत्तने दंड योग्य बिश्वासघात किया ॥

(उ) कलकत्ते का रहनेवाला देवदत्त दिल्ली के रहनेवाले विष्णुमित्रका आढ़तिया था और उनके आपस में प्रगट अथवा अप्रगट यह कौल क़रार था कि जो कुछ रु० विष्णुमित्र देवदत्त के पास भेजे उसको देवदत्त विष्णुमित्र की आज्ञा के अनुसार लगावै विष्णुमित्रने एक लाख रुपया देवदत्तके पास इस आज्ञासे भेजा कि इसको कंपनी के क़ागज में लगाओ देवदत्तने बेधर्मई से उस आज्ञाको उल्लंघन करके रुपये को अपने काम में लगाया तो देवदत्तने दंड योग्य बिश्वासघात किया ॥

(ऋ) परन्तु जो पिछले उदाहरण में देवदत्त बेधर्मई से नहीं शुद्धभावसे यह निश्चय मानकर कि बंक बंगाले में पत्ती लेनेसे विष्णुमित्र का अधिक लाभ होगा विष्णुमित्र की आज्ञा को उल्लंघन करके कम्पनी का काग़ज़ लेने के बदले बंक बंगाल के पत्ती मोल लेली तो देवदत्तने बेधर्मई नहीं की और न दंड योग्य विश्वासघात का अपराधी हुआ यद्यपि विष्णुमित्रको नुक्सान भी पड़ा हो और उस नुक्सान के मध्ये विष्णुमित्र देवदत्तपर दीवानी में नालिश भी करसक्ता हो ॥

(ऌ) देवदत्त एक कलक्टरी के अहलकार के पास सरकारी रुपया रहता था और कानूनकी आज्ञाके अनुसार अथवा किसी कौलक़रार के अनुसार जो प्रगट अथवा अप्रगट गवर्नमेन्ट के साथ होचुकाथा उसपर अवश्य था कि जितना सरकारी रुपया उसके पास हो सब फलाने खजाने में जमा करदे देवदत्तने बेधर्मई से उस रुपये को तसरुफ किया तो देवदत्त दंड योग्य बिश्वासघात का अपराधी हुआ ॥

(ए) देवदत्त किसी ढोईदार को विष्णुमित्रने कुछ माल्बरी अथवा

खुश्की की राहसें पहुंचाने को दिया और देवदत्तने वह माल बेधर्मई से तसर्रुफ किया तो देवदत्तने दंड योग्य बिश्वासघात किया ॥

दंडयोग्य विश्वासघात का दंड– (३०६) जो कोई मनुष्य दंड योग्य विश्वासघात करैगा उसको दंड दोनों मेसे किसीप्रकार की कैद का जिसकी म्याद तीनबरस तक होसकैगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

ढोईदार और घटवार इत्यादि की ओर से दंडयोग्य विश्वासघात– (४०७) जो कोई मनुष्य सुपुर्ददारी किसी वस्तु का ढोईदार अथवा घटवारी अथवा गोदामी के विश्वास से होकर उस वस्तु के मध्ये विश्वासघात करैगा उसको दंड दोनों मेसे किसीप्रकार की कैदका जिसकी म्याद सात बरस तक होसकैगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा ॥

गुमाश्ते अथवा नौकर की ओरसे विश्वासघात– (४०८) जो कोई मनुष्य गुमाश्ता अथवा नौकर होकर अथवा नौकर के कामपर होकर और उस गुमाश्तेगरी अथवा नौकरी के कारण सुपुर्दगी अथवा बन्दोबस्त किसी मालका किसी भांति पाकर उस मालके मध्ये बिश्वासघात करैगा उसको दंड दोनों मेसे किसीप्रकार की कैदका जिसकी म्याद सात बरस तक होसकैगी किया जायगा और जरीमाने केभी योग्य होगा ॥

सर्व सम्बन्धी नौकर अथवा कोठी वाल अथवा व्योपारी अथवा आढ़तिये की ओरसे दंड योग्य बिश्वासघात करना– (४०९) जो कोई मनुष्य किसी भांति सुपुर्ददार किसी मालका अथवा मालके बंदोबस्त का सर्व संबंधी नौकरी के

कारण अथवा कोठीवाले या व्यापारी या आढ़तिया या दलाली या कारिन्दगरी के कारण होकर उस मालके मध्ये दंड योग्य विश्वासघात करैगा उसको दंड दोनों मेसे किसी प्रकार की क़ैदका जिसकी म्याद दशबरस तक होसकैगी किया जायगा और जरीमाने केभी योग्य होगा ॥

# चोरीका माल लेना

चोरीका माल ] ( ४१० ) जिस मालका क़ब्ज़ा एकसे दूसरे को चोरी से या दबाकर लेनेसे अथवा जोरी से आया हो और जो माल दंड के योग्य रीति से तसर्रुफ़ किया गयाहो अथवा जिसके मध्ये दंड योग्य विश्वासघात हुआ हो वह चोरीका माल कहलावेगा परन्तु जो पीछे वही माल किसी ऐसे मनुष्य के क़ब्ज़े में जो क़ानूनानुसार उसके क़ब्ज़े का अधिकारी हो तो फिर चोरी का न रहेगा ॥

बेधर्मई से चोरी का माल लेना— } ( ४११ ) जो कोई मनुष्य चोरी के माल को यह जानमान कर अथवा जानने का हेतु पाकर कि यह चोरी का है बेधर्मई से लेगा अथवा अपने पास रक्खेगा उसको दंड दोनों मेसे किसीप्रकार की क़ैदका जिसकी म्याद तीनबरस तक होसकैगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनोंका किया जायगा ॥

बेधर्मई से लेना ऐसे माल का जो डकैती में चोरी गयाहो— } ( ४१२ ) जो कोई मनुष्य चोरी के मालको यह जानमान कर या जानने का हेतु पाकर कि यह एक से दूसरे के क़ब्ज़े में डकैती होकर आया है बेधर्मई से लेगा या अपने पास रक्खैगा या किसी मालको चोरी का जानमान कर अथवा जाननेका हेतु रखता हो कि डकैतों की जमायत का है अथवा आगे था बेधर्मई से लेगा

उसको दंड जन्मभरके देश निकाले अथवा कठिन क़ैदका जिसकी म्याद दशबरस तक होसकैगी किया जायगा और जरीमाने केभी योग्य होगा ॥

चोरी के मालका ब्योहार रखना— } ( ४१३ ) जो कोई मनुष्य ऐसे मालके लेने देनेका ब्योहार रक्खेगा जिसे वह जानता हो अथवा जानने का हेतु रखता हो कि चोरी का है उसको दंड जन्मभरके देश निकाले का अथवा दोनों मेसे किसीप्रकार की क़ैदका जिसकी म्याद एकबरस तक होसकैगी किया जायगा और जरीमाने केभी योग्य होगा॥

चोरी के मालको छुपाने में सहायता देना— } ( ४१४ ) जो कोई मनुष्य जानकर किसी ऐसे मालका जिसे वह जानता हो अथवा जानने का हेतु रखता हो कि चोरी का है छुपाने अथवा अलग करने में अथवा दूर पहुंचाने में सहायता देगा उसको दंड दोनों मेसे किसीप्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद तीनबरस तक होसकैगी किया जायगा अथवा जरीमाने केभी अथवा दोनोंका किया जायगा ॥

# छलने के विषय में

छलना ] ( ४१५ ) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को धोखा देकर छल छिद्रसे अथवा बेधर्मई से ऐसा फुसलावैगा जिससे वह अपना कुछ माल किसी मनुष्य को देदे अथवा कुछ माल किसी मनुष्य के पास बना रहने देनेपर राजी होजाय या उस धोखा दिये हुए मनुष्य का प्रयोजन करके कुछ ऐसा काम करने से चूकने को फुसलावैगा जिसको वह कभी न करता और न चूकता कदाचित् धोखा न दिया होता और उस काम अथवा चूकसे उस मनुष्य को कुछ ज्यान अथवा हानि शरीर में या चित्त में या यश में अथवा

माल में पहुंच जाय या पहुंचनी अति सम्भवित हो तो कहलावैगा कि उसने छल किया ॥

## उदाहरण.

( अ ) देवदत्त झूठमूठ प्रतिज्ञा कियाहुआ मुल्की नौकर बना और विष्णुमित्र को जान मानकर धोखा दिया और उस धोखे के कारण बेधर्मई से कुछ माल जिसके फेरदेने की नियत नथी उधार लिया तो देवदत्त ने छल किया ॥

( इ ) देवदत्त ने किसी वस्तु पर झूठा चिन्ह लगाकर विष्णुमित्र को जान मानकर इसबात के निश्चय मानने का धोखा दिया कि यहवस्तु फलाने नामी कारीगर की बनाई है और इसभांति बेधर्मई से वह वस्तु विष्णुमित्र ने मोल लिवाई और दाम चुकाये तो छलछिद्र किया ॥

( उ ) देवदत्त ने विष्णुमित्र को किसी वस्तु की झूठी बानगी दिखलाकर जान मानकर यह धोखा दिया कि यह वस्तु बानगी से मिलती है और इसभांति बेधर्मई से मोललिवाकर दामचुकाये तो देवदत्तने छलकिया॥

( ऋ ) देवदत्त किसी वस्तु के मोल के बदले एक बिल किसी ऐसे कोठी पर जिससे उसका रुपये का ब्योहार नथा और जिसके मध्ये उसे निश्चय था कि उसका बिल सकारा न जायगा लिखकर जान मानकर विष्णुमित्र को धोखा दिया और इसभांति विष्णुमित्र से वह वस्तु बेधर्मई से और उसे मोल न देने का प्रयोजन करके लेली तो देवदत्तने छलकिया ॥

( लृ ) देवदत्त ने कुछ वस्तु जिसे वह जानता था कि हीरा नहीं है हीरे के नाम से गहने रखकर विष्णुमित्र को जान मानकर धोखा दिया और इसभांति बेधर्मई करके विष्णुमित्र से रुपया उधार लिया तो देवदत्त ने छल किया ॥

(ए ) देवदत्त ने जान मानकर विष्णुमित्र को यह निश्चय मानने का धोखा दिया कि जो रुपया विष्णुमित्र उसको उधार देगा वह सब चुका देगा और इसभांति बेधर्मई से विष्णुमित्र से रुपया उधार लिया और मनमें प्रयोजन करलिया कि इसको चुकाऊंगा कभी नहीं तो देवदत्तने छलकिया॥

( ओ ) देवदत्त ने जान मानकर विष्णुमित्र के इसबातके निश्चय मानने

का हेतु करके धोखा दिया कि देवदत्त इतना लांक नील का देगा यद्यपि उसके देने का प्रयोजन देवदत्त को नथा और इसभांति माल मिलने के भरोसे पर विष्णुमित्र ने पेशगी रुपया देवदत्त को देदिया तो देवदत्त ने छल किया परंतु जो देवदत्त ने रुपया लेने के समय नील का लांक देने का प्रयोजन करलिया हो और पीछे अपना क़ौल क़रार तोड़कर नदे तौ छलना न कहलावैगा केवल दीवानी में उसके ऊपर क़ौल क़रार तोड़ने की नालिश होसकैगी ॥

( औ ) देवदत्त ने जान मानकर विष्णुमित्र को इसबात के निश्चय मानने का धोखा दिया कि देवदत्त ने अपनी ओर से फलाने कौल क़रार को जो उसने विष्णुमित्र के साथ किया था पूरा करदिया यद्यपि उसने उस कौल क़रार को पूरा नहीं किया था और इसभांति से बेधर्मई करके विश्नुमित्र से रुपया लेलिया तो देवदत्त ने छलकिया ॥

(अं) देवदत्तने कोई मिल्कियत यज्ञदत्त को बेंचकर उसकी लिखतम लिखदी फिर देवदत्तने यह बात जानमान कर कि इस बिक्री के कारण मुझको इस मिल्कियत में कुछ अधिकारनहीं रहाहै वही मिल्कियत विश्नुमित्र के हाथ बेंची अथवा गहने धरी और पहली बिक्री और लिखतमका हाल प्रगट न किया और बिक्री अथवा गहनेका रुपया विश्नुमित्र से लिया तो देवदत्तने छल किया ॥

दूसरा मनुष्य बनकर छलना— ( ४१६ ) कदाचित् कोई मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य का मिस करके अथवा जान मानकर एक मनुष्य को दूसरा मनुष्य बनाकर अथवा अपने आप को या और किसी को कोई दूसरा मनुष्य प्रगट करके छलैगा तो कहलावैगा कि उसने दूसरा मनुष्य बनकर छल किया ॥

बिवेचना—जिस मनुष्य का मिस किया गया वह चाहै सचमुच हो चाहे मन से बना लिया गया हो तोभी यह अपराध होसकैगा ॥

## उदाहरण.

( अ ) देवदत्तने अपने नाम किसी धनाढ्य कोठीवालका मिस करके छल किया तो देवदत्त ने दूसरा मनुष्य बनकर छलकिया ॥

( इ ) देवदत्त ने यज्ञदत्त किसी मरेहुये मनुष्य का मिस करके छल किया तो देवदत्त ने दूसरा मनुष्य बनकर छल किया ॥

छलने का दंड- ] ( ४१७ ) जो कोई मनुष्य छल करैगा उसको दंड दोनों मेसे किसीप्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद एक बरस तक होसकैगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

छलना यह जान मानकर कि इससे अनीतिहानि उस मनुष्य की होगी जिसके स्वार्थ को रक्षा करनी उस अपराधी पर अवश्य है- } ( ४१८ ) जो कोई मनुष्य यह जान मानकर छल करैगा कि इससे अनीतिहानि उस मनुष्य को होनी अति संभावित है जिस के स्वार्थ को रक्षा करनी उसपर उसी विषय में जिससे वह छल संबंध रखता हो क़ानून की आज्ञानुसार अथवा किसी क़ानूनी क़ौल क़रार के अनुसार अवश्य है उसको दंड दोनों मेसे किसीप्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद तीन बरस तक होसकैगी किया जायगा ॥

दूसरा मनुष्य बनकर छलना- } ( ४१९ ) जो कोई मनुष्य दूसरा मनुष्य बनकर छल करैगा उसको दंड दोनों मेसे किसीप्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद तीन वरस तक होसकैगी अथवा जरीमाने अथवा दोनों का किया जायगा ॥

छलना और बेधर्मई से माल दिलादेना- } ( ४२० ) जो को मनुष्य किसी मनुष्य को छलैगा और इस उपाय से उस मनुष्य को ऐसा फुसलावैगा जिससे वह कुछ माल

किसी को देदे अथवा किसी दस्तावेज़ को या और वस्तु को जिसमें मुहर अथवा दस्तखत हों और जिससे कोई लिखतम बन सकती हो पूरी अथवा आधी परधी लिखदे या बदलदे या बिगाड़दे उसको दंड दोनोंमेसे किसीप्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद सात बरस तक होसकैगी और जरीमाने के भी योग्य होगा ॥

## छि

## से माल अलग करने के विषय

*ब्योहारों में बटजाने से बचाने के लिये माल को अलग कर देना अथवा छुपाना—*

( ४२१ ) जो कोई मनुष्य बेधर्मई से अथवा छलछिद्र से कुछ माल इस प्रयोजन से अथवा यह बात अति संभावित्त जानकर कि इससे उस माल को अपने ब्योहारों में और किसी मनुष्य के ब्योहारों में क़ानूनानुसार बटजाने से बचावै या बिना वाजिबी मोल लिये अलग करैगा या छुपावैगा अथवा किसी दूसरे को देगा अथवा बेचने अथवा गहने धरने इत्यादि के द्वारा दूर करैगा अथवा दूर करादेगा उसको दंड दोनों मेसे किसीप्रकार की क़ैदका जिसकीम्याद दोबरसतक होसकैगी और अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

*अपने किसी ऋण अथवा तगादे को अपने ब्योहारों को मिलने से बेधर्मई करके रोकना—*

( ४२२ ) जो कोई मनुष्य बेधर्मई से अथवा छल छिद्रसे किसी ऋण अथवा तगादे को जो उसी का अथवा और किसी मनुष्य का किसी से मिलना हो अपने ऊपर अथवा उस मनुष्य के

ऊपर आते हुए किसी ऋण अथवा तगादे के चुकाने में क़ानूनानुसार लिये जाने से रोकेगा उसको दंड दोनों मेंसे किसीप्रकार की क़ैदका जिसकी म्याद दोबरस तक होसकैगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनोंका किया जायगा ॥

बेधर्मई से लिखना बयनामे इत्यादि लिखितमका जिस में मोलकी तादाद झूठी लिखीहो—

(४२३) जो कोई मनुष्य बेधर्मई से अथवा छल छिद्रसे कोई ऐसी लिखतम लिख देगा अथवा उसपर दस्तख़त कर देगा अथवा लिखने लिखानेवालों मेंसे एक बनैगा जिसका आशय किसी मालको अथवा मालके अधिकार को बेचने या गहने धरने इत्यादि के दूर करने से अथवा उसपर कुछ लाग लगाने से और जिसमें कोई झूठी बात मोल अथवा गहने इत्यादि के बदले जिसके मध्ये अथवा जिन्स या मनुष्य काम या लाभके लिये वह सचमुच हो उसके मध्ये लिखीहो उसके दंड दोनों मेंसे किसीप्रकार की क़ैदका जिसकी म्याद दो बरस तक होसकैगी अथवा जरीमाने अथवा दोनों का किया जायगा ॥

मालको बेधर्मई से अलग करना या छुपाना—

(४२४) जो कोई मनुष्य अपना अथवा और किसी का कुछ माल बेधर्मई से या छलछिद्र से छुपावेगा अथवा अलग करेगा अथवा बेधर्मई से या छल छिद्रसे उसके छुपाये जाने या अलग कियेजाने में सहायता देगा अथवा बेधर्मई से अपना कुछ वाजिबी तगादा या दावा छोड़देगा उसको दंड दोनों मेंसे किसी प्रकार की क़ैदका जिसकी म्याद दोबरस तक होसकैगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनोंका किया जायगा ॥

# उत्पात

उत्पात ] (४२५) जो कोई मनुष्य सबको अथवा किसीमनुष्य को अनीतिहानि अथवा नुक़सान पहुंचाने के प्रयोजन से अथवा पहुंचाना अति सम्भावित जानकर किसी वस्तुको बिगाड़ैगा अथवा वस्तु में या उसके स्थान में कुछ ऐसी हलचल करैगा जिससे वह वस्तु बिगड़ती हो या उसके मोल या गुण में न्यूनता आतीहो अथवा उसको नुक्सान पहुंचता हो तो कहा जायगा कि उसने उत्पात किया ॥

बिवेचना १—उत्पात के अपराध में यह कुछ अवश्य नहीं है कि जिस वस्तुको बिगाड़ा अथवा नुक्सान पहुंचाया उसी के मालिक को हानि अथवा नुक्सान पहुंचाने का प्रयोजन अपराधीने कियाहो यही बहुत है कि उसने किसी वस्तुको बिगाड़नें के द्वारा किसी मनुष्यको अनीति हानि अथवा नुक्सान पहुंचानेका प्रयोजन कियाहो अथवा पहुंचाना अति सम्भावित जानाहो चाहै वस्तु उसी मनुष्य की हो चाहै नहो ॥

बिवेचना २—उत्पात ऐसे कामके करने से भी होसकैगा जिससे कुछ हानि उस वस्तुको होती तो जो उस काम के करनेवाले मनुष्य को हो अथवा उसकी ओर औरों के साझे में हो ॥

## उदाहरण.

(अ) देवदत्तने विष्णुमित्रको कोई दस्तावेज़ जानमानकर विष्णुमित्रको अनीति हानि पहुंचाने के प्रयोजनसे जलादी तो देवदत्तने उत्पात किया ॥

(इ) देवदत्तने विष्णुमित्र के बर्फ़ख़ाने में पानी काटदिया और इसभांति विष्णुमित्र को अनीति हानि पहुंचाने के प्रयोजनसे बर्फ को पिघलादिया तो देवदत्तने उत्पात किया ॥

(उ) देवदत्तने विष्णुमित्र का नुक्सान करने के प्रयोजनसे विष्णुमित्र की अंगूठी जानमानकर नदी में फेंकदी तो देवदत्तने उत्पात किया ॥

(ऋ) देवदत्तने यह जानकर कि ऋण मुझपर विष्णुमित्र का आताहै उसको चुकाने के लिये मेरा असबाव लियाजाने को है उस असबाव को इस प्रयोजन से कि विष्णुमित्र अपना ऋण न पासकै और भांति विष्णुमित्र को नुक्सान पहुंचै विगाड़ दिया तो देवदत्तने उत्पात किया ॥

(ऌ) देवदत्तने किसी जहाज का बीमा देकर बीमेवालों को नुक्सान पहुंचाने प्रयोजनसे उस जहाज को जानमानकर तबाही में डाला तो देवदत्तने उत्पात किया ॥

(ए) देवदत्तने किसी जहाज को तबाही में डाला इस प्रयोजनसे कि विष्णुमित्र को जिसने उस जहाजपररु० उधार दिया है नुक्सान पहुंचै तो देवदत्तने उत्पात किया ॥

(ओ) देवदत्तने किसी घोडे में विष्णुमित्र का साझी था घोडे को गोली मारदी इस प्रयोजनसे कि इससे विष्णुमित्र को अनीति हानि पहुंचै तो देवदत्तने उत्पात किया ॥

(औ) देवदत्तने विष्णुमित्र के खेत में पौहेकर दिये इस प्रयोजनसे और यह बात अति संभवित जानकर कि इससे विष्णुमित्र के खेतकी पैदावारी को हानि पहुंचैगी तौ देवदत्तने उत्पात किया ॥

उत्पात करने का दंड ] **( ४२६ ) जो कोई मनुष्य उत्पात करैगा उसको दंड दोनों मेसे किसीप्रकार की कैदका जिसकी म्याद तीनमहीने तक होसकैगी अथवा जरीमानेका अथवा दोनोंका किया जायगा ॥**

उत्पात करना और उसके द्वारा पचासरु० का नुक्सान पहुंचाना } **( ४२७ ) जो कोई मनुष्य उत्पात करके पचासरु० का अथवा उससे अधिक का नुक्सान पहुंचावेगा उसको दंड दोनों मेसे किसीप्रकार की कैदका जिसकी म्याद दोबरस तक होसकैगी अथवा जरीमानेका अथवा दोनोंका किया जायगा॥**

दशरु० के मोलके किसी पशुको मारकर अथवा अंग तोड़कर उत्पात करना—

(४२८) जो कोई मनुष्य दशरु० के मोल के किसी पौहे कोअथवा औरपशुओंको मारने अथवा विषदेने अथवा अंग तोड़ने या निकम्मा करनेका उत्पात करैगा उसको दोनों मेंसे किसीप्रकार की क़ैदका जिसकी म्याद दोबरस तक होसकैगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनोंका किया जायगा ॥

किसी पौहे इत्यादि को अथवा पचासरुपये के मोलके किसी पशुको मारकर अथवा अंगतोड़ कर उत्पात करना—

(४२९) जो कोई मनुष्य किसी हाथी या घोड़ा खिच्चर या भैंस या बैल या गाय या बधिया को जिसका मोल चाहै जितना हो या और किसी पशुको जिसका मोल पचासरु० या उससे अधिक हो मारकर या विष देकर या अंगतोड़ कर या निकम्मा करके उत्पात करैगा उसको दंड दोनों मेंसे किसीप्रकार की क़ैदका जिसकी म्याद पांचबरस तक होसकैगी किया जायगा अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

खेती के काम इत्यादि के लिये पानी घटाकर उत्पात करना—

(४३०) जो कोई मनुष्य कुछ ऐसा करकेजिससे खेती के कामों या मनुष्यों के खाने पीनेके कामों अथवा जो धन गिनेजाते हैं उनके कामों अथवा उज्वलता के कामों या कोई कार खाना चलने के कामों के लिये पानी पहुंचना घटता हो या घटना अति सम्भवित हो उत्पात करैगा उसको दंड दोनों मेंसे किसीप्रकार की क़ैदका जिसकी म्याद पांचबरस तक होसकैगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनोंका किया जायगा ॥

सर्वसंवधी सड़क अथवा पुल अथवा नदीको हानि पहुंचाकर उत्पात करना

(४३१.) जो कोई मनुष्य कुछ ऐसा काम करके जिससे कोई सर्व संबंधी नौकर सड़क या पुल या नाव चलने योग्य नाला या नहर दुर्घट होजाय या चलने या माल पहुंचाने के लिये उसकी निर्जोखिमता कमती होजाय या ऐसा होजाना वह अति सम्भवित जानता हो उत्पात करैगा उसको दंड दोनों मे से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद पांच बरस तक होसकैगी किया जायगा अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

अहला करके अथवा पानी का निकास रोककर जिससे नुकसान हो उत्पात करना—

(४३२) जो कोई मनुष्य कुछ ऐसा काम करके जिससे पानी का अहला या पानी के निकास को रोकना हानि या नुक़सान संमत होता हो या ऐसा होना वह आप अति संभवित जानता हो उत्पात करैगा उसको दंड दोनों मेसे किसीप्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद पांच बरस तक होसकैगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

प्रकाशग्रह को अथवा समुद्र के चिन्हको मिटाकर अथवा हटाकर अथवा उसका फ़ायदा घटाकर उत्पात करना—

(४३३) जो कोई मनुष्य किसी प्रकाशग्रह को या और किसी प्रकाश को जो समुद्र के चिन्ह की भांति काम में आती हो या समुद्र के किसी चिन्हया बया को या और किसी वस्तु को जो जहाज़ चलानेवालों को राह दिखाने के लिये काम में आती हो मिटाकर या हटाकर या और कोई ऐसा काम करके जिससे वह प्रकाश यह या समुद्र का चिन्ह या बया या ऊपर कहेहुये प्रकारकी वस्तु जहाज़

चलानेवालों के लिये कुछ निकम्मी होजाय उत्पात करैगा उसको दंड दोनों मेसे किसीप्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद सातबरस तक होसकैगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

धरती के ठीहे को जो सर्वसंबंधी अधिकारी की आज्ञा से ठहराया गया हो मिटाने या हटाने इत्यादि के द्वारा उत्पात करना—

( ४३४ ) जो कोई मनुष्य धरती के किसी ठीहे को जो किसी सर्व संबंधी नौकर की आज्ञा से ठहराया गया हो मिटाकर या हटाकर या कोई ऐसा काम करके जिससे वह धरती का ठीहा कुछ निकम्मा होजाय उत्पात करैगा उसको दंड दोनों मेसे किसीप्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद एकबरस तक होसकैगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

आग से अथवा आग की भांति उड़नेवाली किसी बस्तु से सौ रुपया का नुक़सान या पैदावार खेत की हालत में दश रुपया का नुक़सान करनें के प्रयोजन से उत्पात करना—

( ४३५ ) जो कोई मनुष्य आग से या आग की भांति उड़नेवाली किसी बस्तु से सौरुपयाका या उससे अधिक या * ( जिस हालतमें जायदाद पैदावार खेतीकी होतौ ) बक़दर दश रुपया या ज़ियादा के किसी माल को नुक़सान करने के प्रयोजन से या नुक़सान होना अति संभावित जानकर उत्पात करैगा उसको दंड दोनों मेसे किसीप्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद सातबरस तक होसकैगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा ॥

---

*यह अलफ़ाज़ दफ़ा४३५ में एक्ट८सन्१८८२ईस्वी के अनुसार मुंदर्ज हुयेथे॥

आग से अथवा आग की भांति उड़नेवाली किसी वस्तु से मकान इत्यादि का नुक़सान करना—

( ४३६ ) जो कोई मनुष्य आग से या आग की भांति उड़नेवाली किसी वस्तुसे किसी मकान को जो पूजा के स्थान की भांति या मनुष्य के रहने के स्थान की भांति या माल असबाब रखने की जगह की भांति साधारण काम में आता हो मिटाने के प्रयोजनसे या मिटाना अति संभावित जानकर उत्पात करैगा उसको दंड दोनो मेसे किसीप्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दसबरस तक होसकैगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा ॥

पटीहुई नाव को याबीसटन अर्थात् पांचसौ मन बोझ लेजानेवाली नाव को तबाह करना अथवा जोखिम में डालने के प्रयोजन से उत्पात करना—

( ४३७ ) जो कोई मनुष्य किसी पटीहुई नाव को या पांचसौसाठ मन या उससे अधिक बोझ लेजानेवाली नाव को तबाहीमें या जोखिम में डालने के प्रयोजन से या डालना अति संभावित जानकर उत्पात करैगा उसको दंड दोनो मेसे किसीप्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दसबरस तक होसकैगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा ॥

पिछली दफ़ा में वर्णन कियेहुये उत्पातका दंड जबकि वह उत्पात आग के द्वारा अथवा आग की भांति उड़नेवाली किसी वस्तु के द्वारा किया जायगा—

( ४३८ ) जो कोई मनुष्य आग से या आग की भांति उड़नेवाली किसी वस्तु से ऐसा उत्पात करैगा जैसा कि पिछली दफ़ा में वर्णन हुआ है करैगा या करने का उद्योग करैगा उसको दंड दोनो मेसे किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दसबरस तक होसकैगी

किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा ॥

टकराना नाव को किनारेपर चोरीइत्यादिकरनेकेप्रयोजनसे } (४३९) जो कोई मनुष्य जान कर किसी नाव को थोड़े पानी में या किनारे पर टकरावैगा इस प्रयोजन से कि उसमें भरीहुई किसी वस्तु को चुरावै या बेधर्मई से तसर्रुफ़ करैगा या इसप्रयोजन से कि वस्तु चोरी या तसर्रुफ़ कीजाय उसको दंड दोनों मेसे किसीप्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दश बरस तक होसकैगी और जरीमाने के भी योग्य होगा ॥

मृत्यु अथवा दुःख करने का सामना करके उत्पात करना-- } (४४०) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को मार डालने या दुख पहुंचाने अथवा अनीति बंधि में रखने अथवा मृत्यु या दुःख या अनीति का डर दिखाने का सामना करके उत्पात करैगा उसको दंड दोनों मेसे किसीप्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद पांचबरस तक होसकैगी किया जायगा ओर जरीमाने के भी योग्य होगा ॥

# दंडयोग्य मुदाखलतबेजा

दंडयोग्य मुदाखलतबेजा ] (४४१) जो कोई मनुष्य किसी ऐसे माल मिल्कियत पर जिसपर दूसरे का क़ब्ज़ा हो कुछ अपराध करने या जिस मनुष्य का उस माल मिल्कियत पर क़ब्ज़ा हो उसको डराने या उसका अपमान करने या उसको खेद पहुंचाने के प्रयोजन से दख़ल करैगा या क़ानूनानुसार उस माल मिल्कियत पर दख़ल करके उस मनुष्य को डरानें या अपमान करने या खेद पहुंचाने के प्रयोजन से वहां अनीति रीति से ठहरैगा तौ कहाजायगा कि उसने दंड योग्य मुदाख़लत बेजा की ॥

मकान की मुदाख़लत बेजा ] ( ४४२ ) जो कोई मनुष्य किसी मकान या डेरा अथवा नावपर जो मनुष्य के रहने के स्थान की भांति काम में हो या किसी मकान पर जो पूजा के स्थान की भांति काम में हो या किसी मकान पर जो पूजा की भांति या असबाब रखनेकी भांति काम में हो दख़ल करके या ठहर कर दंड योग्य मुदाख़लत बेजा करैगा तौ कहा जायगा कि उसने मकान की मुदाख़लत बेजा की ॥

बिवेचना—दंड योग्य मुदाख़लत बेजा करनेवाले मनुष्य का कोई अंग मकान में पहुंचजाना मकान की मुदाख़लत बेजा के लिये काफ़ी समझा जायगा ॥ (दफ़ै ४० देखो )

मकान की मुदाख़लत बेजा करने के लिये घात लगाना— ( ४४३ ) जो कोई मनुष्य आगे से यह उपाय करके मकान की मुदाख़लत बेजा करैगा कि जो मनुष्य उसके उस मकान या डेरे अथवा नावसे जिसमें मुदाख़लत बेजा की जाय निकाल देने अथवा रोकने का अधिकार हो उससे वह मुदाख़लत बेजा छुपी रहै तो कहा जायगा कि उसने मुदाख़लत बेजा की घात लगाई ॥

रातके समय मकानकी मुदाख़लत बेजा की घात लगानी— ( ४४४ ) जो कोई मनुष्य सूरज डूबनेसे पीछे और सूरज उगने से पहिले मकानकी मुदाख़लत बेजाकी घात लगावैगा तो कहा जायगा कि उसने रात में मकान की मुदाख़ल बेजा की घात लगाई ॥

घर फोड़ना ] ( ४४५ कदाचित् कोई मनुष्य मकान की मुदाख़लत बेजा करै और मकान में या मकान के

दफ़ा ४४७ व ४४८ क़ाबिल राज़ीनामा है ॥

खंडे में उसका जाना नीचे लिखी हुई छः राहों में किसी राहसे हो अथवा जब वह मकान या मकान के किसी खंड में कुछ अपराध करके उस मकान से या उसके खंड से उन्हीं छः राहों में किसी राह होकर निकले तो कहा जायगा कि उसने घर फोड़ा ॥

प्रथम—कदाचित् किसी ऐसे रस्ते होकर घुस जायगा अथवा निकल जाय जो उसीने अथवा मकान की मुदाख़लत बेजा के किसी सहाई ने मकान की मुदाख़लत बेजा करने के निमित्त बनाया हो ॥

दूसरे—कदाचित् किसी ऐसे रस्ते होकर घुसजाय जो सिवाय उसके या मकान की मुदाख़लत बेजा के किसी सहाई और किसी मनुष्य के आने जाने के प्रयोजन से न बना हो या किसी ऐसे रस्ते होकर जहां वह न सेनी लगाकर या भीतिपर या मकानपर चढ़कर पहुंचाहो ॥

तीसरे—कदाचित् किसी ऐसे रस्ते होकर घुसजाय या निकल जाय जो उसीने या मकान की मुदाख़लत बेजा के किसी सहाई ने मुदाख़लत बेजा होने के प्रयोजनसे या किसी ऐसे उपाय से खोला हो जिससे उस रस्ते को खोलना उस मकान के रहनेवाले न बिचारा हो ॥

चौथे—कदाचित् किसी ताले मुदाख़लत बेजा करने के लिये या मुदाख़लत बेजा करके मकान से निकल जाने के लिये खोलकर घुसजाय अथवा निकल जाय ॥

पांचवे—कदाचित् अनीति बल करके या उठैया करके अथवा किसी मनुष्य को उठैया करने का डर दिखाकर घुसजाय या निकल जाय ॥

छठे—कदाचित् किसी ऐसे रस्ते होकर घुसजाय या

निकल जाय जिसको वह जानता हो कि इस भांतिका घुसना या निकलना रोकने के लिये बन्द किया गया है और वह खुद उसने या मुदाखलत बेजा के किसी मुआदन ने खोलाहो ॥

विवेचना—कोई शागिर्द पेशेका मकान अथवा और मकान जिसमें घरमें रहनेवाले का दखल हो और जिसके उस घरके दरम्यान में कोई पैवस्त अंदरूनी आमद रफ्त हो इस दफ़ाके अर्थ अनुसार उसी घरका खंड कहलावैगा ॥

## उदाहरण.

(अ) देवदत्तने विष्णुमित्र के घरकी भीतिमें छिद्र करके और उस छिद्र में हाथ डालकर मकानकी मुदाखलत बेजाकी तो घरफोड़ना कहलावैगा॥

(इ) देवदत्त ने किसी जहाज के पटाव के धुंधुए के रस्ते उतर कर मकान की मुदाखलत बेजा की तो यह घर फोड़ना हुआ ॥

(उ) देवदत्त ने विष्णुमित्र के घरमें खिड़की की राह घुसकर मकान की मुदाखलत बेजा की तो यह घर फोड़ना हुआ ॥

(ऋ) देवदत्त ने विष्णुमित्र के घरमें बंद किवाड़ को खोलकर द्वार के रस्ता मकान की मुदाखलत बेजा की तो यह घर फोड़ना हुआ ॥

(ऌ) देवदत्त ने विष्णुमित्र के द्वारके किवाड़ की विल्ली एक छिद्र में तार डालकर उठादी और घरमें घुसकर मकान की मुदाखलत बेजा की तो यह घर फोड़ना हुआ ॥

(ए) देवदत्त ने विष्णुमित्र के घरके द्वार की ताली जो विष्णुमित्र ने खोडाली थी पाई और उस तालीसे खोलकर द्वार और विष्णुमित्र के घर में घुसकर मुदाखलत बेजा की तो यह घर फोडना हुआ ॥

(ओ) विष्णुमित्र अपने द्वारमें खड़ा था देवदत्त उसको धक्का देकर घरमें घुसगया और मकानकी मुदाखलत बेज़ाकी तो यह घर फोडनाहुआ ॥

(औ) विष्णुमित्र हरमित्र का पौरिया हरमित्र के द्वार में खडा था देवदत्त विष्णुमित्र को इसबात की धमकी देकर कि जो तू मुझको जानेसे

रोकैगा तो पीटा जायगा घरमें घुसगया और मुदाखलतबेजा की तो यह घर फोडना हुआ ॥

रात में घर फोड़ना-] (४४६) जो कोई मनुष्य सूरज डूबने से पीछे और सूरज उगने से पहले घर फोड़ैगा तो कहा जायगा कि रात में घर फोड़ा ॥

दंडयोग्य मुदाखलत बेजा का दंड- (४४७) जो कोई मनुष्य दंडयोग्य मुदाखलत बेजा करैगा उसको दंड दोनों मेसे किसीप्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद तीनमहीने तक होसकैगी अथवा जरीमाने का जो पांचसौ रुपयातक होसकैगा अथवा दोनों का किया जायगा ॥

मकान की मुदाखलत बेजा का दंड- (४४८) जो कोई मनुष्य मकान की मुदाखलत बेजा करैगा उसको दंड दोनों मेसे किसीप्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद एक बरस तक होसकैगी अथवा जरीमाने का जो एक हज़ार रुपया होसकैगा अथवा दोनों का किया जायगा ॥

कोई ऐसा अपराध करने के लिये जिसका दंडबध हो मकान मुदाखलत बेजा करना- (४४९) जो कोई मनुष्य किसी ऐसे अपराध के करने के लिये जिसका दंड बध होसक्ता हो मकान की मुदाखलत बेजा करैगा उसको दंड जन्म भर के देश निकाले का अथवा कठिन क़ैद का जिसकी म्याद दश बरस से अधिक नहोगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा ॥

जन्म भर के देशनिकाले दंड योग्य कोई अपराध करने के लिये मकान की मुदाखलत बेजा करना- (४५०) जो कोई मनुष्य किसी ऐसे अपराध के करने केलिये जिसका दंड जन्म भर का देश निकाला होसक्ता हो मकान की

मुदाखलत वेजा करैगा उसको दंड दोनों मेसे किसीप्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दश वरस से अधिक नहोगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा ॥

क़ैद के दंड योग्य अपराध करने के लिये मकान की मुदाखलत बेजा करने का दंड—

( ४५१ ) जो कोई मनुष्य किसी ऐसे अपराध के करने के लिये जिसका दंड क़ैद होसक्ताहो मकान मुदाखलत वेजा करैगा उसको दंड दोनों मेसे किसीप्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दो बरस तक होसकैगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा और कदाचित् वह अपराध जिसके करने का प्रयोजन न हो चोरी हो तो क़ैद की म्याद सातवरस तक होसकैगी किया जायगा ॥

किसी मनुष्य को दुःख पहुंचाने का सामान करके मकान की मुदाखलत वेजा करना—

( ४५२ ) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को दुःख पहुंचाने अथवा किसी मनुष्यपर उठैया करने अथवा किसी मनुष्य को अनीति बंधि में रखने या किसीमनुष्यको दुःख या उठयाया अनीतिबंधिका डर दिखाने का सामान करके मकान की मुदाखलत वेजा करैगा उसको दंड दोनोंमेसे किसीप्रकार की क़ैदका जिसकी म्याद सातवरस तक होसकैगी किया जायगा और जरीमाने केभी योग्य होगा ॥

मकान की मुदाखलत बेजा की घात लगाने अथवा घर फोडन का दंड—

( ४५३ ) जो कोई मनुष्य मकानकी मुदाखलत बेजा की घात लगावैगा या घर फोड़ैगा उसको दंड दोनों मेसे किसीप्रकार की क़ैदका जिसकी म्याद दो बरस तक होसकैगी किया जायगा और जरीमाने के

भी योग्य होगा ॥

निस्बत दंड वेत के ऐक्ट नं० ६ सन् १८६४ ई० की दफा २ व ३ व ४ को देखो ॥

कैदके दंड योग्य किसी अपराध के करने के लिये मकान की मुदाखलत बेजाकी घात लगाना या घर फोड़ना—

( ४५४ ) जो कोई मनुष्य कुछ ऐसा अपराध करने के लिये जिसका दंड कैद होसक्ता हो मकानकी मुदाखलत बेजा की घात लगायेगा या घर फोडैगा उसको दंड दोनों मेसे किसीप्रकार की कैदका जिसकी म्याद तीनबरस तक हो सकैगी किया जायगा और जरीमाने केभी योग्य होगा ॥ और कदाचित् वह अपराध जिसके करने का प्रयोजन चोरीहोतो कैदकीम्याददशबरस तक होसकैगी कियाजायगा

किसी मनुष्य के दुःख पहुंचाने का सामान करके मकान की मुदाखलत बेजा की घात लगाना या घर फोडना—

( ४५५ ) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को दुःख पहुंचाने अथवा किसी मनुष्य पर उठैया करने अथवा किसी मनुष्य को अनीतिबंधि में रखने अथवा किसी मनुष्य पर दुःख या उठैया या अनीतिबंधि का डर दिखाने का सामान करके मकान की मुदाखलत बेजा की घात लगावैगा अथवा घर फोड़ैगा उसको दंड दोनों मेसे किसीप्रकार की कैदका जिसकी म्याद दशबरस तक होसकैगी किया जायगा और जरीमाने केभी योग्य होगा ॥

रात के समय मकान की मुदाखलत बेजा की घात लगाना अथवा घर फोडना—

( ४५६ ) जो कोई मनुष्य रात में मकान की मुदाखलत बेजा की घात लगावैगा अथवा रात में घर फोड़ैगा उसको दंड दोनों मेसे किसीप्रकार

की क़ैदका जिसकी म्याद तीनबरस तक होसकैगी किया जायगा और जरीमाने केभी योग्य होगा॥

कैदके दंड योग्य कोई अपराध करने के लिये रातके समय मकान की मुदाखलत बेजा की घात लगाना अथवा घर फोडना–

(४५७) जो कोई मनुष्य कुछ ऐसा अपराध करने के लिये जिसका दंड क़ैद हो सक्ताहो रात में मकान की मुदाख़लत बेजा की घात लगावैगा या रात में घर फोड़ेगा उसको दंड दोनों मेसे किसीप्रकार की क़ैदका जिसकी म्याद पांचबरस तक होसकैगी किया जायगा और जरीमाने केभी योग्य होगा॥

और कदाचित् वह अपराध जिसके करने का प्रयोजन था चोरी हो तो क़ैद की म्याद चौदहबरस तक होसकैगी॥

किसी मनुष्यको दुःख पहुंचानेका सामान करके मकानकी मुदाखलत बेजा की घात रातके समय लगाना अथवा घर फोडना–

(४५८) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को दुःख पहुंचाने अथवा किसी मनुष्यपर उठैया करने अथवा किसी मनुष्य को अनीतिबंधि में रखने अथवा किसी मनुष्यको दुःख या उठैया या अनीतिबंधिकाडर दिखाने का सामान करके रात में मकान की मुदाख़लत बेजा की घात लगावैगा अथवा रात में घर फोड़ेगा उसको दंड दोनों मेसे किसीप्रकार की क़ैदका जिसकी म्याद चौदहबरस तक होसकैगी किया जायगा और जरीमाने केभी योग्य होगा॥

मकान की मुदाखलत बेजा की घात लगाने अथवा घरफोड़ने में भारी दुख पहुंचाना–

(४५९) जो कोई मनुष्य मकान की मुदाख़लत बेजा की घात लगाने में या घरफोड़ने में किसी मनुष्य को भारी दुःख पहुंचावैगा या किसी

मनुष्य को डराने या भारी दुःख पहुंचाने का उद्योग करैगा उसको दंड जन्म भर के देश निकाले का या दंड दोनों मेसे किसीप्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दश बरसतक होसकैगी किया जायगा और जरीमाने केभी योग्यहोगा ॥

सब मनुष्य जो मकान की मुदाखलत बेजा इत्यादि करनेमें साझी हों किसी मृत्यु अथवा भारी दुःख के बदले जो किसी एकने किया हो दंड के योग्य होंगे—

(४६०) कदाचित् मकान की मुदाखलत बेजा की घात लगाये या रात में घर फोड़ते समय कोई मनुष्य उसी अपराध करनेवाला जानमानकर या भारी दुःख पहुंचावेगा या मृत्यु करने या भारी दुःख पहुंचाने का उद्योग वो जितने मनुष्य उस लगाने या घर फोड़ने में साझी होंगे उनमें से हरएक को दंड जन्म भर के देश निकालेका या दोनोंमेसे किसीप्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दंश बरस तक होसकैगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा ॥

बेधर्मई से किसी बंद मकान को जिसमें माल भरा हो अथवा भरा होने का अनुसार हो तो—

(४६१) जो कोई मनुष्य बेधर्मई से या उत्पात करने के प्रयोजन से किसी बन्द मकान को या संदूक़ इत्यादि को जिसमें मालभरा हो या माल भराहोना वह निश्चय जानताहो खोलैगा या तोड़ैगा उसको दंड दोनों मेसे किसीप्रकार की क़ैदका जिसकी म्याद दो बरस तक होसकैगी या जरीमाने का या दोनों का किया जायगा ॥

दंड उसी अपराध का जबकि उसका करनेवाला कोई ऐसा मनुष्य हो जिस को माल की चौकसी सौंपीगई हो—

(४६२) जो कोई मनुष्य जिसको चौकसी के किसी माल भरेहुये या

ऐसे मकान इत्यादि की जिसमें उसको निश्चय हो कि माल भरा है सौंपी गई हो परंतु उसके खोलने का अधिकार न दिया गया हो वेधर्मई से अथवा उत्पात करने के प्रयोजन से उसको तोड़ैगा उसको दंड दोनों मेंसे किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद तीनबरस तक होसकैगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

# अध्याय १८

## उन अपराधों के विषय में जो लिखतमों और व्योपार अथवा माल के चिन्हों से संबंध रखते हों *

( ४६३ ) जो कोई मनुष्य सब लोगों को अथवा किसी मनुष्य को हानि अथवा ज्यान पहुंचाने के प्रयोजन से अथवा कोई दावा या अधिकार साबित करने के लिये अथवा किसी मनुष्य से कुछ माल छुड़ाने अथवा कोई प्रगट या अप्रगट क़ौल क़रार करने के लिये अथवा छल छिद्र करने अथवा कियेजाने के प्रयोजन से कोई झूठी लिखतम् का भाग वनावैगा तौ जालसाज़ी करना कहलावैगा ॥

* निस्वत करने अख़्त्यार न करने नालिशात के हस्व दफ़ा ४६३ व ४७१ व ४७५ व ४७६ ऐक्ट नं० १० सन् १८८२ईस्वी की दफ़ा १९५ उदाहरण ( ड ) को देखो ॥

* निस्वत तरीक़ कारखाई मुतल्लक़ अदालत दीवानी वलिहाज़ जुरायम महकूमः दफ़ात ४६३ व ४७१ या ४७४ या ४७५ या ४७६ या ४७७ के ऐक्ट नं० १४ सन् १८८२ ईस्वी की दफ़ा ४४३ को देखो ॥

झूठी लिखतम बनाना ] ( ४६४ ) वह मनुष्य बनानेवाला कहलावैगा ॥

( प्रथम ) जो बेधर्मई से अथवा छल छिद्र से कोई लिखतम या लिखतम का भाग बनावैगा या उसपर दस्तखत करैगा या मुहर लगावैगा या लिखदेगा अथवा कोई चिन्ह जिससे लिखाजाना किसी लिखतम का पाया जाय बनावैगा यह बात प्रतीति कियेजाने के प्रयोजन से कि इस लिखतम को या लिखतम के भाग को किसी ऐसे मनुष्य की ओरसे दूसरेने बनाया है या लिखाहै या उसपर मुहर लगाई है या दस्तखत किये हैं जिसको वह जानता होकि इसने या इसकी आज्ञासे किसी औरने उस लिखतम को या लिखतम के भाग को बनाया है न लिखा है न उसपर दस्तखत किये हैं न मुहर लगाई है अथवा यह बात प्रतीत कीजाने के प्रयोजन से यह लिखतम या लिखतम के भाग उस समय बनाया गया या दस्तखत किया गया या मुहर लगाया था जबकि वह जानता हो कि ऐसा नहीं हुआ है ॥

अथवा (दूसरे ) जो नीतिपूर्वक अधिकार पाये बिना बेधर्मई से अथवा छल छिद्र से किसी लिखतम के किसी मुख्य भाग को उसके लिखजाने से पीछे चाहे उसको उसीने लिखा हो चाहे और किसी ने और चाहे लिखनेवाला उस समय जीता हो चाहे मरगया हो काटकर अथवा और किसी भांति बदलदे ॥

अथवा ( तीसरे ) जो कोई बेधर्मई से या छल छिद्र से किसी मनुष्य से कोई लिखतम दस्तखत करावै अथवा मुहर लगावै अथवा लिखवावै अथवा बदलवावै यह जान

बूझकर कि यह मनुष्य उनमत्तता अथवा नशे के कारण इस लिखतम की बातों को अथवा बदलने के आशय को नहीं जान सक्ता है अथवा किसी धोखे से जो उसको दियागया है नहीं जानता है ॥

## उदाहरण.

(अ) देवदत्तके पास यज्ञदत्तके ऊपर विष्णुमित्र का लिखा हुआ दशहजाररु० का रुक्का था देवदत्तने यज्ञदत्त के साथ छल करने के लिये दशहजाररुपये के ऊपर एक शून्य ओर बढ़ादिया और उस रुपये को एकलाख करदिया इसप्रयोजनसे कि यज्ञदत्त उस रुक्के को विष्णुमित्र का लिखा हुआ निश्चयमाने तो देवदत्तने जालसाजी की॥

(इ)देवदत्त विष्णुमित्र की आज्ञा के विना विष्णुमित्र की मुहर किसी लिखतमपर जो विष्णुमित्र की ओरसे देवदत्त के नाम किसी मिलकियत का बैनामा था इसप्रयोजन से लगादी कि उस मिलकियत को यज्ञदत्तके हाथ बेंचकर मोलका रु० प्राप्त करै तो देवदत्तने जालसाजी की ॥

(उ) देवदत्तने किसी कोठीवाल के नामधनी योग्य एकरुक्का पडापाया जिसपर यज्ञदत्त के दस्तखत लिखे थे परन्तु रुपये की तादाद नहीं लिखी थी देवदत्तने छल छिद्रसे रु० की खाली जगह को दशहजार रुपया लिख भरदिया तो देवदत्तने जालसाजी की ॥

(ऋ) देवदत्तने अपने गुमाश्ते यज्ञदत्तके पास किसी कोठीवालके ऊपर अनादस्तखती रुक्का जिसमें रुपये की तादाद न लिखी थी रखछोडा और यज्ञदत्तको परवानगी दी कि फलाने चुकाउके लिये दशहजारसे कमती जितना रु० चाहो इस रुक्के में लिखकर लैलेना यज्ञदत्तने उस रुक्के में बेश-मंई से बीसहजाररु० लिखलिये तो यज्ञदत्तने जालसाजी की ॥

(लृ) देवदत्तने यज्ञदत्त की ओरसे अपने ऊपर एक हुंडी विना यज्ञदत्त की आज्ञा के लिखली इस प्रयोजनसे कि उसको सच्ची हुंडी की भांति किसी कोठीवाल को मिती काट के बेंचदी और मनमें यह विचार लिया कि म्याद वीतेपर इस हुंडी का रुपया चुकादूंगा तो यहां देवदत्तने हुंडी से उस कोठीवाल को इस बात का धोखा देने के प्रयोजनसे लिखी कि वह

समझै इसमें यज्ञदत्त की जामिनी है और इससे मिती काटकर रुपया उसका इसलिये देवदत्तने जालसाजी का अपराध किया ॥

(ए) विष्णुमित्र के वसीयत नामे में यह बात लिखी थी कि मैं आज्ञा देता हूं कि मेरा बचा हुआ सब धन देवदत्त और यज्ञदत्त और हरमित्र में बराबर बांट दिया जाय देवदत्तने बेधर्मई से यज्ञदत्त का नाम इस प्रयोजनसे छीलडाला कि वह सब धन उसके और यज्ञदत्त के लिये छोड़ा गया समझा जाय तो देवदत्तने जालसाजी की ॥

(ओ) देवदत्तने एक सरकारी प्रामेसरी नोट की पीठपर यह शब्द लिखकर कि इसका रुपया विष्णुमित्र को अथवा जिस किसी को वह परवानगीदे उसको देदो और उस लेखपर अपने दस्तखत करके उसका रुपया यज्ञदत्तको मिलने योग्य किया तो यज्ञदत्तने बेधर्मई से इन शब्दों को कि इनकारु० विष्णुमित्र को अथवा जिस किसी को वह परवानगी दे उसको देदो छीलडाला और उससे उस लेखको खोका करदिया तो यज्ञदत्तने जालसाजी की ॥

(औ) देवदत्तने कोई मिल्कियत विष्णुमित्र को बेंचदी और लिखतम लिखदी फिर पीछे देवदत्तने विष्णुमित्र के साथ छल करने के लिये उस मिल्कियत का एक बैनामा विष्णुमित्र के बैनामे की मिती से छः महीने पहिले की मिती का यज्ञदत्तको लिखदिया यह बात प्रतीत होने के प्रयोजनसे कि उसने उस मिल्कियत को विष्णुमित्र के साथ बेंचने से पहिले यज्ञदत्तके साथ बेंचडाला था तो देवदत्तने जालसाजी की ॥

(अं) विष्णुमित्र अपनी वसीयत बोलता गया और देवदत्त उसको लिखता गया परन्तु जिस अधिकारी का नाम विष्णुमित्रने लिखा था उसके बदले देवदत्तने जानबूझ कर किसी दूसरे का नाम लिखदिया और विश्नुमित्रने यह लिखकर यह कहकर कि जैसा तुमने कहा वैसाही मैंने वसीयत नामे में लिखदिया है विश्नुमित्र से वसीयत नामे पर दस्तखत करालिये तो देवदत्तने जालसाजी की ॥

(अः) देवदत्तने एक चिट्ठी लिखी और उसपर विना यज्ञदत्त की आज्ञा के यज्ञदत्तके दस्तखत इस बात की सचाई के लिये लिखदिया कि देवदत्त

अच्छे वचन का मनुष्य है और दैवी आपदामे दुर्दशा में पड़गया है और प्रयोजन इस चिट्ठी से यह किया कि इसके द्वारा विश्नुमित्रसे और औरों से भिक्षापावै यह देवदत्तने विश्नुमित्र का माललेने के प्रयोजनसे झूठी लिखतम बनाई इसलिये देवदत्तने जालसाजी की ॥

(क) देवदत्तने यज्ञदत्त की आज्ञा के विना एक चिट्ठी लिखकर उसपर यज्ञदत्तके दस्तखत इस बातकी सचाई के लिये कि देवदत्त भला आदमी है बनालिये और प्रयोजन इसमें यह किया कि विश्नुमित्र के नीचे कोई नौकरी पावै तो देवदत्तने जालसाजी की क्योंकि उसने उस जाली चिट्ठी के द्वारा विश्नुमित्र को धोखादेने और नौकरी का कुछ कौलकरार प्रगट अथवा अप्रगट कराने का प्रयोजन किया ॥

**विवेचना—अपने नामके दस्तख़त करना भी जालसाजी होसकैगा ॥**

## उदाहरण.

(अ) देवदत्तने किसी हुंडीपर अपने नामके दस्तखत इस प्रयोजनसे करदिये कि वह हुंडी उसी नामके किसी दूसरे मनुष्य की लिखी हुई समझी जाय तो देवदत्तने जालसाजी की ॥

(इ) देवदत्तने कागज के एक टुकडेपर मंजूर है यही दो शब्द लिखकर नीचे विश्नुमित्रके नामके दस्तखत करादिये कि पीछे यज्ञदत्त उसी कागज पर अपनी ओरसे विश्नुमित्र के ऊपर हुंडी लिखाकर उसी भांति सरकारले मानो विश्नुमित्रने उस हुंडी को स्वीकार करलिया तो देवदत्त जालसाजी का अपराधी हुआ और कदाचित् यज्ञदत्त इस बात को जानकर देवदत्तके प्रयोजन अनुसार उस कागजपर हुंडी लिखले तो यज्ञदत्तभी जालसाजीका अपराधी हुआ ॥

(उ) देवदत्त ने एक हुंडी पड़ीपाई जिसका रुपया उसी नामके किसी दूसरे मनुष्य की आज्ञा योग्य लिखा था देवदत्त ने उस हुंडी की पीठपर अपने नाम से बेंची लिखदी यह प्रयोजन करके कि जिस मनुष्यकीआज्ञा योग वह हुंडी है उसीका बेंची समझीजाय तो देवदत्तने जालसाजीकी ॥

(ऋ) देवदत्त ने कोई मिलकियत जो यज्ञदत्त के ऊपर किसी डिगरी

के इजराय से नीलाम हुई मोल ली यज्ञदत्त ने उस मिल्कियत की कुरकी होजाने से पीछे विष्णुमित्र के साथ मिलावट करके उसी मिल्कियत का ठेका विष्णुमित्र के नाम पर थोड़ी सी जमापर बहुत म्याद का लिखदिया और लिखने की मिती कुरकी की मिती से छः महीने पहले की लिखदी इसप्रयोजन से कि इसमें देवदत्त के साथ छलकर और यह बात समझी जाय कि यह ठेका कूरकी से आगे का है तो यज्ञदत्त ने यद्यपि ठेका अपनेही नामसे लिखा फिरभी पीछेकी मिती लिखकर उसने जालसाजीकी॥

( ऌ ) देवदत्त एक ब्योपारी ने अपना दिवाला निकालने से पहले कुछ माल अपने लिये यज्ञदत्त को सौंपदिया इसप्रयोजन से कि अपने ब्योहरे साथ छल छिद्र करै और इस काम को छिपाने केलिये एक प्रामेसरी नोट अर्थात् एक तमस्सुक इस आशय का लिख दिया कि इतना रुपया यज्ञदत्त को किसी बस्तु के बदले जो मैं पाचुका हूं दूंगा और उस तमस्सुक पर पीछे की मिती लिखदी इस प्रयोजन से कि जब देवदत्त का दिवाला निकलने को था उसमें आगे का लिखाहुआ समझा जाय तो देवदत्त जालसाजी के लक्षण के पहले प्रकर्ण के अनुसार जालसाजी की॥

**बिवेचना—२—किसी कल्पना किये हुये मनुष्य के नामसे कोई झूठी लिखतम इस प्रयोजन से लिखदेनी कि सचमुच किसी मनुष्य को लिखी समझी जाय अथवा किसी मरे हुए मनुष्य के नाम लिखदेनी इस प्रयोजन से कि उस मनुष्य के जीते जीकी समझी जाय॥**

## उदाहरण.

देवदत्तने किसी कल्पना कियेहुये मनुष्यके ऊपर एक हुंडी लिखी और छलछिद्र से उस हुंडीको उसी कल्पना कियेहुये मनुष्य के नाम से सकारा इसप्रयोजन से कि उसका सौदा करै तो देवदत्त ने जालसाजी की॥

जालसाजीका दंड—] **( ४६५ ) जो कोई मनुष्य जालसाजी करैगा उसको दंड दोनोंमेसे किसीप्रकार की कैदका जिसकी म्याद दोवर्ष तक होसकैगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा॥**

( निस्बत सजाय वेतके ऐक्ट ६ सन् १८६४ की दफा ४ को देखो )

जालसाज़ी किसी अदालत के कागज की अथवा उस रोजनामचे की जिनमें बालकों का जन्म लिखा जाता हो अथवा मुख्त्यारनामे इत्यादि—

( ४६६ ) जो कोई मनुष्य किसी ऐसी लिखतम का किसी अदालत की कागज़ अथवा रूबकार हो अथवा ऐसा रोज़नामचाही जिस में जन्म या संस्कार या विवाह या मरण लिखा जाता हो अथवा किसी सर्व संबंधी नौकर के पास नौकरी के कारण अधिकारसे रहिता हो अथवा कोई सारटीफिकट या लिखतम हो जो किसी सर्वसंबंधी नौकर की ओरसे उसकी नौकरी के अधिकार के द्वारा लिखी गई हो अथवा कोई मुकद्दमा दायर करने या मुक़द्दमे में जवाबदिही करने या मुकद्दमे के मध्ये और कुछ काम करने या इक़बाल दावा करने की परवानगी की लिखतम हो मुख्त्यारनामा हो जालसाजी से बनावैगा उसको दंड दोनोंमेसे किसीप्रकार की कैदका जिसकी म्याद सातवर्ष तक होसकैगी कियाजायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा ॥

जालसाजी किसी दस्तावेज़ अथवा वसीयतनामे की—

( ४६७ ) जो कोई मनुष्य किसी ऐसी लिखतम को जो दस्तावेज अथवा वसीयत नामा हो अथवा जिसमें लड़का गोद लेने की आज्ञा हो अथवा जिसमें किसी कोई मनुष्य को कोई दस्तावेज़ लिखने अथवा वेचने अथवा उसका मूल या व्याज का वांट लेने को अथवा रु० या स्थावर धन या दस्तावेज़ लेने या देने की परवानगी हो या और किसी लिखतम को जो उसके चुकाने की फ़ारखती या रसीद हो जालसाज़ी से बनावैगा उसको दंड जन्म भरके

देश निकाले का अथवा दोनों मे से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दश बरस तक होसकैगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा ॥

छलने के लिये जालसाजी ] ( ४६८ ) जो कोई मनुष्य इस प्रयोजन से जालसाज़ी करैगा कि यह जाली लिखतम किसी को छलने के लिये काम आवै उसको दंड दोनों मे से किसीप्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद सात वर्ष तक होसकैगी कियाजायगा और जरीमाने केभी योग्यहोगा ॥

किसी मनुष्य के यश को ज्यान पहुंचाने के लिये जालसाजी— } ( ४६९ ) जो कोई मनुष्य इस प्रयोजन से जालसाजी करैगा कि इस जाली लिखतम से किसी मनुष्य के यश को ज्यान पहुंचेगा यह जानबूझकर कि यह लिखतम उस मनुष्य के ज्यान पहुंचाने के निमित्त काम में आनी अति सम्भवित है उसको दंड दोनों मेसे किसीप्रकार की क़ैदका जिसकी म्याद तीन वर्ष तक होसकैगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा ॥

जाली लिखतम ] ( ४७० ) जो कोई मनुष्य झूठी लिखतम सब या आधी परधी जालसाजी से बनाई गई हो जाली लिखतम कहलावैगी ॥

छल छिद्र से किसी जाली लिखतम को सच्ची की भांति काम में लाना— } ( ४७१ ) जो कोई मनुष्य छल छिद्र से या वेधर्मई से किसी लिखतम को जिसे वह जानता हो या जानने का हेतु रखता हो कि जाली है सच्ची की भांति काम में लावैगा उसको दंड वैसाही किया जावैगा कि मानौ उसने लिखतम की जालसाजी की ॥

दफ़ा ४६७ के अनुसार दंड किये जाने योग्य कोई जालसाजी करने के प्रयोजन से झूठी मुहर इत्यादि बनानी अथवा पास रखनी—

(४७२) जो कोई मनुष्य कोई झूठी मुहर या चपरास या और कोई छापने का औज़ार इस प्रयोजन से बनावैगा वह उस संग्रह की दफ़ा ४६७ के अनुसार दंड किये जाने योग्य किसी जालसाजी के करने में काम आवै या इस प्रयोजन के लिये अपने पास ऐसी मुहर या चपरास या औज़ार को यह बात जान बूझकर कि यह झूठा है रक्खेगा उसको दंड जन्म भरके देशनिकाले का या दोनों मेसे किसीप्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद सात बरस तक होसकैगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा ॥

कोई झूठी मुहर अथवा चपरास इत्यादि दूसरी किसीभांति दंड होने योग्य कोई जालसाजी करने के प्रयोजन से बनाना अथवा पास रखना—

(४७३) जो कोई मनुष्य कोई झूठी मुहर या चपरास या और कोई छापने का औज़ार इस प्रयोजन से बनावैगा कि वह इस अध्याय की दफ़ा ४६७ को छोड़कर और किसी दफ़ा के अनुसार दंड कियेजाने योग्य किसी जालसाज़ी के करने में काम आवै या इस प्रयोजन के लिये अपने पास ऐसीमुहर या चपरास या औज़ार को यहबात जान बूझकर कि यह झूठा है रक्खैगा उसको दंड दोनों मेसे किसीप्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद सात बरस तक होसकैगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा ॥

कोई लिखतम यह जान बूझकर कि यह जालसाजी से बनी अपने पास इसप्रयोजन से रखनी कि सच्ची की भांति काम में लाई जाय—

(४७४) जो कोई मनुष्य ऐसी लिखतम जिसको वह जानता हो कि जालसाजी से बनाईगई है इस प्रयोजन से अपने पास रक्खैगा कि छल छिद्र से अथवा बेधर्मई से सच्ची की भांति काम में लाईजाय उसको कदाचित् वह लिखतम इस संग्रह की दफ़ा ४६६ में लिखेहुये प्रकार की हो उसको दंड दोनों मेंसे किसीप्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद सात बरस तक होसकैगी कियाजायगा और जरीमाने केभी योग्य होगा॥

जालसाजी से बनाना किसी चिन्ह अथवा निशान को जो दफ़ा ४६७ में कहेहुये प्रकार की लिखतमों की सचाई के लिये काम आताहो अथवा पास रखना किसी वस्तु को जिस-पर झूठा चिन्ह लगाहो—

(४७५) जो कोई मनुष्य किसी वस्तु पर अथवा किसी वस्तु में कोई चिन्ह अथवा निशान् जो इस संग्रह की दफ़ा ४६७ में कहेहुये प्रकार की किसी लिखतम को प्रमाणिक करने के लिये काम में आता हो इस प्रयोजन से झूठा बनावैगा कि इस चिन्ह या निशान के होने से कोई लिखतम जो उसी समय उस वस्तु पर जालसाज़ी से बनाहो अथवा पीछे बनाईजाने के प्रमाणिक दिखाई दे अथवा जो कोई मनुष्य इसी प्रयोजन से अपने पास कोई वस्तु रक्खैगा जिसपर अथवा जिसमें इसीप्रकार का चिन्ह अथवा निशान जालसाज़ी में लगाया गया हो उसको दंड जन्म भर के देशनिकाले का अथवा दोनों मे से किसीप्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद सात बरस तक होसकैगी कियाजायगा और जरीमाने केभी योग्य होगा॥

जालसाजी से बनाना किसी चिन्ह अथवा निशान को जो दफ़ा ४६७ में कहीहुई लिखतमों को छोड़कर और प्रकार की लिखतमोंकी सचाई के लिये काम में आता हो अथवा पास रखना किसी को जिसपर झूठा चिन्ह लगा हो—

( ४७६ ) जो कोई मनुष्य पर अथवा किसी वस्तु में कोईचिन्ह अथवानिशान जो इस संग्रह की दफ़ा ४६७ में कही हुई लिखतमों को छोडकर और प्रकार की किसीलिखतमकाप्रमाणक करने के लिये काम मे आता हो जिस प्रयोजन से झूठा बनावैगा कि उस चिन्ह अथवा निशान के होने से कोई लिखतम जो उसी समय उस वस्तु पर जालसाज़ी से बनी हो अथवा पीछे बनाई जाने के प्रमाणिक दिखाई दे अथवा जो कोई मनुष्य इसी प्रयोजन से कोईवस्तु अपने पास रक्खैगा जिसपर अथवा जिसमें इसीप्रकार का चिन्ह अथवा निशान जालसाज़ी से लगाया गया हो उसको दंड दोनों मेसे किसीप्रकार की कठिन क़ैद का जिसकी म्याद सातवरस तक होसकैगी कियाजायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा॥

छल छिद्रसे किसी वसीयतनामे को बिगाड़ना या नष्ट करना इत्यादि—

( ४७७ ) जो कोई मनुष्य छल छिद्र अथवा बेधर्मई से अथवा सब लोगों को या किसी मनुष्य कों नुक्सान अथवा हानि पहुंचाने के प्रयोजन से किसी लिखतम को जो वसीयतनामा हो अथवा लड़का गोद लेने की आज्ञा का लेख हो अथवा दस्तावेज़ हो बिगाड़ैगा अथवा नष्ट करैगा या उसपर क़लम फेरैगा अथवा बिगाड़ने या नष्ट करने या क़लम फेरने का उद्योग करैगा या छुपावैगा या छुपाने का उद्योग करैगा या उसके

मध्ये कुछ उत्पात करैगा उसको दंड जन्मभरके देश निकाले का या दोनों मेसे किसीप्रकार की कैदका जिसकी म्याद सातबरस तक होसकैगी किया जायगा और जरीमाने केभी योग्य होगा ॥

# ब्यापार और मालक चिन्हों क विषय में ।

ब्योपार का चिन्ह ] ( ४७८ ) कोई चिन्ह जो यह बात जताने के लिये लगाया जाताहो कि यह माल अमुक मनुष्यने बनाया है या तैयार किया है या अमुक समय अथवा स्थानपर बनाया गया है अथवा अमुक प्रकार है वह ब्योपार का चिन्ह कहलावैगा ॥

माल का चिन्ह ] ( ४७९ ) कोई चिन्ह जो येह बात जनाने के लिये लगाया जाताहो कि यह वस्तु अमुक मनुष्य की है वह माल का चिन्ह कहलावैगा ॥

ब्योपार का झूठा चिन्ह काममें लाना } ( ४८० ) जो कोई मनुष्य किसी मालपर अथवा सन्दूक या बिदरी पर अथवा और किसी वस्तुपर जिसमें माल भराहो कोई चिन्ह लगावैगा या किसी लगी हुई सन्दूक या बिदरी या और वस्तु को काम में लावैगा इस प्रयोजन से कि जिसमाल पर वह चिन्ह लगी हुई सन्दूक या बिदरी अथवा और वस्तु में भरा है किसी ऐसे मनुष्य का बनाया हुआ या तैयार किया हुआ जिसने उसको न कभी बनाया और न तैयार किया अथवा यह समझा जाय कि ये माल किसी ऐसे समय या स्थानपर बनाया गया अथवा तैयार किया गया

था जिसपर न वह बनायागया न तैय्यार कियागया या यह समझाजाय कि यह उस विशेष प्रकार का है जिसका कि वह है नहीं तो कहलावैगा कि वह ब्यौपारके झूठे चिन्ह को काम में लाया॥

इस नज़ीर में बहस दफ़ै ४८० व दफ़ै २२८ ताज़ीरा० की मुन्दर्ज है सर्कार मुद्दई बनाम बिल किया मु० १९ नवम्बर स० ६१ सफ़ा १३१ जि० १८ मेदर् इ० लारिपोर्ट ॥

माल का चिन्ह काम में लाना—

( ४८१ ) जो कोई मनुष्य किसी वस्तुपर या मालपर अथवा सन्दूकपर अथवा बिदरीपर या और किसी वस्तुपर जिसमें कुछ वस्तु या माल भरा हो कोई चिन्ह लगावैगा या चिन्ह लगी हुई किसी सन्दूक अथवा बिदरी अथवा और वस्तु को काम में लावैगा इस प्रयोजन से कि वह वस्तु या माल जिसपर वह चिन्ह लगाया गया है या जो वस्तु अथवा माल उस चिन्ह लगी हुई सन्दूक में या बिदरी में या और वस्तु में भरा है किसी ऐसे मनुष्यका समझाजाय जिसका कि वह है नहीं तो कहलावैगा कि माल झूठे चिन्हको काममें लाया।

किसी मनुष्य को धोखा देने या नुक्सान पहुंचाने के प्रयोजनसे ब्योपार अथवा मालका झूठा चिन्ह काममें लानेका दंड

( ४८२ ) जो कोई मनुष्य ब्योपार का झूठा चिन्ह या मालका झूठा चिन्ह किसी मनुष्यको धोखादेने अथवा नुक्सान पहुंचानेके प्रयोजनसे काममें लावैगा उसकोदंड दोनामेंसे किसीप्रकारकी क़ैदका जिसकीम्याद एकबरसतक होसकैगी या जरीमाने का या दोनों का किया जायगा ॥

नुक्सान अथवा हानि पहुंचाने के प्रयोजन से ब्योपार अथवा मालको कोई ऐसा चिन्ह जिस को और कोई काममें लाताहो—

( ४८३ ) जो कोई मनुष्य सब लोगों को या किसी मनुष्य को नुकसान या हानि पहुंचाने के प्रयोजनसे जानबूझकर ब्योपार,

अथवा मालका कोई चिन्ह जिसको और कोई काम में लाता हो झूठा बनावैगा उसको दंड दोनों मेसे किसीप्रकार की कैदका जिसकी म्याद दोवरस तक होसकैगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

माल का कोई ऐसा चिन्ह जिसको कोई सर्व सम्बन्धी नौकर काममें लाताहो अथवा ऐसाचिन्हजिसका वह किसी मालका तैयार होना और इत्यादि प्रगट करने के लिये काममें लाता हो झूठा बनाना-

(४८४) जो कोई मनुष्य सब लोगों का अथवा किसी मनुष्य को नुकसान अथवा हानि पहुंचाने के प्रयोजनसे जानबूझकर कोई ऐसा माल का चिन्ह जिसको कोई सर्व सम्बन्धी नौकर यह बात जानने के लिये काममें लाताहो कि यह माल अमुक समय का या अमुक स्थान का बनाहुआ है अथवा अमुक प्रकार का है या अमुक दफ्तर में होकर आया है अथवा किसी माफी के योग्य है झूठा बनावैगा अथवा झूठा जानबूझकर सच्चे की भांति काम में लावैगा उसको दंड दोनों मेसे किसीप्रकार की कैदका जिसकी म्याद तीनबरस तक होसकैगी किया जायगा और जरीमाने केभी योग्य होगा ॥

छल छिद्र से बनाना या पास रखना किसी ठप्पे या चपरास या औज़ार का इसलिये कि कोई चिन्ह मालका या ब्यौपार का चाहै सर्वसंबंधी चाहै निज का झूठा बनाया जाय-

(४८५) जो कोई मनुष्य ठप्पा या चपरास या औज़ार जो माल या ब्योपार का चिन्ह बनाने या खोटा करने केलिये चाहे वह ब्योपार का माल सर्व संबंधी हो चाहै निज का इस प्रयोजन से बनावैगा या अपने पास रक्खैगा या उसको ऐसा चिन्ह झूठा बनाने केलिये काममें लावैगा या अपने

पास इसी प्रकार कोई चिन्ह व्योपार का या मालका इस प्रयोजन से रक्खेगा कि वह यहबात जताने केलिये काम में आवै कि अमुक माल या सौदागरी की वस्तु अमुक मनुष्य की या अमुक कारखाने की कि जिसकी वह बनी हुई नहीं है बनाई हुई समझी जायगी जिस स्थान या समयपर कि वह बनाई नहीं गईथी उस समय या स्थान पर बनाई गई समझी जाय या जिसप्रकार की वह नहीं है उस प्रकार की समझी जाय या जिस मनुष्य की वह नहीं है उसकी समझी जाय उसको दंड दोनोंमेसे किसी प्रकार की कठिन क़ैद का जिसकी म्याद तीनबरस तक होसकैगी या जरीमाने का या दोनों का किया जायगा ॥

जानमान कर वेंचना किसी मालका जिसपर व्योपार अथवा मालका झूठा चिन्ह लगाहो—

(४८६.) जो कोई मनुष्य किसी ऐसे मालको जिसपर या जिस सन्दूक में या बेठन में या वस्तु में वह माल हो उसपर झूठा चिन्ह कोई मालका या व्योपार का लगा या छपा हो चाहे सर्व सम्बन्धी हो चाहे निजका किसी को धोखा देने या नुकसान पहुंचाने के प्रयोजन से यह बात जानबूझकर वेंचैगा कि यह चिन्ह झूठा है या जालसाज़ी से लगाया गया है या छापागया है जो उस मनुष्य की या उससमय की या उसस्थान की जोकि उस चिह्न से जान पड़ता है बनी हुई नहीं या जानबूझकर कि जो प्रकार उस चिन्ह से जाता है उस प्रकार नहीं है उसको दंड दोनों मेसे किसीप्रकार की क़ैदका जिसकी म्याद एकबरस तक होसकैगी या जरीमाने का या दोनोंका किया जायगा ॥

छल छिद्रसे किसी बिदरी या माल भारी हुई वस्तुपर झूठा चिन्ह लगाना—

( ४८७ ) जो कोई मनुष्य छल छिद्रसे कोई झूठा चिन्ह किसी बिदरी पर अथवा और वस्तुपर जिसमें माल भराहो इस प्रयोजनसे लगावैगा कि कोई सर्व सम्बन्धी नौकर अथवा और मनुष्य उस बिदरी अथवा माल रखने की वस्तुमें ऐसे माल का होना समझे जोकि उसमें है अथवा बिदरी या वस्तु भरे मालको उसमें असल प्रकार या गुणसे भिन्न दूसरे किसीप्रकार या गुण का समझे उसको दंड दोनों मेसे किसीप्रकार की कैदका जिसकी म्याद तीनवरस तक होसकैगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनोंका किया जायगा॥

झूठे चिन्ह को काम में लाना ( ४८८ ) जो कोई मनुष्य ऐसे झूठे चिन्ह को यह जानबूझकर कि यह झूठा है ऊपर कहे हुए प्रयोजन से काम में लावैगा उसको दंड पिछली दफ़ा में लिखे अनुसार किया जायगा॥

बिगाड़ना मालके चिन्हका नुकसान पहुंचानेके प्रयोजनसे

( ४८९ ) जो कोई मनुष्य किसी मालके चिन्ह को हटावैगा अथवा बिगाड़ैगा इस प्रयोजन से या यह अति सम्भवित जानकर कि इससे किसी मनुष्य को नुकसान पहुंचावैगा उसको दंड दोनों मेसे किसीप्रकार की कैदका जिसकी म्याद एकवरस तक होसकैगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा॥

# अध्याय १९

## नौकरीका क़ौलक़रार दंडयोग्य रीतिसे तोड़ने के विषयमें।

समाअत किसी जुर्म हस्व बाब हाज़ा सिर्फ़ फ़रीक़ मज़लूम की नालिश

पर होसक्ती है ऐक्ट नं० १० सन् १८८२ ई० की दफ़ा १८८ को देखो ॥

दंड कहेहुये अध्याय के राज़ीनामों के योग्य है (ऐक्ट नं० १० सन् १८८२ की दफ़ा ३४५ को देखो )

जल अथवा थल के सफर में नौकरी के कौलकरार को तोडना—

( ४९० ) जो कोई मनुष्य जिसपर किसी नीतिपूर्वक कौल-क़रार के अनुसार किसी मनुष्य को या मालको एक जगह से दूसरी जगह लेजाने में अथवा पहुंचाने में अपने शरीर से काम करना अथवा जल या थल के सफ़र में किसी मनुष्य की नौकरी बजाय अथवा जल या थल के सफ़र में किसी मनुष्य अथवा माल की चौकसी करनी अवश्य हो जानमानकर ऐसा करने से चूकैगा उसको सिवाय इसके कि वह कुचैना जाय अथवा अच्छे न रखजाय उसको दंड दोनों मेसे किसीप्रकार की क़ैदका जिसकी म्याद एकमहीने तक होसकैगी अथवा जरीमाने का जो एकसौरु० तक होसकैगा अथवा दोनोंका किया जायगा ॥

## उदाहरण.

( अ ) देवदत्त एक पालकी का कहार जिसपर नीतिपूर्वक कियेहुये कौल करार के अनुसार विष्णुमित्र को एक जगह से दूसरी जगह लेजाना अवश्य था अधपर से भागगया तो देवदत्त ने इसदफ़ा के अनुसार लक्षण कियाहुआ अपराध किया ॥

( इ ) देवदत्त एक कुली जिसपर नीतिपूर्वक कियेहुये कौल करार के अनुसार विष्णुमित्र का असबाब एक जगह से दूसरी जगह लेजाना अवश्य था असबाब फेंककर चलदिया तो देवदत्त ने इसदफ़ा में लक्षण किया अपराध किया ॥

( उ ) देवदत्त एक बैलों के मालिक ने जिसपर नीतिपूर्वक कियेहुये कौल करार के अनसार कुछ माल अपने बैलों पर लादकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना अवश्य था ऐसा करने में अनीति से चूका तो देव-

दत्त ने इसदफा में लक्षण कियाहुआ अपराध किया ॥

• (ए) देवदत्त ने यज्ञदत्त कुली को अपना असबाब ले चलने के लिये अनीति से दबाया यज्ञदत्त रस्ते में असबाब रखकर भागगया तो यहां देवदत्त पर अनीति पूर्वक उस असबाब का लेजाना अवश्य था इसलिये यज्ञदत्त ने कुछ अपराध नहीं किया ॥

विवेचना—इस अपराध में कुछ यह अवश्य नहीं है कि क़ौलक़रार उसी मनुष्य के साथ किया जाय जिसकी नौकरी करनी हो इतनाही काफ़ी होगा कि जो मनुष्य नौकरी करने को हो उसने किसी मनुष्य के साथ नीतिपूर्वक क़ौलक़रार किया हो ॥

## उदाहरण.

देवदत्त ने किसी डांककम्पिनी के साथ उनकी गाडी एक महीने तक हांकने का कौल करार किया यज्ञदत्त ने सफर में जाने केलिये उस डांक कम्पिनी की गाडी भाडे की और उस कम्पिनी ने यज्ञदत्त को उस महीने के भीतर वही गाड़ीदी जिसको देवदत्त हांकता था देवदत्तने जानबूझकर सफ़र में गाडी छोडदी तो यहां यद्यपि देवदत्त ने यज्ञदत्त के साथ कौल करार नहींकियाथा तौ भी इसदफ़ाके अनुसारअपराधका अपराधीहुआ ॥

असमर्थ मनुष्य की टहल करने और जो वस्तु जो उनके लिये अवश्य चाहिये उसके पहुंचाने के कौलकरार को तोड़ना—

(४९१) जो कोई मनुष्य जिसपर कोई नीतिपूर्वक क़ौलक़रार के अनुसार किसी ऐसे मनुष्य की जो कम अवस्था से या बुद्धि उनमत्तता से या रोग या शरीर की दुर्बलता से बेबश हो अथवा अपनी रक्षा का उपाय करने अथवा जो वस्तु दरकार हो उसके प्राप्त करने को असमर्थ हो ख़बरलेना या ज़रूरी वस्तु पहुंचाना अवश्य हो जानमान कर ऐसा करने से चूकैगा उसको दंड दोनों मेंसे किसी-प्रकारकी क़ैदका जिसकीम्याद तीनमहीनेतक होसकैगी या

यही अपराध पहिले २ व्याह का उससे जिसके साथ पिछला व्याह हुआ छिपाकर करना—

( ४९५ ) जो कोई मनुष्य पिछली दफ़ा में लक्षण किया हुआ अपराध उससे जिसके साथ दूसरा व्याह करै अपने पहिले व्याह का हाल छुपा कर करैगा उसको दंड दोनों मेंसे किसीप्रकार की कैदका जिसकी म्याद दशवरस तक होसकैगी किया जायगा और जरीमाने केभी योग्य होगा ॥

छल छिद्रके प्रयोजनसे विवाह कर्म करना—

( ४९६ ) जो कोई मनुष्य बेधर्मई से या छल छिद्रके प्रयोजन से व्याह के कर्म यह बात जानमान कर करैगा कि इससे मेरा व्याह नीतिपूर्वक नहीं होता है उसको दंड दोनों मेंसे किसीप्रकार की कैदका जिसकी म्याद दशवरस तक हो सकैगी किया जायगा और जरीमाने केभी योग्य होगा ॥

व्यभिचार

( ४९७ ) जो कोई मनुष्य किसी ऐसी स्त्री के साथ जिसको वह जानता हो या निश्चय मानने का हेतु रखता हो कि और पुरुष की जोरू है विना राज़ी या विना आनाकानी उस पुरुष के संभोग करैगा और वह संभोग इस प्रकार का न होगा कि बल सहित व्यभिचार गिना जाय तो वह मनुष्य व्यभिचार के अपराध का अपराधी होगा और उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद पांच वरस तक हो सकैगी या जरीमाने का या दोनों का किया जायगा परंतु वह स्त्री उस अपराध में सहायता करने का दंड न पावैगी ॥

बुरे प्रयोजन से बहकाना अथवा लेजाना अथवा रोक रखना किसी स्त्री का जिसका व्याह होगयाहो—

( ४९८ ) जो कोई मनुष्य किसी स्त्री जो और किसी पुरुष की जोरू हो और जि-

सको वह जानता हो या निश्चय मानने का हेतु रखता हो कि यह और किसी पुरुष की जोरू है उस पुरुष के पास से जिसकी रक्षा में वह उस पुरुष की ओर से हो इस प्रयोजन से लेजायगा अथवा बहकावैगा कि उस स्त्री का किसी पुरुष के साथ अनीति संभोग करावै अथवा ऐसी स्त्री को इस प्रयोजन से छुपावैगा अथवा रोक रक्खैगा उसको दंड दोनों मे से किसी प्रकार की कैद का जिसकी म्याद दो वर्ष तक होसकैगी या जरीमाने का या दोनोंका किया जायगा ॥

## *अध्याय २१

### ( अपयश लगाने के विषय में )

अपयश लगाना ] ( ४९९ ). जो कोई मनुष्य शब्दों जो उच्चारण किये गये हों या जो पढ़े जाने के प्रयोजन से हो या चिन्होंसे या प्रत्यक्ष चित्र इत्यादि से किसी मनुष्य के मध्ये कोई बात लगावैगा या छापकर प्रकट करैगा इस प्रयोजन से अथवा यह जानमानकर अथवा निश्चय मानने का हेतु पाकर कि इस बात के लगाने से उस मनुष्य के यश को हानि पहुंचेगी तो सिवाय आगे लिखी हुई छूटों के कहा जायगा कि उसने उस मनुष्य को अपयश लगाया॥

विवेचना—किसी मरे हुए मनुष्य को कोई अपयश लगाने से भी अपयश लगाना होसकैगा कदाचित् उस अपयश लगाने उस मनुष्य के यश को जबकि वह जीता

---

* कोई दंड अध्याय २१ संबंधी का न्याय दुखी मनुष्य की नालिश होनेपर होसक्ता है देखो एक्ट १० सन् १८८२ की दफ़ा १९८ ॥

* दंडयोग्य अपराध दफ़ा ५०० या ५०१ या ५०२ योग्य संधि के हैं ( देखो उसी एक्टकी दफ़ा ३४५ उन बस्तु की नकलोंके दूर करने की आज्ञा के अधिकार में जिसके मध्ये दफ़ा ५०१ या ५०२ के अनुसार अपराध ठहराया गया हो ॥

होता हानि पहुंचतो और प्रयोजन उसके लगाने मे यह होकि उसके वंशवालों अथवा नगीचके नातेदारोंको बुरालगे॥

विवेचना—२—किसी कम्पिनी अथवा समाज को अथवा मनुष्यों के समुदाय को जो कंपिनी या समाज की भांति इकट्ठहो कोईबातलगानी यहभी अपयशलगाना होसकेगा॥

विवेचना—३—द्वअर्थ शब्द कहकर अथवा व्याज स्तुति करके कुछ बात लगानी यहभी अपयश लगाना होसकेगा॥

विवेचना—४—किसी बातके लगाने से किसी मनुष्यके यशको हानिपहुंचे तो न कहलावैगी जबतक कि उसबातको लगाने से स्पष्ट अथवा लौट फेरकर औरों के नगीच उस मनुष्य की सुचाल अथवा बुद्धिमानी नीची न होजाय अथवा उसको जातपात व्योहार में वट्टा न लगै अथवा उसकी साखि न बिगड़ै अथवा यह बात न समझी जाय कि उस मनुष्य का शरीर बिगड़ गया है अथवा ऐसी अवस्था में होगया है जो बहुधा कलंकित गिनी जाती है॥

उदाहरण.

(अ) देवदत्त ने इसप्रयोजन से कि विष्णुमित्र का यज्ञदत्त की घड़ी चुराना प्रणित कियाजाय कहा कि विष्णुमित्र ईमानदार मनुष्य है उसने यज्ञदत्त की घड़ी कभी न चुराई होगी तो यह अपयश लगाना कहलावैगा सिवाय इसके कि छूटों मेसे किसी छूट में आजाय॥

(इ) देवदत्त से पूछागया कि यज्ञदत्त की घड़ी किसने चुराई है देवदत्त ने विष्णुमित्र की ओर इशारा किया यह समझेजाने के प्रयोजन से कि यज्ञदत्त की घड़ी विष्णुमित्र ने चुराई है तो यह अपयश लगाना कहलावैगा सिवाय इसके कि किसी छूट में आजाय॥

(उ) देवदत्त ने एक चित्र जिसमें विष्णुमित्र यज्ञदत्त की घड़ी को लिये भागा जाता है इसप्रयोजन से बनाया है कि यज्ञदत्त की घड़ी को विष्णुमित्र का चुराना समझा जाय तो यहां अपयश लगाना कहलावैगा सिवाय इसके किसी छूट में आजाय॥

लगाना किसी सची बातका जो सबके भलेके लिये लगाई जानी या प्रगट की जानी उचित हो—

छूट—१—किसी मनुष्यके मध्ये कोई सच्चीबात लगानी अपयश लगाना न होगा कदाचित् उसका लगाया जाना अथवा प्रगट करना सबके भलेके लिये उचित हो और यह देखना कि यह बात सबके भले के लिये थी या न थी उस समय के वर्त्तमान आधीन होगी ॥

सर्व सम्बन्धी नौकर का सर्व सम्बन्धी चलन—

छूट—२—शुद्धभावसे कुछ विचारांश किसी सर्व संबंधी नौकर की कारखाई के मध्ये या उसके चलन के मध्ये वहीं तक जहां तक कि वह चलन उस काररवाई से सम्बन्ध रखता हो प्रगट करदेना अपयश लगाना न होगा ॥

## उदाहरण.

कदाचित् देवदत्त अपना विचारांश चाहे जैसा हो विष्णुमित्र के मध्ये किसी सर्व सम्बन्धी मामले की अर्ज़ी गवर्नमेंट के देने में अथवा किसी सर्व सम्बन्धी मामले की सभा होने केलिये बुलाने के कागज़ पर दस्तखत करने में अथवा ऐसी सभा में आने या मुखिया बनने में अथवा सब से सहायता मांगने के लिये किसी समाज के इकट्ठेकरने या उसका साथी होनेमें अथवा किसीओहदे केलिये जिसका काम भली भांति भुगतने से सबका प्रयोजन किसी विशेष उम्मेदवार की ओर रायदेने या वाद करने में शुद्धभाव से कहदे तो यह अपयश लगाना न कहलावैगा ॥

अदालत की काररवाई की खबर छापकर प्रगट करनी

छूट—३—किसी अदालत के हाकिम की काररवाई को कोई सच्ची और पक्की खबर या उस काररवाई का परिणाम छापकर प्रगट करना अपयश लगाना न कहलावैगा ॥

विवेचना—जब कोई जसटिस आफ़दी पीस अथवा और कोई अहलकार खुली कचेहरी तहकीक़ात करताहो

जो अदालत में किसी मुक़द्दमे का न्याय होने से पहिले होनी चाहिये तो वह पिछली छूटके अर्थ में अदालत का हाकिम कहला सकैगा ॥

अदालत में निवडे हुए किसी मुक़द्दमेकी अथवा उस मुक़द्दमे की गवाही इत्यादि—

छूट—४—शुद्धभावसे कुछ विचारांश दीवानी अथवा फ़ौजदारी के किसी मुक़द्दमे की व्यवस्था के मध्ये जिसको किसी अदालत के हाकिमने निवेड़ा हो या किसी मनुष्य की काररवाई के मध्ये जो उस मुक़द्दमे में पक्षपाती या गवाह या मुख्त्यार है अथवा उस मनुष्य के चाल चलन के नास वहीं तक जहां तक कि वह चलन उसी काररवाई से सम्बन्ध रखता प्रगट करदेना अपयश लगाना न होगा ॥

## उदाहरण.

(अ) देवदत्त ने कहा कि मेरे नगीच विष्णुमित्र की गवाही उस मुक़द्दमे में ऐसी उलटी सीधी है कि वह यातो मूर्ख होगा या बेधर्मी होगा तो देवदत्त इस छूट मे गिना जायगा कदाचित् उसमें यह शुद्धभाव से कहीहो क्योंकि जो विचारांश उसने विष्णुमित्र के चलने के मध्ये कहा वहींतक कहा जहांतक कि गवाहीमें विष्णुमित्र की काररवाई से सम्बन्ध रखताथा ॥

(इ) यज्ञदत्त ने कहाहो कि विष्णुमित्र ने उस मुक़द्दमे में जोकुछ कहा है उसको मैं सच नहीं मानता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि वह सच्चा मनुष्य नहीं तो यज्ञदत्त इसमें न गिना जायगा क्योंकि जो विचारांश उसने विष्णुमित्र के चलन के मध्ये कहा वह विष्णुमित्र की गवाहीसे संबंध नहीं रखताथा ॥

किसी सर्व संबंधी कामकी व्यवस्था

छूट—५—शुद्धभावसे कुछ विचारांश किसी सर्व सम्बन्धी काम के मध्ये जिसको उसके करनेवाले ने सबके विचार ने के लिये कियाहो या कुछ विचारांश उस करनेवाले के चलनके मध्ये वहीं तक

जहां तक कि वह चलन उस काम से सम्बन्ध रखताहो प्रगट करदेना अपयश लगाना न होगा ॥

विवेचना—किसी काम का सबके बिचार के लिये प्रगट किया जाना कहलावैगा जबकि वह काम स्पष्ट सबके विचारने के निमित्त किया जाय या उस कामके करने वाले की ओरसे कोई ऐसा काम हो जिससे उसका सबके विचारके लिये किया जाना समझा जाय ॥

## उदाहरण.

( अ ) कोई मनुष्य जो पुस्तक छापताहै उस पुस्तक को सबके बिचार केलिये प्रगट करता है ॥

( इ ) कोई मनुष्य सबके सामने वर्णन करता है उस वर्णन को सबके विचार के प्रगट करता है ॥

( उ ) कोई खिलाड़ी या गवय्या जो अखाडे में सबके सामने आता है वह अपने खेल अथवा गान को सबके विचार के प्रगट करता है ॥

( ऋ ) देवदत्त ने विष्णुमित्र की छपीहुई किसी पुस्तक के मध्ये कहा कि विष्णुमित्र की पुस्तक मूढता की है इससे विष्णुमित्र कोई तुच्छ बुद्धिमान मनुष्य होगा अथवा यह कि विष्णुमित्र की पुस्तक निर्लज्जता की है इससे विष्णुमित्र कोई व्यभिचारी मनुष्य होगा तो देवदत्त इस छूट में गिना जायगा कदाचित् वह कहना उसका शुद्धभाव से हो क्योंकि जो बिचारांश उसने विष्णुमित्र के मध्ये कहा बिष्णुमित्र के चलने से केवल वहींतक सम्बन्ध रखता है जहांतक कि वह चलन विष्नुमित्र की पुस्तक में जाना गया ॥

( ऌ ) परन्तु जो देवदत्त ने यह कहा हो कि विष्नुमित्र की पुस्तक मूढता और निर्लज्जता की होने का मुझे कुछ आश्चर्य नहीं है क्योंकि वह मूर्ख और लम्पट मनुष्य है तो देवदत्त इस छूट में न गिनाजायगा क्योंकि जो विचारांश उसने विष्नुमित्र के चलन के मध्ये कहा वह विष्नुमित्र की पुस्तक से संबंध नहीं रखता है ॥

शिक्षा दोष जो शुद्ध भाव से कोई ऐसा मनुष्य दे जिसको कानून की रीति से दूसरे पर अधिकार प्राप्त हो—

छूट ७—जिस मनुष्य को दूसरे पर क़ानून की रीति से अथवा किसी क़ौल क़रार के द्वारा जो उस दूसरे साथ क़ानूनानुसार हुआ हो कुछ अधिकार प्राप्त हो उसकी ओर से उस दूसरे मनुष्य की काररवाई के मध्ये किसी बात में जिससे उस की नीति पूर्वक अधिकार संबंध रखता हो शुद्ध भावसे कुछ दोष लगाया जाना अपयश लगाया न होगा ॥

## उदाहरण.

कोई हाकिम जो किसी अदालत के अहलकार की काररवाई पर शुद्धभाव से शिक्षा दोष लगावै और किसी सरिश्तेका मुनीम जो शुद्धभाव से अपने आज्ञाकारियोंको शुद्धभाव से शिक्षादोष लगावै और कोई माता अथवा पिता जो अपने किसी बालक को अथवा बालकों के सामने शुद्ध-भाव से शिक्षादोष लगावै और कोई अध्यापक जो किसी विद्यार्थी के बाप से अधिकार पाकर उस विद्यार्थी को औरविद्यार्थियों के सामने शुद्ध-भाव से शिक्षादोष लगावै और कोई मालिक जो अपने नौकर को उसकी नौकरी में असावधानी होने के कारण शुद्धभाव से शिक्षादोष लगावै और कोई कोठीवाल जो अपनी कोठी के रोकड़ये को उसके रोकड़ियेपन के काम में शुद्धभाव से शिक्षादोष लगावै ये सब इस छूटमें गिनेजायगे ॥

नालिश करना शुद्धभाव से किसी मनुष्य के सामने जिसको यथार्थ अधिकार उस के सुनने का है—

छूट—८—शुद्ध भावसे नालिश करना किसी मनुष्य के ऊपर उन मनुष्यों मे से किसी के सामने जिनको उस मालिक के विषय में उस मनुष्य पर क़ानूनानुसार अधिकार हो अपयश लगाना ॥

## ( उदाहरण )

कदाचित् देवदत्त शुद्धभाव से विष्णुमित्र के ऊपर किसी मजिस्ट्रेट के सामने नालिश करै अथवा देवदत्त शुद्धभाव से विष्णुमित्र के काम की

नालिश विष्णुमित्र के मालिक से करे अथवा देवदत्त शुद्धभाव से विष्णुमित्र को किसी लडके काम की नालिश विष्णुमित्र के बाप से करे तो देवदत्त इस छूट में गिना जायगा ॥

अपने स्वार्थ की रक्षा के लिये अथवा सबके भले के लिये किसी मनुष्य को शुद्ध भाव से कुछ बात लगानी—

छूट—९—दूसरे के चलन को कुछ बात लगानी अपयश लगाना न होगा कदाचित् लगानेवाले ने यह बात शुद्धभाव से अपने अथवा और किसी के स्वार्थ की रक्षाके लिये अथवा सब के भले के लिये लगाई हो ॥

## उदाहरण.

( अ ) देवदत्त एक दुकन्दार ने यज्ञदत्त जो उसका काम काज करता था कहा कि विष्णुमित्र को कुछ मत बेंचिये जबतक कि वह रोक दाम न देदे क्योंकि मुझको उसकी साखि नहीं है तो देवदत्त इस छूट में गिना जायगा कदाचित् उसने यह बुराई शुद्धभाव से अपने स्वार्थ की रक्षा के लिये विष्णुमित्र को लगाई हो ॥

( इ ) देवदत्त एक मजिस्ट्रेट ने अपने ऊपर के अफसर की रिपोर्ट कर के विष्णुमित्र के चलन को बुराई लगाई तो यहां देवदत्त इस छूट में गिना जायगा कदाचित वह बुराई शुद्धभाव से और सबके भले के लिये लगाई गई हो ॥

## उदाहरण.

सावधानी की बात जो मनुष्य के भले के लिये हो जिससे वह कही गई अथवा सबके भले के लिये—

छूट—१०—एक मनुष्य को दूसरे के मध्ये शुद्धभाव से सावधान कर देना अपयश लगाना होगा कदाचित् वह सावधानीकी बात उस मनुष्य के भले के लिये हो जिससे वह कहीगई हो या और किसी मनुष्य के भले के लिये जिसमें उसका कुछ स्वार्थ हो अथवा सबके लिये हो ॥

अपयश लगाने का दंड ] ( ५०० ) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को अपयश लगावैगा उसको दंड साधारण कैद का जिसकी म्याद दो वर्ष तक होसकैगी या जरीमाने का या दोनों का किया जायगा ॥

छापना अथवा खोदकर दिखाना किसी बात का यह जानकर कि यह अपयश लगानें वाली है— } ( ५०१ ) जो कोई मनुष्य कुछ बात यह जानकर या जानने की इच्छा हेतु पाकर कि यह किसी मनुष्य को अपयश लगाने वाली है छापेगा अथवा खोदकर लिखैगा उसको दंड साधारण कैद का जिसकी म्याद दो वर्ष तक होसकैगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

बेचना किसी छपी हुई अथवा खुदी हुई वस्तु का जिसमें अपयश लगाने वाली बात हो— } ( ५०२ ) जो कोई मनुष्य किसी छपी या खुदी हुई वस्तु को जिस में कोई अपयश लगाने वाली बात हो यह जान बूझकर कि इसमें ऐसी बात बेचेगा अथवा बेचने के लिये सामने रक्खैगा उसको दंड साधारण कैद का जिसकी म्याद दो वर्ष तक होसकैगी या जरीमाने का या दोनोंका किया जायगा ॥

# अध्याय २२

दंडयोग्य धमकी और अपमान और छेडने के विषय में।

( अपराधदफा५०४ और कोईरअपराध दफा५०६राजीनामा के योग्यहैं )

( एक्ट नम्बर १० सन् १८८२ ई० की दफा ३४५ को देखो )

दंड योग्य धमकी ] ( ५०३ ) जो कोई मनुष्य दूसरे मनुष्य के तन को अथवा यश को अथवा धन को अथवा जिस

मनुष्य में वह दूसरा मनुष्य स्वार्थ रखता हो उसके तन को या यश को हानि पहुंचाने की धमकी इस प्रयोजन से देगा कि उस मनुष्य को घबड़ावै अथवा उससे कोई ऐसा काम करावै जिसका कराना उसपर कानून अनुसार अवश्य न हो अथवा कोई ऐसा काम करनेसे चुकावै जिसके करने का उसको क़ानूनानुसार अधिकार हो तो कहाजायगा कि उसने दंड योग्य धमकी दी ॥

बिवेचना—किसी ऐसे मरेहुये मनुष्य के यश को जिस में धमकी दियेहुये मनुष्य का कुछ स्वार्थहो हानि पहुंचाने का डर दिखाना इस दफ़ा के अर्थ में गिना जायगा ॥

देवदत्त ने इसप्रयोजन से कि यज्ञदत्त उसके ऊपर अदालत दीवानी में नालिश करनें से रुकजाय यज्ञदत्त का घर जला देने का दिखाया तो देवदत्त योग्य धमकी देने का अपराधी हुआ ॥

कुशलता में विघ्न कराने के प्रयोजन से अपमान करना—

( ५०४ ) जो कोई मनुष्य जान मानकर किसी मनुष्य का अपमान करैगा और इस उपाय से उसको क्रोध करावैगा इस प्रयोजन से या यह बात अति संभवित जानकर कि इस क्रोध के होने से वह मनुष्य सर्व संबंधी कुशलता में विघ्न डालैगा या और कुछ अपराध करैगा उसको दंड दोनों मेसे किसीप्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दोबरस तक होसकैगी अथवा जरीमानेका अथवा दोनोंका किया जायगा ॥

बगावत कराने अथवा सर्व संबंधी कुशलता के विरुद्ध कोई अपराध कराने के प्रयोजन से झूठे अफवाह इत्यादि का उड़ाना—

( ५०५ ) जो कोई मनुष्य वृत्तान्त या अफ़वा अथवा ख़बर जिसको वह जानता हो कि झूठी है इस प्रयोजन से उड़ावैगा अथवा प्रगट करैगा कि श्रीमती महारानी

की सेना या जहाज़ी फ़ौज के किसी अफ़सर या सिपाही अथवा माझी से बगावत करैगा अथवा इस प्रयोजन से कि सबको डरमें अथवा घबराहट में डालैगा और इस उपाय से किसी मनुष्य से कुछ अपराध राज्यके विरुद्ध या सर्व सम्बन्धी कुशलता के विरुद्ध उसको दंड दोनों मेसे किसीप्रकार की क़ैदका जिसकी म्याद दोबरस तक हो सकैगी अथवा जरीमानेका अथवा दोनोंका किया जायगा ॥

दंड योग्य धमकी देनेका दंड ] ( ५०६ ) जो कोई दंड योग्य धमकी देने के अपराध का अपराधी होगा उसको दंड दोनों मेसे किसीप्रकार की क़ैदका जिसकी म्याद दोबरस तक होसकैगी किया जायगा और जरीमाने केभी योग्य होगा अथवा दोनों का किया जायगा ॥ और कदाचित् वह धमकी मारडालने या भारी दुःख पहुंचाने की या

कदाचित् वह धमकी मारडालने या भारी दुःख पहुंचाने इत्यादि की हो- } आगके द्वारा किसी मालको नष्ट करदेने की अथवा कोई ऐसा अपराध करने की जिसका दंड वध अथवा जन्म भरका देश निकाला या सातबरस तक की क़ैदकी होसकैगी अथवा जरीमानेका अथवा दोनों का किया जायगा ॥

बिना नामकी मुख़बरी के द्वारा दंड योग्य धमकीदेना } ( ५०७ ) जो कोई मनुष्य बिना नामकी मुख़बरी करके या धमकी देनेवाले का नाम या रहने का स्थान गुप्त रखने का साव-धानी करके दंड योग्य धमकी देनेका अपराधी होगा उस को दंड दोनों मेसे किसीप्रकार की क़ैदका जिसकी म्याद दोबरस तक होसकैगी सिवाय उस अपराध के जो उस अपराधके लिये पिछले दफ़ा में ठहराया गया है ॥

काम जो किसी को बहका कर दैवी कोपका निश्चय कराने से किया जाय—

(५०८) जो कोई मनुष्य जान-मानकर किसी मनुष्यसे कोई काम जिसका करना उसपर क़ानूना-नुसार अवश्य नहो करावैगा या कोई काम जिसके करने का वह क़ानूनानुसार अधिकारी हो करने से चुकावैगा या करने या चुकानेका उद्योग करैगा इस उपाय से कि उसको यह बात निश्चय करने के लिये बहकावैगा या बहकाने का उद्योग. जो ऐसा न करैगा अथवा करने से न चूकैगा तो तुझपर या अमुक मनुष्यपर जिसमें तू स्वार्थ-रखता है ईश्वर का कोप होगा या मैं कुछ कोप करके दैवी कोप करा-दूंगा उसको दंड दोनों मेसे किसीप्रकार की क़ैदका जिसकी म्याद एकबरस तक होसकैगी या जरीमाने का या दोनोंका किया जायगा॥

उदाहरण.

(अ) देवदत्त विष्णुमित्र के द्वार धन्नेबैठा इसप्रयोजन से कि विष्णु-मित्र निश्चय माने कि उसका यह बैठना विष्णुमित्र पर दैवी कोप लगावै तो देवदत्त ने इस दफ़ा में लक्षण कियाहुआ अपराध किया॥

(इ) देवदत्त ने विष्नुमित्र को धमकी दी कि अमुक काम न करैगा तो मैं अपने बालकों मेसे एक बालक जो इसभांति मार डालूंगा जिससे निश्चय मानाजाय कि तू दैवी कोप के योग्य हुआ तो देवदत्त ने इसदफ़ा में लक्षण हुआ अपराध यिवा॥

किसी स्त्री की लज्जाका अपमान करने के प्रयोजनसे वचन कहना अथवा सैन देना—

(५०९) जो कोई मनुष्य किसी स्त्री की लज्जाका अपमान करने के प्रयोजनसे वचन कहैगा या सैन देगा या शब्द करैगा या कुछ वस्तु इस प्रयोजनसे कि वह स्त्री उस वचन अथवा शब्द सुनै अथवा उससे नई वस्तुको देखै अथवा उस स्त्री के परदे में घुसजायगा उसको दंड सधारण क़ैदका जिसकी म्याद एकबरस तक होसकैगी अथवा जरीमानेका अथवा दोनोंका किया जायगा॥

कुचलन किसी नशा कियेहुये मनुष्य का सबके सामने- ) ( ५१० ) जो कोई मनुष्य नशे में किसी सर्व सम्बन्धी स्थान पर या और किसी स्थानपर जहां उसका जाना मुदाखलत बेजाहोजायगा और वहांकोईकाम ऐसाकरैगा जिससेकिसी मनुष्यको हानिहो उसको दंडसाधारण कैदका जिसकीम्याद चौवीसघंटे अर्थात् आठपहरतक होसकैगी अथवाजरीमाने का.जो दशरुपयातकहोसकेगा अथवादोनोंका कियाजायगा॥

# अध्याय २३

## ( अपराध करने के उद्योग के विषय में )

अपराध के उद्योग करने का दंड- ) ( ५११ ) जो कोई मनुष्य उद्योग किसी ऐसे अपराध के करने या कराने का करैगा जिसका दंड इससंग्रह के अनुसार देश निकाला अथवा कैद हो और उस उद्योग में कोई काम उस अपराध के लियेजाने के निमित्त करैगा जहां ऐसे उद्योग के दंड केलिये इस संग्रह में कुछ स्पष्ट लेख नहीं है वह उसको दंड देशनिकाले का या उसीप्रकार की कैद का जो उस अपराधकेलिये जितनी कि उस दफ़ा के लिये ठहराई गई बढ़ती से बढ़ती म्याद के आधे तक होसकैगी अथवा जरीमानेका जो उसअपराधकेलिये ठहरायागयाहो या दोनोंका कियाजायगा॥ उदाहरण.

( अ ) देवदत्त ने संदूक तोड़कर गहना चुराने का उद्योग किया और जब उस संदूक को तोड़ चुका तब जाना कि उसमें कुछ गहना नहींहै तो यहां देवदत्त ने चोरी करने के निमित्त एक काम किया इसलिये इस दफ़ा के अनुसार अपराधी हुआ ॥

( इ ) देवदत्त ने विष्णुमित्र की जेब में हाथ डालकर जेब काटने का उद्योग किया परन्तु विष्णुमित्र की जेब में कुछ नहोने के कारण उसका वह उद्योग नहोसका तो देवदत्त इस दफ़ा के अनुसार अपराधी होचुका ॥

इति समाप्त शुभम्

## ॥ न्यूनता और अधिकता के वर्णन में ॥

| | |
|---|---|
| विभाग जो न्यून हुआ या अधिक किया गया । | ऐक्ट १४ सन् १८७० ईसवी व ऐक्ट १० सन् १८८६ ईसवी व ऐक्ट १३ सन् १८९० ईसवी " |
| | ऐक्ट २७ सन् १८७० ईसवी व ऐक्ट १६ सन् १८८२ ईसवी ऐक्ट १० सन् १८७३ ईसवी दफा १५ ( मुमालिक मगरबी व शुमाली में ) ऐक्ट १२ सन् १८८१ ईसवी ॥ |
| | ऐक्ट १० सन् १८८६ ईसवी दफआत २१-२४ ( १ ) व ऐक्ट १८ सन् १८८७ ईसवी दफा ७२ ( मुतअल्लिक इलाहाबाद यूनीवर्सिटी व ऐक्ट १८८७ ईसवी दफा १८ ( २ ) ऐक्ट १ सन् १८८९ ई० दफा६ व ऐक्ट ४ सन् १८८६ ईसवी दफा ३, |
| | व ऐक्ट ६ सन् १८९० ई० दफा १४९ व ऐक्ट १० सन् १८८१ ई० ऐक्ट ८ सन् १८८२ ईस्वी व ऐक्ट १२ सन् १८६१ ईस्वी ॥ |
| विभाग जो मंसूख हुआ और अधिक किया गया मुस्तज़ाद हुआ । | ऐक्ट ६ सन् १८६४ ईसवी ( आसाम के इजलाकोही में कानून सन् १८७५ ईसवी (अपरब्रह्मा में) ऐक्ट २० सन् १८८६ ई० दफा ७(ज ( पंजाब के इजला सरहद्दी में और बिलोचिस्तान में ) कानून सन् १८८७ ईसवी दफात ८ व १४ व १५ व २१ व ३२, |

# संक्षेप अध्याय

**दफा** अध्याय १

१—इस ऐक्ट का नाम और इसके प्रचार की अवधि ।

### दूसरा

६—दंड अपराधों का जो उस अवधि के भीतर किये जांय ।

### तीसरा ।

५३—दंड

### चौथा

७६—वह काम जिसको कोई ऐसा मनुष्य करे जिसपर उसका करना अवश्य हो अथवा उस वृत्तांतको यथार्थ न समझनेसे अपने ऊपर उसका करना कानून अनुसार अवश्य जानता हो ।

### पाचवां

१०७—सहायता किसी काम की ।

### छठा

१२१—श्रीमती महाराणी के दरबार के साथ युद्धकरना अथवा युद्धकरनेका उद्योग करना अथवा युद्ध करने में सहायता देना ।

### सातवां

१३१—बगावत में सहायता देना अथवा किसीसिपाही अथवा जहाजी केवटको उसकेकाममें बहकानेका उद्योगकरना॥

## दफ़ा आठवां

१४१—अनीत जमाउ ॥

## नवां

१६१—सर्वसम्बन्धी नौकर जो अपने ओहदे के किसी कामके मध्ये सिवाय कानून अनुसारचाकरीके कुछघूंसकीभांतिले॥

## दशवां

१७२—सर्वसम्बन्धी नौकर के जारी किये हुए सम्मन अथवाऔर किसीआज्ञापत्र जारीहोनेसे बचनेकेलिये रूपोशहोना॥

## ग्यारहवां

१९१—झूंठी गवाहीदेना ॥

## बारहवां

१३०—सिक्का ॥

## तेरहवां

२६४—छल छिद्र से काम में लाना तोलने के किसी झूठे बाट यामाप में लाना किसी पैमाने को ॥

## चौदहवां

सर्व सम्बन्धी बाधा।

## पन्द्रहवां

२९५—किसी सम्प्रदाय के मत की निन्दा के प्रयोजन से पूजा के किसी स्थान को ज्यान पहुंचाना अथवा अपवित्र करना ॥

## सोलहवां

२९९—ज्ञानवत्घात ॥

## सत्रहवां

३७८—चोरी ॥

## अठारहवां

४६३—जाल्साज़ी ॥

## दफ़ा उन्नीसवां

४९०—जल या थल के सफर में नौकरी के कौल करार को तोड़ना ॥

## बीसवां

४९३—संभोग जो किसी पुरुष ने धोके से नीतिपूर्वक बिवाहहो जानेका निश्चय करार किया हो ॥

## इक्कीसवां

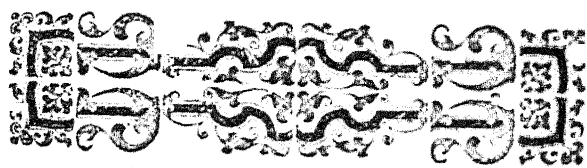
४९९—अपयश लगाना ॥

## बाईसवां

५०३—दंड योग्य धमकी ॥

## तेईसवां

५११—अपराध के उद्योग का दंड ॥



# संक्षेप अध्याय

दफ़ा अध्याय १

१—इस एक्ट का नाम और इसके प्रचार की अवधि ॥

२—दंड अपराधों का जो उस अवधिके भीतर कियेजांय ॥

३—दंड अपराधों का जो अवधि से बाहर किये जांय परन्तु कानूनके अनुसार उनके मध्ये तजवीज उसी अवधि के भीतर होसकती हो ॥

४—दंड उन अपराधों का जो श्रीमती महारानी का कोई नौकर किसी हितकारी दरबार में करै ॥

५—किसी कानून में इस ऐक्ट से कुछ न्यूनता न आवेगी ।

# अध्याय २

## साधारण अर्थ प्रकाश

६—लक्षण इस संग्रह में आधीन छूटों के समझे जायंगे ।

७—जिस शब्दका संकेत एक बार करदिया गयाहै वह इस संग्रह भरमें उसी आशय से बरता गया है ।

८—लिंग ।

९—संख्या ।

१०—स्त्री पुरुष ।

११—मनुष्य ।

१२—सर्वसम्बन्धी ।

१३—श्रीमती महारानी ।

१४—श्रीमती महारानी के नौकर ।

१५—हिन्दुस्थान में अंग्रेजी राज्य ।

१६—गवर्नमेन्ट हिन्द ।

१७—गवर्नमेन्ट ।

१८—हाता ।

१९—हाकिम ।

२०—अदालत ।

२१—सरकारी नौकर ।

२२—स्थावर धन ।

२३—अनीति प्राप्ति ।

तथा—अनीति हानि ।

अनीत में किसी वस्तु का रखलेना भी अनीति में गिना जायगा ।

२४—बेधर्मी से ।

२५—छल छिद्र से ।

२६—निश्चय मानने का हेतु ।

२७—वस्तु जो जोरू अथवा गुमास्ते अथवा नौकर के अधिकार में हो ॥

२८—खोटा बनाना ॥

२९—लिखतम ॥

३०—दस्तावेज ॥

३१—वसीयतनामा ॥

३२—करने के कर्मों सबन्धी शब्द कानून विरुद्ध चूकोंसे भी सम्बन्धी रक्खेंगे ॥

३३—काम ॥

तथा—चूक ॥

३४—कई मनुष्यों मेसे हरएक मनुष्य उस कामके बदले जो सबने मिलकर किया हो उसी योग्य होगा मानों उसीने वह

दफ़ा काम किया ॥

३५—जब ऐसा कोई काम इसी हेतु से अपराध हो कि कुज्ञान अथवा कुप्रयोजन से कियागया ॥

३६—परिणाम कुछ तो करने से और कुछ चूकने से कराया जाय ॥

३७—अपराध के अनेक कर्मों मेसे एक कर्म को करके साझी होना ॥

३८—अनेक मनुष्य जो किसी अपराध को करैं अलग २ अपराधों के करन्ता हो सकते हैं ॥

३९—जान बूझकर ॥

४०—अपराध ॥

४१—विशेष कानून ॥

४२—देश विशेषी कानून ॥

४३—कानून विरुद्ध ॥

तथा-कानून अनुसार अवश्य ॥

४४—हानि ॥

४५—जीव ॥

४६—मृत्यु ॥

४७—पशु ॥

४८—जहाज ॥

४९—बरस ॥

५०—दफा ॥

५१—सौगन्द ॥

५२—शुद्धभाव से ॥

# अध्याय ३

## सजाओं के बयान में ।

५३—दंड ॥

५४—बदला ६३ का बदला ॥

५५—जन्मभर के लिये देश निकाले की कैद का बदला ॥

५६—युरुपियों और आमेरिकियों के देश निकाले के बदले सेवादंड हुआकरेगा ।

५७—दंड की म्याद के विभाग ।

५८—जिन अपराधियों को देश निकाले की दंड आज्ञा हुई होवे देश निकाला होने तक किस भांति रक्खे जांयगे ॥

५९—कैदकेबाद देशनिकाला कब होसकेगा ।

६०—कैद आधीपरधी कठिन अथवा साधारण होसकेगी ॥

६१—धनकी जबती का दंड ॥

६२—जबती ऐसे अपराधियों के धनकी जो बधके अथवा देश निकाले के अथवा कैदके दंड योग्य हों ॥

६३—जरीमाने की तादाद ॥

६४—कैदकादंड जबकि जरीमाना न चुकाया जाय ॥

६५—जरीमाना न चुकाये जाने के बदले कैद की म्यादकी अवधि जबकि अपराध जरीमाने और कैद दोनों के योग्य हो ॥

६६—जरीमाना न चुकने के बदले कैदका प्रकार ॥

६७—जरीमाना न चुकाये जाने के बदले कैदकी म्याद जबकि अपराध केवल जरीमाने के दंड योग्य है ॥

६८—यह कैद जरीमाना चुकातही भुगत जायगी ॥

६९—व्यतीत होना इस कैदका जबकि जरी-

माने का भाग चुकादिया जाय ॥

७०—जरीमाना छः बरस के भीतर अथवा कैदकी म्यादमें किसी समय वसूल हो सकेगा ॥

तथा—अपराधी के जरीमाने से उसका माल मिल्कियत छूट न जायगा ॥

७१—अवधि उस अपराध के दंडकी जो कई अपराध मिलकर बनता हो ॥

७२—दंड किसी मनुष्य को जो अपराधों में से एकका अपराधी ठहरे और हाकिम की तजवीज में लिखा हो कि निश्चय नहीं है कि इन अपराधों मेंसे कि वह किस अपराध का अपराधी है ॥

७३—एकान्त वन्धि ॥

७४—एकान्त वन्धि की अवधि ॥

७५—दंड उन मनुष्यों को जो एक वेर अपराधी ठहरकर फिर किसी ऐसे अपराध के अपराधी ठहरें जो अध्याय१२ वा १७ के अनुसार सावित हो ॥

# अध्याय ४

## साधारण छूट ।

७६—वह काम जिसको कोई ऐसा मनुष्य करै जिसपर उसका करना अवश्य हो अथवा जो वृतान्त को यथार्थ न समझ लेनेसे अपने ऊपर उसका करना कानून अनुसार अवश्य जानता हो ॥

७७—काम किसी हाकिम का जबकि वह न्याय करने को बैठा हो

७८—काम जो किसी अदालत की तजवीज आज्ञानुसार किया जाय ॥

७९—काम किया हुआ किसी ऐसे मनुष्य का जिसको उसके करने का अधिकार हो अथवा जो वृतान्त अशुद्ध समझने से उस काम के करने का अधिकारी अपने को समझता हो ॥

८०—नीति पूर्वक काम के करने में दैवयोग से कुछ का कुछ होजाना ॥

८१—काम जिससे कुछ ज्यान होना अति संभवित हो परन्तु कुप्रयोजन के विना दूसरे ज्यान के रोकने के लिये किया गयाहो ॥

८२—काम सात वरस की अवस्था के बालक का ॥

८३—काम सात वरस से ऊपर और बारह वरस से नीचे की अवस्था के बालक का जिस की यथोचित् अकल पकी न हो ॥

८४—काम सिड़ी मनुष्य का ॥

८५—काम किसी मनुष्य का जो अपनी इच्छा के विरुद्ध दिये हुए नशे के कारण बिचार करने को असमर्थ हो ॥

८६—जिस अपराध के लिये कोई विशेष ज्ञान अथवा प्रयोजन अवश्य हो उस को कदाचित् कोई मनुष्य नशे की अवस्था में करै ॥

८७—काम जो विना प्रयोजन अथवा विना जाने इसबातके कि इससे किसी मनुष्य को मृत्यु अथवा भारी दुःखहोना अति

दफ़ा संभवित है उसी मनुष्य की राजी से कियाजाय ॥

८८—काम जो मृत्यु करने के प्रयोजन बिना शुद्ध भाव से किसी मनुष्य की राजी से उसके भले के लिये कियाजाय ॥

८६—काम जो शुद्ध भाव से किसी बालक अथवा सिड़ी मनुष्य के भलेके लिये उसके रक्षक की ओर से अथवा राजी से किया जाय ॥

६०—राजी जो जान लीजाय कि भय अथवा धोखे से दीगई ॥

तथा—राजी किसी बालक अथवा सिडी मनुष्य की ॥

६१—काम जो इस बातको छोड़कर भी कि राजी देने वाले मनुष्यको उससे ज्यान पंहुचा आपही अपराध हो दफा ८७ व ८८ व ८६ की छूटोंमें गिनती न होंगे ॥

९२—काम जो शुद्ध भाव से किसी मनुष्य के भले के लिये बिना राजी के किया जाय ॥

तथा—नियम ॥

६३—शुद्ध भाव से कुछ कहदेना ॥

६४—काम जिसके करने के लिये कोई मनुष्य धमकीके द्वारा बेबस कियाजाय ॥

६५—कोईकाम जिससे कुछ तुच्छ ज्यानहो ॥

६६—कोई काम जो निजरक्षा के लिये किया जाय अपराध न होगा ॥

६७—तन और धन की रक्षा का अधिकार ॥

६८—निजरक्षा का अधिकार किसी इत्यादि मनुष्यों के काम पर ॥

६६—जिन कामों के रोकनेके लिये निज रक्षा का अधिकार न होगा ॥

तथा—इस अधिकार के वर्तने की अवधि ॥

१००—तन की निजरक्षाका अधिकार मृत्यु करने तक कब हो सकेगा ॥

१०१—यह अधिकार मृत्यु को छोड़ कर दूसरा कोई ज्यान पहुंचाने तक कब होसकेगा ॥

१०२—तन की निजरक्षा का आदि अंत ॥

१०३—धनकी निजरक्षा का अधिकार मृत्यु करने तक कब होसकेगा ॥

१०४—यह अधिकार मृत्यु को छोड दूसरा कोई ज्यान कर देने तक कब हो सकेगा ॥

१०५—धन की निजरक्षा का आदि अंत ॥

१०६—निजरक्षा का मृत्यु कारक उठैया रोकनेको उस अवस्था में जब किसी बिन अपराधी मनुष्य को ज्यान पहुंचाने की जोखिम हो ॥

# अध्याय ५

## सहायता के ब्यान में

१०७—सहायता किसी काम की ॥

१०८—सहाई ॥

१०६— सहायताका कदाचित् वह काम जिसकी सहायता हुई उसी सहायता के कारण किया गया हो और उसके दंड का कोई स्पष्ट लेख न हो ॥

११०—दंड सहायता का कदाचित् सहायता

दफ़ा पानेवाला मनुष्य अपराध के काम को सहायता करने वाले के प्रयोजन के सिवाय किसी और के प्रयोजन से करे ॥

१११ – दंड सहायता करनेवाले को जबकि एक काम में सहायता पहुंचाई जाय और उससे भिन्न दूसरा कोई काम होजाय ॥

११२ – सहाई कब दंड योग्य होगा कि जिस काम में उसने की और जो काम किया गया दोनों दंड पावें ॥

११३ – दंड सहाई को उस परिणामके बदले जो उसके प्रयोजन किये हुए से बाहर हो ॥

११४ – मौजूद होना सहाई का अपराध होने के समय ॥

११५ – सहायता किसी ऐसे अपराध में जिसका दंड बध अथवा जन्म भर का देश निकाला हो कदाचित् वह अपराध सहायताके कारण न किया ॥

तथा – कोई काम जिससे ज्यान होता हो सहायता के कारण होजाय ॥

११६ – सहायता किसी अपराध में जो कैद के दंड योग्य हो कदाचित् वह अपराध उस सहायता के कारण न कियाजाय ॥

तथा – कदाचित् सहाई अथवा सहायता पाने वाला मनुष्य कोई ऐसा सर्व संबंधी नौकर हो जिसका काम उसका अपराध का रोकना हो ॥

११७ – सहायता पहुंचाना किसी अपराध करने में जिसको सबों के द्वारा या दश से जियादा मनुष्यों के द्वारा ॥

११८ – गुप्त रखना किसी ऐसे जुर्म के उद्योग का बध अथवा जन्मभरके देश निकाले के दंड योग्य हो ॥

तथा – कदाचित् अपराध होजाय ॥

तथा – कदाचित् अपराध हो न जाय ॥

११९ – कोई सर्व सम्बन्धी नौकर जो किसी अपराध के होने के उद्योग को जिस को रोकना उसका काम हो छुपावें ॥

तथा – कदाचित् अपराध वह इत्यादि के दंड योग्य हो ॥

तथा – जब अपराध हो न जाय ॥

तथा – जो दंड बध इत्यादि का हो ॥

१२० – छिपाने उस अपराध के उद्योग का जो कैद के दंड योग्य हो ॥

तथा – कदाचित् अपराध होजाय ॥

तथा – कदाचित् अपराध न हो जाय ॥



## राज्य बिरोधी अपराध तथा करने तथा सहायता देनेके विषयमें

१२१ – श्रीमती महारानी के दरबार के साथ युद्ध करना अथवा युद्ध करने का उद्योग करना अथवा युद्ध करने में सहायता देना ॥

१२१अ० – श्रीमती महारानी को बेदख़ल करै या गवर्नमेन्ट को तख़्फ़ीफ़

दफ़ा करने की साजिश करना ॥

१२२—श्रीमती महारानी के दरबार के साथ युद्ध करने के प्रयोजन से हथियार इत्यादि इकट्ठे करना ॥

१२३—सुगमता के प्रयोजनसे युद्ध के उद्योग को छुपाना ॥

१२४—उठैया करना गवर्नर जनरल अथवा लेफ्टनेन्ट गवर्नर इत्यादि पर किसी नीतिपूर्वक को दबाकर वर्त्तवाने अथवा वर्त्तने के प्रयोजनसे रोकदेना ॥

१२४अ०—ख्यालात बदख्वाही का पैदा करना ॥

१२५—युद्ध करना किसी दरबार के साथ जो महाद्वीप एशिया में श्रीमती महारानी का हितकारी हो ॥

१२६—लूटमार करना किसी ऐसे अधिपति के राज्य में जो श्रीमती महारानी के दरबार के साथ संधि रखताहो ॥

१२७—रखलेना ऐसे मालका जो दफा १२५ व १२६ में वर्णन किये हुए युद्ध अथवा लूटमार के द्वारा प्राप्त हुआ हो ॥

१२८—सर्व सम्बन्धी नौकर जो जानबूझकर किसी राज्य विरोधी अपराध के कैदी को अथवा युद्ध के कैदी को अपनी चौकसी मेसे भागजाने दे ॥

१२९—सर्व सम्बन्धी नौकर जो असावधानी से राज्य विरोधी अथवा कैदी को भागजाने दे ॥

१३०—ऐसे कैदी के भागने में सहायता अथवा छुडालेना अथवा आश्रयदेना ॥

# अध्याय ७

## जंगी अथवा जहाजी सेना सम्बंधी अपराधों के विषय में।

१३१—बगावत में सहायता देना अथवा किसी सिपाही अथवा जहाजी केवट को उसके काम में बहकाने का उद्योग करना ॥

सहायता करना बगावत में जबकि वह बगावत उसी सहायता के कारण होजाय ॥

सहायता देना किसी उठैया में जो कोई सिपाही अथवा केवट अपने ऊपर के अफसर पर जबकि अपने ओहदे का काम भुगताता हो करै ॥

१३४- सहायता ऐसे उठैये में कदाचित् वह उठैया होजाय ॥

सहायता देना किसी सिपाही अथवा केवट के भागने में ॥

१३६- नौकरी के भागेहुए को आश्रय देना ॥

१३७- नौकरी से भागेहुए मनुष्य को किसी सौदागरी जहाज में उसके मालिक की ग़फलत से छुपाया जाय ॥

१३८- किसी सिपाही अथवा केवट को आज्ञा भंग के काममें सहायता देना ॥

१३९- जो मनुष्य जंगी क़ानून के आधीन है इस संग्रह के अनुसार दंड दियेजाने के योग्य न होंगे ॥

१४०- सिपाहियाना लिबास पहिरना या सिपाहियाना लिबास लिये फिरना ॥

दफा

# अध्याय ८

## सर्वसंबंधी कुशलता में विघ्न डालने वाले अपराधों के विषय में।

१४१—अनीति जमाउ ॥

१४२—साझी होना किसी अनीति जमाउ में ॥

१४३—दंड ॥

१४४—साझी होना किसी अनीति जमाउ में कोई मृत्युकारक हथियार बांधकर ॥

१४५—मिलना अथवा बना रहना किसी अनीति जमाउ में यह बात जानबूझ कर कि उसके फैल फूट होने के लिये आज्ञा होचुकी हो ॥

१४६—बल जो साझियों के मतलब के लिये एकसाझी की ओरसे वर्ता जाय ॥

१४७—दंगा करने की सजा ॥

१४८—मृत्युकारी हथियार बांधकर दंगा करना ॥

१४९—हर साझी किसी अनीति जमाउ का अपराधी उस अपराधका गिना जायगा जो साजियों का मतलब प्राप्त होने केलिये कियाजाय ॥

१५०—किसी अनीति जमाउ में मिलने केलिये मनुष्योंको नौकर रखना अथवा नौकर रखने में आनाकानी देना ॥

१५१—जानबूझकर मिलना अथवा बनारहना पांच अथवा पांच से अधिक मनुष्यों के किसी जमाउ में पीछे इससे कि उसके फैल फूट होने की आज्ञा हो चुकी हो ॥

१५२—सर्वसम्बन्धी नौकर पर उठैया करना अथवा उसको रोकना जबकिवह दंगे इत्यादि का होना बंद करता हो ॥

१५३—बिना बात क्रोध करानेका काम करना दंगा होने के प्रयोजन से ॥

तथा—कदाचित् दंगा होजाय ॥

तथा—कदाचित् नहो ॥

१५४—मालिक अथवा काबिज धरती का जिसपर अनीति जमाउ जुडे ॥

१५५—दंडयोग्य होना उसमनुष्यका जिसके भले केलिये दंगा किया जाय ॥

१५६—दंडयोग्य उस मालिक अथवा काबिज् के कारिन्दे का जिसके भले के लिये दंगा कियागया हो ॥

१५७—आश्रयदेना उन मनुष्योंको जो किसी अनीति जमाउ के लिये नौकर रक्खे गये हों ॥

१५८—किसी अनीति जमाउ अथवा दंगे में साझा करने के लिये नौकर होना ॥

तथा—हथियार बांधकर फिरना ॥

१५९—खानेजंगी ॥

१६०—खानेजंगी करने का दंड ॥

# अध्याय ९

## अपराध जो सर्व सम्बन्धी नौकरों की ओरसे कियेजायं अथवा जो उनसे संबंध रक्खें॥

१६१ सर्व सम्बन्धी नौकर जो अपने ओहद्दे

दफ़ा के किसी कामके मध्ये सिवाय कानून अनुसार चाकरी के कुछ घूस की भांति ले ॥

१६२—लेना घूंस का किसी सर्व सम्बन्धी को अथवा कानून विरुद्ध उपाय से फुसलाने के निमित्त ॥

१६३—लेना घूंस का किसी सम्बन्धी नौकर को निज सिपारस करने के लिये ऊपर वर्णन कियेहुये अपराधों में से सर्व सम्बन्धी नौकरको आरस सहायता होने के लिये दंड ॥

१६४—दंड उस सर्व सम्बन्धी नौकर का जिसका वर्णन दफ़ा १६२ व १६३ में किया गया है ॥

१६५—सर्व सम्बन्धी नौकर जो कुछ मोलदार वस्तु बिना बदला दिये किसी मनुष्य से ले जिसका कुछ स्वार्थ उस सर्व संबंधी नौकरके लिये हुए किसी मुकद्दमे अथवा काम में हो ॥

१६६- सर्व संबंधी नौकर जो किसी मनुष्य को हानि पहुंचानेके प्रयोजनसे कानून की आज्ञा का उल्लंघन करे ॥

१६७- सर्व सम्बन्धी नौकर जो हानि पहुंचाने के प्रयोजनसे कुछ अशुद्ध लिखतम बनावे ॥

१६८—सर्व संबंधी नौकर जो कानून की आज्ञा के विरुद्ध व्योपार करे ॥

१६९—सर्व संबंधी नौकर जो कानून की आज्ञाके विरुद्ध कुछ बस्तु मोललेले या मोललेने के लिये बोली बोले ॥

१७०—सर्व संबंधी नौकर का भिस करना ॥

१७१—सर्व संबंधी नौकर की बर्दी पहरना अथवा चिह्न रखना छल छिद्रके प्रयोजनसे ॥

# अध्याय १०

## सर्व सम्बन्धी नौकरों के नीति पूर्वक अधिकार का अपमान करने के विषय में।

१७२—सर्व सम्बन्धी नौकर के जारी किये सम्मन अथवा और किसी आज्ञापत्र जारीहोनेसे बचनेकेलिये रूपोशहोना।

१७३—रोकना किसी सम्मन अथवा और प्रकार के हुक्मनामे के जारी होने अथवा प्रगट किये जाने से ॥

१७४—सर्व सम्बन्धी नौकर के आज्ञा के अनुसार हाज़िर होने में चूकना ॥

१७५—किसी सम्बन्धी के सामने कोई लिखतम करने से चूकना किसी ऐसे मनुष्य का जिसपर उस लिखतम का पेश करना अवश्य हो ॥

१७६—किसी सर्व सम्बन्धी नौकर को इत्तलाय देने अथवा खबर पहुंचाने से चूकना किसी ऐसे मनुष्य का जिसपर उस इत्तलाय अथवा खबर का पहुंचाना कानून अनुसार अवश्य हो ॥

१७७—झूठी खबर देना ॥

१७८—सौगन्द करने से नटना उस समय

दफा जबकि कोईसर्वसम्बन्धी नौकर सौगन्द करने की आज्ञा दे ॥

१७९—उत्तर न देना किसी ऐसे सर्व संबंधी नौकर के प्रश्नका जिसको प्रश्न करने का अधिकार हो ॥

१८०—इजहार पर दस्तखत करने से इन्कार करना ॥

१८१—सौगन्द करके झूठे इजहार देना किसी सर्व सम्बन्धी नौकर अथवा उस मनुष्य के सामने जो कानून अनुसार सौगन्द करने का अधिकारी हो ॥

१८२—झूठी खबर देना इस प्रयोजन से कि कोई सर्व सम्बन्धी नौकर अपना कानून अनुसार अधिकार काम में लावे और उससे दूसरे मनुष्य को हानि पहुंचे ॥

१८३—सामना करना किसी ऐसी वस्तु के लिये जाने में जो किसी सर्व सम्बन्धी नौकरकी नीतिपूर्वक आज्ञासे लीजाय ॥

१८४—रोकना किसी वस्तुके नीलामका जो किसी सर्व सम्बन्धी नौकर की नीतिपूर्वक आज्ञासे नीलाम पर चढ़ी हो ॥

१८५—कानून विरुद्ध मोल लेना किसी वस्तु का अथवा माललेन के लिये बोली बोलना जो किसी सर्व सम्बन्धी नौकर की नीतिपूर्वक आज्ञासे नीलाम पर चढी हो ॥

१८६—रोकना किसी सर्व सम्बन्धी नौकर का जो अपनी नौकरी का काम भुगतताहो ॥

१८७—किसी सर्व सम्बन्धी नौकर को सहायता देने में चूकना उस अवस्था में जबकि सहायता देना कानूनअनुसार अवश्यहो ॥

१८८—न मानना किसी आज्ञा को जो किसी सर्व सम्बन्धी नौकरने यथोचित दोहो

१८९—सर्वसम्बन्धी नौकरको हानि पहुंचाने की धमकी देना ॥

१९०—हानि पहुंचाने की धमकी इसलिये कि कोई मनुष्य किसी सर्व सम्बन्धी नौकरसे रक्षा मांगने से रुकजाय ॥

# अध्याय ११

## झूठी गवाही और सर्व सम्बन्धी न्याय में विघ्न डालनेवाले अपराधोंके विषयमें।

१९१—झूठी गवाही देना ॥

१९२—झूठी गवाही बनाना ॥

१९३—झूठी गवाही देनेका दंड ॥

१९४—झूठी गवाही देना अथवा झूठा सबूत बनाना किसीपर ऐसा अपराध सावित करने के लिये जिसका दंड वधहो ॥

तथा—कदाचित् निरअपराधी मनुष्य को उस गवाही अथवा सबूतके कारण अपराधी सावित होकर दंड बधका होजाय ॥

१९५—झूठी गवाही देना अथवा झूठ सबूत बनाना इस प्रयोजन से कि किसी पर ऐसा अपराध सावित हो जिसका

दफ़ा दंड देश निकाला अथवा कैद हो ॥

१९६—काम में लाना ऐसे सबूतका जो जान लिया गया हो कि झूठा है ॥

१९७—जारी करना अथवा दस्तखत लिखना झूठी सार्टी फ़िकट पर ॥

१९८—काममें लाना सच्चे सार्टी फ़िकटकी भांति किसी सार्टी फ़िकट का जो मुख्य बातमें झूठ जान लिया गया हो

१९९—झूठ वर्णन किसी ऐसे इजहार में जो कानून अनुसार सबूत की भांति लिया जासकता हो ॥

२००—काम में लाना सच्चे की भांति ऐसे किसी इजहार को जो जान लिया गया हो कि झूठा है ॥

२०१—अपराधी के बचाने के लिये लोपकर देना अपराध के सबूत को अथवा देना झूठी खबर का ॥

तथा—कदाचित् अपराध वध के दंड योग्य हो ॥

तथा—कदाचित् देश निकाले के दंड योगहो

तथा—कदाचित् १० बरस से कमती म्याद की कैदके दंड योग्य हो ॥

२०२—जान बूझकर किसी अपराध की खबर देने से चूकना किसी मनुष्यका जिस पर खबर देना अवश्य हो ॥

२०३—देना झूठी खबर का किसी अपराध के जो होगया हो ॥

२०४—नष्ट करदेना किसी लिखतम का इस लिये कि वह सबूत में पेश न होसके

२०५—किसी मुकद्दमे में कुछ काम अथवा कारवाई करने के लिये दूसरे मनुष्य का रूप धरना ॥

२०६—कुछ छलछिद्रसे उठा लेजाना अथवा छुपा देना किसी वस्तु का इस प्रयोजन से कि जप्ती में अथवा इजराय डिगरी में उसका लियाजाना रुकजाय

२०७—छल छिद्रसे दावा करना किसी वस्तु पर इस प्रयोजन से कि उस का लियाजाना जप्ती में अथवा इजराय डिगरी में रुकजाय ॥

२०८—छल छिद्र अपने ऊपर लेना किसी डिगरी का जिसका रुपया वाजिबी न हो ॥

२०९—अदालत में झूठा दावा ॥

२१०—छल छिद्र से प्राप्ती करनी कोई डिगरी जिसका रुपया वाजिबी न हो ॥

२११—हानि पहुंचाने के प्रयोजन से झूठ मूठ अपयश लगाना ॥

२१२—आश्रय देना किसी अपराधी को ॥

तथा—कदाचित् अपराध वध के दंड योग्य हो ॥

तथा—कदाचित् अपराध जन्म भरके देश निकाले अथवा कैद के दंडयोग्य हो ॥

२१३—किसी अपराधी को दंड के बचाने के बदले इनाम इत्यादि लेना ॥

तथा—कदाचित् अपराध वध के दंड योग्य हो ॥

तथा—कदाचित् अपराध जन्म भरके देश

दफ़ा निकाले अथवा कैद के योग्य हो ॥

२१४—अपराधी को दंड से बचाने के बदले इनाम देना या कुछ वस्तु फेरदेना ॥

तथा—कदाचित् अपराध वध के दंड यो-ग्य हो ॥

तथा—कदाचित् जन्म भरके देश निकाले अथवा कैद के दंड योग्य हो ॥

२१५—इनाम लेना चोरी इत्यादि का माल निकालने में सहायता देने के बदले ॥

२१६—आश्रय देना किसी अपराधी को जो बंध से भाग गया हो अथवा जिसके पकड़े जाने की आज्ञा हो चुकी हो ॥

तथा—कदाचित् अपराध वध के दंड के यो-ग्य हो ॥

तथा—कदाचित अपराध जन्म भरके देश निकाले अथवा कैद योग्य हो ॥

२१७—सर्वसम्बन्धी नौकर जो किसी मनुष्य को दंड से अथवा किसी माल को जप्ती से बचाने के प्रयोजन से किसी नीति पूर्वक आज्ञा को न माने ॥

२१८—सर्व सम्बन्धी जो किसी मनुष्य को दंड से अथवा माल को जप्तीसे बचा ने के प्रयोजन से कोई लिखतम अ-शुद्ध बनावे या लिखे ॥

२१९—सर्व सम्बन्धी नौकर जो किसी कुप्र-योजन से किसी न्याय सम्बन्धी कार-रवाई में कोई ऐसी आज्ञा अथवा रिपोर्ट इत्यादि करे जिसको वह जा-नता हो कि कानून विरुद्ध है ॥

२२०—जो कोई मनुष्य अधिकार पाकर किसी मनुष्यको बंध में रक्खे अथवा तजवीज के लिये ऊपर के हाकिम को सौंपे यह जानबूझ कर कि मैं कानून के विरुद्ध करताहों ॥

२२१—जिस सर्व सम्बन्धी पर किसी को पकडना कानून अनुसार अवश्य हो, उसकी ओरसे पकडने में जानबूझकर चूकहो ॥

२२२—जिस सर्व संबंधी नौकर पर पकडाना किसी मनुष्यको जिसपर दंड की आज्ञा किसी अदालत में होचुकी हो कानून अनुसार अवश्य हो उसकी ओरसे पकडने में जानबूझ कर चूक होनी ॥

२२३—जोसर्व सम्बन्धी नौकर अपनी असाव-धानी से किसी को बंधिसे भागजानेदे॥

२२४ अपने नीतिपूर्वक पकडे जाने में किसी की ओरसे सामना अथवा रोक होनी॥

२२५—किसी दूसरे मनुष्य के नीतिपूर्वक पकडे जाने में सामना अथवा रोक करना ॥

२२६—अनीति रीतिसे देश निकाले से लौट-आना ॥

२२७ दंडकी माफीके कौलकरारकोतोडना॥

२२८—जानबूझ कर अपमान करना किसी सर्व सम्बन्धी नौकर का अथवा विघ्न डालना उसके काम में जबकि वह किसी न्यायके मामले की किसी अवस्था में उपस्थित हो ॥

२२९—झूठा मिसकरके पंच अथवा असेसर

दफा बनना ॥

# अध्याय १२

## सिक्कों या गवर्नमेन्ट के स्टाम्प संबंधी अपराधों के विषय में।

२३०—सिक्का ॥

तथा—श्रीमती महारानी का सिक्का ॥

२३१—खोटा सिक्का बनाना ॥

२३२—श्रीमती महारानी का खोटा सिक्का बनाना ॥

२३३—खोटा सिक्का बनाने के लिये औजार बनाना अथवा बेचना ॥

२३४—श्रीमती महारानी का खोटा सिक्का बनानेके लिये औजार बनाना अथवा बेचना ॥

२३५—पास रखना औजार या सामान का इस प्रयोजनसे कि खोटा सिक्का बनाने के लिये काममें आवे ॥

२३६—हिन्दुस्तान में खोटा सिक्का बनाने के लिये हिंदुस्तान में सहायता देनी ॥

२३७—खोटे सिक्के को हिंदुस्तान के अंगरेजी राज्यसे बाहर लेजाना अथवा भीतर लाना ॥

२३८—श्रीमती महरानी के खोटे सिक्के को हिंदुस्तान के अंगरेजी राज्यसे बाहर लेजाना अथवा भीतर लाना ॥

२३९—देना किसी मनुष्य को कोई सिक्का जो खोटा जानबूझ कर पास रक्खा गयाहो ॥

२४०—देना श्रीमती महारानी के सिक्के का जो खोटा जानबूझ कर पास रक्खा गया ॥

२४१—खरे सिक्के की भांति देना किसी मनुष्यको कोई सिक्का जिस देनेवाले ने अपने पास आने के समय खोटा न जानाहो ॥

२४२—खोटा सिक्का होना किसी मनुष्य के पास जिसनेअपने पास आनेके समय उसको खोटा न जानाहो ॥

२४३—श्रीमती महारानी का खोटा सिक्का होना किसी मनुष्य के पास जिसने अपने पास आने के समय उसको खोटा जानलिया हो ॥

२४४—जो मनुष्य टकसाल में नौकर होकर कोई सिक्का कानूनअनुसार ठहराई तौल अथवा धातुसे दूसरी तौल अथवा धातुका बनावे ॥

२४५—अनीति रीतिसे लेजाना किसी टकसालमें सिक्का बनाने का कोई औजार ॥

२४६—छलछिद्रसे सिक्के की तौलको घटाना अथवा धातु बदलना ॥

२४७—छल छिद्र से श्रीमती महारानी के सिक्के की तौल घटाना अथवा धातु का बदलना ॥

२४८—रूप बदलना किसी सिक्केका इसप्रयोजन से कि दूसरे प्रकार सिक्के की भांति चलाया जाय ॥

२४९—रूप बदलना श्रीमती महारानी के

दफ़ा सिक्के का इसप्रयोजन से कि दूसरे प्रकारके सिक्केकी भांति चलायाजाय॥

२५०—देना दूसरे को कोई सिक्का जो पास आने के समय जानलिया गया हो कि बदला हुआ है ॥

२५१—देना किसी मनुष्य को श्रीमती महारानी का कोई सिक्का जो पासआने के समय जान लिया गया हो कि बदला हुआ है ॥

२५२—होना बदलेहुये सिक्के का किसी मनुष्य के पास जिसने अपने आने के समय उसे जान लिया हो कि बदला हुआ है ॥

२५३—होना श्रीमती महारानी के बदलेहुये सिक्के का किसी मनुष्य के पास जिस ने अपनेपास आनेके समय जानलिया हो कि बदला हुआ है ॥

२५४—खरे सिक्के की भांति देना किसी मनुष्य को ऐसा सिक्का जिसको देनेवाले ने अपने पास आने के समय बदला हुआ न जाना हो ॥

२५५—गवर्नमेन्ट का स्टाम्प खोटा बनाना ॥

२५६—गवर्नमेन्ट का खोटा स्टाम्प बनाने के लिये औज़ार अथवा सामान पास रखना ॥

२५७—बनाना अथवा बेचना औज़ार का अथवा गवर्नमेन्ट का कोई खोटा स्टाम्प बनाने के निमित्त ॥

२५८—गवर्नमेन्ट का खोटा स्टाम्प बेचना ॥

२५९—गवर्नमेन्ट का खोटा स्टाम्प पास रखना ॥

२६०—सच्चे स्टाम्प की भांति काम में लाना गवर्नमेन्ट के किसी स्टाम्प को जान लिया गया हो कि झूठा है ॥

२६१—गवर्नमेन्ट का नुक़सान करनेके प्रयोजन से मिटाना किसी लेख को किसी वस्तु से जिसपर गवर्नमेन्ट का कोई स्टाम्प लगा हो अथवा दूर करना किसी लिखतम से किसी स्टाम्प को जो उसके लिये लगाया गया हो ॥

२६२—काम में लाना गवर्नमेन्ट के किसी स्टाम्प को जो जान लिया गयाहो कि आगे काम में आचुका है ॥

२६३—मिटाना किसी चिन्ह का जिससे जानाजाय कि स्टाम्प काममें आचुका है ॥

## नाप तोल सम्बन्धी अपराधों के विषय में।

२६४—छल छिद्र से काममें लाना तोलने के किसी झूठे औज़ार को ॥

२६५—छल छिद्र से काम में लाना किसी झूठे बांट अथवा नाप को ॥

२६६—झूठे बांट अथवा नाप पास रखने ॥

२६७—झूठे बांट अथवा नाप बनाने अथवा बेचने ॥

दफ़ा

# अध्याय १४

## सर्व सम्बन्धी आरोग्यता अथवा कुशलता और सज्जनता और सुशीलता में विघ्न डालने वाले अपराधों के विषय में।

२६८—सर्व सम्बन्धी बाधा ॥

२६९—असावधानी किसी काम में जिससे फैलना किसी जीव जो उसके रोगका अति संभवित हो ॥

२७०—दुर्भावका काम जिससे फैलना जीव जोखिम के रोगका अति संभवितहो ॥

२७१—किसी क्वारनटैन को न मानना ॥

२७२—खाने अथवा पीने की वस्तु जो बेंचने के लिये हो उसमें मिलावट करना ॥

२७३—बेंचना खाने अथवा पीने की वस्तु जो ज्यान पहुंचानेवाली हो ॥

२७४—औषधि में मिलावट करनी ॥

२७५—मिलावट की हुई औषधि को बेंचना ॥

२७६—बेंचना किसी औषधि को दूसरी औषधि के नामसे ॥

२७७—बिगाड़ना किसी सर्व सम्बन्धी कूप कुंड इत्यादि के पानी का ॥

२७८—हवाको आरोग्यताके अयोग्य करना ॥

२७९—सबके चलने की गैलमें गाड़ी घोड़ा इत्यादि सवारी को बेसुध दौड़ाना ॥

२८०—नावको बेसुध चलाना ॥

२८१—झूठ उजेला अथवा चिह्न दिखाना ॥

२८२—पानी के रस्ते पहुंचाना किसी मनुष्य को भाड़े के लिये किसी ऐसी नावमें, जो अति बोझी अथवा जोखिम की हो ॥

२८३—जोखिम अथवा रोक डालना किसी सर्व सम्बन्धी गैलमें अथवा नावके मार्गमें ॥

२८४—विषकी किसी वस्तुके मध्ये असावधानी करना ॥

२८५—अग्नि अथवा जलनेवाली वस्तुके मध्ये असावधानी करना ॥

२८६—अग्नि की भांति उड़नेवाली वस्तुके मध्ये असावधानी करना ॥

२८७—कलकी विषय असावधानी करना ॥

२८८—मकानि के गिराने अथवा उसकी मरम्मत कराने के विषय में असावधानी करना ॥

२८९—किसी पशुके मध्ये असावधानी करना ॥

२९०—सर्व दुःखदाई कामका दंड ॥

२९१—बंद करने की आज्ञा पाने के पीछे किसी सर्व दुःखदाई कामको करते रहना ॥

२९२—निर्लज्जता इत्यादि पुस्तकों का बेंचना ॥

२९३—बेंचने अथवा दिखलाने के निर्लज्जता की पुस्तकें पास रखना ॥

२९४—निर्लज्जता के गीत ॥

२९४(अ)—चिट्ठी डालने की गरजसे दफ्तर या मकान रखना ॥

दफ़ा

# अध्याय १५

## उन अपराधों के बयान में जो मतसे सम्बन्ध रखते हों।

२९५—किसी सम्प्रदाय के निंदा के प्रयोजन से पूजा के किसी स्थान को ज्यान पहुंचाना अथवा अपवित्र करना ॥

२९६—किसी मत सम्बन्धी समाज को छेड़ना॥

२९७—कबरस्थान इत्यादि पर मुदाखलत बेजा करना ॥

२९८—किसी मनुष्यके अंतःकरण को मतके विषय में जानबूझ कर दुःख देने के प्रयोजनसे कुछ कहना इत्यादि ॥

# अध्याय १६

## मनुष्यके तन सम्बन्धी अपराधोंके विषय जीव सम्बन्धी अपराध।

२९९—ज्ञातवत घात ॥

३००—ज्ञातघात ॥

तथा—ज्ञातवत घात किस अवस्था में ज्ञातवतघात न गिना जायगा ॥

३०१—ज्ञातवत घात किसी ऐसे मनुष्य की मृत्यु करने से जो उस मनुष्य से जिसके मारडालनेका प्रयोजन था भिन्नहो॥

३०२—ज्ञातवंत घातका दंड ॥

३०३—दंड उस ज्ञातवत घात जो कोई जन्म प्यादी बंधुआ कर डाले ॥

दंड ऐसी ज्ञातवत घात का जो ज्ञातवतघात के तुल्य नहो ॥

३०५- बालक अथवा सिडी मनुष्य को अपघात करने में सहायता देनी ॥

३०६- अपघात में सहायता देनी ॥

३०७- ज्ञातवत घात का उद्योग ॥

३०८- ज्ञातवत घात करने का उद्योग ॥

३०९- अपघात करने का उद्योग ॥

३१०- ठग ॥

३११—दंड ॥

## पेट गिराने और बिना जन्मे बालकों को हानि पहुंचाने और जन्मेहुये बालकोंको बाहर डाल आने और जन्मछुपाने के विषय में।

३१२—पेट गिराना ॥

३१३—बिना स्त्री की राज़ी पेट गिराना ॥

३१४—मृत्यु को किसी ऐसे काम के करने से होजाय जो पेट गिराने के प्रयोजन से किया गया हो ॥

तथा—अगर वह फेल औरत की बिना रज़ामंदी किया गया हो ॥

३१५—कोई काम इस प्रयोजन से किया जाय कि बालक जीता हुआ पैदा न होने पावे अथवा पैदा होने से पीछे मरजाय ॥

३१६—मृत्यु करनी किसी बालक की जो

दफ़ा पैदा न हुआ हो परंतु गर्भ में जीव पडगया हो कुछ ऐसा काम करने जो क्षातघात के समान हो ॥

३१७—बाहर डाल आना अथवा छोडदेना बारह बरस से कमती अवस्था के बालक का उसके मा बाप की ओर अथवा और किसी मनुष्य की ओर से जिसकी रक्षा में वह हो ॥

३१८—जनना छुपाना बालक की लोथ का गुपचुप अलगकरके दुःखकेविषय में।

३१९—दुःख ॥

३२०—भारी दुःख ॥

३२१—जानबूझ कर दुःख देना ॥

३२२—जानबूझकर भारी दुःख पहुंचाना ॥

३२३—जानबूझ कर दुःख पहुंचानेका दंड ॥

३२४—जानमान कर जोखिम के हथियारों से अथवा उपायों से दुःखपहुंचाना ॥

३२५—जानमानकर दुःख पहुंचानेका दंड ॥

३२६—जोखिम के हथियारों अथवा उपायों से जानमान कर भारी दुख पहुंचाने का दंड ॥

३२७—दबाकर माल लेने के लिये अथवा दबाकर अनुचित काम लेने के लिये जानमान कर भारी दुःख पहुंचाना ॥

३२८—दुख पहुंचाने इत्यादि के प्रयोजन में अचेत करने वाली दवा खिलाना ॥

३२९—दबाकर माल लेने के लिये अथवा दबाकर अनुचित काम करानेके लिये जानमान कर भारी दुःख पहुंचाना ॥

दबाकर इकरार कराने अथवा दबा कर कुछ माल फिर लेने के लिये जान मान कर दुख देना ॥

-दबाकर इकरार कराने अथवा दबा कर कुछ माल फिर लेने के लिये जान मान कर भारी दुःख पहुंचाना ॥

३३२ -सर्व सम्बन्धी नौकर जो जान मान कर भारी दुख पहुंचाना इस लिये कि वह अपने ओहदे का काम करने से रुकजाय ॥

३३३—जान मानकर सर्वसम्बन्धी नौकरको उसके अधिकारी काम देने से रोकने के लिये भारी दुखकाडर दिखलाना ॥

३३४—जानमान कर क्रोध दिलाने काम के कारण भारी दुख पहुंचाना ॥

३३५—क्रोध दिलाने वाले काम के कारण जानमान कर भारी दुख पहुंचाना ॥

३३६—दंड ऐसे काम का जिससे दूसरे के जीव अथवा शरीर कुशल की जोखिम हो ॥

३३७—दुख पहुंचाना किसी ऐसे काम से जिससे औरों के जीव अथवा शरीर के कुशल की जोखिम हो ॥

३३८—भारी दुख पहुंचाना किसी ऐसे काम से जिस में औरों के जीव अथवा शरीर कुशल की जोखिम हो ॥

## अनीति बंधि और अनीति बंधि के विषय में।

३३९—अनीति रोक ॥

३४०- अनीति बंधि ॥
३४१- अनीति रोक का दंड ॥
३४२—अनीति बंधि का दंड ॥
३४३—तीनदिन अथवा उससे अधिक दिन तक अनीति बंधि में रखना ॥
३४४—दश दिन अथवा उसको अधिक दिन तक अनीति बंधि में रखना ॥
३४५—अनीति बंधि में रखना ऐसे मनुष्य को जिस के छोड देने के लिये परवाना जारी हो चुका हो ॥
३४६—अनीति बंधि में गुप्त रखना ॥
३४७—दबाकर माल लेलेने अथवा कोई अनीति काम दबाकर कराने के प्रयोजन से अनीति बंधि ॥
३४८—दबाकर इकरार कराने अथवा दबाकर माल फिरवाने के लिये बंधि ॥

## अनीति बल और उठैया ।

३४९—बल ॥
३५०—अनीतिबल ॥
३५१—उठैया ॥
३५२—दंड अनीतिबलका सिवाय इसके कि भारी क्रोध दिलानेवालों के काम के कारण किया जाय ॥
३५३—किसी सर्व संबन्धी नौकर के साथ अनीतिबल करना इस लिये कि वह अपने ओहदे का काम भुगताने से रुकजाय ॥
३५४—किसी स्त्री पर उसकी लज्जा बिगाडने के प्रयोजन से उठैया अथवा अनीति बल करना ॥
३५५—किसी मनुष्य को बेइज्जत करने के प्रयोजन से उठैया अथवा अनीतिबल करना सिवाय इसके कि उस मनुष्य को क्रोध दिलानेके कारण कियाजाय ॥
३५६—कुछ वस्तु जिसे कोई मनुष्य लिये जाता हो छीन लेने का उद्योग करने में उठैया अथवा अनीतिबल करना ॥
३५७—अनीतिबंधि में रखने का उद्योग करने में उठैया अथवा अनीतिबल करना ॥
३५८—एकाएकी भारी क्रोधमें आकर उठैया अथवा बल करना ॥

## ज़बरदस्ती पकड़ लेजाने और बहका लेजाने और गुलामी में रखने और बेगार कराने के विषय में ।

३५९—मनुष्य का पकड़ लेजाना ॥
३६०—हिन्दुस्तान के अंग्रेज़ी राज्य में से इन्सान को लेभागना ॥
३६१—नीतिपूर्वक रक्षा में से लेभागना ॥
३६२—इन्सान को बहका लेजाना ॥
३६३—इन्सान के लेभागने का दंड ॥
३६४—मार डालने के लिये इन्सान को लेभागना या बहका लेजाना ॥
३६५—किसी मनुष्य को छुपा छुपी और अनीति रीति से बंधिमें रखनेके प्रयोजन से लेभागना या बहका लेजाना ॥
३६६—किसी स्त्री को दबाकर ब्याह करने के लिये ले भागना अथवा बहका लेजाना ॥
३६७—किसी मनुष्य को भारी दुःख देने

दफ़ा अथवा गुलामी में रखने इत्यादिके लिये भगालेजाना या बहकालेजाना ॥

३६८—लेभागे हुये मनुष्य को छुपाना या बंधि में रखना ॥

३६९- लेभागना या बहकालेजाना दशवरस से नीचे बालक को इस प्रयोजन से कि उसके शरीरपरसे कुछ वस्तुलेले ॥

३७०—किसी मनुष्यको गुलाम करके बेंचना अथवा अलग करना ॥

३७१—गुलामी का व्योपार ॥

३७२- वेश्या इत्यादि कामों के लिये किसी बालकको बेंचना अथवा किराये पर देना ॥

३७३—वैश्यापन इत्यादि कामों के लिये किसी बालक को मोल लेना अथवा अपने पास रखना ॥

३७४—अनीति बेगार ॥

## बलसहित व्यभिचार।

३७५—बल सहित व्यभिचार ॥

३७६—बल सहित व्यभिचारका दंड ॥

## स्वभाव विरुद्ध अपराध

३७७—स्वभाव विरुद्ध अपराध ॥

# अध्याय १७

## धन सम्बन्धी अपराधों के विषय में चोरी का वर्णन ।

३७८—चोरी ॥

३७९—चोरी का दंड ॥

३८०—मकान या तंबू या नाव में चोरी ॥

३८१—जब कोई गुमाश्ता अथवा नौकर अपने मालिक के पाससे कोई वस्तु चुरावै ॥

३८२—चोरी करने के प्रयोजनसे किसी को मारडालने अथवा दुःख पहुंचाने का उपाय करके चोरी करना ॥

## दबाकर लेने के विषय में ।

३८३—दबाकर लेना ॥

३८४—दबाकर लेनेका दंड ॥

३८५—दबाकर लेने के लिये किसी मनुष्यको हानि पहुंचाने का डरादि दिखाना ॥

३८६—किसी मनुष्य को मृत्यु अथवा भारी दुःख का डर दिखाकर दबाकर लेना ॥

३८७—दबाकर लेने के लिये किसी मनुष्य को मृत्यु अथवा भारी दुःख पहुंचाने का डर दिखलाना ॥

३८८—बध अथवा देश निकाले इत्यादि के दंड योग्य किसी अपराध की तोहमत लगाने का डर दिखाकर दबाकर लेना ॥

३८९—दबाकर लेने के प्रयोजनसे किसी मनुष्य को अपराध की तोहमत लगाने का डर दिखाना ॥

## बल सहित चोरी और जोरी के बयान में ।

३९०—चोरी जोरी ॥

तथा—चोरी कब जोरी गिनी जायगी ॥

तथा—दबाकर लेना कब जोरी कहलायगा ॥

दफ़ा ३९१ — डकैती ॥

३९२ — डकैती का दंड ॥

३९३ — जोरी के उद्योग का दंड ॥

३९४ — जोरी करने में जानमान कर भारी दुःख पहुंचाना ॥

३९५ — डकैती का दंड ॥

३९६ — जानघात के साथ डकैती करना ॥

३९७ — बल सहित चोरी अथवा डकैती मृत्यु करने अथवा भारी दुःख पहुं-चाने का उद्योग ॥

३९८ — मृत्युकारी हथियार बांधकर जोरी अथवा डकैती का उद्योग करना ॥

३९९ — डकैती करने के लिये तैयारी करना ॥

४०० — डकैती के समाज में साझी होने का दंड ॥

४०१ — चोरों की जमायत में साझी होने का दंड ॥

४०२ — डकैती करने के निमित्त इकट्ठा होना ॥

## मालके तसरुंफ़ बेजा का अपराध

४०३ — बेधर्मीसे मालका तसरुंफ बेजा करना ॥

४०४ — बेधर्मी से उस मालका तसरुंफ बेजा करना जो किसी मनुष्यके मरते वक्त उसके कब्जे में रहा हो ॥

## दंड योग्य विस्वासघात ।

४०५ — दंड योग्य विस्वासघात ॥

४०६ — दंड योग्य विस्वासघात का दंड ॥

४०७ — ढोईदार और घटवार इत्यादि की ओर से दंड योग्य विस्वासघात ॥

४०८ — गुमाश्ते अथवा नौकरकी ओर से दंड योग्य विस्वासघात ॥

४०९ — सर्व सम्बन्धी नौकर अथवा कोठी वाल अथवा ब्योपारी अथवा अढतिये की ओर से दंड योग्य विस्वासघात ॥

## चोरीका माल लेनें ।

४१० — चोरी का माल ॥

४११ — बेधर्मी से चोरी का माल लेना ॥

४१२ — बेधर्मीसे लेना ऐसे मालका जो डकैती में गया हो ॥

४१३ — चोरी के माल का ब्योहार रखना ॥

४१४ — चोरीकेमाल छुपाने में सहायता देना ॥

४१५ — छलना ॥

४१६ — दूसरा मनुष्य बनकर छलना ॥

४१७ — छलने का दंड ॥

४१८ — छलना यह जानकर कि इससे अनीति हानि उस मनुष्य को होगी जिस के स्वार्थ की रक्षा करनी उस अपराधी पर अवश्य है ॥

४१९ — दूसरा मनुष्य बनकर छलनेका दंड ॥

४२० — छलना और बेधर्मीसे माल दिलादेना ॥

## छल छिद्र की लिखतम और छल छिद्र से माल अलग करने के विषय में ।

४२१ — ब्योहारों में बटजाने से बचाने के लिये मालको अलग करदेना अथवा छुपाना ॥

४२२ — अपना कोईतगादा अथवा अपने ब्यो-

दफ़ा　　हारोंको मिलने से वेधर्मी करके रोकना अथवा छुपाना ॥

४२३—वेधर्मी से लिखना या बैनामे इत्यादि लिखतम का जिसमें मोल की तादाद झूठी लिखी हो ॥

४२४—माल को वेधर्मी से अलग करना या छुपाना ॥

## नुकसान रसानी के बयान में ।

४२५—उत्पात ॥

४२६—उत्पात करने का दंड ॥

४२७—उत्पात करना और उसके द्वारा पचास रुपयेका नुकसान पहुंचाना ॥

४२८—दश रुपये के मोल के किसी पशुको मारकर अथवा अंग तोडकर उत्पात करना ॥

४२९—किसी पीहे इत्यादि को अथवा पचास रुपये के माल के किसी पशुको मारकर अथवा अंग तोडकर उत्पात करना ॥

४३०—खेती के काम इत्यादि के लिये पानी घटाकर उत्पात करना ॥

४३१—सर्वसम्बन्धीपुल अथवासडक अथवा नावको हानि पहुंचा कर उत्पात करना ॥

४३२—अहलाकरके अथवा पानीका निकास रोककर जिसमें नुक्सान हो उत्पात करना ॥

४३३—प्रकाश ग्रहको अथवा समुद्र के चिह्न को मिटाकर अथवा हटाकर उत्पात करना ॥

४३४—धरती के टीहे को जो सर्व सम्बन्धी अधिकारी की आज्ञामें बांधा गयाहो मिटाने अथवा हटाने इत्यादि के द्वारा उत्पात करना ॥

४३५—आगमें अथवा आगकी भांति उडने वाली किसी वस्तुसे सौरुपये नुकसान करने के प्रयोजनसे उत्पात करना ॥

४३६—आगमें अथवा आगकी भांति उडने-वाली किसी वस्तु से मकान इत्यादि को नुकसान करने के प्रयोजनसे उत्पात करना ॥

४३७—पटीहुई नाव अथवा बीसटन अर्थात् पांचसौमन बोझ लेजानेवाली नावको तबाह करने अथवा जोखिम में डालने के प्रयोजनसे उत्पात करना ॥

४३८—पिछली दफामें वर्णन कियेहुए उत्पात का दंड जबकि वह उत्पात आगके द्वारा अथवा आग की भांति उडने-वालीकिसीवस्तु के द्वारा कियाजाय ॥

४३९—टकराना नावको किनारे पर चोरी इत्यादि के प्रयोजनसे ॥

४४०—मृत्यु अथवा दुःख करने का सामान करके उत्पात करना ॥

## दंड योग्य मुदाखिलत बेजाके विषय में ।

४४१—दंड योग्य मुदाखिलत बेजा ॥

४४२—मकान की मुदाखिलत बेजा ॥

४४३—मकानकी मुदाखिलत बेजा की घात

दफा लगानी ॥

४४४—रातके समय मुदाखिलत बेजा की घात लगानी ॥

४४५—घर फोडना ॥

४४६—रात में घर फोडना ॥

४४७—दंड योग्य मुदाखिलत बेजाका दंड ॥

४४८—मकान की मुदाखिलत बेजाका दंड ॥

४४९—कोई ऐसा अपराध करने के लिये जिसका दंड वधहो मकानकी मुदाखिलत बेजा करनी ॥

४५०—जन्म भरके देश निकाले के दंडयोग्य कोई अपराध करने के लिये मकान की मुदाखिलत बेजा करनी॥

४५१—कैदके दंड योग्य कोई अपराध करने के लिये मकान की मुदाखिलत बेजा करनी ॥

४५२—किसी मनुष्य को दुःख पहुंचाने का सामान करके मकान की मुदाखिलत बेजा करनी ॥

४५३—मकान की मुदाखिलत बेजा की घात लगाने अथवा घर फोडने का दंड ॥

४५४—कैद के दंड योग्य कोई अपराध करने के लिये मकान की मुदाखिलत बेजा की घात लगाना अथवा घर फोडना ॥

४५५—किसी मनुष्य को दुःख पहुंचाने का सामान करके मकान के मुदाखिलत बेजा की घात लगानी अथवा घर फोडना ॥

४५६ रात के समय मुदाखिलत बेजा की घात लगाना अथवा घर फोडना ॥

४५७—कैदके दंड योग्य कोई अपराध करने के लिये रात के समय मकान की मुदाखिलत बेजा की घात लगाना अथवा घर फोडना ॥

४५८ किसी मनुष्य को दुख पहुंचाने का सामान करके मकान की मुदाखिलत बेजा की घात रात के समय लगाना अथवा घर फोडना ॥

४५९ मकान की मुदाखिलत बेजा की घात लगाने अथवा घर फोडने में भारी दुख पहुंचाना ॥

४६० सब मनुष्य जो मकानकी मुदाखिलत बेजा इत्यादि करने में साझीहों किसी मृत्यु अथवा भारी दुख के बदले जो उन में से किसी एकने किया हो दंड के योग्य होंगे ॥

४६१—बेधर्मई से किसी बंद मकानको जिस में माल भरा हो अथवा भरा होनेका अनुमान हो तोडना ॥

४६२—दंड उसी अपराध का जबकि उसका करनेवाला कोईऐसा मनुष्य हो जिस को माल की चौकसी सौंपी गई हो ॥



दफ़ा

# अध्याय १८

## उन अपराधों के विषय में जो लिखतमों और ब्योपार के अथवा मालके चिन्हों में संबन्ध रखते हों ।

४६३—जालसाजी ॥

४६४—झूठी लिखतम बनाना ॥

४६५—जालसाजीका दंड ॥

४६६—जालसाजी किसी अदालत के कागज की अथवा रोजनामचे की जिसमें बालकोंकाजन्म लिखाजाताहो अथवा मुख्तारनामे इत्यादि की ॥

४६७—जालसाजी किसी दस्तावेज़र्की अथवा वसीयतनामे की हो ॥

४६८—छलने केलिये जालसाज़ी ॥

४६९—किसी मनुष्य के यश को ज्यान पहुंचाने केलिये जालसाज़ी ॥

४७०—जाली लिखतम ॥

४७१—छल छिद्र से किसी जाली लिखतम को सच्चीकी भांति काम में लाना ॥

४७२—दफ़ा ४६७के अनुसार दंड कियेजाने योग्य कोई जालसाज़ी करने के प्रयोजन से झूठी मुहर इत्यादि बनानी या पास रखनी ॥

४७३—कोई झूठी मुहर अथवा चपरास इत्यादि दूसरी किसी भांति दंड होने योग्य कोई जालसाज़ी करने के प्रयोजन से बनाना अथवा पास रखना ॥

४७४—जो कोई लिखतम यह जान बूझकर कि यह जालसाज़ी से बनी है अपने पास इसप्रयोजन से रखनी कि सच्ची की भांति काम में लाई जाय ॥

४७५—जालसाज़ी से बनाना किसी चिन्ह या निशान का जो दफ़ा ४६७ में कहेहुये प्रकार की लिखतमों की सचाई के काम आता हो अथवा पास रखना किसी वस्तु को जिसपर झूठा चिन्ह लगा हो ॥

४७६—जालसाज़ी से बनाना किसी चिन्ह अथवा निशान का जो दफ़ा ४६७ में कहीहुई लिखतमों को जो छोड़कर और प्रकार की लिखतमों की सचाई केलिये काम आताहो या पास रखना किसी वस्तु को जिसपर झूठा चिन्ह लगा हो ॥

४७७—छल छिद्र से किसी वसीयतनामे को बिगाड़ना अथवा नष्ट करना इत्यादि ॥

## ब्योपार और माल के चिन्हों के विषय में ।

४७८—ब्योपार का चिन्ह ॥

४७९—माल का चिन्ह ॥

४८०—ब्योपार का झूठा चिन्ह काममें लाना ॥

४८१—माल का झूठा चिन्ह काममें लाना ॥

४८२—किसी मनुष्य को धोखा देने या ज्यान पहुंचानेके प्रयोजनसे ब्योपार अथवा माल का झूठा चिन्ह काम में लाने

का　　　का दंड ॥

नुकसान अथवा हानि पहुंचाने के प्रयोजन से व्योपार अथवा माल का कोई ऐसा चिन्ह जिसको और कोई काम में लाते हों झूठा बनाना ॥

४८४—माल का कोई ऐसा चिन्ह जिसको कोई सर्व सम्बन्धी नौकर काम में लाता हो अथवा ऐसा चिन्ह जिसको किसी मालका तैयारहोना और गुण इत्यादि प्रगट करने के लिये काम में लाना हो झूठा बनाना ॥

४८५—छल छिद्र बनाना या पास रखना किसी ठप्पे या चपरास अथवा औजार का इसलिये कि कोई चिन्ह माल का अथवा व्योपार का चाहे सर्व सम्बन्धी हो चाहे निजका झूठा बनाया जाय ॥

४८६—जान मानकर बेंचना किसी माल का जिसपर व्योपार अथवा मालका झूठा चिन्ह लगा हो ॥

४८७—छल छिद्र से किसी बिदरी अथवा माल भरीहुई वस्तु पर झूठा चिन्ह लगाना ॥

४८८—ऐसे झूठे चिन्ह को काम में लाने का दंड ॥

४८९—बिगाड़ना माल अथवा मिलकियत के चिन्ह का नुकसान पहुंचाने के प्रयोजन से ॥

---

# अध्याय १९

## नौकरी का कौल करार दंड योग्य रीत से तोड़ने के विषय में ।

४९.० — जल अथवा थल के सफर में नौकरी के कौल करार को तोडना ॥

४९.१ — असमर्थ मनुष्योंकी टहल करने और जो वस्तु उनके लिये अवश्य चाहिये उसके पहुंचाने के लिये कौल करार को तोडना ॥

४९.२ — कौल करार का किसी दूर स्थान पर जहां नौकर मालिक के खर्च से पहुंचायागया हो ॥

# अध्याय २०

## विवाह सम्बन्धी अपराधों के विषय में ।

४९३ — संभोग जो किसी पुरुष ने धोखे से नीति पूर्वक विवाह होजाने का निश्चय करार किया हो ॥

४९४ — जोरू अथवा खसम के जीते जी और ब्याह करना ॥

४९५—यही अपराध पहले ब्याह को उससे जिसके साथ पिछला ब्याह हुआ छिपाकर करना ॥

४९६—छलछिद्र के प्रयोजनसे ब्याहकरना ॥

दफ़ा ४९७—व्यभिचार ॥

४९८—बुरे प्रयोजन से बहकाना अथवा ले-जाना अथवा रोकरखना किसी स्त्री का जिसका व्याह होगया हो ॥

# अध्याय २१

## अपयश लगाने के विषय में ।

४९९—अपयश लगाना ॥

तथा—लगाना किसी सच्ची बात को जो सब के भले के लिये लगाई जानी अथवा प्रगट की जानी उचित हो ॥

तथा—सर्व सम्बन्धी नौकर का सर्व सम्बन्धी चलन ॥

तथा—किसी मनुष्य का चलन किसी सर्व सम्बन्धी बात के मध्ये ॥

तथा—अदालतकी काररवाई की खबर छाप कर प्रगट करनी ॥

तथा—अदालत में बिगडे हुए किसी मुकद्दमे की अवस्था अथवा उस मुकद्दमे के गवाहों इत्यादि ॥

तथा—किसी सर्वसम्बन्धी कामकीव्यवस्था॥

तथा—शिक्षा दोष जो शुद्ध भाव से कोई ऐसा मनुष्य दे जिसको कानून की रीतिसे दूसरे पर अधिकार प्राप्तहो ॥

तथा—नालिश करना शुद्धभाव से किसी मनुष्य के सामने जिसको यथार्थ अधिकार उसके सुनने का हो ॥

तथा—अपने स्वार्थ के लिये रक्षा अथवा सबके भलेको किसी मनुष्य को शुद्ध भाव से कुछ बात लगानी ॥

तथा—सावधानी की बात जो उस मनुष्य के भले के लिये हो जिससे वह कही गईहो अथवा सबके भलेके लियेहो ॥

५००—अपयश लगाने का दंड ॥

५०१—छापना अथवा खोदकर लिखना किसी बात का यह जानकर कि यह अपयश लगानेवाली है ॥

५०२—बेंचना किसी छपी हुई अथवा खुदी हुई वस्तु का जिसमें अपयश वाली बात हो ॥

# अध्याय २२

---

## दंड योग्य धमकी और अपमान और छोडने के विषय में ।

५०३—दंड योग्य धमकी ॥

५०४—कुशलतामें विघ्न कराने के प्रयोजनसे अपमान करना ॥

५०५—बगावत कराने अथवा सर्व सम्बन्धी कुशलता के विरुद्ध कोई अपराध कराने के प्रयोजन से झूठे अफवाह इत्यादि का उडाना ॥

६—दंड योग्य धमकी देने का दंड ॥

तथा—कदाचित् धमकी मारडालने अथवा भारी दुःख पहुंचाने इत्यादि की ॥

५०७—बिना नामकी मुखबरी के द्वारा दंड योग्य धमकी देना ॥

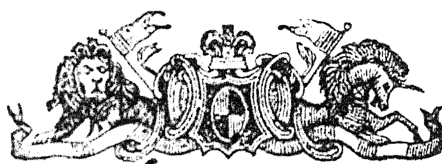
५०८—जो काम किसी को बहकाकर दैवी कोपका निश्चय करानेसे कियाजाय ॥

५०९—किसी स्त्री की लज्जा का अपमान करने के प्रयोजनसे बचन कहना—अथवा सैन देना ॥

५१०—कुचलन किसी नशा किये हुए मनुष्य का सबके सामने ॥

### ध्याय

५११—अपराध के उद्योग का दंड ॥



# शिवोक्त बृहत् सावरतन्त्र विधान सहित।



अनमिल अक्षर अर्थ न जापू । प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू ॥

पाठकगण ! जितने मन्त्र, तन्त्र, यन्त्र हैं वह समस्त शिव ने कलियुग में कील दिये हैं इसकारण सिद्ध होते नहीं। कलियुग में सिद्ध होने के सावरमंत्र शिवजीने बनाये हैं। जो तत्काल फल देते हैं, प्रत्यक्ष में देखाजाता है कि बिच्छू, सर्प, सिंह आदि जीव इन सावरमंत्रों सेही पकड़े जाते हैं सावरमंत्रों सेही समस्त रोगों की चिकित्सा होतीहै । मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन आदि षट्कर्म सावरमंत्रोंसेही सिद्ध होतेहैं अन्यसे नहीं। सावरमंत्रो द्वारा बंगाले आदि में जादू, टोना, छिपंजाना, तोता, बकरा बना-

लेना तथा दूरदेश की वस्तु मँगालेना, भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी शाकिनी, यक्षिणी को वशमें करलेना इत्यादि इन्द्रजाल विद्या समस्त सावरमन्त्रोंसे सिद्ध होती हैं। आज हम इस अत्यन्त गोप्य सावरतंत्र को जगत्कल्याण के अर्थ प्रकाशित किये देते हैं। यह वही सावरमंत्र हैं जिनको मनुष्य थोड़े दिनमें सुखपूर्वक साधन करके विचित्र २ आश्चर्य २ कार्य सिद्ध करलेताहै। हमने यह सावर तंत्र बड़े परिश्रम तथा धनव्यय से जगत प्रसिद्ध महात्मा कामराज सिद्ध द्वारा प्राप्त किया है। आज तक जितनी पुस्तकें मंत्र, तंत्र शास्त्र की छपी हैं वह समस्त शिवजीके कीलनेसे फल रहित हैं और मनुष्य वृथा न पच मरें केवल यही सावरतन्त्र मन्त्र शास्त्र की मर्यादा रखने को शिवजीने रचा है जिसके देखने से अविश्वासी मनुष्यों को भी विश्वास करना पड़ता है बहुत से अविश्वासी प्रसिद्ध २ पुरुषोंके सार्टिफिकट हमारे पास उपस्थित हैं बस हम इतनाही लिखते हैं कि एक बार इस अनुपम ग्रन्थको मंगाकर परीक्षा करें जिससे हमारा परिश्रम सफल हो। ग्रन्थ उत्तम टाइप जिल्द सहित है तिस पर भी मूल्य सर्व सुगम डाकव्यय सहित १॥) रु० मात्र है ॥

## उड्डीस तंत्र।

यह ग्रन्थ राक्षसराज रावण का बनाया हुआ जगत प्रसिद्ध इस ग्रन्थ में भी अपूर्व २ चमत्कारिक २ मन्त्रों का विधान त[illegible] सिद्धि है उपमा व्यर्थ है परीक्षा श्रेष्ठ है अल्प मूल्य डाक स० [illegible] रु० है छापा टाइप है जिल्द बंधी है ॥



## मिलने का पता.



पण्डित हरिशंकरजी शास्त्री अध्यक्ष संस्कृत पुस्तकालय
हरिद्वार ॥

